[2018] 2 एस. सी. आर *1*

इंदौर विकास प्राधिकरण

वी.

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से। *&* ओआरएस।

(2017 की सिविल अपील संख्या *20982)*

फरवरी *08,2018*

[अरुण मिश्रा, आदर्श कुमार और

मोहन एम. शांतनागौदर, जे. जे.*]*

भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार

अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, *2013:*

अधिनियमन का विधायी इरादा-आयोजितः अधिनियम

किसानों और उन लोगों की चिंता को संबोधित करता है जिनकी आजीविका है

अधिग्रहण की जा रही भूमि पर निर्भर, जबकि एक ही समय में

शहरीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि सहित असंख्य कारणों से भूमि अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करना। , समय पर और पारदर्शी तरीके से

तरीके से। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

एस. *24 (1)* – वर्ड वर्ड 'पेड पेड'-का अर्थ-आयोजितः वह शब्द।

'एस में भुगतान किया गया। *24 2013* के अधिनियम का अर्थ 'निविदा' के समान है।

एस में भुगतान। *31 (1) 1894* के अधिनियम के अनुसार-उनका एक ही अर्थ है-'*s*' में 'जमा' अभिव्यक्ति। *31 (2)* में शामिल नहीं है

एस में 'भुगतान' अभिव्यक्तियाँ। *24 2013* के अधिनियम या एस में उपयोग की जाने वाली भुगतान की निविदा में। *31 (1) 1894* के अधिनियम के अनुसार-'भुगतान'/निविदा 'और' जमा 'शब्द अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ हैं और उनके अलग-अलग अर्थ हैं।

उनके दायरे में-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894* - धारा *31 (1), (2)*। *(* प्रति।

बहुमत*)*

एस. *24 (2)* — क्षतिपूर्ति जमा करने में विफलता, प्रभाव गैर

एस के तहत अदालत में मुआवजे की जमा राशि। *31 (2) 1894* के अधिनियम का

2013 - अदालत में जमा की विफलता के कारण, एकमात्र परिणाम अधिक से अधिक उपयुक्त मामलों में ब्याज की दर अधिक हो सकती है।

एस के तहत परिकल्पित मुआवजे पर। *34 1894* के अधिनियम और

अधिग्रहण की समाप्ति नहीं-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894* - एस. *31 (2)*।

(बहुमत के हिसाब से*)*

एस. *24 (2)* – संरक्षण के तहत, जब स्वीकार करने से इनकार किया जाता है

क्षतिपूर्ति-एक बार मुआवजे की राशि मिल जाने के बाद

बिना शर्त निविदा दी जाती है और इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, जो इसके बराबर होगा

एस के तहत भुगतान और दायित्व। *31 (1)* निर्वहन किया जाता है और यह एस के तहत भुगतान के दायित्व के निर्वहन के बराबर है। *24 (2) 2013* के अधिनियम का भी और यह उस व्यक्ति के लिए खुला नहीं है जिसने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, यह आग्रह करने के लिए कि चूंकि यह नहीं किया गया है अदालत में जमा किया गया, अधिग्रहण ने इनकार करने के बाद दावेदारों/भूमि मालिकों को समाप्त कर दिया है, वे अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकते हैं और एस के प्रावधानों के तहत सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। *24 (2)* – भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894*-- धारा *31 (1)*। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

एस। *24 (2)* - सीमा-मुकदमेबाजी में बिताए गए समय का अपवर्जन-आयोजितः एस के प्रावधान। *24 (2)* अवधि को पूरा करने का इरादा नहीं है

मुकदमेबाजी के दौरान खर्च किया गया और जब अधिकारी अक्षम हो गए हों

एस के तहत कार्य करना। *24 (2)* न्यायालय के अंतिम या अंतरिम आदेश के कारण या अन्यथा, ऐसी अवधि को पांच साल की अवधि से बाहर रखा जाना चाहिए जैसा कि धाराओं में प्रावधान किया गया है। *24 (2) 2013* के अधिनियम का-कोई नहीं है

एस में सचेत चूक। *24 (2)* अंतरिम आदेश की अवधि के अपवर्जन के लिए। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

एस। *24 (1)* आयोजित की व्याख्याः जब इसके तहत पुरस्कार दिया जाता है

1894 अधिनियम पारित नहीं किया गया है, तो एस के अनुसार। *24 (1) (* क*)* अधिनियम *2013* के, मुआवजे के निर्धारण से संबंधित *2013* के अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे-जहां, हालांकि, एस के तहत एक पुरस्कार। *11* की गई है तो ऐसी कार्यवाही के अनुसार जारी रहेगी

एस। *24 (1) (ख)* अधिनियम *2013* के तहत, *1894* के अधिनियम के तहत जैसे कि उक्त अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया है-हालांकि, भौतिक कब्जे के मामले में

भूमि नहीं ली गई है, या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा; और, यदि अधिकांश भूमि स्वामित्वों के संबंध में मुआवजे को लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी यानी भूमि मालिक *2013* के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे-लाभार्थियों के खाते में अधिकांश भूमि स्वामित्वों के संबंध में राशि जमा नहीं करने का परिणाम यह है कि अधिग्रहण समाप्त नहीं होगा, और केवल नए अधिनियम के तहत मुआवजा देय होगा। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

एस। *24 (2)* की व्याख्या-अभिव्यक्ति 'भुगतान/जमा'-का अर्थ-*s* के मुख्य भाग के तहत। *24 (2)* , अभिव्यक्ति

" मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है "का उपयोग किया गया है-शब्द

" जमा "*s* के मुख्य भाग से गायब है। *24 (2)* , और इसका उपयोग केवल परंतुक में किया जाता है-विधानमंडल ने दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों इंदौर विकास प्राधिकरण *v* का उपयोग किया है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

क्रमशः अलग-अलग अर्थ रखने के लिए; और, परंतुक एक अलग क्षेत्र में काम करता है, जहां अधिग्रहण समाप्त नहीं होगा

जहां मुआवजे का भुगतान किया गया है वहां परंतुक आकर्षित नहीं होता है-एस के लिए परंतुक। *24 (2)* यह प्रदान नहीं करता है कि मुआवजे की राशि अदालत में जमा की जानी है-यह स्पष्ट रूप से भुगतान को संदर्भित करता है

एल. ए. ओ. या कोषागार में जमा-"भुगतान" अभिव्यक्ति, एस में उपयोग की जाती है। *24 (2)* इस प्रकार, *2013* के अधिनियम का एक ही अर्थ नहीं हो सकता है और इसमें एस के तहत अदालत में की जाने वाली जमा राशि शामिल नहीं हो सकती है। *31 (2)* यह केवल एस के तहत परिकल्पित भुगतान के तरीके को दर्शाता है। *31 (1) 1894* के अधिनियम अर्थात "निविदा"-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894*--

एस. *31 . (* बहुमत के हिसाब से*)*

एस. *24 (2)* , परंतुक-'भुगतान' और 'जमा' का अर्थ-आयोजित के बीच का अंतरः एस के लिए प्रावधान। *24 (2) 2013* के अधिनियम का

राजकोष या भूमि में मुआवजे के 'जमा' से संबंधित है। अधिकांश हिस्सेदारी के संबंध में अधिग्रहण कलेक्टर-यह

इस बात पर विचार करता है कि भूमि मालिकों को राशि का भुगतान नहीं किया गया है /

लाभार्थी/इच्छुक व्यक्ति इस प्रकार, जब पूरी योजनाएँ। *24* माना जाता है, मुख्य एस में 'भुगतान' की अवधारणा। *24 (2)* जमा राशि से अलग है-यदि जमा राशि 'भुगतान' शब्द में शामिल है, तो एस के लिए प्रावधान। *24 (2)* , जिसका कोई चूक नहीं होने का अलग-अलग परिणाम होता है, लेकिन केवल अधिक मुआवजा ही अनुचित होगा और अनावश्यक हो जाएगा और तिरस्कार होगा-यह स्पष्ट है कि *'s'* में 'भुगतान' अभिव्यक्ति होगी। *24* यह 'जमा' शब्द से अलग है जो इसके परंतुक में दिया गया है। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

एस. *24 (2)* - "एस में भुगतान" का अर्थ। *24 (2)* और एस में। *31 1894* के अधिनियम के अनुसार एस में "भुगतान" अभिव्यक्ति है। *31 (1) 1894* के अधिनियम और एस। *24 (2) 2013* के अधिनियम का अर्थ है, जैसे ही इसे पेश किया जाता है और बनाया जाता है

बिना शर्त उपलब्ध-केवल, यदि कोई भूमि मालिक स्वीकार करने से इनकार करता है

यदि, यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका भुगतान नहीं किया गया है-एक बार राशि की निविदा दे दी गई है जो भुगतान के बराबर होगी इस प्रकार, शब्द "भुगतान"

इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तविक भुगतान किया जाना है, लेकिन एक पदधारी के लिए भुगतान करने के लिए जो कुछ भी संभव है, उस पर केवल विचार किया जाता है-यह तय किया जाता है कि एक न्यायालय एक शब्द को जोड़ या घटा नहीं सकता है; "मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है" अभिव्यक्ति का उपयोग एस में किया जाता है। *24 (2) ;* न्यायालय के लिए इन शब्दों को जोड़ने या उक्त अभिव्यक्ति को 'जमा' जैसी किसी और अभिव्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित करने का अधिकार नहीं है। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

एस. *24 (2)* एस के प्रावधानों पर सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को लागू करना। *24 (2) 2013* के अधिनियम के अनुसार, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों के बीच

[2018] 2 एस सी आर।

धारा के मुख्य भाग और इसके परंतुक, मुख्य भाग में आने वाले "भुगतान" शब्द का अलग-अलग अर्थ लगाया जाना चाहिए *(*इसका अर्थ परंतुक में आने वाले "जमा" शब्द से अलग किया जा रहा है; अन्यथा, विसंगति और प्रतिकूलता एस में निहित प्रावधान का परिणाम होगी। *24 (2)* समग्र रूप से; और, इससे बचा जाना चाहिए- प्रावधान अपरिवर्तनीय होंगे, और एक विसंगत परिणाम प्राप्त होगा-एक खंड होना है

इसके सभी भागों को पूरी तरह से पढ़कर व्याख्या की जाती है, और इसके किसी भी हिस्से को छोड़ने की अनुमति नहीं है-तत्काल मामले में, एस के लिए परंतुक। *24 (2)* मुख्य उपखंड की व्याख्या करते समय इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है-परंतुक को एस के हिस्से के रूप में अधिनियमित किया गया है। *24 (2) ;* यह एक स्वतंत्र प्रावधान नहीं है और पांच साल या उससे पहले किए गए अधिग्रहण पर लागू होता है, जिसमें अधिकांश जोतों के संबंध में राशि अदालत में जमा नहीं की गई है-एस के प्रावधानों का सामंजस्यपूर्ण निर्माण होना चाहिए। *24 (2)* - विधियों की व्याख्या। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

क्या आवश्यकता है

एस। *24* - क्षतिपूर्ति-न्यायालय में जमा

- आयोजित किया गया: *1894* के अधिनियम के तहत प्रचलित कानून में जमा की गई राशि के अभाव में किसी भी भूमि अधिग्रहण को कभी भी अमान्य नहीं किया गया।

न्यायालय अनादिकाल से अधिकांश मामलों में जहां संदर्भ नहीं माँगा जाता है, राशि को निश्चित रूप से कोषागार में जमा किया जाता था जैसा कि एस के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों में प्रदान किया गया था। *55 1894* के अधिनियम और राज्य सरकारों द्वारा जारी अन्य स्थायी आदेश, और ऐसे बाध्यकारी निर्णय थे जो

केवल यह निर्धारित करते थे कि यदि भूमि मालिक भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो अधिक से अधिक वह ऐसी राशि पर ब्याज का हकदार हो सकता है, यदि कब्जा किए जाने पर उसे निविदा/भुगतान नहीं किया गया है-यह कहना गलत होगा

कानून के तहत कि एक बार राशि अदालत में नहीं बल्कि खजाने में जमा की गई है, अधिग्रहण एस के तहत समाप्त हो जाएगा। *24 . (* बहुमत के हिसाब से*)*

एस। *24* - क्षतिपूर्ति-कोषागार में जमा-अदालत

जब संदर्भ नहीं मांगा जाता है तो मुआवजे का वितरण करने का अधिकार नहीं है-किसान/दावेदार मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण कलेक्टर से संबंधित हैं और एक शताब्दी से अधिक समय से खजाने में जमा करने की यह प्रक्रिया प्रचलित थी और बड़ी मात्रा में

केवल कोषागार में जमा किया गया था और इस प्रकार, कानून के संचालन को ऐसा बनाना उचित नहीं होगा कि कोषागार में जमा किए जाने पर भूमि अधिग्रहण को अमान्य कर दिया जाए-ऐसा

2013 के अधिनियम के आशय के अनुसार व्याख्या की अनुमति नहीं है। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

एस. *24 (2)* और इसका परंतुक-अभिव्यक्ति "में जमा"

भूमि मालिकों के खाते का मतलब अदालत में जमा करना नहीं होगा क्योंकि

एस में परिकल्पित। *31 (2)* पुराने अधिनियम के अनुसार अनुज्ञेय कार्रवाई

कानूनी या प्रशासनिक आदेशों के साथ-साथ विभिन्न कानूनों द्वारा बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय निर्देश।

अलग-अलग खाते खोलकर कोषागार में जमा किया जाना भूमि मालिक/लाभार्थी/दावेदार जो पूर्ण अनुपालन करेंगे

एस के परंतुक का। *24 (2)* नया अधिनियम। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

एस. *24* - जब राज्य में पूरी तरह से भूमि निहित हो।

1894 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत, क्या इसका विनिवेश किया जा सकता है

एस में किए गए प्रावधानों के आधार पर। *24 2013* का अधिनियम-आयोजितः कब राज्य में पूर्ण निहित है जो यह कब्जे के साथ निहित कर रहा है

और उसके बाद एक व्यक्ति जो कब्जे में रहता है वह केवल एक है

अतिचारक सही अधिकार में नहीं है-वेस्टिंग पूर्ण रूप से विचार करता है

राज्य में अधिकार-"वस्त्र" का अर्थ है एक निरपेक्ष या

अक्षम्य अधिकार-इस प्रकार, अधिनियम के तहत निहित प्रावधान *2013* निहित अधिकारों को न छीनें-इसमें कोई चूक नहीं मानी जाती है।

एस के तहत। *24* ऐसे मामले में-तात्कालिकता की स्थिति में भी पुरस्कार से पहले

एस में दिए गए अनुसार पारित किया गया। *17 (1) , 17 (3* ए*)* शर्तों की पूर्ति पर निहित किया जाता है-एस से कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है। *24* एक बार जब यह पूरी तरह से राज्य में निहित हो जाए तो भूमि को बेचने के लिए

1894 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार-केवल

अंतरिम आदेश प्राप्त करना या मुकदमे को लंबित रखना या इसे दाखिल करना

नए सिरे से वह भी अधिनियम के बाद पुराने और विलंबित दावे के माध्यम से

2013 लागू हो गया है, भूमि के विनिवेश पर विचार नहीं किया गया है-यह

केवल आवश्यकताओं में है बशर्ते कि मानित चूक या तो तब होती है जब

कब्जा नहीं लिया गया या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया जैसा कि एस में प्रदान किया गया है। *24 (2)* और जहां पुरस्कार पारित नहीं किया गया है, एस के प्रावधान। *24* अधिनियम का

2013 से लागू होता है। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

एस*. 24 (2)* – अर्जित अधिकार-यह स्थापित कानून है जो अधिकार अर्जित करता है।

वैधानिक प्रावधानों को निरस्त करके दूर नहीं किया जा सकता है

द.

उपार्जित अधिकारों को छीनने के लिए कानून को निरस्त करने का प्रावधान होना चाहिए

स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से-ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं है

प्रावधान या आवश्यक निहितार्थ-लाभप्रद इरादा एस के लिए प्रावधान। *24 (2)* यह है कि अधिग्रहण करने वाले निकाय के पास सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए

अधिकांश स्वामित्व के संबंध में मुआवजे के भुगतान के लिए धन-कानून किसी वादी को प्रावधानों के दुरुपयोग के लिए विचार या अनुमति नहीं देता है-कानून अदालत के आवरण को ढाल के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है जब दावे में कोई वैधता नहीं होती है और किसी को अपनी विलम्बकारी रणनीति, अनंत काल तक मुकदमा करने के लिए धन की शक्ति का फल प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-अधिनियम का कहीं भी इरादा यह नहीं है कि केवल मुकदमेबाजी करने वाले पदाधिकारी जो अधिग्रहण

स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन्हें *2013* के अधिनियम का लाभ दिया जाना चाहिए-जिन्होंने प्रथम दृष्टया मामले की आड़ में अंतरिम आदेश प्राप्त किए हैं, उन्हें किसी भी तरह या किसी भी आधार के बिना, उनके दावे में योग्यता के बिना, एस के सुरक्षात्मक छत्र के तहत आश्रय प्रदान करके संरक्षित नहीं किया जा सकता है। *24 (2) 2013* के अधिनियम का-निरसन। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

एस। *24* - विलंबित दावे-रखरखाव-आयोजितः पुराने दावों पर विचार नहीं किया जा सकता है, भले ही कोई समय सीमा निर्धारित न हो -

एक बार जब पंचनामा खींचा जाता है और चित्रकारी के माध्यम से

पंचनामा भौतिक रूप से कब्जा कर लिया गया है, मामले को एस की आड़ में फिर से नहीं खोला जा सकता है। *24 2013* के अधिनियम के प्रावधान। *24* अदालतों के उन निर्णयों/आदेशों को अमान्य न करें जिनके तहत अधिकार/दावे खो गए हैं/अस्वीकार कर दिए गए हैं, न ही वे उन अधिकारों को पुनर्जीवित करते हैं जो या तो निष्क्रियता के कारण या अन्यथा कानून के संचालन के कारण वर्जित हो गए हैं-धोखाधड़ी और पुराने दावों को एस की आड़ में नहीं उठाया जाना चाहिए। *24 . (* बहुमत के हिसाब से*)*

एस। *24 (2)* एस में 'जमा' शब्द का गैर-समावेश। *24 (2)* क्या केसस ओमिसस-आयोजित किया गयाः एस. *24 (2)* अभिव्यक्ति का उपयोग करता है

"क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है "-भुगतान पूरा करने के लिए,

अदालत में भुगतान की जमा राशि को भूमि मालिकों को भुगतान के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है-यदि विधायिका चाहती थी कि 'अदालत में जमा राशि' को 'भुगतान/निविदा' में शामिल किया जाए, तो वह आसानी से ऐसा कह सकती थी-लेकिन उसने अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया है, जिसके अलग-अलग परिणाम हैं-इसमें लापरवाही है, यानी मुख्य रूप से विधायिका द्वारा जानबूझकर चूक की गई है। *24 (2)* जब "जमा की गई" अभिव्यक्ति का उपयोग "भुगतान किया गया है" अभिव्यक्ति में नहीं किया गया है, और यह केवल निविदा राशि को अस्वीकार करने के बाद है, तो इसे न्यायालय में जमा किया जाना है, वह भी एस के अनुसार कुछ आवश्यकताओं में। *31 (2) . (* बहुमत के हिसाब से*)*

एस। *24 (2)* – कैसस ओमिसस-चाहे एस के प्रावधानों में हो। *24 ,*

मामला चूक है-किसी न्यायालय के आदेश के स्थगन/निषेधाज्ञा की अवधि को बाहर करने के लिए प्रावधान की अनुपस्थिति इंदौर विकास प्राधिकरण *v* के प्रावधान को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

एस. *24 (2) 2013* के अधिनियम-इसका उद्देश्य यह था कि प्राधिकरण को अपनी ओर से ढिलाई के कारण अधिग्रहण को पांच साल या उससे अधिक समय तक लंबित नहीं रखना चाहिए-अदालत के आदेश या भूमि मालिकों के आचरण के कारण दायित्व का पालन करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में आवेदन करने का इरादा कभी नहीं था -

कानूनी प्रावधानों की व्याख्या सामान्य कानून के तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में की जानी चाहिए जब तक कि उन्हें बाहर नहीं रखा जाता है, और यदि कोई व्यक्ति कई दशकों से मुकदमा कर रहा है, तो मुआवजे की

अस्वीकृति और अधिग्रहण पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, *2013* के अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग करने या दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। *(* प्रति।

बहुमत*)*

एस. *24 (2)* – सामान्य विधि सिद्धांत-यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि वैधानिक प्रावधान सामान्य विधि सिद्धांतों पर प्रबल होगा।

- एस में निहित वैधानिक प्रावधान। *24 2013* के अधिनियम के अनुसार,

सामान्य कानून के सिद्धांतों को बाहर नहीं किया जा सकता है-जिन सिद्धांतों को बाहर रखा जा सकता है, वे केवल वे हैं जिनके संबंध में, क़ानून में ही प्रावधान किया गया है या प्रयोज्यता निहितार्थ से हटा दी गई है-व्याख्या के सिद्धांत के संबंध में टिप्पणियां कि यदि कुछ प्रावधान में व्यक्त किया गया है, तो कुछ भी विपरीत है

निहित रूप से बहिष्कृत, स्वयं इस उक्ति पर आधारित हैं-इस उक्ति को संचालन की सीमा माना गया है और यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नहीं है-इस प्रकार, केवल तथ्य यह है कि कुछ प्रावधानों में ठहराव की अवधि को बाहर रखने के बारे में उल्लेख किया गया है, इसे निर्णायक नहीं माना जा सकता है कि ठहराव के प्रभाव के संबंध में अन्य प्रावधानों में विचार नहीं किया जाना चाहिए या

एस के संदर्भ में सामान्य कानून अधिकतम की कोई प्रयोज्यता नहीं है। *24 (2) 2013* के अधिनियम के अनुसार-पक्षों के साथ पूर्ण न्याय करने और न्याय की विफलता को रोकने के लिए सामान्य कानून के सिद्धांतों को हटा नहीं दिया जा सकता है। *24 2013* के अधिनियम-सिद्धांत/सिद्धांत। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

एस. *24 (2)* अधिग्रहण की समाप्ति का प्रावधान, आह्वान-आयोजितः यदि अदालत के आदेश या भूमि-स्वामी के आचरण के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका, या मुआवजे का भुगतान या जमा नहीं किया जा सका, तो चूक का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता है - धारा *24 (2)*, कानून की नीति किसी वादी को लाभान्वित करने या अयोग्य घोषित करने के लिए नहीं है। बिना किसी अधिकार के अवैध आधार पर कब्जे के आधार पर लाभ प्राप्त करना और अक्सर भूमि अधिग्रहण के मामलों में एक के बाद एक एल. आई. एस. दायर किया जाता है और कानून का इरादा है

कानून का पालन करने वाले सत्ताधारियों के साथ अलग व्यवहार नहीं करना-मुकदमेबाजी अदालत की रिपोर्ट का समर्थन नहीं कर सकती

[2018] 2 एस सी आर।

अयोग्य वादी के लिए आकर्षक उद्योग बनने की अनुमति दी जाए। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

निरसन का प्रभाव-आयोजितः *2013* के अधिनियम द्वारा *1894* के अधिनियम का निरसन बिना किसी पूर्वाग्रह के या सामान्य को प्रभावित किए बिना किया गया है। एस का अनुप्रयोग। *6* सामान्य खंड अधिनियम, *1897* - सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* में यह प्रावधान है कि जब तक कोई अलग इरादा न हो

ऐसा प्रतीत होता है कि निरसन किसी भी ऐसी चीज को पुनर्जीवित नहीं करेगा जो लागू नहीं है - एस. *6 (*बी*)* में प्रावधान है कि यह किसी भी पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा।

इस प्रकार निरसित अधिनियम या उसके अधीन कुछ भी विधिवत किया गया या पीड़ित किया गया

– एस. *6 (*ई*)* में प्रावधान है कि यह किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, ज़ब्ती या सजा के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को तब तक प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि कोई अलग इरादा दिखाई न दे, और ऐसा कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित किया जा सकता है, या जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और ऐसा कोई जुर्माना, ज़ब्ती या सजा इस तरह से लगाई जा सकती है जैसे कि निरसन अधिनियम या विनियमन पारित नहीं किया गया था-एस के प्रावधान। *6* स्पष्ट रूप से ऐसी कार्यवाहियों को छोड़कर और लंबित मुकदमेबाजी का निर्णय केवल *1894* के अधिनियम के आधार पर किया जाना है, सिवाय इसके कि *2013* के अधिनियम-सामान्य खंड अधिनियम, *1897* में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। *6 . (* बहुमत के हिसाब से*)*

एस। *24 (2)* अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है यदि राशि कोषागार में जमा की जाती है और इस तरह के तथ्य को दावेदारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून में आवश्यक के रूप में बताया जाता है-केवल ब्याज आकर्षित किया जाता है, यदि अदालत में जमा नहीं किया जाता है। *(* प्रति मोहन एम. शांतनगौदर, जे.*)* एस। *24 (2)* - केसस ओमिसस-श्री बालाजी में फैसले के पैराग्राफ *11* में संदर्भित सचेत चूक से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

की प्रयोज्यता के निर्धारण के उद्देश्य से न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि के बहिष्कार या समावेश के संबंध में कानूनी स्थिति में पर्याप्त अंतर

एस। *24 (2) 2013* अधिनियम-वास्तव में, अंतरिम ठहराव की ऐसी अवधियों को पांच साल की अवधि की गणना से अलग करते हुए

एस। *24 (2)* अधिनियम के अध्ययन को अधिक सुसंगत बनाता है-क़ानूनों की व्याख्या-अंतरिम अंतरिम आदेश आदेश। *. (* प्रति मोहन एम. शांतनगौदर, जे.*)*

एस। *24 (2)* – केसस ओमिसस-केसस ओमिसस की आपूर्ति करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बहुत कम पूर्ण प्रतिबंध नहीं है-यदि वहाँ है

आवश्यक रूप से, इस तरह की चूक का अनुमान लगाया जा सकता है-कैसस ओमिसस की आपूर्ति एस को की जानी चाहिए। *24 (2)* आवश्यकता के कारण *2013* के अधिनियम और इंदौर विकास प्राधिकरण *v.*

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

अधिनियम के तहत समय-इस तरह से, प्रतिकूलता और असंगति शेष कानून से बचा जाता है-अंतरिम रोक के बहिष्करण को एस में पढ़ने की स्पष्ट आवश्यकता है। *24 (2) 2013* के अधिनियम का ताकि इसका अर्थ शेष अधिनियम के अनुरूप हो, जहाँ

अवधियाँ

इसी तरह की स्थितियाँ

रहने वाले हैं।

में

बहिष्कृत। *(* प्रति मोहन एम. शांतनगौदर, जे.*)*

एस. *24 (2)* – "एक्टस क्यूरी नेमिनेमग्रेविट" का सिद्धांत, अर्थात

न्यायालय का कार्य किसी भी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए, वर्तमान मामले में एस में विचार किए गए कब्जे के संबंध में प्रश्न का निर्धारण करने के उद्देश्य से एक अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को बाहर करने के लिए लागू होगा। *24 (2) 2013* के अधिनियम का

सिद्धांत/सिद्धांत। *(* प्रति मोहन एम. शांतनगौदर, जे.*)*

एस. *24 (2)* और इसके प्रावधान-"निविदा", "भुगतान", और "जमा"

इन शब्दों का उपयोग किया जा सकता है या नहीं, इसकी व्याख्या

एक दूसरे के स्थान पर-शब्द 'जमा' चाहे वह 'भुगतान' शब्द का पर्याय हो-आयोजितः *2013* अधिनियम "निविदा", "भुगतान" का उपयोग करता है, और

" अधिनियमों में विभिन्न स्थानों पर जमा-निविदा और

भुगतान दो अलग-अलग शब्द हैं-हालाँकि, "भुगतान" किया गया है। एस के भीतर "जमा" के समान व्यवहार किया जाता है। *24 (2)* स्वयं, साथ ही अन्य प्रावधानों में-धाराओं की उप-धारा *2* का एक सादा पाठ। *24 2013* के अधिनियम के प्रावधान से पता चलता है कि यदि या तो भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है, या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, तो अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा-हालाँकि, धारा *2* का प्रावधान। *24* इस बात पर जोर देता है कि अधिनिर्णय दिए जाने के बाद, यदि अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजा लाभार्थी के खाते में जमा नहीं किया गया है, तो अल्पांश भूमि जोतों के मालिक इस बात के हकदार होंगेः

2013 अधिनियम के तहत मुआवजा, जिसका अर्थ है कि

प्रावधान, हालांकि भूमि जोत के एक अल्पसंख्यक के मालिकों के पास सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है

[2018] 2 एस सी आर।

1894 के अधिनियम के तहत मुआवजा प्राप्त करने पर, यदि लाभार्थियों के खाते में मुआवजा जमा नहीं किया गया है, तो उन्हें *2013* के अधिनियम के तहत अधिक मुआवजा मिलेगा। अधिकांश भूमि स्वामित्व-लाभार्थियों के खाते में "जमा" शब्द जैसा कि एस के परंतुक में निहित है। *24 (2) 2013* के अधिनियम का अर्थ होगा कोषागार में लाभार्थियों के खाते में जमा - धारा *80* मुआवजे की जमा राशि को मुआवजे के भुगतान के समतुल्य के रूप में भी मान्यता देती है। *(* प्रति मोहन एम. शांतनगौदर, जे.*)*

एस। *24* क्या पुणे नगर निगम में निर्णय है

प्रति इनक्यूरियम-आयोजितः एक निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार दिया जाता है यदि यह किसी गलती के माध्यम से किया जाता है, या किसी निर्णय या न्यायाधीश के कथन के बारे में गलतफहमी के तहत किया जाता है, जो एक भौतिक निरीक्षण का परिणाम है एक निर्णय, निर्णय या निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार दिया जा सकता है यदि किसी क़ानून में किसी भी प्रावधान पर विचार किए बिना दिया जाता है।

जिसे न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था या यदि इसके अनुपात का सह-समान या बड़ी पीठ के पहले घोषित निर्णय के साथ मिलान करना संभव नहीं है; या यदि उच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के विचारों के अनुरूप नहीं है -

पुणे नगर निगम में निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार नहीं दिया गया था, क्योंकि प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या पर विस्तार से कार्यवाही करके निष्कर्ष निकाला जाता है-हालांकि, न्यायालय द्वारा सौंपे गए कारणों और निष्कर्षों पर पहुंचा गया है।

कहा गया निर्णय स्वीकार्य नहीं है-हालांकि नियम नहीं हैं

पुणे नगर निगम के मामले में, समग्र रूप से चर्चा, यदि इस पर गौर किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि न्यायालय ने उक्त निर्णय का निर्णय लेते समय, न्यायालय में जमा करने में विफलता के बारे में विस्तार से चर्चा की, साथ ही कोषागार में जमा करने के प्रभाव के बारे में भी, इसलिए, केवल इसलिए कि कुछ राज्यों के नियमों पर विचार नहीं किया जाता है, पुणे नगर निगम में निर्णय को इनक्यूरियम के अनुसार नहीं कहा जा सकता है-दूसरे शब्दों में, केवल इसलिए कि नियमों को निर्णय में विशेष रूप से संदर्भित नहीं किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि नियमों के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है-इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त निर्णय देखभाल के अभाव के कारण है या नहीं।

असावधानी-उचित तरीका यह है कि मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा जाए। *(* मोहन एम. शांतनगौदर के अनुसार, जे.-असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण*)*

एस। *24 (2)* और इसके परंतुक-एस की उप-धारा *2* के परंतुक की व्याख्या। *24* राज्य को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है बचत अधिग्रहण के लिए अल्पांश जोतों के संबंध में क्षतिपूर्ति-इंदौर विकास प्राधिकरण *v.*

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

यह पर्याप्त है यदि मुआवजे को अधिग्रहण को बचाने के लिए खाते में न्यूनतम होल्डिंग के संबंध में जमा किया जाता है-धारा *2* के उप-खंड के परंतुक के रूप में। *24* अधिग्रहण की समाप्ति की परिकल्पना नहीं करता है,

भले ही भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन वह भी अल्पांश जोतों के लाभार्थियों के संबंध में जमा किया जाता है, उसी से यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलेगा कि "भुगतान" शब्द जैसा कि इसमें पाया जाता है। एस की उप-धारा *2*। *24* "जमा" शब्द के साथ एक मजबूत संबंध या सह-संबंध है जो एस की उप-धारा *2* का पठन है। *24* साथ में

परंतुक से यह स्पष्ट हो जाएगा कि भले ही अल्पसंख्यक भूमि धारकों के संबंध में मुआवजा ऐसे अल्पसंख्यक लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाता है, अधिग्रहण समाप्त नहीं होता है-अधिक से अधिक, प्रत्येक भूमि-हारने वाला *2013* के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उच्च मुआवजे का हकदार है-क्योंकि परंतुक "मुआवजे का भुगतान" शब्दों को संदर्भित नहीं करता है और मुख्य प्रावधान के रूप में अर्थात।

एस की उप-धारा *2*। *24* "जमा" शब्द का उल्लेख नहीं करता है, एकमात्र व्याख्या जो संभव है वह यह है कि, यदि या तो अल्पसङ्ख्यक धारकों के नाम पर कोषागार में जमा किया जाता है या भुगतान किया जाता है

अगर

कम से कम अल्पसंख्यक धारकों के लिए, अधिग्रहण समाप्त नहीं होता है शब्द "भुगतान" जैसा कि एस की उप-धारा *2* में पाया जाता है। *24* लाभार्थियों के खाते में "जमा" के रूप में नहीं माना जाता है, फिर

एस की उप-धारा *2*। *24* ऑटिओस हो जाएगा।

(प्रति मोहन एम. शांतनगौदर, जे.*)*

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894:* एस. *31* - एस के तहत राशि जमा नहीं करने का परिणाम। *31*

1894 के अधिनियम की-एस में प्रयुक्त अभिव्यक्ति। *31* "भुगतान" नहीं किया जाता है, यह केवल "निविदा भुगतान" है और मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व है जब तक कि धाराओं की उप-धारा *(2)* के तहत किसी कारण से रोका न जाए। *31* - यदि मुआवजे के हकदार व्यक्ति के बारे में विवाद है या इच्छुक व्यक्ति या व्यक्ति के बीच विभाजन उस संपत्ति का हस्तांतरण करने के लिए भी सक्षम नहीं था जिसे अधिग्रहित किया गया है, इसके लिए निविदा राशि की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह उक्त आवश्यकताओं के कारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्राधिकरण अदालत के आदेश तक इसका भुगतान नहीं करने का निर्णय ले सकता है, फिर इसे अदालत में जमा किया जाना है ताकि एस के तहत अत्यधिक ब्याज के आगे के दायित्व को बचाया जा सके। *34 1894* के अधिनियम के अलावा -

वह एस। *31 (2)* यह सभी आवश्यकताओं को शामिल नहीं करता है और इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि मुआवजे को हमेशा अदालत में जमा किया जाना चाहिए-यह केवल तभी होता है जब संदर्भ मांगा जाता है कि संदर्भ अदालत तस्वीर पर आती है जो अन्यथा नियमों/आदेशों में प्रदान की गई है जैसा कि व्यक्ति की सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट में होता है।

मना कर देता है और अदालत में एक संदर्भ चाहता है जिसमें इसे जमा किया जाना है

न्यायालय जहाँ संदर्भ अन्यथा प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि नियमों में प्रदान किया गया है, उसे कोषागार में जमा करना होगा। *31 (2)* आता है।

"निविदा भुगतान" के लिए निविदा का अनिवार्य प्रावधान है

भुगतान तब पूरा होता है जब इसे बिना शर्त उपलब्ध कराया जाता है, इसे एस. एस. के तहत अदालत में जमा राशि के बराबर नहीं किया जा सकता था। *31 (2)* या क्रमशः पुराने और नए अधिनियमों के *24 (2)* के रूप में ये दो अलग-अलग आवश्यकताएं हैं और मुआवजे का भुगतान न करने का परिणाम स्पष्ट रूप से एस में बताया गया है। *34 . (* बहुमत के हिसाब से*)*

एसएस। *31 , 34* – अदालत में जमा न करने के कारण पूर्वाग्रह-आयोजितः एस में निहित प्रावधानों के अनुसार। *34* , एक व्यक्ति ब्याज का दावा कर सकता है।

एस के तहत परिकल्पना के अनुसार राशि जमा नहीं की जाती है। *31 (2)* यदि दी गई स्थिति में अधिकारियों की गलती है जब तक कि पीड़ित न हो

पक्ष पूर्वाग्रह और अन्याय का मामला बनाता है, कानून का हर उल्लंघन अधिनियम को दूषित नहीं करेगा। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

एस। *31 (2)* , पहला परंतुक-विरोध के तहत प्राप्त भुगतान संदर्भ की रखरखाव-आयोजितः यह एक व्यक्ति के लिए खुला है, जिसके तहत

एस के लिए पहला प्रावधान। *31 (2)* , राशि की पर्याप्तता के विरोध में मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के लिए, और ऐसा व्यक्ति एक संदर्भ बनाए रखने का भी हकदार है-यदि प्रदान की गई राशि दी गई है

विरोध के बिना स्वीकार किया जाता है, संदर्भ के तहत बनाए नहीं रखा जा सकता है

एस। *18 . (* बहुमत के हिसाब से*)* एस। *31 (2)* - अभिव्यक्ति "कोमल", जिसका अर्थ है-कोमलता का परिणाम-अभिव्यक्ति "कोमल" का अर्थः जब कोई व्यक्ति

राशि की निविदा दी है और इसे बिना शर्त उपलब्ध कराया है-यदि भूमि मालिक ने इसे प्राप्त करने से इनकार कर दिया है, तो वह व्यक्ति जिसने निविदा दी है

राशि को दायित्व के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, जिसे राशि का भुगतान न करने पर देखा जाना है। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

एस। *31* – अभिव्यक्ति 'निविदा'-क्या अभिव्यक्ति *'s'* में जमा की गई है। *31* एस के तहत अभिव्यक्ति भुगतान में शामिल है। *24 (2) 2013* का

अधिनियम-आयोजितः एस में प्रयुक्त अभिव्यक्ति। *31 1894* के अधिनियम और एस। *77 (1) 2013* के अधिनियम का "निविदा भुगतान" है-एक बार निविदा हो जाने के बाद, उसे स्वीकार करने से इनकार करने की स्थिति में, एस के तहत भुगतान करने का दायित्व। *31 (1)* यह निविदा द्वारा पूरा किया जाता है, और यह भुगतान करने के समान है; और, ठीक यही "भुगतान" शब्द का उद्देश्य है।

एस में। *24 (2) 2013* का अधिनियम-एस। *31 (2) 1894* के अधिनियम के अनुसार, 'न्यायालय में जमा' शब्द का उपयोग किया जाता है-न्यायालय में जमा इंदौर विकास प्राधिकरण को भुगतान नहीं है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

लाभार्थी-- यह केवल एस के तहत निविदा मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद है। *31 (1) 1894* के अधिनियम के अनुसार इसे न्यायालय के उचित मुआवजे के अधिकार में जमा किया जाना है और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में पारदर्शिता अधिनियम, *2013* - एस. *24 (2)*। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

एस. *31* - अदालत में जमा की गई राशि-चाहे वह निविदा की राशि हो

- आयोजित किया गयाः अदालत में जमा की गई राशि को भुगतान नहीं कहा जा सकता है।

भूमि मालिक यानी इच्छुक व्यक्तियों/लाभार्थियों को किया गया-इस प्रकार, यदि निविदा के बिना सीधे अदालत में जमा किया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह निविदा या भुगतान किया गया था-अदालत में जमा 'केवल धाराओं के तहत परिकल्पित ब्याज का भुगतान करने के कलेक्टर के दायित्व का निर्वहन है। *34 1894* के अधिनियम के अनुसार, और अब नहीं; न्यायालय में जमा भूमि मालिक के लिए निविदा नहीं है-एक बार राशि की निविदा दे दी गई है और स्वीकार नहीं की गई है, तो भुगतान करने की बाध्यता का निर्वहन किया जाता है, जैसे - एस के तहत परिकल्पना की गई। *31 (1) ;* कोई दंडात्मक परिणाम नहीं हो सकता है और, जिस व्यक्ति ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, उसे अपनी गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, या यदि उसका आचरण मुकदमे दायर करने, पुरस्कार के पारित होने में देरी करने या कार्यवाही पर रोक लगाने का है; ऐसी कार्रवाई मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार करने के समान होगी, और तब व्यक्ति एस के तहत परिकल्पित उच्च ब्याज दर का भी हकदार नहीं हो सकता है। *34 . (* बहुमत के हिसाब से*)*

एसएस। *31 , 34* – कोषागार में जमा-आयोजितः विभिन्न राज्य

जब भूमि मालिक अपना मुआवजा एकत्र करने के लिए अधिसूचित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो अस्वीकार्य मुआवजे को राजस्व जमा के रूप में खजाने में जमा करने के लिए नियम बनाए हैं-इस प्रकार, अदालत में जमा करना *1894* के अधिनियम के तहत जमा करने का एकमात्र कानूनी रूप नहीं है-क्षतिपूर्ति अतीत में कोषागार में जमा की जा रही थी, उसके बाद भी उसे अदालत में जमा किया गया था। *31 (2)* केवल आकर्षित करने का प्रभाव पड़ा

एस के अनुसार। *34 1894* के अधिनियम का।

ब्याज का भुगतान

(प्रति मोहन एम. शांतनगौदर, जे.*)*

एस. *55* - सार्वजनिक धन से निपटना-बनाए गए नियमों का प्रभाव

एस के तहत। *55* और राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेश -

वहाँ हैं।

एस के तहत बनाए गए विभिन्न राज्य नियम। *55* विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों से निपटने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं

कला में दिए गए सरकारी धन। *283* भारत के संविधान के अनुसार, और जब यह सरकारी धन होता है तो इसे राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।

समय-समय पर-विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अन्य वित्तीय संहिताएं/नियम/आदेश जारी किए जाते हैं।

सरकारी धन से निपटना-उनके पास कानून की शक्ति है-अदालत का कर्तव्य अधिनियम के प्रावधान के साथ नियमों का सामंजस्य बनाना है। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

एस. *55* – सार्वजनिक धन-मुआवजे के भुगतान का तरीका आयोजितः भारत के संविधान का *Art.283 (1)* आदेश देता है कि भारत की संचित निधि की अभिरक्षा से संबंधित मामले और

भारत की आकस्मिकता निधि, ऐसी निधियों में धन का भुगतान, उनसे धन की निकासी, सार्वजनिक धन की अभिरक्षा

भारत सरकार आदि द्वारा प्राप्त ऐसी निधियों में जमा किए गए धन के अलावा, संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा *(2)* यह आदेश देता है कि राज्यों की समेकित निधियों आदि के समान मामलों को राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून द्वारा विनियमित किया जाना है-राज्यों ने *Art.283 (2)* के अनुसार नियम बनाए हैं कि सार्वजनिक धन को कैसे संभाला जाना है - *1894* के अधिनियम की धारा *55* राज्य को अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है-*Art.283 (2)* और धाराओं के अनुसार। *55 1894* के अधिनियम के तहत असम, बिहार, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब जैसे विभिन्न राज्यों ने व्यवस्था की है। मुआवजे के भुगतान के तरीके को नियंत्रित करने के लिए नियम-वे सभी मुआवजे को प्राप्त करने के लिए भूमि मालिकों के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में कोषागार में जमा करने का प्रावधान करते हैं, साथ ही ऐसे भूमि मालिकों को ऐसी जमा राशि से अवगत कराने के लिए नोटिस भी देते हैं-पुणे नगर निगम के मामले में अदालत ने राज्यों द्वारा पारित ऐसे नियमों पर विचार नहीं किया जो बिना दावा किए धन जमा करने का निर्देश देते हैं।

कोषागार में क्षतिपूर्ति-भारत का संविधान-*Art.283*। *(* प्रति मोहन एम. शांतनगौदर, जे.*)*

भूमि अधिग्रहणः

जब भूमि मालिक क्षतिपूर्ति/अधिग्रहण स्वीकार नहीं करते हैं तो राज्य की भूमिका-भूमि मालिकों/वादियों का कर्तव्य-आयोजितः राज्य प्राधिकरण

उनसे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वे पैसे अपने पास रखेंगे और भूमि मालिकों के पीछे भागेंगे और खोजने के लिए सतर्कता के साथ अपनी विलम्बकारी रणनीति का पालन करेंगे। यह देखते हुए कि एक अंतिम दिन, मुकदमेबाजी अंतिम रूप ले लेगी-एक बार उनके आचरण से, भूमि अधिग्रहण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जाता है, बहुत कम मुआवजा, ऐसी परिस्थितियों में ऐसे भूमि मालिक इंदौर विकास प्राधिकरण *v*।

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

मुकदमे के परिणाम के बारे में अधिकारियों को सूचित करना पड़ता है और यदि वे हार गए हैं, तो मुआवजे की मांग करने के लिए-अधिकारियों को चौकस नहीं रहना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि नई पीढ़ी में दशकों के बाद भी इतना समय बीतने के बाद, किसे मुआवजा मिला है और किसे मुआवजा नहीं मिला है। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

भौतिक कब्जा लेने का तरीका

भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पंचनामा/ज्ञापन के तहत भूमि पर कब्जा करना होगा-यदि भूमि के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है, तो भूमि के प्रत्येक हिस्से पर भौतिक कब्जा करना संभव नहीं हो सकता है और यह पर्याप्त होगा कि स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उचित दस्तावेज तैयार करके और उनके हस्ताक्षर प्राप्त करके प्रतीकात्मक कब्जा लिया जाए। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

अधिग्रहण के लिए चुनौती-नुकसान और ब्याज के लिए दावा

चुनौती हारने के बाद-मैक्सिम "नलस कमोडम कैपेरे पोटेस्ट डी इंजुरिया सुआ प्रोप्रिय" अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकता है-भुगतान की जाने वाली राशि का "टेंडर" नुकसान और ब्याज के किसी भी दावे पर एक बार प्रतिबंध के रूप में काम करता है-इस प्रकार, जब एक बार राशि का "टेंडर" किया गया था, तो किसी भी निर्धारित राशि में।

जिन तरीकों से इसे स्वीकार करने से इनकार किया गया और/या लगातार मुकदमेबाजी में लिप्त होने के संचालन से, जो कुछ मामलों में, एक स्थगन/अंतरिम आदेश में समाप्त हो गया, वह पक्ष जो इस प्रकार राशि को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, इसके बजाय बेतुके नाटक में लिप्त हो जाता है, वह पलट नहीं सकता है और तर्क नहीं दे सकता है कि अब दूसरे पक्ष को भुगतान न करने के लिए अधिकतम दंड के साथ देखा जाना चाहिए। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

विलम्ब/विलंब-विलम्बित करने की रणनीति-यह एक तय प्रस्ताव है।

कि किसी को अपनी गलती का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

-

"कमोडम एक्स-इंजुरिया सुआ नेमो हेबेरे डेबेट" सिद्धांत का अर्थ है कि किसी पक्ष को उसकी अपनी गलती से सुविधा नहीं मिल सकती है।

व्यक्ति को अपनी गलती का लाभ उठाना चाहिए-आम तौर पर एल. आई. एस. की योग्यता संस्था की तारीख को देखी जानी चाहिए-किसी को अन्यायपूर्ण निषेधाज्ञा या स्थगन आदेश प्राप्त करने और इसका लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। स्वयं के कार्य-कानून का उद्देश्य न्यायसंगत कारणों का निवारण करना है; साथ ही, यह मुकदमेबाजी को बढ़ावा देना और कानून की प्रक्रिया और विलंबकारी रणनीति का दुरुपयोग करके अपने स्वयं के कार्यों से बेईमान व्यक्तियों द्वारा की गई देरी के कारण फल प्राप्त करने में सक्षम बनाना इसकी नीति नहीं है। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 2 एस सी आर।

सिद्धांत/सिद्धांतः

एस के तहत अधिनियमों के रूप में सख्ती से लागू नहीं हो सकता है। *31* या *24*, प्रदर्शन करने में सक्षम थे लेकिन अधिकारियों को उन्हें करने में अक्षम कर दिया गया था क्योंकि उनकी ओर से कोई गलती

नहीं है-हालाँकि, अदालत के आदेशों का प्रभाव, या भूमि मालिकों/दावेदारों/लाभार्थियों का आचरण आवश्यक है।

विचार करने के लिए, विचाराधीन कार्यों को उनकी प्रकृति से करना 'असंभव' नहीं था, लेकिन उक्त पहलू प्रासंगिक है और प्रदर्शन करने में असमर्थता के अंतर्निहित सिद्धांत पर विचार किया जाना चाहिए।

इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि क्या यह उन कार्यों को करने के लिए प्राधिकरण के नियंत्रण या क्षमता में था जो किया जाना संभव था, लेकिन जब प्रदर्शन करना संभव नहीं था या प्रदर्शन करने में असमर्थ थे-ऐसी स्थिति में, हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उसे किसी अधिनियम का पालन न करने के लिए लाभप्रद स्थिति में रखने के लिए नहीं कह सकता है, जो संभवतः किया गया होता, लेकिन ऐसी कार्रवाई के लिए-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894* - धारा *31*-निष्पक्षता का अधिकार

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता अधिनियम, *2013* - एस. *24. (* बहुमत के हिसाब से*)*

के प्रावधानों का अर्थ लगाते समय पुनर्स्थापना का सिद्धांत

एस. *24 (2)* एल. आई. एस. के मामले में लागू, बहाली का सिद्धांत जो अदालतों को अंतिम निर्णय के समय पक्षकार के साथ पूर्ण न्याय करने का कर्तव्य देता है, उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए-मुकदमे के अंत में सफल पक्षकार को यथासंभव उसी स्थान पर रखा जाना चाहिए जब तक कि अंतरिम आदेश न होता।

पारित किया जाना-प्रतिपूर्ति के तथ्य का सहारा लेकर अंतरिम आदेश के प्रभाव को दूर करना वास्तव में अदालत का दायित्व है-भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, *2013* - एस. *24 (2)*। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

क़ानूनों की व्याख्याः

अधिनियम अनुमति में जोड़ना या उससे घटाना-यह अदालत के लिए एक शब्द जोड़ने या घटाने के लिए खुला नहीं है-कानूनी उक्ति "ए वर्बिस लेजिस नॉन एस्ट रीसेडम" का अर्थ हैः कानून के शब्दों से, कोई विचलन नहीं होना चाहिए-शब्द जोड़ने से पहले या

एक शब्द को छोड़ते हुए अदालत को क़ानून के इच्छित उद्देश्य या विचाराधीन प्रावधान पर विचार करना होगा; कि अनजाने में ड्राफ्ट्समैन और संसद इंदौर विकास प्राधिकरण *v* में उस उद्देश्य को प्रभावी बनाने में विफल रहे।

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

प्रश्नगत प्रावधान और प्रावधान का सार संसद ने बनाया होता, हालांकि जरूरी नहीं कि संसद ने सटीक शब्दों का उपयोग किया होता, अगर विधेयक में त्रुटि देखी जाती-भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, *2013* - एस. *24 (2)*। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

वैधानिक बनाते समय

सामंजस्यपूर्ण निर्माण

व्याख्या, विसंगति और प्रतिकूलता से बचना चाहिए और सामंजस्यपूर्ण निर्माण को अपनाना होगा-अपनाया जाने वाला निर्माण ऐसा होना चाहिए, जिससे कानून समग्र रूप से एक सुसंगत अधिनियम बन जाए-इस तरह के निर्माण में किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता से बचने का गुण होगा, या तो किसी दी गई धारा के भीतर या एक ओर किसी विशेष धारा और दूसरी ओर कानून के अन्य हिस्सों के बीच। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

अलग-अलग अभिव्यक्ति जब दो अलग-अलग अभिव्यक्ति होती हैं

एक कानून के समान प्रावधान में उपयोग किया गया है, एक धारणा है कि उनका उपयोग उसी अर्थ में नहीं किया जाता है। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

उद्देश्यपूर्ण निर्माण-एक क़ानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए -

एक क़ानून को सभी भागों पर एक साथ निर्माण करके समझना होगा, न कि केवल एक भाग का-एक क़ानून के प्रत्येक खंड का अर्थ पूरे क़ानून को सुसंगत रूप से लागू करने के लिए जहाँ तक संभव हो, अधिनियम के संदर्भ और अन्य खंडों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए-यह तब अधिक होगा जब किसी विशेष खंड का शाब्दिक निर्माण स्पष्ट रूप से बेतुका या विसंगत हो जाता है। ऐसे परिणाम जो विधानमंडल द्वारा अभिप्रेत नहीं किए जा सकते थे-अनुचित परिणाम उत्पन्न करने का इरादा किसी कानून पर आरोपित नहीं किया जाता है यदि कोई अन्य निर्माण उपलब्ध है-जहां शब्दों को लागू करने के लिए शाब्दिक रूप से कानून के स्पष्ट इरादे को विफल कर देगा और पूरी तरह से अनुचित परिणाम उत्पन्न करेगा, प्रावधान में कुछ खिलाया जाना चाहिए ताकि स्पष्ट इरादे को प्राप्त किया जा सके और तर्कसंगत निर्माण किया जा सके-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894*-उचित परिणाम का अधिकार

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता अधिनियम, *2013*। *(* प्रति मोहन एम. शांतनगौदर, जे.*)*

अंतरिम आदेशः

अंतरिम आदेश का परिणाम-आयोजितः जब अंतरिम होता है

कब्जा या यथास्थिति के आदेश के संबंध में ठहराव, सब कुछ तब तक स्थिर हो जाता है जब तक कि अंतरिम आदेश खाली नहीं हो जाता है-जब एक बार अदालत ने राज्य के अधिकारियों को कब्जा करने या अदालत की रिपोर्ट को ऊपर उठाने से रोक दिया है।

यथास्थिति बनाए रखते हुए, वे राशि का भुगतान नहीं कर सकते हैं या आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अंतरिम आदेशों के परिणामों का उपयोग राज्य-भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश पारित होने की स्थिति में यह अंतिम आदेश में विलय हो जाता है-यदि मामला खारिज हो जाता है तो अंतरिम आदेश इसकी विचाराधीनता के दौरान पारित आदेश स्वचालित रूप से रद्द हो जाता है। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

पर इनक्यूरियम-पुणे नगर निगम मामले में निर्णय -

'प्रति इनक्यूरियम' का सिद्धांत, प्रयोज्यता-'प्रति इनक्यूरियम' की अवधारणा उन निर्णयों को दर्शाती है जो कुछ असंगत वैधानिक प्रावधानों की अज्ञानता या विस्मृति में दिए गए हैं, या संबंधित न्यायालय को बाध्य करने वाले किसी प्राधिकरण के हैं-अवधारणा का अर्थ है कि दिया गया निर्णय स्वयं न्यायालय के पिछले निर्णयों की अवहेलना में है, या यह कि इसे किसी लागू क़ानून या कानून के बल वाले नियम की शर्तों की अज्ञानता में प्रस्तुत किया गया था -

तत्काल मामले में, पुणे नगर निगम मामले में निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार लिया जाता है। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

निरसन-अर्जित अधिकारों पर विधि निरसन का प्रभाव-आयोजितः यह एक स्थापित कानून है कि अर्जित अधिकारों को निरस्त करके छीन नहीं लिया जा सकता है।

वैधानिक प्रावधान निरस्त करने वाली कानून में ऐसे अधिकारों को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा छीनने का प्रावधान होना चाहिए। *(* प्रति।

बहुमत*)*

शब्द और वाक्यांश-निहित-का अर्थ। *(* बहुमत के हिसाब से*)*

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः

पेर अरुण मिश्रा, जे। *(*अपने लिए और अपने लिए*)*

आदर्श कुमार गोयल, जे.*) (*प्रमुख दृश्य*)*

1. धारा *24* का हस्तक्षेप

1.1 यदि पुरस्कार पारित नहीं किया गया है तो धारा *24 (1) (*ए*)* के अनुसार, मुआवजे का निर्धारण इसके तहत किया जाना चाहिए

2013 का अधिनियम। धारा *24 (1) (*बी*)* में प्रावधान है कि जहां *1894* के अधिनियम की धारा *11* के तहत कोई पुरस्कार दिया गया है, तो ऐसी कार्यवाही *1894* के उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी रहेगी जैसे कि यह इंदौर विकास प्राधिकरण *v*।

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

निरस्त नहीं किया गया है। हालांकि, यदि भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है, या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, तो कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा। और, अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजे के मामले में लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी यानी भूमि मालिक *2013* के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। *[*पैरा *24] [75* ई-जी*]* *1.2* धारा *24 (2)* में, जो अभिव्यक्ति प्रयुक्त की गई है, वह है "क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है"। अभिव्यक्ति

"जमा ", जो उप-धारा *(2)* के परंतुक में आता है, का उपयोग मुख्य धारा *24 (2)* में नहीं किया गया है। इसके प्रावधान में "लाभार्थियों के खाते में जमा" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। अर्थात्, अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में राशि के खाते में जमा नहीं की गई है

लाभार्थियों, हालांकि अधिग्रहण समाप्त नहीं होगा, सभी लाभार्थियों को मुआवजे का लाभ मिलेगा *2013* का अधिनियम। इस प्रकार, लाभार्थियों के खाते में अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में राशि जमा न करने का परिणाम यह है कि अधिग्रहण समाप्त नहीं होगा, और केवल नए अधिनियम के तहत मुआवजा देय होगा। जबकि, धारा *24 (2)* के मुख्य भाग के तहत, यह स्पष्ट है कि,

"क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

"जमा" शब्द धारा *24 (2)* के मुख्य भाग से गायब है, और इसका उपयोग केवल परंतुक में किया जाता है। इस प्रकार, विधानमंडल ने क्रमशः अलग-अलग अर्थ रखने के लिए दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया है; और, परंतुक एक अलग क्षेत्र में काम करता है, जहां अधिग्रहण समाप्त नहीं होगा। उद्देश्य यह है कि एक निकाय या राज्य सरकार, जिसके लाभ के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, के पास भूमि मालिकों को भुगतान के लिए आवश्यक धन होना चाहिए। जहां मुआवजे का भुगतान किया गया है, वहां परन्तुक आकर्षित नहीं होता है। धारा *24 (2)* के प्रावधान में यह प्रावधान नहीं है कि मुआवजे की राशि अदालत में जमा की जानी है। यह स्पष्ट रूप से भुगतान को संदर्भित करता है।

एल. ए. ओ. या खजाने में जमा किया गया। *[* पारस *25,26* और *27] [75-*एच*; 76-*ए-ई*]* *1.3 1894* के अधिनियम की धारा *31* और *2013* के अधिनियम की धारा *77 (1)* में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "निविदा भुगतान" के लिए है। एक बार जब निविदा हो जाती है, तो उसे स्वीकार करने से इनकार करने की स्थिति में, दायित्व सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 2 एस सी आर।

धारा *31 (1)* के तहत भुगतान करना निविदा द्वारा पूरा किया जाता है, और यह भुगतान करने के समान है; और, *2013* अधिनियम की धारा *24 (2)* में "भुगतान" शब्द का ठीक यही उद्देश्य है। *1894* के अधिनियम की धारा *31 (2)* में 'न्यायालय में जमा' शब्द का उपयोग किया गया है। अदालत में जमा राशि लाभार्थियों को भुगतान नहीं है। *1894* के अधिनियम की धारा *31 (1)* के तहत दिए गए मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद ही इसे अदालत में जमा किया जाना है। नियमों में आगे यह प्रावधान किया गया है कि यदि संदर्भ मांगा जाता है, तो राशि को अदालत में जमा किया जाना है जहां संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगा अन्यथा इसे खजाने में जमा किया जाना है। यदि धारा के परंतुक में प्रयोग की गई अभिव्यक्ति "जमा" है

24 (2) , और मुख्य धारा *24 (2)* में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "भुगतान", दोनों को अभिव्यक्ति "भुगतान" अर्थात निविदा में निहित माना जाता है; और, पर "भुगतान" को पूरा करने के लिए इसे अदालत में जमा करने से इनकार; यदि "जमा" अभिव्यक्ति को धारा *24 (2)* के तहत 'भुगतान' अभिव्यक्ति में शामिल किया जाता है, तो असंगति और तिरस्कार होगा

परंतुक और मुख्य उप-धारा के बीच हुआ; जिसे छोड़ना होगा। न्यायालय अधिनियम *1894* की धारा *31* या *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में "भुगतान"/"निविदा" अभिव्यक्ति में "जमा" शब्द नहीं जोड़ सकता है। *[* पारस *28,29] [76-*एफ-एच; *77-*ए-बी*]*

2. अधिनियम की धारा *31* में "भुगतान" का अर्थ

1894 का अधिनियम और *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2):*

2.1 अभिव्यक्ति "कोमल" का अर्थः जब कोई व्यक्ति

राशि की निविदा दी है और इसे बिना शर्त उपलब्ध कराया है और भूमि मालिक ने इसे प्राप्त करने से इनकार कर दिया है, वह व्यक्ति जिसके पास है

बोली की गई राशि को देयता के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है, जो

" निविदा "मई"

राशि का भुगतान न करने के लिए दौरा किया जाना है। यदि कोई अन्य पक्ष अनुचित रूप से निविदा से इनकार करता है, तो निविदा देने वाले पक्ष को भुगतान न करने या प्रदर्शन न करने या जुर्माना लगाने के लिए दंड से बचाएं। धारा *31* में "निविदा" पद का प्रयोग किया गया है। अदालत में जमा करने की अवधारणा "निविदा" और "भुगतान" से अलग है। *[* पैरा *32] [77-*एफ-जी*]*

स्ट्रा बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, सहारनपुर बनाम।

गोबिंद एयर *1962* एससी *1500 [1962]* पूरक। एससीआर *618;*

दिल्ली परिवहन उपक्रम का प्रबंधन *v.* द.

औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली और एएनआर। ए. आई. आर. *1965* एससी *1503;* इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड *v.* नारायण भौमिक *(1968) 1* पीएलजेआर

94 ; एन. बी. संजना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की सहायक कलेक्टर,

बॉम्बे और ओआरएस। वी. एलफिंस्टन कताई और बुनाई इंदौर विकास प्राधिकरण *v.*

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

मिल्स कं. लिमिटेड *(1971) 1* एस. सी. सी. *337;* जे. डालमिया बनाम।

आयकर आयुक्त, नई दिल्ली ए. आई. आर *1964* एस. सी. *1866 : [1964]* एससीआर *579-*पर निर्भर।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी-संदर्भित।

2.2 "भुगतान" पद का अर्थ धारा *31 (1)* में होगा।

मुख्य धारा *24 (2)* में "जमा" अभिव्यक्ति को जानबूझकर हटा दिया गया है, जबकि इसका उपयोग परंतुक में किया गया है; दोनों के अलग-अलग उद्देश्य हैं। जब विधायिका ने पिछली घटनाओं के संबंध में अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया है तो "भुगतान" शब्द का उपयोग परंतुक में आने वाले "जमा" शब्द द्वारा व्यक्त अर्थ की तुलना में स्पष्ट रूप से विशिष्ट अर्थ में किया जाता है-दोनों को अलग-अलग अर्थ दिए जाने की आवश्यकता होती है। मुख्य धारा *24 (2)* में विधानमंडल द्वारा जानबूझकर चूक की गई है, जब अभिव्यक्ति में "जमा" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है। " भुगतान किया गया है ", और यह केवल निविदा राशि को अस्वीकार करने के बाद ही है, इसे अदालत में जमा किया जाना है वह भी धारा *31 (2)* के अनुसार कुछ आवश्यकताओं में। *[* पारस *39,41* (ए), *41* (बी), *42] [81*-डी; *82*-बी; *85*-ए-बी, ई-एच; *86*-ए*]*

नाली नलिनख्या बिसैक बनाम। श्यामसुंदर हलदर एयर

1953 एससी *148 [1953]* एससीआर *533;* मध्य राज्य

प्रदेश बनाम. जी. एस. डेल एंड फ्लोर मिल्स ए. आई. आर. *1991* एस. सी. *772*

: [1990] 1 पूरक। एस. सी. आर. *590;* गुजरात राज्य और अन्य।

वी. दिलीपभाई नाथजीभाई पटेल और अन्न। *(1998) 3* एससीसी

234 : [1998] 2 एस. सी. आर. *56;* प्रतिस्पर्धा आयोग

भारत बनाम. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड *(2010) 10* एस. सी. सी. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2018] 2 एस सी आर।

744 [2010] 11 एस. सी. आर. *112;* निर्धारण प्राधिकरण सह उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी बनाम। पूर्वी भारत कपास एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड *(1981) 3* एस. सी. सी. *531: [1982] 1* एससीआर *55;* पॉल एंटरप्राइजेज एंड ओआरएस। वी. राजीब चटर्जी एंड कंपनी एंड ओआरएस। ए. आई. आर *2009* एस. सी. *187: [2008] 14* एस. सी. आर. *419;* साक्षी बनाम. भारत संघ *(2004) 5* एससीसी *518: [2004] 2* पूरक। एससीआर *723;* आयकर आयुक्त, केरल बनाम। टाटा एजेंसीज *(2007) 6* एस. सी. सी. *429 [2007] 8* एस. सी. आर. *136;* राम नारायण मेधी बनाम। बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. *1959* एस. सी. *459: [1959]* पूरक। एससीआर *489;* एस. पी. गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति ए. आई. आर. *1982* एस. सी. *149: [1982]* एससीआर *365;* दादी जगन्नाधम बनाम। जम्मुलु रामुलु *(2001) 7* एस. सी. सी. *71: [2001] 2* पूरक। एससीआर *60;* पी. के. उन्नी बनाम निर्मला इंडस्ट्रीज ए. आई. आर. *1990* एस. सी. *933 [1990] 1* एस. सी. आर. *483;* रॉयल ट्रस्ट

कंपनी वी। वित्त मंत्री ए. आई. आर *1921* पी. सी *184 -*

पर भरोसा किया।

क्रॉफर्ड बनाम। स्पूनर *(1846) 6* मूर पी. सी. *1;* लॉर्ड

हावर्ड डी वाल्डन बनाम। आईआरसी *(1948) 2* एईआर *825*-संदर्भित

को।

"जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत *(14* वीं*)*

संस्करण*)*-संदर्भित।

2.3 वैधानिक व्याख्या करते समय, असंगति और तिरस्कार से बचना चाहिए और सामंजस्यपूर्ण निर्माण करना चाहिए।

अपनाना पड़ता है। अपनाया जाने वाला निर्माण ऐसा होना चाहिए, जिससे कानून समग्र रूप से एक सुसंगत अधिनियम बन जाए। सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को लागू करना

2013 के अधिनियम की धारा *24 (2)* के प्रावधान, अर्थात धारा के मुख्य भाग और उसके परंतुक के बीच, मुख्य भाग में आने वाले "भुगतान" शब्द का अर्थ परंतुक में आने वाले "जमा" शब्द से अलग *(*एक अलग अर्थ दिए जाने के साथ*)* किया जाना चाहिए; अन्यथा, विसंगति और असंगतता समग्र रूप से धारा *24 (2)* में निहित प्रावधान का परिणाम होगी; और, इससे बचा जाना चाहिए। तत्काल मामले में, धारा *24 (2)* के प्रावधान को मुख्य की व्याख्या करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

उपखंड। परंतुक धारा *24 (2)* के हिस्से के रूप में अधिनियमित किया गया है; यह एक स्वतंत्र प्रावधान नहीं है और पांच साल या उससे पहले किए गए अधिग्रहण पर लागू होता है, जिसमें अधिकांश जोतों के संबंध में राशि अदालत में जमा नहीं की गई है।

इंदौर विकास प्राधिकरण *v* होना चाहिए। शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

धारा *24 (2)* के प्रावधान का सामंजस्यपूर्ण निर्माण। चूंकि खंड में निहित प्रावधानों में मसौदा तैयार करने की कोई अस्पष्टता नहीं है

24 (2) 2013 के अधिनियम की धारा *31 (1)* और *31 (2)* में भी ऐसा कुछ नहीं है। इन अधिनियमों की धारा *24 (2)* या धारा *31 (1)* में भुगतान की अवधारणा के बारे में कोई आकस्मिक चूक नहीं है। इस प्रकार, "भुगतान" अभिव्यक्ति में शामिल करने के लिए "जमा" शब्द की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं है। *[* पारस *44-48] [86-F-G; 87-A-E]*

राज कृष्ण बनाम। बिनोद कानूनगो एयर *1954* एससी *202:*

[1954] एस. सी. आर. *913;* सुल्ताना बेगम बनाम। प्रेमचंद जैन एयर *1997* एससी *1006: [1996] 9* पूरक। एस. सी. आर. *707;* कैलाश चंद्र बनाम। मुकुंदी लाल *(2002) 2* एस. सी. सी. *67: [2002] 1* एससीआर *83;* सी. आई. टी. बनाम. हिन्दुस्तान बल्क कैरियर *(2003) 3* एस. सी. सी.

57 [2002] 5 पूरक। एस. सी. आर. *387;* बालासिनोर नागरिक

सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम। बाबूभाई शंकरलाल

पांड्या *(1987) 1* एस. सी. सी. *606*-पर निर्भर था।

इंको यूरोप लिमिटेड बनाम प्रथम विकल्प वितरण *(एक फर्म)*
हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा *(2000) 2* में सभी ई. आर. *109*-निर्दिष्ट

को।

'पेड'/'टेंडर' शब्द का सादा, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ, जिसका उपयोग 'डिपॉजिट' शब्दों के विपरीत किया गया है। अदालत में ", यह स्पष्ट है कि निविदा भुगतान में अदालत में जमा राशि शामिल नहीं होगी, जिसमें यह केवल तभी होता है जब भुगतान से इनकार कर दिया जाता है, कि उसे अदालत में जमा किया जाता है; जैसे ही राशि का भुगतान किया जाता है और अस्वीकार कर दिया जाता है, भुगतान करने का दायित्व समाप्त हो जाता है। *[* पारस *49 (ए), 50] [88-ए; 89-ई एफ]*

हर्भजन सिंह बनाम। भारतीय प्रेस परिषद ए. आई. आर. *2002*

एससी *1351 [2002] 2* एससीआर *369*-पर निर्भर था

जी. पी. सिंह, "वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत" में

(14 संस्करण*)*, पृष्ठ *91* पर-संदर्भित।

2.5 जब किसी कानून के एक ही प्रावधान में दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है, तो यह धारणा है कि उनका उपयोग एक ही अर्थ में नहीं किया गया है। वैधानिकता के ये सिद्धांत

निर्माण कि अलग-अलग शब्दों को अलग अर्थ दिया जाए *[2018] 2* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह इंगित करता है कि 'जमा' अभिव्यक्ति को 'निविदा'/भुगतान 'में नहीं जोड़ा जा सकता है, दोनों धारा *24* के तहत अलग-अलग परिणाम देते हैं, जो कि *1894* के अधिनियम की धारा *34* के तहत अधिग्रहण/गैर-जमा उच्च ब्याज की समाप्ति पर निविदा है। यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि जब *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के साथ-साथ *1894* के अधिनियम की धारा *31* में दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है, यानी "भूमि मालिकों को भुगतान" और "अदालत में जमा", तो दोनों के अलग-अलग अर्थ हैं, और उनकी व्याख्या संबंधित संदर्भों में उपयोग के रूप में की जानी चाहिए। यह अभिव्यक्ति नहीं है कि अदालत में जमा भूमि मालिकों को भुगतान है, न ही इसका उपयोग किया जाता है कि खजाने में जमा की गई राशि भूमि मालिकों को भुगतान है। भुगतान भुगतान करने के दायित्व को इंगित करता है; और, जमा केवल अदालत या राजस्व खजाने में किया जाता है

धारा *31* में प्रदान की गई विभिन्न आवश्यकताओं का होना, और कई अन्य आवश्यकताएं हो सकती हैं जो *1894* के अधिनियम की धारा *31 (2)* और वैधानिक नियमों/आदेशों में शामिल नहीं हैं। *[* पैरा *51 (ए), 51 (डी), 51 (ई)] [89-एच; 92-बी-ई]*

सदस्य, राजस्व बोर्ड बनाम। आर्थर पॉल बेंथल एयर *1956* एससी *35: [1955]* एस. सी. आर. *842;* सी. आई. टी. बनाम. ईस्ट वेस्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट *(*पी*)* लिमिटेड, जयपुर *(1989) 1* एससीसी *760: [1989] 1*

एससीआर *570;* कैलाश नाथ अग्रवाल बनाम। प्रदेशिया

उत्तर प्रदेश उद्योग और निवेश निगम *(2003) 4* एस. सी. सी. *305: [2003] 1* एससीआर *1159;* तेजमोहम्मद हुसैनखान पठान बनाम। वी. जे. रघुवंशी *(1993)* पूरक। *2* एससीसी *493;* डी. एल. एफ. कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम हरियाणा राज्य *(2003) 5* एससीसी *622: [2003] 2* एस. सी. आर. *1;* पल्लवी रिसोर्सेज लिमिटेड बनाम। प्रोटोस इंजीनियरिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड *(2010) 5* एस. सी. सी. *196: [2010] 3* एससीआर *847;* ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे *(2002) 4* एस. सी. सी. *297: [2002] 2* एससीआर *945;* बी. आर. एंटरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. *1999* एस. सी. *1867: [1999] 2* एस. सी. आर. *1111;* श्रील्शर एलॉय स्टील्स लिमिटेड बनाम। जयस्वाल नेको लिमिटेड *(2001) 3* एस. सी. सी. *609: [2001] 2* एससीआर

36 ; श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश बनाम।
बुरहानपुर ताप्ती मिल्स और अन्य। ए. आई. आर *1964* एस. सी *1687 -*

संदर्भित किया गया।

ब्राइटन पैरिश गार्डियंस बनाम। स्ट्रैंड यूनियन गार्डियंस

1891 क्यू. बी. *156*-संदर्भित।

इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

जी. पी. सिंह ने अपने ग्रंथ 'क़ानूनों की व्याख्या' में

(14 संस्करण*)* पृष्ठ *395* पर-संदर्भित।

2.6 2013 के अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों के इरादे पर विचार करते समय, यह किसानों और उन लोगों की चिंता को संबोधित करता है जिनकी आजीविका भूमि पर निर्भर है। अधिग्रहण, जबकि एक ही समय में शहरीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि सहित असंख्य कारणों से भूमि अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करना। , समय पर और पारदर्शी तरीके से। विधायिका ने अधिग्रहण को पूरा करने में अधिकारियों की ओर से पांच साल या उससे अधिक की देरी को नहीं रोका है। जब यह 'समयोचित' कहता है, तो इसका मतलब अधिकारियों की ओर से बिना किसी देरी के होगा, विलंबकारी रणनीति के कारण देरी नहीं होगी और

भूमि मालिकों/इच्छुक व्यक्तियों का आचरण। *[* पैरा *53] [92*-एफ-एच*]*

3. धारा *55* के अंतर्गत बनाए गए नियमों का प्रभाव

राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए *1894* के अधिनियम और आदेश

3.1 विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा *1894* के अधिनियम की धारा *55* के तहत विभिन्न राज्य नियम बनाए गए हैं और साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद *283* में प्रदान किए गए सरकारी धन से निपटने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

और जब यह सरकारी धन होता है तो इसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार निपटाया जाता है। सरकारी धन से निपटने के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर

अन्य वित्तीय संहिताएं/नियम/आदेश जारी किए जाते हैं। नियमों से यह स्पष्ट है कि जब स्वीकार करने से इनकार करने पर कोई संदर्भ नहीं मांगा जाता है, तो राशि को खजाने में जमा किया जाता है। नियमों के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा अधिनियम में प्रावधान, इस प्रकार, जब संदर्भ मांगा जाता है तो अदालत में जमा करना आवश्यक होगा। इस प्रकार, धारा *31 (2)* के तहत नियमों में दिए गए प्रावधान के अनुसार, जब संदर्भ मांगा गया था, तो इनकार पर अदालत में जमा का प्रावधान आकर्षित किया जाएगा। जब संदर्भ नहीं माँगा गया है तो राशि स्वीकार करने से इनकार करने के मामलों में धारा *31 (2)* बिल्कुल भी लागू नहीं होती है और कोषागार में जमा करना वैध जमा होगा, अन्यथा जहां संदर्भ मांगा जाता है और व्यक्ति इसे स्वीकार करने से इनकार करता है, केवल अदालत में जमा का गैर-अनुपालन का दायित्व धारा *34* के तहत अधिक ब्याज होगा। *[* पारस *54,60] [93-*ए-सी*; 98-*बी-सी*]*

*3.2 ' '*कोषागार में जमा' सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित किया गया है।

[2018] 2 एस सी आर।

एक संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में, जो *1894* के अधिनियम की धारा *55* के साथ-साथ अन्य वैधानिक या प्रशासनिक शक्तियों के तहत भी बनाया गया है। कोषागार में जमा राशि किसी भी तरह से अमान्य नहीं है। यदि जमा वैध है, तो यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उक्त जमा को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। आखिरकार, सरकारी वित्त को लागू नियमों के अनुसार संभाला जाना चाहिए। कोषागार में जमा भारत सरकार द्वारा जारी बाध्यकारी प्रक्रियात्मक नियमों/आदेशों और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद *283* के तहत शक्तियों के प्रयोग के अनुसार है। *[* पैरा *63] [99-*डी-एफ*]*

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम। सुखबीर सिंह और अन्य।

(2016) 16 एससीसी *258 [2016] 5* एससीआर *227* आंशिक रूप से

असहमति जताते हैं।

4. अस्वीकृत/अस्वीकृत पर व्यावहारिक भेदभाव

1894 के अधिनियम के तहत आचरण और कानूनी स्थिति द्वारा प्रतिस्पर्धा की स्वीकृति।

4.1 मुआवजे की स्वीकृति से इनकार करने का एक तरीका यह है कि जब इसकी निविदा दी जाती है, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। दाखिल करने का एक अन्य तरीका है

क्षतिपूर्ति। एक बार मुआवजा स्वीकार हो जाने के बाद, अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। राज्य के अधिकारियों से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वे अपने पास पैसा रखें और भूमि मालिकों के पीछे भागें और यह पता लगाने के लिए सतर्कता बरतें कि एक अंतिम दिन, मुकदमेबाजी अंतिम रूप ले लेगी। एक बार उनके आचरण से, भूमि अधिग्रहण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जाता है, बहुत कम मुआवजा, ऐसी परिस्थितियों में ऐसे भूमि मालिकों को मुकदमे के परिणाम के बारे में अधिकारियों को सूचित करना पड़ता है और यदि वे हार गए हैं, तो मुआवजे की मांग करें। अदालत में राशि जमा करने के मामले में भी यही स्थिति होगी। उन्हें इसे वापस लेने के लिए आवेदन करना होगा। अधिकारियों का दायित्व

प्रारंभिक चरण में है। बाद के चरण में, जब तक कि भूमि मालिकों/इच्छुक व्यक्तियों द्वारा स्वीकार करने की इच्छा नहीं दिखाई जाती है

क्षतिपूर्ति, अधिकारी यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वे इंदौर विकास प्राधिकरण *v* को स्वीकार करेंगे।

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

क्षतिपूर्ति स्वीकार करने की इच्छा। धारा *24 (2)* में ऐसा नहीं है कि इस तरह के मुकदमे को संरक्षण प्रदान करें। *[* पैरा *64] [99-*जी-एच*; 100-*ए-जी*]*

4.2 1894 के अधिनियम के तहत प्रचलित कानून ने किसी भी भूमि अधिग्रहण को अदालत में जमा की जाने वाली राशि के अभाव में कभी भी अमान्य नहीं किया क्योंकि अधिकांश मामलों में जहां संदर्भ नहीं मांगा गया है, राशि को निश्चित रूप से कोषागार में जमा किया गया था जैसा कि *1894* के अधिनियम की धारा *55* के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों और राज्य द्वारा जारी अन्य स्थायी आदेशों में प्रदान किया गया है। सरकारें और इस न्यायालय के ऐसे निर्णय थे जिन्होंने केवल यह निर्धारित किया है कि यदि भूमि मालिक भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो अधिक से अधिक वह ऐसी राशि पर ब्याज का हकदार हो सकता है, यदि कब्जा लेने के समय उसे निविदा/भुगतान नहीं किया गया है। इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं

2013 के अधिनियम की धारा *77* और *80*। अचानक *1894* के अधिनियम की धारा *55* के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों पर विचार करना और देश के विभिन्न राज्यों में हुए ऐसे सभी भूमि अधिग्रहणों को अमान्य करने के आदेश पर विचार करना उचित नहीं होगा, यह निर्धारित करते हुए कि एक बार राशि अदालत में जमा नहीं की गई है, लेकिन खजाने में, अधिग्रहण धारा *24* के तहत समाप्त हो जाएगा। यह कानून का एक बहुत ही कठोर संचालन होगा क्योंकि पुराने अधिनियम में इस तरह के परिणाम के लिए कभी प्रावधान नहीं किया गया था क्योंकि यह अधिनियम *1894* से नया *2013* अधिनियम लागू होने तक अधिनियमित किया गया था। जब ऐसी विसंगत स्थिति थी, तो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए वैधानिक नियम और वैधानिक आदेश इस बात से संबंधित थे कि कैसे

सरकारी पैसे से निपटना होगा, यह नहीं होगा कानूनी स्थिति को अस्थिर करने के लिए उपयुक्त। *1894* का अधिनियम कभी नहीं

इस तरह के परिणाम पर विचार किया और कुल मिलाकर, अदालत में जमा करने की प्रथा नहीं थी। केवल उन मामलों में अदालत में राशि जमा की जाती थी, जहां धारा *18* या *30* के तहत संदर्भ मांगा जाता था, जैसा कि नियमों के तहत भी प्रदान किया गया था और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के रूप में विवाद था।

[2018] 2 एस सी आर।

इसके लिए हकदार व्यक्ति या इसके बीच विभाजन दावेदार। मुख्य रूप से मुआवजे को वितरित करना भूमि अधिग्रहण कलेक्टर का काम है और गरीब किसानों को अदालत और उस स्थान के बारे में पता नहीं होना चाहिए जहां संदर्भ दिया जाएगा, यदि यह नहीं मांगा गया तो व्यक्ति को ऐसी जगह के बारे में पता

नहीं होगा जहां इसे अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, अदालत में जमा करने का सवाल ही नहीं उठेगा। अदालत मुआवजे के वितरण का अधिकार नहीं दे रही है

जब संदर्भ नहीं मांगा जाता है। किसान/दावेदार मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण कलेक्टर से संबंधित हैं और एक शताब्दी से अधिक समय से खजाने में जमा करने की यह प्रक्रिया प्रचलित थी और बड़ी मात्रा में राशि केवल खजाने में जमा की गई थी और इस प्रकार कानून के संचालन को ऐसा बनाना उचित नहीं होगा कि जमा होने पर भूमि अधिग्रहण को अमान्य कर दिया जाए।

कोषागार में बनाया गया। *2013* के अधिनियम के आशय के अनुसार ऐसी व्याख्या की अनुमति नहीं है। हालाँकि यह सत्ताधारियों को लाभ पहुँचाने के लिए एक लाभकारी कानून है, लेकिन इसकी व्याख्या एक ऐसे कानून के रूप में नहीं की जा सकती है जो इसके अनुसार संपन्न लेनदेन को अमान्य कर दे। प्रचलित कानून और राज्य में निहित भूमि को विभाजित करना, विकास हुआ है, कब्जा लिया गया है, पुरस्कार पारित किए गए हैं, मुकदमेबाजी के बाद/मुकदमेबाजी के कई दौर खो गए हैं और फिर भूमि को वापस करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। कानून उस प्रभाव का इरादा नहीं रखता है, क्योंकि इसे मनमाना और विधायी क्षमता से परे कहा जा सकता है। प्रावधानों के इस तरह के दुरुपयोग और विसंगत परिणामों की आवश्यकता है

टाल दिया। *[पैरा 66] [101-जी-एच; 102-ए-एच; 103-ए]*

4.3 2013 के अधिनियम के प्रावधानों की भावना किसानों को लाभान्वित करने के साथ-साथ पूरे कानून को विफल करने के लिए नहीं है। जो विकास हुआ है या राजकोष पर ऐसी देनदारी का बोझ है जिसका *2013* के अधिनियम में विचार नहीं किया गया है और जो अधिग्रहण *1912,1950* और *1960* के दशक के बाद हुए हैं और जिन्हें अंतिम रूप दिया गया है, जिन्हें उक्त तकनीकी पहलू का लाभ उठाते हुए *2013* के अधिनियम की आड़ में फिर से खोलने की मांग की गई है। अदालतें ऐसे सभी प्रयासों को विफल करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं क्योंकि भूमि जो बहुत पहले अधिग्रहित की गई है, *2013* के अधिनियम में दी गई दर के अनुसार अयोग्य व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करना संभव नहीं होगा।

सार्वजनिक राजस्व की लागत, और प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से करना उचित नहीं होगा कि पुराने और मृत दावों को स्वीकार किया जा सके और उन्हें तकनीकी और प्रक्रियात्मक इंदौर विकास प्राधिकरण *v* के आधार पर पुनर्जीवित किया जा सके।

शैलेंद्र *(मृत)* एलआरएस के माध्यम से।

5. अदालत में गैर-निर्वासित होने का कारणः यह तुच्छ कानून है कि दी गई स्थिति में जब तक कि पीड़ित पक्ष न हो। पूर्वाग्रह और अन्याय का मामला बनता है, कानून का हर उल्लंघन अधिनियम को दूषित नहीं करेगा। *[पैरा 69] [104-बी-सी]*

जानकीनाथ सारंगी बनाम। उड़ीसा राज्य *(1969) 3* एस. सी. सी. *392;* सुनील कुमार बनर्जी बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य *(1980)*

एससीसी *304: [1980] 3* एस. सी. आर. *17 9;* आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। तक्किडीराम रेड्डी *(1998) 6* एस. सी. सी. *554: [1998] 3* एससीआर *1088;* विली *(*विलियम*)* स्लेनी बनाम। मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. *1956* एस. सी. *116: [1955]* एस. सी. आर. *1140;* अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य *(2010) 10* एससीसी *259: [2010] 13* एस. सी. आर. *311;* पंजाब राज्य बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर एयर *2012*

एससी *364: [2011] 15* एस. सी. आर. *540;* बहामंस बनाम। कर्नाटक राज्य *(2012) 9* एससीसी *650: [2012] 7* एस. सी. आर. *909* पर भरोसा किया।

6. अवमूल्यन न करने की सहमति

1894 के अधिनियम की धारा *31* के तहत समझौताः

6.1 यदि मुआवजे के हकदार व्यक्ति के बारे में विवाद है या इच्छुक व्यक्ति या व्यक्ति के बीच इसका विभाजन अर्जित की गई संपत्ति का हस्तांतरण करने के लिए भी सक्षम नहीं था, तो निविदा राशि की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह उक्त आवश्यकताओं के कारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्राधिकरण अदालत के आदेश तक इसका भुगतान नहीं करने का निर्णय ले सकता है, तो इसे *1894* के अधिनियम की धारा *34* के तहत अत्यधिक ब्याज के दायित्व को बचाने के लिए अदालत में जमा किया जाना है। इसके अलावा धारा *31 (2)* में सभी आवश्यकताओं को शामिल नहीं किया गया है और यह आवश्यक नहीं है कि क्षतिपूर्ति को हमेशा अदालत में जमा किया जाए। यह केवल तब होता है जब संदर्भ की मांग की जाती है कि संदर्भ न्यायालय नियमों/आदेशों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नहीं आता है, यदि कोई व्यक्ति इनकार करता है और अदालत में संदर्भ चाहता है तो इसे अदालत में जमा करना पड़ता है, जहां संदर्भ अन्यथा प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि नियमों में प्रदान किया गया है, इसे कोषागार में जमा करना होता है। यह तभी होता है जब अदालत सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

नियम लागू होते हैं तो धारा *31 (2)* और *32* की अनिवार्यताओं में संदर्भ न्यायालय में जमा की आवश्यकता होती है जैसा कि नियमों में दिया गया है। यहां तक कि धारा *31 (2)* भी लागू होती है और "निविदा भुगतान" अनिवार्य प्रावधान है। भुगतान की निविदा तब पूरी होती है जब इसे बिना शर्त उपलब्ध कराया जाता है, इसे पुराने और नए अधिनियमों की धारा *31 (2)* या *24 (2)* के तहत अदालत में जमा राशि के बराबर नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये दो अलग-अलग आवश्यकताएं हैं और

मुआवजे का भुगतान न करने का परिणाम धारा *34* में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ब्याज के भुगतान के लिए एक देयता है। *[* पैरा *71] [105 -* सी-जी*]*

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम। सुखबीर सिंह और अन्य। *(2016) 16* एससीसी *258: [2016] 5* एससीआर *227;* हिसार सुधार बनाम। श्रीमती. रुक्मिणी देवी और अन्र। ए. आई. आर *1990* एस. सी. *2033;* किशन दास और ओआरएस। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य। *(1995) 6* एससीसी *240: [1995] 3* पूरक। एस. सी. आर. *584;* शेषन और अन्य। वी. विशेष तहसीलदार और भूमि अधिग्रहण अधिकारी, स्पिकॉट, पुडुकोट्टई *(1996) 8* एस. सी. सी. *89: [1996] 1* एससीआर *1058;* डी ब्लॉक अशोक नगर *(*साहिबाबाद*)* प्लॉट होल्डर्स एसोसिएशन *(*विनियमित*)* v. यू. पी. और अन्य का राज्य। *(1997)*

10 एससीसी *77: [1997] 3* एससीआर *1096*-पर निर्भर।

धारा *24 (2)*। "भूमि मालिकों के खाते में जमा" पद का अर्थ पुराने अधिनियम की धारा *31 (2)* में परिकल्पित न्यायालय में जमा करना नहीं होगा, वैधानिक या प्रशासनिक आदेशों वाले वित्तीय निर्देशों के अनुसार अनुज्ञेय

कार्रवाई। *1894* के अधिनियम की धारा *55* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के साथ-साथ कानून के बल को हमेशा लिया जा सकता है। विभिन्न राज्यों में वित्तीय संहिता/आदेश/नियम सरकारी धन से संबंधित हैं और इस तरह की राशि को अलग से खोलकर कोषागार में जमा करने की आवश्यकता होती है।

भूमि मालिकों/लाभार्थियों/दावेदारों के खाते जो नए अधिनियम की धारा *24 (2)* के प्रावधान का पूर्ण अनुपालन होंगे। *[* पैरा

76] [107 - डी-जी*]*

महावीर और ओआरएस। वी. भारत संघ *2018 (1)*

स्केल *174;* नजीर अहमद बनाम। राजा सम्राट आकाशवाणी *1936*

पी. सी. *253 (2)*-पर निर्भर।

इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

7. धारा *24 (2)* राज्य को अलग करती है

भूमि *7.1 1894* के अधिनियम के तहत राज्य में पूर्ण निहित होने की अवधारणा अच्छी तरह से स्थापित है और पुरस्कार पारित होने पर, अधिकार

लिया जा रहा है, मुआवजे की पेशकश की जा रही है लेकिन अस्वीकार कर दिया गया है, धारा *24*

यदि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्य को विभाजित करना लागू नहीं होगा। केवल अंतरिम आदेश प्राप्त करके या मुकदमेबाजी को लंबित रखते हुए या इसे नए सिरे से दायर करके, वह भी *2013* के अधिनियम के लागू होने के बाद पुराने और विलंबित दावे के माध्यम से, कोई विनिवेश नहीं।

भूमि पर विचार किया जाता है। यह केवल आवश्यकताओं में होता है बशर्ते कि माना गया चूक या तो तब होती है जब कब्जा नहीं लिया जाता है या

धारा *24 (2)* में दिए गए मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और जहां पुरस्कार पारित नहीं किया गया है, *2013* के अधिनियम की धारा *24* के प्रावधान लागू होते हैं। *[* पैरा *79] [109-*सी-ई*]*

पंजाब राज्य बनाम। साधु राम *1996 (7)* जे. टी. *118: [1995] 5* पूरक। एस. सी. आर. *448;* स्टार वायर *(*इंडिया*)* लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। *(1996) 11* एससीसी *698: [1996] 7* पूरक। एस. सी. आर. *6;* बाजार समिति बनाम। कृष्ण मुरारी *(1996) 1* एस. सी. सी. *311 [1995] 4* पूरक। एस. सी. आर. *787;* एल. आर. द्वारा पुट्टूलाल *(*मृत*)*। वी. उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य *(1996) 3* एससीसी *99: [1996] 2* एस. सी. आर. *638*-पर निर्भर।

ब्लैक डिक्शनरी-संदर्भित।

7.2 जब राज्य में पूर्ण निहित होता है तो यह निहित होता है।

कब्जा के साथ और उसके बाद एक व्यक्ति जो कब्जे में रहता है वह केवल एक अतिचारक है जो सही कब्जे में नहीं है। खिताब या कब्जे के रूप में किसी भी सवार के साथ वेस्टिंग पर विचार नहीं किया जा सकता है। राज्याभिषेक पूर्ण स्वामित्व, राज्य में अधिकार पर विचार करता है। ऐसे मामले में धारा *24* के तहत कोई चूक नहीं मानी जाती है। धारा *17 (1)* में दिए गए प्रावधान के अनुसार पुरस्कार पारित होने से पहले भी तात्कालिकता की स्थिति में, *17 (3* ए*)* शर्तों की पूर्ति पर निहित किया जाता है।

[पारस *81 (*डी*), 82] [113-*जी-एच*; 117-*डी*]*

फल और सब्जी व्यापारी संघ *v.* दिल्ली

सुधार न्यास ए. आई. आर. *1957* एस. सी. *344: [1957]* एस. सी. आर. *1;* मोसम्मत बीबी सईदा बनाम। बिहार राज्य *(1996) 9* एससीसी *516: [1996] 1* पूरक। एससीआर *799;* जे. एस. यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *(2011) 6* एससीसी *570: [2011] 5* एससीआर *460*

पर भरोसा किया।

7.3 यह एक स्थापित कानून है कि संचित अधिकारों को वैधानिक प्रावधानों को निरस्त करके नहीं खोया जा सकता है। निरस्त करने वाला कानून होना चाहिए

ऐसे अधिकारों को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा छीनने का प्रावधान। ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान या आवश्यक निहितार्थ नहीं है। धारा *24 (2)* के परंतुक का लाभकारी इरादा यह है कि अधिग्रहण करने वाले निकाय के लिए धन की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकांश हिस्सेदारी के संबंध में मुआवजे का भुगतान। कानून अदालत के आवरण को ढाल के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है जब दावे में कोई वैधता नहीं होती है और किसी को अपनी विलम्बकारी रणनीति, अनंत काल तक मुकदमा करने के लिए धन शक्ति का फल प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अधिनियम का कहीं भी यह इरादा नहीं है कि केवल मुकदमेबाजी करने वाले अधिकारी जो अधिग्रहण स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन्हें *2013* के अधिनियम का लाभ दिया जाना चाहिए। जिन लोगों ने प्रथम दृष्टया मामले की आड़ में किसी भी तरह या किसी भी तरह बिना किसी आधार के अंतरिम आदेश प्राप्त किए हैं, उनके दावे में योग्यता के बिना, *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के सुरक्षात्मक छत्र के तहत आश्रय प्रदान करके संरक्षित नहीं किया जा सकता है। *[* पैरा *83] [117-*ई*-*जी*]*

8. शारीरिक स्थिति लेने का तरीका

2013 के अधिनियम की धारा *24 (2)* और *1894* के अधिनियम के तहतः जब राज्य अर्जित संपत्ति पर कब्जा करने में शामिल होता है तो वह पंचनामा बनाकर कब्जा कर सकता है। कुछ के माध्यम से भूमि पर अधिकार रखने वाला राज्य का सामान्य शासन

ऐसे मामलों में व्यक्ति लागू नहीं होंगे। खुली भूमि पर कब्जा मालिक का माना जाता है। जब राज्य ने भूमि का अधिग्रहण किया है और कब्जा करने का ज्ञापन तैयार किया है कि जिस तरह से राज्य राज्य के रूप में अधिग्रहित संपत्ति के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रहा है, वह अन्य व्यक्तियों या उसके पुलिस बल को कब्जे में नहीं

लेगा या इसकी खेती करने या रहने या भौतिक रूप से कब्जा करने के लिए नहीं जा रहा है। कुछ निजी व्यक्तियों के मामले में कब्जा, यदि वे खुली भूमि के कब्जे में फिर से प्रवेश करते हैं, तो खेती शुरू करें या घर में रहें। वैध अधिकार राज्य का माना जाता है। *[पैरा 86] [118-*जी-एच*; 119-*ए-बी*]*

बलवंत नारायण भागड़े बनाम। एम. डी. भागवत और अन्य *(1976) 1* एस. सी. सी. *700: [1975]* पूरक। एस. सी. आर. *250;* बांदा विकास प्राधिकरण, बांदा बनाम। मोती लाल अग्रवाल और अन्य। *(2011) 5* एससीसी *394:*

[2011] 7 एस. सी. आर. *435;* इंदौर विकास प्राधिकरण राज्य *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

तमिलनाडु और अन्र। वी. महालक्ष्मी अम्मल और अन्य। *(1996) 7* एससीसी *269: [1995] 5* पूरक। एस. सी. आर. *451;* बालमोकंद खत्री एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रस्ट बनाम।

पंजाब राज्य *(1996) 4* एससीसी *212: [1996] 2* एस. सी. आर. *643;* पी. के. कालबुर्की बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य। *(2005) 12* एस. सी. सी. *489 [2005] 1* एस. सी. आर. *545;* रघबीर सिंह सहरावत बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य। *(2012) 1* एससीसी *792: [2011] 14* एस. सी. आर. *1113;* सीता राम भंडार सोसायटी, नई दिल्ली बनाम। उपराज्यपाल, एन. सी. टी. सरकार, दिल्ली और अन्य। *(2009) 10* एस. सी. सी. *501 [2009] 14* एस. सी. आर. *507;* ओम प्रकाश वर्मा और अन्य। वी. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। *(2010) 13* एससीसी *158: [2010] 15* एस. सी. आर. *303;* एम. वेंकटेश और

ओआरएस। वी. आयुक्त, बैंगलोर विकास प्राधिकरण आदि *(2015) 17* एस. सी. सी. *1-*पर भरोसा किया।

नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम। मध्य प्रदेश राज्य

& एन. आर. आकाशवाणी *2011* एससी *1989: [2011] 6* एससीआर *443*

प्रतिष्ठित। वेलक्सन कुमार बनाम। भारत संघ और अन्य। *(2015) 4* एससीसी

325 - खारिज कर दिया।

9. 2013 के अधिनियम की धारा *24*

स्थिर/बाधित दावों को पुनर्जीवित करता है*?*

9.1 धारा *24* का उपयोग मृत या पुराने दावों और उन मामलों को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जिन्हें इस तक चुनौती दी गई है।

न्यायालय में या यहां तक कि उच्च न्यायालय में भी मामले हारने के बाद या जहां मुआवजे को बढ़ाने के लिए संदर्भ मांगा गया है। क्षतिपूर्ति प्राप्त की गई और फिर भी यह आग्रह किया जाता है कि भौतिक

उनसे कब्जा नहीं लिया गया है, ऐसे दावे नहीं किए जा सकते हैं धारा *24 (2)* की आड़ में मनोरंजन। *2013* के अधिनियम की धारा *24* अदालत के फैसले को रद्द या निरस्त नहीं करती है और इस तरह के दावों को एक बार फिर से साबित करने के लिए प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। एक बार जब

पंचनामा तैयार हो जाता है और पंचनामा भौतिक रूप से कब्जा कर लिया जाता है, तो *2013* के अधिनियम की धारा *24* की आड़ में मामले को फिर से नहीं खोला जा सकता है। *[* पैरा *98] [133*-डी-ई, जी*]*

9.2 धारा *24* का उद्देश्य उन लोगों की सहायता करना नहीं है जो पहले जानबूझकर मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, और फिर गलत सलाह वाली मुकदमेबाजी में लिप्त होते हैं, और अक्सर गलत तरीके से प्रेरित होते हैं।

रणनीति, दशकों तक एक साथ। इसके विपरीत, इस धारा का उद्देश्य उन लोगों की सहायता करना है जिन्हें ऐसा करने के लिए अधिग्रहण करने वाले निकाय का कानूनी दायित्व होने के बावजूद मुआवजे की पेशकश या भुगतान नहीं किया गया है, और/या जो पांच साल या उससे अधिक समय से अवैध रूप से अपने कब्जे से वंचित हैं; दोनों परिदृश्यों में, गलती/कारण भूमि मालिकों/दावेदारों के लिए जिम्मेदार नहीं है। बासी या मृत दावे न्यायिक जाँच का विषय नहीं हो सकते हैं।

2013 के अधिनियम की धारा *24* के तहत। धारा *24* के प्रावधान अदालतों के उन निर्णयों/आदेशों को अमान्य नहीं करते हैं जहां अधिकारों के तहत *1* दावे खो गए हैं *1* नकार दिया गया है,

न ही वे उन अधिकारों को पुनर्जीवित करते हैं जो या तो निष्क्रियता के कारण या अन्यथा कानून के संचालन द्वारा वर्जित हो गए हैं। धोखाधड़ी और पुराने दावों को धारा *24* की आड़ में नहीं उठाया जाना चाहिए। धारा *24 (2)* के प्रावधानों के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कानून के प्रावधानों के इस तरह के घोर दुरुपयोग के मामलों में अदालतों द्वारा संरक्षण का इरादा कभी नहीं हो सकता था

2013 अधिनियम की धारा *24 (2)* के प्रावधानों को लागू करने के पीछे। *[* पारस *99,100] [133*-एच*; 134*-ए-डी*]*

महावीर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. *2018 (1)* स्केल *174;* तमिलनाडु आवास बोर्ड, चेन्नई बनाम। एम. मयप्पन और अन्य। *(2010) 14* एससीसी *309: [2010] 12* एस. सी. आर. *1184;* जसवीर सिंह बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। *(2017) 6* एस. सी. सी. *787;* धारप्पा बनाम। बीजापुर सहकारी दूध प्रोड्यूसर्स सोसाइटीज यूनियन लिमिटेड *(2007) 9* एस. सी. सी. *109: [2007] 5* एस. सी. आर. *729;* कर्नाटक राज्य बनाम लक्ष्मण *(2005) 8* एस. सी. सी. *709 [2005] 4* सप्लीमेंट। एससीआर *535*-निर्भर

पर।

10. क्या पैराग्राफ में सचेत चूक का उल्लेख है

11 श्री बालाजी नगर आवासीय संघ बनाम में निर्णय। तमिलनाडु राज्य *2013* अधिनियम की धारा *24 (2)* की प्रयोज्यता के निर्धारण के उद्देश्य से न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि के बहिष्करण या समावेश के संबंध में कानूनी स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अंतर करता है*?*

10.1 श्री बालाजी में, इस न्यायालय ने राय दी है कि अधिग्रहण की कार्यवाही पर रोक लगाने वाले न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को बाहर करने के लिए अधिनियम, *2013* की धारा *24 (2)* में विधायिका द्वारा जानबूझकर चूक की गई है। यह देखा गया कि *1894* के अधिनियम में इंदौर विकास प्राधिकरण *v* के प्रावधानों में संशोधन करके।

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

धारा *6* और *11* ए में सीमित अवधि के विस्तार का प्रावधान करके उस अवधि को बाहर रखा गया है जिसके दौरान न्यायालय का अंतरिम आदेश संचालित किया गया है। धारा *24 (2)* में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। *[* पैरा *101] [134-*ई-एफ*]*

योगेश नीमा और अन्य। वी. एम. पी. और अन्य का राज्य। *[2016] 6* एस. सी. सी. *387* संदर्भित है।

10.2 न्यायालय के अंतरिम आदेश का प्रभावः कब

एक बार जब अदालत ने राज्य के अधिकारियों को कब्जा करने या यथास्थिति बनाए रखने के लिए रोक दिया है, तो वे राशि का भुगतान नहीं कर सकते हैं या आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंतरिम आदेशों के परिणामों का उपयोग राज्य के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। यह मूल सिद्धांत है कि जब कोई पक्ष किसी कर्तव्य का पालन करने में अक्षम हो जाता है और उसके लिए किसी कर्तव्य का पालन करना संभव नहीं होता है, तो यह एक अच्छा बहाना है। "कमोडम एक्स-इंजुरिया सुआ नेमो हेबेरे डेबेट" सिद्धांत का अर्थ है कि किसी पक्ष को अपनी गलती से सुविधा नहीं मिल सकती है। किसी को अन्यायपूर्ण निषेधाज्ञा या स्थगन आदेश प्राप्त करने और अपने कार्यों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कानून का उद्देश्य न्यायसंगत कारणों का निवारण करना है।

साथ ही, यह इसकी नीति नहीं है कि मुकदमेबाजी को बढ़ावा दिया जाए और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके अपने स्वयं के कार्यों से बेईमान व्यक्तियों द्वारा की गई देरी के कारण फल प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाए और विलम्बकारी रणनीतियाँ। *[* पैरा *104,106] [136-*जी-एच*; 137-*ए-बी*; 143-*बी-सी*]*

एल. आर. द्वारा अभय राम *(*मृत*)*। *&* ओआरएस। वी. भारत संघ और

ओआरएस। *(1997) 5* एससीसी *421 [1997] 3* एससीआर *931;* ओम

प्रकाश वी. भारत संघ और अन्य। *(2010) 4* एससीसी *17:*

[2010] 2 एस. सी. आर. *447;* सुरेश चंद बनाम गुलाम चिश्ती

(1990) 1 एससीसी *593: [1990] 1* एस. सी. आर. *186;* आत्मा राम मित्तल बनाम। ईश्वर सिंह पुनिया *(1988) 4* एससीसी *284: [1988] 2* पूरक। एससीआर *528;* श्याम सुंदर और अन्य। वी. राम कुमार

& एन. आर. *(2001) 8* एससीसी *24: [2001] 1* पूरक। एससीआर *115;*

दाउ दयाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. *1959* एस. सी. *433*

: [1959] पूरक। एस. सी. आर. *639*-पर निर्भर था।
10.3 केसस ओमीससस: केवल इसलिए कि कुछ प्रावधान

धारा *19* और *69* में ठहराव की अवधि को छोड़कर, इसका मतलब यह नहीं होगा कि धारा *24* के प्रावधानों में कोई अपवाद है जिसका आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। *2013* के अधिनियम की धारा *19* में निहित प्रावधानों में उस सीमा की अवधि का उल्लेख है जिसमें एक घोषणा जारी की जानी है, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2018] 2 एस सी आर।

यह *1894* के अधिनियम की धारा *6* के समतुल्य था, क्योंकि बहिष्करण का प्रावधान पिछले समान किया गया है।

प्रावधान, तो धारा *69* में भी। धारा *24* में मुकदमेबाजी और उसके परिणामों को कवर प्रदान करने पर विचार नहीं किया गया था।

काटा गया। अदालती आदेश के स्थगन/निषेधाज्ञा की अवधि को हटाने के प्रावधान की अनुपस्थिति *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के प्रावधान को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है। इसका उद्देश्य यह था कि प्राधिकरण को अपनी ओर से ढिलाई के कारण अधिग्रहण को पांच साल या उससे अधिक समय तक लंबित नहीं रखना चाहिए। अदालती आदेश या भूमि मालिकों के आचरण के कारण दायित्व का पालन करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में इसका कभी भी आवेदन करने का इरादा नहीं था। *[* पैरा *109] [144*-सी-एफ*]*

भारत संघ बनाम। शिव राज *(2014) 6* एससीसी *564: [2014]*

8 एससीआर *751;* करनैल कौर और अन्य। वी. पंजाब राज्य और

सही कानून। पद्म सुंदरा राव *(*मृत*)* और अन्य। वी. तमिल राज्य

नाडू और ओआरएस। *(2002) 3* एससीसी *533: [2002] 2* एससीआर *383*

—

प्रतिष्ठित।

एन. नरसिम्हा बनाम। कर्नाटक राज्य *(1996) 3* एससीसी

88 [1996] 1 एस. सी. आर. *698;* कर्नाटक राज्य बनाम डी. सी

नंजुदैया *(1996) 10* एस. सी. सी. *619: [1996] 5* पूरक। एससीआर

222 ; राणा गर्डर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ *(2013) 10*

एससीसी *746: [2013] 14* एस. सी. आर. *58;* भारत संघ बनाम। सिकॉम

लिमिटेड और ओआरएस। *(2009) 2* एससीसी *121: [2008] 17* एससीआर *120*

- पर भरोसा किया।

10.4 यह अच्छी तरह से तय है कि वैधानिक प्रावधान होगा

सामान्य कानून के सिद्धांतों पर प्रबल। *2013* के अधिनियम की धारा *24* में निहित वैधानिक प्रावधान सामान्य कानून के सिद्धांतों को बाहर नहीं करते हैं। जिन सिद्धांतों को बाहर रखा जा सकता है, वे केवल वे हैं जिनके संबंध में क़ानून में ही प्रावधान किया गया है या प्रयोज्यता निहितार्थ द्वारा हटा दी गई है। व्याख्या के सिद्धांत के संबंध में अवलोकन कि यदि किसी प्रावधान में कुछ व्यक्त किया गया है, तो इसके विपरीत कुछ भी निहित रूप से बाहर रखा गया है, स्वयं "एक्सप्रेसियो यूनिअस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टेरियस" उक्ति पर आधारित हैं। इस उक्ति को संचालन की सीमा माना गया है और यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नहीं है। इस प्रकार, केवल यह तथ्य कि कुछ प्रावधानों में ठहरने की अवधि के बारे में उल्लेख किया गया है, को निर्णायक नहीं माना जा सकता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण *v.*

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

2013 के अधिनियम की धारा *24 (2)* के संदर्भ में स्थगन के प्रभाव के संबंध में अन्य प्रावधानों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए या सामान्य कानून अधिकतम लागू नहीं होते हैं। *2013* के अधिनियम की धारा *24* के दायरे में पक्षों के साथ पूर्ण न्याय करने और न्याय की विफलता को रोकने के लिए सामान्य कानून के सिद्धांतों को हटाया नहीं जा सकता है। *[* पारस *113-116] [148-A, F-H; 149-A-B; 150-F]*

मैरी एंजेल बनाम। तमिलनाडु राज्य *(1999) 5* एससीसी *209: [1999] 3* एससीआर *594;* सहायक ए. सी. ई. , कलकत्ता बनाम नेशनल टोबैको कंपनी लिमिटेड ऑफ इंडिया लिमिटेड *(1972) 2* एससीसी

560 [1973] 1 एस. सी. आर. *822*-निर्भर।

11. अक्षमता का दस्तावेज

11.1 किसी कार्य के निष्पादन की असंभवता के संबंध में 'निमो टेनेटर एड इम्पॉसिबिलिया' नामक सिद्धांत नहीं हो सकते हैं

सख्ती से लागू, क्योंकि धारा *31* या *24* के तहत कार्य किए जाने में सक्षम थे, लेकिन अधिकारियों को उनकी ओर से कोई गलती नहीं होने के कारण उन्हें करने में अक्षम कर दिया गया था। हालाँकि, न्यायालय के आदेशों के प्रभाव, या भूमि मालिकों/दावेदारों/लाभार्थियों के आचरण पर विचार करने की आवश्यकता है, प्रश्नगत कार्यों को उनकी प्रकृति से करना 'असंभव' नहीं था, लेकिन उक्त पहलू प्रासंगिक है और प्रदर्शन करने में असमर्थता का अंतर्निहित सिद्धांत होना चाहिए इस तथ्य की पृष्ठभूमि में विचार किया जाता है कि क्या यह उन कार्यों को करने के लिए प्राधिकरण के नियंत्रण या क्षमता में था जो किया जाना संभव था लेकिन जब प्रदर्शन करना संभव नहीं था या प्रदर्शन करने में असमर्थ थे। ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उसे किसी अधिनियम का पालन न करने के लिए लाभप्रद स्थिति में रखने के लिए नहीं कह सकता है, जो संभवतः किया गया होगा, लेकिन ऐसी कार्रवाई के लिए। *[* पैरा *125] [156*-ए-सी*]*

चंदर किशोर झा बनाम। महाबीर प्रसाद *(1999) 8* एस. सी. सी. *266 [1999] 2* पूरक। एससीआर *754;* मोहम्मद गाजी बनाम। मध्य प्रदेश राज्य *(2000) 4* एससीसी *342: [2000] 2* एस. सी. आर. *871;*

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड बनाम। कन्नौर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड *(2002) 5* एस. सी. सी. *54: [2002] 2* एससीआर *1093;* हुडा बनाम। बाबेश्वर कन्हार *(2005) 1* एस. सी. सी. *191: [2004] 6* पूरक। एससीआर *282;* पुनः: राष्ट्रपति चुनाव *(1974) 2* एस. सी. सी. *33: [1975] 1* एससीआर

504 ; स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम। निदेशालय

प्रवर्तन एआईआर *2005 (2)* एससी *2622: [2005] 1* पूरक। एस. सी. आर. *49* पर भरोसा किया।

- सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 2 एस सी आर।

11.2 मैक्सिम "नलस कमोडम कैपेरे पोटेरे डी इंजुरिया"

सुआ प्रोप्रिया "अर्थात। 'कोई भी व्यक्ति अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता'। भुगतान की जाने वाली राशि की "निविदा" किसी भी राशि पर प्रतिबंध के रूप में काम करती है। हानि और ब्याज के लिए दावा। इस प्रकार, जब एक बार किसी भी निर्धारित तरीके से राशि की "निविदा" की गई थी, जिसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था और/या लगातार मुकदमेबाजी में लिप्त होने के संचालन से, जो कुछ मामलों में, एक स्थगन/अंतरिम आदेश में समाप्त हो गया था, तो जिस पक्ष ने इस प्रकार राशि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, वह 'बेतुके नाटक' में लिप्त हो गया, वह पलट नहीं सकता और तर्क नहीं दे सकता कि अब दूसरे पक्ष को भुगतान न करने के लिए दंड के साथ देखा जाना चाहिए। *[* पारस *125,126,127] [156-*डीएच*]*

12. क्या *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के अनुसार कब्जा लेने के संबंध में प्रश्न का निर्धारण करने के उद्देश्य से अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को बाहर करने के लिए वर्तमान मामले में किसी भी पक्ष को प्रभावित नहीं करना चाहिए*?*

12.1 कोई भी वादी अदालत में किसी मामले के लंबित होने का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान यदि कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाता है तो यह अंतिम आदेश में विलय हो जाता है। यदि मामला खारिज हो जाता है तो इसकी विचाराधीनता के दौरान अंतरिम आदेश पारित किया जाता है।

स्वचालित रूप से रद्द हो जाता है। यह भी तय किया गया है कि किसी पक्ष को अपनी गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि 'कमोडम एक्स इंजुरिया सुआ नेमो हेबेरे डेबेट' यानी किसी पक्ष को अपनी गलती से सुविधा नहीं मिल सकती है। यदि बिना किसी आधार के मुकदमा दायर किया गया है और अंतरिम आदेश पारित किया गया है तो यह असमर्थनीय दावा दायर करने के लिए अवैध लाभ या गलत लाभ देना होगा। "एक्टस क्यूरिया नेमिनेम ग्रेवबिट" सिद्धांत कानून के प्रशासन और अच्छी समझ का सार है। *[* पारस *129,131 (*जी*)] [157-*एफ-जी*; 162-*ए*]*

मृत्युंजय पान बनाम। नर्मदा बाला सस्मल और अन्र। एयर *1961* एससी *1353: [1962]* एससीआर *290;* जीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ *(1998) 3* एस. सी. सी. *376;* जयपुर नगर निगम वी. सी. एल. मिश्रा *(2005) 8* एससीसी *423;* राम कृष्ण वर्मा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *(1992) 2* एस. सी. सी. *620:*

[1992] 2 इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

एस. सी. आर. *378;* ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम। आयकर अधिकारी, कलकत्ता *(1980) 2* एस. सी. सी. *191;* महादेव सावलाराम शेल्के बनाम। पुणे नगर निगम *(1995) 3* एससीसी *33: [1995] 1* एससीआर *543;* अमरजीत सिंह बनाम। देवी रतन और ओआरएस। *(2010) 1* एससीसी *417: [2009] 15* एस. सी. आर. *1010;* कर्नाटक दुर्लभ पृथ्वी और ए. एन. आर. वी. वरिष्ठ भूविज्ञानी, खान और भूविज्ञान विभाग और एएनआर। *(2004) 2* एससीसी *783 [2004] 1* एससीआर *965;* ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और अन्य। *AIR 1988 SC 1531: [1988] 1* पूरक। एस. सी. आर. *1*-पर निर्भर।

सुप्टेड। कर, धुबरी और अन्य। वी. असम जूट सप्लाई लिमिटेड और अन्य। *(1976) 1* एससीसी *766: [1975] 0* पूरक। एससीआर

365 - प्रतिष्ठित।

नीरज कुमार सैनी और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। *(2017)*

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. *258*-संदर्भित।

"हर्बर्ट ब्रूम द्वारा कानूनी अधिकतम का चयन

संदर्भित किया गया।

12.2 एक पदधारी को एक लंबित मुकदमे में अंतिम निर्णय में सफल या असफल होना चाहिए कि उसने याचिका में कौन सा मामला स्थापित किया है। मामले में अदालत की आड़ में कब्जा जारी रहा है

अदालत के आदेश के कारण आदेश या मुआवजे का वितरण नहीं किया जा सका क्योंकि धारा *24 (2)* में निहित प्रावधान को ऐसी स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति इसके तहत नहीं आती है, क्योंकि अन्यथा धारण करना अधिग्रहण को चुनौती देने में कोई योग्यता नहीं होने के बावजूद उसकी विलम्बकारी रणनीति के लिए वादी प्रीमियम देने के बराबर होगा। *[* पैरा *134] [166*-एफ-जी*]*

उमा देवी बनाम। कर्नाटक राज्य *(2006) 6* एससीसी *1: [2006]*

3 पूरक। एस. सी. आर. *548*-पर निर्भर।

12.3 सामान्य कानून के सिद्धांत समानता, न्याय के नियम हैं।

और ध्वनि तर्क। कानून में निषेध के अभाव में, ये सिद्धांत आकर्षित होंगे। कानून में किसी भी स्पष्ट निषेध के अभाव में ऐसे सामान्य कानून सिद्धांतों की प्रभावकारिता और बाध्यकारी प्रकृति को कम या कम नहीं किया जा सकता है। वे *2013* के अधिनियम की धारा *24* की व्याख्या हैं। अदालत के आदेश या सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के संचालन के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका, या मुआवजे का भुगतान या जमा नहीं किया जा सका

भूमि-स्वामी, ऐसे मामलों में चूक का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता है। धारा *24 (2),* कानून की नीति किसी वादी को लाभ पहुँचाने या मुकदमे में शामिल करके अनुचित लाभ प्रदान करने और फसल काटने के लिए नहीं है।

बिना किसी अधिकार के अवैध आधार पर कब्ज़े के आधार पर और अक्सर भूमि अधिग्रहण के मामलों में एक के बाद एक एल. आई. एस. दायर किया जाता है और कानून का इरादा कानून का पालन करने वाले अधिकारियों के साथ अलग व्यवहार करना नहीं है। *2013* के अधिनियम में कानून का संचालन और कानून के लाभकारी प्रावधान वादियों को लाभान्वित करने और उन्हें अयोग्य या तुच्छ मुकदमेबाजी का फल प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए नहीं हैं। मुकदमेबाजी को अयोग्य वादी के लिए आकर्षक उद्योग बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है; इसे योग्यता रहित मुकदमे के संबंध में फल प्रदान करने का उपकरण होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पुनर्स्थापन के सिद्धांत सहित धारा *24* के प्रावधानों की व्याख्या करते समय अधिकतम नलस कमोडम कैपेरे पोटस्ट डी इंजुरिया सुआ प्रोप्रिया और एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवैबिट आदि लागू होते हैं। वे *2013* के अधिनियम की धारा *24* के दायरे से बाहर नहीं हैं। *[* पैरा *135,137,138] [167-*सी, एफ-एच; *168-*ए-बी*]*

13. बहाली का सिद्धांतः निर्माण करते समय

एल. आई. एस. के मामले में लागू धारा *24 (2)* के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, पुनर्स्थापन का सिद्धांत जो अंतिम निर्णय के समय पक्षकार के साथ पूर्ण न्याय करने के लिए अदालतों को कर्तव्य देता है। मुकदमे के अंत में सफल पक्ष को यथासंभव उसी स्थान पर रखा जाना चाहिए जब तक कि अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाता। न्यायालय पर यह दायित्व है कि वह किसी बेईमान वादी को लाभ प्रदान न करे, अनुचित लाभ प्रदान न करे, कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग करने के प्रयास को विफल किया जाना चाहिए, धन शक्ति द्वारा मुकदमेबाजी को लंबा करना, विलम्बकारी रणनीति या अन्यथा लाभ प्रदान न करना, मामले में गुणवान व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है, अवैधता को बनाए रखने के लिए न्यायालय द्वारा अन्यायपूर्ण संवर्धन को बचाया नहीं जा सकता है, पुनर्स्थापन का सिद्धांत न्यायालय को *2013* के अधिनियम की धारा *24* के प्रावधानों के ऐसे वादियों को लाभ प्रदान नहीं करने के लिए मजबूर करता है। *[* पारस *139,141] [168-*सी-डी; *178-*एच; *179-*ए-बी*]*

साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड *v.* मध्य राज्य
प्रदेश और ओआरएस। *(2003) 8* एस. सी. सी. *648 [2003] 4* पूरक।

एस. सी. आर. *651;* गुजरात राज्य बनाम एस्सार ऑयल लिमिटेड *(2012) 3* एस. सी. सी. *522: [2012] 2* एस. सी. आर. *1127;* ए. षण्मुगम बनाम। अरिया क्षत्रिय राजकुला वंशथु मदालय नंदवन परिपालनई संगम *(2012) 6* एस. सी. सी. *430 [2012] 4* एस. सी. आर. इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम।

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

74 ; इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन *v.* भारत संघ *(2011) 8* एस. सी. सी. *161;* कृष्णस्वामी एस. पी. डी. *&* एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य। *(2006) 3* एससीसी *286: [2006] 2* एस. सी. आर. *390*-पर निर्भर।

इसके नीचे। धारा *6 (ई)* में प्रावधान है कि यह किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, ज़ब्त या सजा के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को तब तक प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि अलग-अलग इरादे दिखाई न दें। जाँच, कानूनी कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, या जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और ऐसा कोई जुर्माना, ज़ब्त या सजा लगाई जा सकती है जैसे कि निरसन अधिनियम या विनियमन पारित नहीं किया गया था। धारा *6* के प्रावधान स्पष्ट रूप से ऐसी कार्यवाहियों को छोड़ देते हैं और लंबित मुकदमेबाजी का निर्णय केवल *1894* के अधिनियम के आधार पर किया जाना है, सिवाय इसके कि *2013* के अधिनियम में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। *[* परिच्छेद *142,143* और *144] [179*-सी-ई; *180*-सी-डी*]*

इवो एग्रेलो सैंटिमानो फर्नांडीस बनाम। गोवा राज्य *(2011) 11* एस. सी. सी. *506 [2011] 2* एस. सी. आर. *1142;* प्रेम नाथ कपूर बनाम। भारतीय राष्ट्रीय उर्वरक निगम लिमिटेड *(1996) 2* एस. सी. सी. *71: [1995] 5* पूरक। एस. सी. आर. *790;* भरत कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्र। *(2014) 6* एस. सी. सी. *586;* बिमला देवी और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और अन्य। *(2014) 6* एस. सी. सी. *583*

प्रतिष्ठित।

-

भारत संघ और अन्य। वी. शिव राज और ओआरएस। *(2014) 6* एससीसी *564 [2014] 8* एससीआर *751;* मैगनम प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. भारत संघ और अन्य। *(2015) 3* एस. सी. सी. *327;* रेडियंस फिनकैप प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। *(2015) 8* एससीसी *544;* वर्किंग फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउस
बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम। पंजाब राज्य और अन्य। *(2016) 15* एस. सी. सी. *464;* दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम

सिंह और ओआरएस। *(2016) 16* एस. सी. सी. *258 [2016] 5* एस. सी. आर. *227;* हरियाणा राज्य और अन्र. वी. देवंदर सागर और अन्य। *(2016) 14* एस. सी. सी. *746;* अलीगढ़ विकास प्राधिकरण बनाम। मेघ सिंह और अन्य। *(2016) 12* एस. सी. सी. *504;* शर्मा एग्रो इंडस्ट्रीज बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य। *(2015) 3* एस. सी. सी. *341;* पवन कुमार अग्रवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य।

(2016) 7 एस. सी. सी. *614*-संदर्भित।

15. 'प्रति समावेश' का सिद्धांतः की अवधारणा

" इनक्यूरियम "उन निर्णयों को दर्शाता है जो कुछ असंगत वैधानिक प्रावधानों की अज्ञानता या विस्मृति में दिए गए हैं, या संबंधित न्यायालय को बाध्य करने वाले किसी प्राधिकरण के हैं। निर्णय में

पुणे नगर निगम का मामला, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारणों से आयोजित किया जाना है: *(1)* उच्च न्यायालय ने पुणे नगर निगम मामले में भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया है, क्योंकि *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के ऐसे प्रावधानों को लागू नहीं कहा जा सकता है। यह तब अधिग्रहण से बच नहीं रहा था।

कब्जा लेने या पाँच वर्ष या उससे अधिक के लिए मुआवजे का भुगतान करके धारा *24 (2)* का अनुपालन उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि *2008* में उच्च न्यायालय द्वारा अधिग्रहण को रद्द कर दिया गया था। *(2)* पुणे नगर निगम में यह अभिनिर्धारित नहीं किया गया था कि उच्च न्यायालय ने अवैध रूप से स्थापित किया है।

अधिग्रहण को छोड़ दें। यदि उच्च न्यायालय ने अवैध तरीके से अधिग्रहण को दरकिनार कर दिया था तो 'एक्टस क्यूरी' भी कहा गया था

'नेमिनम ग्रेवबिट' अधिग्रहण को समाप्त होने से बचाने के लिए बचाव में आया होगा और इस न्यायालय में अपील में बिताई गई अवधि को बाहर रखा जाना था। *(3) 2008* में उच्च न्यायालय द्वारा अधिग्रहण रद्द किए जाने के बाद धारा *24 (2)* के प्रावधानों को मामले में लागू नहीं कहा जा सकता था। इस प्रकार, इस अदालत के लिए उपरोक्त पहलू पर मामले का फैसला करने का कोई अवसर नहीं था

2013 के अधिनियम की धारा *24 (2)* के तहत परिकल्पित। *(4)* वह सांविधिक नियम जो *1894* के अधिनियम की धारा *55* के तहत बनाए गए थे और जिनके आदेश

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत या अन्यथा जारी किए गए वैधानिक बल को पुणे नगर निगम में इस अदालत के समक्ष विचार के लिए नहीं रखा गया था। मामला। *(5)* जमा की धारा *34* की प्रचलित प्रथा के प्रावधान और *1894* के अधिनियम की धारा *34* के तहत बाध्यकारी निर्णय मामले का निर्णय लेते समय इस अदालत के विचार के लिए नहीं रखे गए थे। *(6)* धारा *24 (2)* के परंतुक को विचार के लिए नहीं रखा गया था जो इंदौर विकास प्राधिकरण *v* की तुलना में अलग अभिव्यक्ति 'जमा' का उपयोग करता है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

'मुख्य धारा *24 (2)* में 'भुगतान' जिसका एक अलग अर्थ है। *(7)* विभिन्न बाध्यकारी के अनुसार 'भुगतान' अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है*?*

इस न्यायालय के निर्णय जब भुगतान करने की बाध्यता पूरी हो जाती है

2013 के अधिनियम के तहत भुगतान और जमा से संबंधित धारा *77* और *80*, जो धारा *31* और *34* के अनुरूप है, को उक्त निर्णय देते समय इस न्यायालय के विचार के लिए नहीं रखा गया था। *(11)* नियमों/आदेशों और निर्णयों के अनुसार खजाने में जमा करने की एक सदी से अधिक समय से चली आ रही प्रथा को लागू नहीं किया गया था। विचार करें। यह *1894* के अधिनियम के तहत प्रावधानों, प्रचलित प्रथाओं और निर्णयों पर विचार किए बिना कोषागार में की गई ऐसी जमाओं को अमान्य करने के लिए खुला नहीं था। पुणे नगर निगम मामले के आधार पर दिए गए निर्णय हैं -

इस निर्णय के आधार पर उचित मामलों में समीक्षा की जा सकती है। *[* पारस *146,152] [184-*एफ*; 189-*एफ-जी*]*

पुणे नगर निगम और अन्र. वी. हरकचंद मिसिरमल सोलंकी *(2014) 3* एस. सी. सी. *183*-प्रति इनक्यूरियम।

श्री बालाजी नगर आवासीय संघ बनाम। तमिलनाडु राज्य *(2015) 3* एस. सी. सी. *353*-निरस्त।

ममलेश्वर प्रसाद बनाम। कन्हैयालाल *(1975) 2* एस. सी. सी. *232: [1975] 3* एससीआर *834;* ए. आर. अनुतुले बनाम आर. एस. नायक *(1988) 2* एससीसी *602: [1988] 1* पूरक। एस. सी. आर. *1;* उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड *(1991) 4* एस. सी. सी. *139;* दिल्ली नगर निगम बनाम। वर्णम कौर *(1989) 1* एस. सी. सी. *101: [1988] 2* पूरक। एससीआर *929;* संत लाल गुप्ता बनाम। आधुनिक कॉप। सोसायटीज लिमिटेड *(2010) 13* एस. सी. सी. *336: [2010] 13* एस. सी. आर. *621;* भारत संघ और

ओआरएस। वी. शिवराज और ओआरएस। *(2014) 6* एससीसी *564: [2014] 8*

एस. सी. आर. *751*-संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 2 एस सी आर।

पर मोहन एम. शांतनगौदर, जेः *(* आंशिक रूप से

असहमति*)*

1. एक क़ानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। जहां शब्दों को शाब्दिक रूप से लागू करने से कानून के स्पष्ट इरादे को विफल कर दिया जाता है और पूरी तरह से अनुचित परिणाम निकलते हैं, वहां प्रावधान को कुछ दिया जाना चाहिए ताकि स्पष्ट इरादे को प्राप्त किया जा सके और तर्कसंगत निर्माण किया जा सके। *2013* के अधिनियम में विभिन्न स्थानों पर "निविदा", "भुगतान" और "जमा" का उपयोग किया गया है। *1894* के अधिनियम की धारा *31 (1)* में निर्देश दिया गया है कि कलेक्टर

"..... स्पष्ट रूप से, निविदा और भुगतान दो अलग-अलग शर्तें हैं। हालाँकि, "भुगतान" को धारा *24 (2)* के साथ-साथ अन्य प्रावधानों में भी "जमा" के समान माना गया है। *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के प्रावधान में निहित लाभार्थियों के खाते में "जमा" शब्द का अर्थ होगा कोषागार में लाभार्थियों के खाते में जमा करना। परंतुक "भुगतान" शब्द को संदर्भित नहीं करता है, जैसा कि संदर्भित किया जाता है मुख्य प्रावधान में, अर्थात *2013* अधिनियम की धारा *24* की उप-धारा *2*। धारा *24* की उप-धारा *2* के परंतुक में राज्य को अधिग्रहण की बचत के लिए अल्पांश जोतों के संबंध में मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यह पर्याप्त होगा यदि मुआवजे को खाते में न्यूनतम हिस्सेदारी के संबंध में जमा किया जाता है।

अधिग्रहण को बचाएँ। चूँकि धारा *24* की उप-धारा *2* के परंतुक में अधिग्रहण की समाप्ति की परिकल्पना नहीं की गई है, भले ही भुगतान किया गया हो।

ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन वह भी अल्पांश जोतों के लाभार्थियों के संबंध में जमा किया जाता है, उसी से यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलेगा कि "भुगतान" शब्द जैसा कि इसमें पाया जाता है।

धारा *24* की उप-धारा *2* का "जमा" शब्द के साथ एक मजबूत संबंध या सह-संबंध है। प्रावधान के साथ धारा *24* की उप-धारा *2* को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि भले ही भूमि जोत के अल्पसंख्यक के संबंध में मुआवजा ऐसे अल्पसंख्यक लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाता है, अधिग्रहण समाप्त नहीं होता है। प्रत्येक भूमि-हारने वाला *2013* के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिक से अधिक मुआवजे का हकदार है। अगर शब्द

" धारा *24* की उप-धारा *2* में पाए जाने वाले भुगतान को लाभार्थियों के खाते में "जमा" नहीं माना जाता है, तो धारा *24* की उप-धारा *2* का परंतुक अनुचित हो जाएगा।

यह अच्छी तरह से स्थापित इंदौर विकास प्राधिकरण *v* है। शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

कि अधिनियम के तहत किसी भी प्रावधान को निरर्थक या अनुचित नहीं बनाया जा सकता है। *[* पैरा *14,15] [204-*बी-जी*; 205-*ए-एफ*]*

टाटा सेल्युलर वी. भारत संघ *(1994) 6* एससीसी *651:*

[1994] 2 पूरक। एससीआर *122-*पर भरोसा किया गया।

प्रेम नाथ कपूर बनाम। राष्ट्रीय उर्वरक निगम

ऑफ इंडिया लिमिटेड *(1996) 2* एस. सी. सी. *71: [1995] 5* पूरक। एस. सी. आर. *790;* इवो एग्नेलो सैंटियामो फर्नांडीस बनाम। सरकार
गोवा *(2011) 11* एस. सी. सी. *506: [2011] 2* एस. सी. आर. *1142;* भारत संघ बनाम। शिव राज *(2014) 6* एससीसी *564: [2014] 8* एससीआर *751;* करनैल कौर बनाम। पंजाब राज्य *(2015) 3* एस. सी. सी. *206;* रेडियंस फिनकैप *(*पी*)* लिमिटेड बनाम। भारत संघ *(2015) 8* एस. सी. सी. *544;* दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम। सुखबीर

सिंह *(2016) 16* एस. सी. सी. *258 [2016] 5* एस. सी. आर. *227;* द वर्किंग फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम। पंजाब राज्य *(2016) 15* एस. सी. सी. *464;* भरत कुमार बनाम। हरियाणा राज्य *(2014) 6* एससीसी *586;* बिमला देवी और अन्य। वी. हरियाणा राज्य *(2014) 6* एस. सी. सी. *583;* विजय लटका बनाम। हरियाणा राज्य *(2016) 12* एस. सी. सी. *487;* महाराणा प्रताप धर्मार्थ न्यास बनाम। हरियाणा राज्य

(2007 का सी. डब्ल्यू. पी. *6860)-*संदर्भित।

2. 1894 के अधिनियम की धारा *31 2013* के अधिनियम की धारा *77* के समान है। बेशक, *2013* के अधिनियम की धारा *77* के तहत,

विधायिका एक कदम और आगे बढ़ गई है और कलेक्टर को आदेश दिया है

इच्छुक व्यक्तियों को उनके बैंक खातों में राशि जमा करके उनके द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान करना जब तक कि उप-धारा *2* के तहत प्रदान की गई कुछ या अधिक आकस्मिकताओं से रोका न जाए। *2013* के अधिनियम की धारा *80* के तहत, जो *1894* के अधिनियम की धारा *34* के समान है, कलेक्टर उस पर ब्याज के साथ दी गई राशि का भुगतान *9* प्रतिशत या *15* प्रतिशत की दर से करेगा, जैसा भी मामला हो।

यदि इस तरह के मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है या भूमि पर कब्जा करने से पहले जमा नहीं किया जाता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धारा *80* मुआवजे की जमा राशि को भी मान्यता देती है

मुआवजे के भुगतान के बराबर। धारा *34* के तहत भी

1894 के अधिनियम के अनुसार, भूमि खोने वाला, यथास्थिति, *9* प्रतिशत या *15* प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ मुआवजे का हकदार होगा।

यदि मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है या भूमि पर कब्जा करने से पहले जमा नहीं किया जाता है। इस प्रकार, "जमा" शब्द को "भुगतान" शब्द का पर्याय माना जाता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की धारा *31*

[2018] 2 एस सी आर।

1894 के अधिनियम में कहा गया है कि कलेक्टर पहली बार में इच्छुक व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करेगा और ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करेगा जब तक कि

उप में उल्लिखित कुछ या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा रोका गया *1894* के अधिनियम की धारा *31* की धारा *2*। तीन आकस्मिकताएँ हैं -

धारा *31* की उप-धारा *2* में पाया गया है जिसमें कलेक्टर इच्छुक व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान नहीं करेगा। , *(ए)* इच्छुक व्यक्ति प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देते हैं क्षतिपूर्ति; *(बी)* यदि कोई व्यक्ति भूमि को अलग करने के लिए सक्षम नहीं है; *(सी)* यदि स्वामित्व या मुआवजे के विभाजन के बारे में कोई विवाद है। यदि ऐसी कोई आकस्मिकता उत्पन्न होती है, तो कलेक्टर मुआवजे की राशि अदालत में जमा करेगा, जिसके लिए धारा *18* के तहत एक संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगा। यदि धारा *31* को धारा *34* के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जमा न करना या भुगतान न करना

क्षतिपूर्ति राज्य को निर्धारित ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाएगी। दूसरे शब्दों में, यदि कलेक्टर अदालत में मुआवजे की राशि जमा नहीं करता है जैसा कि धारा *31 (2)* के तहत विचार किया गया है।

1894 के अधिनियम के अनुसार, अधिक से अधिक इच्छुक व्यक्ति *9* प्रतिशत या *15* प्रतिशत के ब्याज के हकदार हो सकते हैं। इस तरह का कृत्य कोषागार में राशि जमा करने वाले कलेक्टर और धारा *31* की उप-धारा *2* में अनिवार्य रूप से न्यायालय में राशि जमा नहीं करने में कलेक्टर के ऐसे कार्य का परिणाम अत्यधिक नहीं हो सकता है।

अधिग्रहण की समाप्ति का परिणाम। *[* पारस *16,17] [205*-एफ-एच*;*

206 - ए-एफ*]*

3.1 भारत के संविधान का अनुच्छेद *283 (1)* यह आदेश देता है कि भारत की संचित निधि की अभिरक्षा से संबंधित मामले

और भारत की आकस्मिकता निधि, ऐसी निधियों में धन का भुगतान, उनसे धन की निकासी, ऐसी निधियों में जमा किए गए धन के अलावा अन्य सार्वजनिक धन की अभिरक्षा

भारत सरकार आदि द्वारा संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद *283 (2)* में कहा गया है कि राज्यों की समेकित निधियों आदि के समान मामलों को राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून द्वारा विनियमित किया जाना है। राज्यों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद *283 (2)* के अनुसार नियम बनाए हैं कि सार्वजनिक धन कैसे होना चाहिए। संभाल लिया। *1894* के अधिनियम की धारा *55* राज्य को अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। इंदौर विकास प्राधिकरण के अनुच्छेद *283 (2)* के अनुसार।

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

भारत के संविधान और *1894* के अधिनियम की धारा *55* के तहत असम, बिहार, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब जैसे विभिन्न राज्यों ने भुगतान के तरीके को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए हैं। क्षतिपूर्ति। यदि भूमि मालिक धन प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो वे सभी कोषागार में जमा करने का प्रावधान करते हैं।

मुआवजे के साथ-साथ ऐसे भूमि मालिकों को ऐसी जमा राशि के बारे में सूचित करने का नोटिस। ऐसा प्रतीत होता है कि पुणे नगर निगम के मामले में न्यायालय ने राज्यों द्वारा पारित ऐसे नियमों पर विचार नहीं किया जो लावारिस मुआवजे को जमा करने का निर्देश देते हैं

कोषागार में। *[* पैरा *18] [206*-जी-एच*; 207*-ए-बी*]*

3.2 विभिन्न राज्य नियम यह स्पष्ट करते हैं कि भुगतान

कोषागार में जमा करना और कुछ नहीं बल्कि मुआवजे के हकदार व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा नियमों के अनुसार किए गए प्रयासों के बाद भुगतान का एक अवशिष्ट तरीका है। नियमों में इस तरह के स्पष्ट प्रावधान का अस्तित्व और यह तथ्य कि इस न्यायालय ने पुणे नगर निगम में इनमें से किसी भी नियम पर विचार नहीं किया था, ने एक अनूठी स्थिति पैदा कर दी थी जहां नियम *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* और पुणे नगर निगम में इस न्यायालय द्वारा *1894* के अधिनियम की धारा *31 (2)* को दिए गए अर्थ के अनुरूप नहीं हैं। जबकि पुणे नगर निगम ने माना कि अधिग्रहण वैध रहने के लिए सभी अस्वीकार्य मुआवजे को अदालत में जमा किया जाना चाहिए, राज्यों ने अस्वीकार्य के लिए नियम बनाए हैं

राजस्व जमा के रूप में कोषागार में जमा किया जाने वाला मुआवजा। दोनों कानूनों और राज्य नियमों के संयुक्त अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि कोषागार में जमा को अवैध या अस्वीकार्य नहीं बनाया गया है। वास्तव में, कोषागार में जमा को इन राज्य नियमों द्वारा भुगतान के एक वैध साधन के रूप में अनुमति दी जाती है। राज्य के नियमों में राजस्व के रूप में कोषागार में जमा का प्रावधान है।

दिल्ली, धारा *31* के तहत अदालत में जमा का प्रावधान करता है *1894* अधिनियम को राजस्व या दीवानी अदालत में जमा के रूप में कोषागार में दर्ज किया जाना चाहिए। *1894* के भूमि अधिग्रहण अधिनियम *I* के तहत ली गई भूमि के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश नियमों के नियम *10* में न्यायालय में भुगतान किए गए धन को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में जमा करने का प्रावधान है

सिविल कोर्ट डिपॉजिट के रूप में, जिनके खाते अंततः कोषागार द्वारा रखे जाते हैं *(*उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी वित्तीय पुस्तिका के अध्याय *XV* के पैराग्राफ *355* के अनुसार*)*। इस प्रकार, यह स्थिति नहीं है कि न्यायालय में जमा राशि ही एकमात्र है

1894 के अधिनियम के तहत जमा का कानूनी रूप। क्षतिपूर्ति को अतीत में कोषागार में जमा किया जा रहा था, भले ही उसे अदालत में जमा किया गया हो। इस प्रकार, वह मुद्दा जहां मुआवजा जमा किया जाता है, प्रक्रिया का विषय है। जब राज्य के नियम और उच्च न्यायालय के नियम कोषागार में जमा की अनुमति देते हैं, तो इसका कारण यह है कि *1894* के अधिनियम की योजना के तहत, भुगतान या जमा करने में विफलता न्यायालय में धारा *31 (2)* के तहत केवल *1894* अधिनियम की धारा *34* के अनुसार ब्याज भुगतान आकर्षित करने का प्रभाव पड़ा। *[* पैरा *22 24] [210-*एच*; 211-*ए-ई*]*

हिसार इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम रुक्मिणी देवी और अन्र।

(1990) पूरक। *1* एस. सी. सी. *806-*पर निर्भर।

दामादीलाल बनाम। पाराश्रम एयर *1976* एससी *2229: (1976) 4*

एस. सी. सी. *855 [1976]* पूरक। एस. सी. आर. *645-*लागू नहीं होता है

जोगेश चंद्र बनाम। याकूब अली *29* आईसी *111 (*कैल*)*

-

संदर्भित किया गया।

4. "मुआवजे का भुगतान और "जमा"

मुआवजे का उपयोग उस उदाहरण का वर्णन करने के लिए किया गया है जहां राज्य भूमि मालिकों को उनका मुआवजा देता है। दोनों राज्य के दायित्व को दर्शाते हैं। धारा *31 (1)* के अनुसार, भूमि मालिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। धारा *31 (2)* के अनुसार, यदि भूमि मालिक मुआवजा प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देते हैं, तो राज्य जमा करेगा।

अदालत में। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई लाभार्थी प्रकट नहीं होता है

क्षतिपूर्ति एकत्र करने के लिए, राज्य को संबंधित राज्य नियमों के अनुसार कोषागार में क्षतिपूर्ति जमा करनी होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य ने प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के अपने दायित्व को छोड़ दिया है। यह हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि जो व्यक्ति निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, वे मुआवजा स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि ऐसे प्रभावित व्यक्तियों ने मुआवजा प्राप्त करने के लिए सहमति दी थी, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो सके

या किसी न किसी कारण से इसका पता नहीं चल सका। ऐसे हजारों लाभार्थी हो सकते हैं। ऐसे मामले में, कलेक्टर प्रत्येक लाभार्थी को व्यक्तिगत रूप से मुआवजा नहीं सौंप सकता है।

लेकिन पैसे भी उसके पास नहीं रख सकते।

उसे इसे इंदौर विकास प्राधिकरण *v* में रखना होगा। शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

कोषागार। वास्तव में, राज्य के नियम भूमि मालिकों को यह नोटिस देने के लिए बनाए गए हैं कि उनका मुआवजा दिया गया है।

न्यायालय के बजाय कोषागार में जमा किया गया। इसके आलोक में, यदि भूमि मालिक उपस्थित नहीं होते हैं तो राज्य कोषागार में मुआवजा जमा करता है तो कोई नुकसान या पूर्वाग्रह नहीं होता है। वास्तव में, न्यायालयों में जमा किए गए मुआवजे को अक्सर कोषागार में रखा जाता है। यह केवल प्रक्रिया का विषय है कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने वाले भूमि मालिक या मुआवजा प्राप्त करने से इनकार करने वाले भूमि मालिक कोषागार से अपना मुआवजा कहां लेंगे। *[* पैरा *28] [212*-एफ-एच*; 212*-ए-बी*]*

5. 1894 के अधिनियम में अदालत में मुआवजे की जमा राशि का निर्देश देने का उद्देश्य अनावश्यक विस्तार को रोकना था

कार्यवाही का, और धारा *34* के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए कलेक्टर के दायित्व का संचय, जब मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है या कब्जा लेने से पहले जमा नहीं किया जाता है। भूमि मालिक मुआवजा प्राप्त करने से इनकार करने के अपने स्वयं के कार्य का लाभ नहीं उठा सकते हैं, और तर्क देते हैं कि उन्हें कभी भी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, जब यह वास्तव में कोषागार में जमा किया गया है। एक बार जब राज्य कोषागार में धन जमा कर देता है, तो उसने अधिग्रहण करने और लाभार्थियों को उनका उचित मुआवजा देने का अपना प्रामाणिक इरादा दिखाया है। इस मामले में यह हो सकता है

शायद ही किसी चूक के लिए दंडित किया जाए, सिवाय इसके कि वह अधिनियम के तहत निर्धारित ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, व्यावहारिक

विचार यह स्पष्ट करते हैं कि कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से हजारों दावेदारों तक पहुंचने और उन्हें जल्द से जल्द व्यक्तिगत रूप से मुआवजे का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो सकता है। यह केवल उचित है कि कलेक्टर को मुआवजे को जमा करने की अनुमति दी जाए

6.1 यह नहीं कहा जा सकता है कि पुणे नगर निगम में निर्णय देखभाल की कमी या अज्ञानता के कारण दिया गया था। कुछ महत्वपूर्ण कारक। पर इनक्यूरियम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "देखभाल की कमी के माध्यम से" या असावधानी के माध्यम से *(*एक सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट का*)*।

[2018] 2 एस सी आर।

न्यायिक निर्णय*)* गलत निर्णय लिया गया, मुख्य रूप से क्योंकि न्यायाधीशों को लागू कानून के बारे में गलत जानकारी थी। "इनकुरिया" शब्द का शाब्दिक अर्थ है "लापरवाही"। एक निर्णय को इनक्यूरियम के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है यदि यह किसी गलती के माध्यम से किया जाता है, या किसी गलतफहमी के तहत किया

जाता है एक न्यायाधीश के निर्णय या एक उक्ति के लिए, जो एक भौतिक निरीक्षण का परिणाम है। यदि कानून में किसी भी प्रावधान पर विचार किए बिना दिया जाता है तो निर्णय, निर्णय या निर्णय प्रति इनक्यूरियम दिया जा सकता है।

जिसे न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था या यदि इसके अनुपात को सह-समान या बड़ी पीठ के पहले घोषित निर्णय के साथ जोड़ना संभव नहीं है; या यदि

उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के विचारों के अनुरूप नहीं है। एक निर्णय जो इनक्यूरियम के अनुसार तय किया गया था, उसका अदालत द्वारा पूर्ववर्ती के रूप में पालन नहीं किया जाना चाहिए। *[* पैरा *31,32] [212-*एच; *214-*ए-डी*]*

ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक *(1988) 2* एससीसी *602: [1988]*

1 पूरक। एस. सी. आर. *1;* सिद्धराम सतलिंगप्पा मेत्रे बनाम। राज्य

महाराष्ट्र *(2011) 1* एस. सी. सी. *694: [2010] 15*
एससीआर *201* पर भरोसा किया गया

6.2 पुणे नगर निगम में निर्णय नहीं था

इनक्यूरियम के अनुसार प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या पर विस्तार से आगे बढ़कर निष्कर्ष निकाला जाता है।

हालाँकि, उक्त निर्णय में न्यायालय द्वारा दिए गए कारण और निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुणे नगर निगम में न्यायालय नहीं था कोषागार में जमा किए जाने के संबंध में *1894* के अधिनियम की धारा *55* के तहत बनाए गए कुछ राज्यों के नियमों और उच्च न्यायालयों के कुछ नियमों के बारे में सूचित किया गया। हालांकि पुणे नगर निगम के मामले में नियमों का पालन नहीं किया जाता है।

9

यदि समग्र रूप से चर्चा पर विचार किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि न्यायालय ने उक्त निर्णय का निर्णय लेते समय, न्यायालय में जमा करने में विफलता के बारे में विस्तार से चर्चा की, साथ ही कोषागार में जमा के प्रभाव के बारे में भी। इसलिए, केवल इसलिए कि कुछ के नियम

राज्यों पर विचार नहीं किया जाता है, पुणे नगर निगम के फैसले को असंवेदनशीलता के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, केवल इसलिए कि निर्णय में नियमों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि नियमों के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है। सुखबीर सिंह के मामले में, न्यायालय ने दिल्ली, पंजाब और इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम द्वारा बनाए गए नियमों के प्रभाव पर विचार किया।

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

हरियाणा सरकार। लेकिन सुखबीर सिंह में दिया गया निष्कर्ष पुणे नगर निगम के फैसले के अनुरूप था। पुणे नगर निगम का फैसला इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस मुद्दे पर दिया गया पहला

फैसला है। इसलिए, यह भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि पुणे नगर निगम में निर्णय के अनुरूप नहीं है

इस न्यायालय द्वारा पहले दिए गए निर्णयों की प्रासंगिक पंक्ति। पुणे नगर निगम के फैसले को यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त फैसला लापरवाही या लापरवाही के कारण दिया गया है। इसलिए, उचित तरीका यह है कि मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा जाए। *[* पारस *35-38] [215-B-H]*

पुणे नगर निगम और अन्र. वी. हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी और अन्र। *(2014) 3* एससीसी *183: [2014] 1* एस. सी. आर. *783* को बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है।

संत लाल गुप्ता बनाम। मॉडर्न कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड *(2010) 13* एससीसी *336: [2010] 13* एससीआर *621*

उस पर भरोसा करें

श्री बालाजी नगर आवासीय संघ बनाम। की स्थिति
तमिलनाडु *(2015) 3* एससीसी *353: [2014] 7* एससीआर *799 -*

खारिज कर दिया।

7.1 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश राज्य को अधिग्रहण की कार्यवाही जारी रखने से रोकते हैं। इससे अवमानना के परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, कानूनी स्थिति

2013 अधिनियम की धारा *24 (2)* में ठहराव की अवधि के अपवर्जन या समावेश पर विधानमंडल की चूक के कारण राज्य के खिलाफ होने का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। श्री बालाजी ने फैसला सुनाया है कि विचाराधीन प्रावधान के लिए आकस्मिक छूट की आपूर्ति नहीं की जा सकती है। श्री बालाजी का निर्णय पद्म सुंदर राव पर निर्भर है। हालांकि, केसस ओमिसस की आपूर्ति नहीं करने का कारण उस मामले में अलग था। पद्म सुंदरा राव में, धारा *6 (1)* की भाषा और इसके प्रावधान ऐसे हैं, कि इसका उपयोग करना मुश्किल हो जाएगा।

परंतुक में दो परिसीमा अवधियों के बीच कोई अंतर, यदि परिसीमा अवधि के प्रारंभिक बिंदु को स्वयं धारा *4* अधिसूचना से एक अन्य अनिर्णित प्रारंभिक बिंदु में बदल दिया गया था। श्री बालाजी के तथ्यों के साथ-साथ वर्तमान मामले के तथ्यों में, हालांकि, धारा *24 (2)* की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के उद्देश्य को विफल कर सके।

[2018] 2 एस सी आर।

धारा यदि अंतरिम ठहराव की अवधि को बाहर रखा गया था। *[* पारस *51,52] [225-*एफ, जी-एच*; 226-*ए-बी*]*

श्री किशन दास और अन्य। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य। *(1995) 6* एस. सी. सी. *240* पर भरोसा किया।

7.2 कैसस ओमिसस का अर्थ है एक छोड़ दिया गया मामला। जब कोई क़ानून या लेखन का कोई साधन पूर्वावलोकन करने और प्रदान करने का उपक्रम करता है

कुछ आकस्मिकताओं के लिए, और गलती के माध्यम से, या कुछ अन्य

कारण, एक मामले के लिए प्रदान किया जाना बाकी है, इसे एक केसस ओमिसस कहा जाता है। केसस ओमिसस की आपूर्ति करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कोई कम पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। यदि आवश्यकता हो तो इस तरह की चूक का अनुमान लगाया जा सकता है। कानून में शब्दों के व्याकरणिक और सामान्य अर्थ का तब तक पालन किया जाना चाहिए जब तक कि यह बाकी शब्दों के साथ बेतुकेपन, तिरस्कार या असंगतता का कारण न बने।

यंत्र। पद्म सुंदरा राव के मामले में संविधान पीठ ने कहा कि "स्पष्ट आवश्यकता होने पर और जब इसका कारण क़ानून के चारों कोनों में ही पाया जाता है" तो केसस मिसिस की आपूर्ति की जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि केसस ओमिसस का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए, "किसी क़ानून या धारा के सभी भागों का एक साथ अर्थ लगाया जाना चाहिए और किसी धारा के प्रत्येक खंड का अर्थ संदर्भ और उसके अन्य खंडों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए ताकि किसी विशेष प्रावधान पर रखा जाने वाला निर्माण पूरे क़ानून का सुसंगत अधिनियमन करे।" यह स्पष्ट रूप से लागू होता है हाथ में मामले के तथ्य। आवश्यकता और निरंतरता की आवश्यकता के कारण *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में कैसस ओमिसस की आपूर्ति की जानी चाहिए। निस्संदेह, कानून बनाने की शक्ति विधानमंडल के पास रहती है। यदि अधिनियम का कोई प्रावधान असंगत है या

2013 के अधिनियम में कई प्रावधान हैं जो अंतरिम ठहराव की अवधि को बाहर करते हैं, जैसे कि धारा *19 (7)* और उस अधिनियम की धारा *69 (2)* का स्पष्टीकरण। यह क़ानून को केवल तभी अधिक सुसंगत बनाता है जब धारा *24 (2)* को अन्य प्रावधानों के आलोक में पढ़ा जाए। जैसे धारा *19 (7)* और धारा *69 (2)* का स्पष्टीकरण, जो अंतरिम स्थगन आदेशों को अवधि की गणना करने के लिए अपवाद बनाते हैं

अधिनियम के तहत समय। इस तरह, बाकी क़ानून के साथ असहमति और विसंगति से बचा जाता है। इंदौर विकास प्राधिकरण की धारा *24 (2)* में अंतरिम रोक के अपवर्जन को पढ़ने की स्पष्ट आवश्यकता है।

शैलेंद्र *(मृत)* एलआरएस के माध्यम से।

2013 अधिनियम बनाएँ ताकि इसका अर्थ शेष अधिनियम के साथ सुसंगत हो, जहां समान स्थितियों में ठहरने की अवधि को बाहर रखा गया है। *[* पारस *54-56] [226-D-F; 228-A-F]*

पद्म सुंदर राव बनाम। तमिलनाडु राज्य *(2002) 3* एस. सी. सी. *533 [2002] 2* एस. सी. आर. *383;* शिव शक्ति सहकारी समिति।

हाउसिंग सोसाइटी, नागपुर बनाम। स्वराज डेवलपर्स और ओआरएस। *(2003) 6* एससीसी *659: [2003] 3* एस. सी. आर. *762;* भारत संघ बनाम। धरमेंद्र टेक्सटाइल प्रोसेसर *(2008) 13* एस. सी. सी. *369: [2008] 14* एस. सी. आर. *13;* डॉ. मंजुला क्रिपेंडॉर्फ बनाम। राज्य *(*एन. सी. टी. दिल्ली सरकार*)* और ए. एन. आर. *2017 (8)* स्केल *112;* भारत संघ बनाम। शिव राज *(2014) 6* एससीसी *564: [2014] 8* एस. सी. आर. *751;* मैगनम प्रवर्तक बनाम। भारत संघ

(2015) 3 एस. सी. सी. *327;* सी. आई. टी. बनाम। राष्ट्रीय ताज व्यापारी *(1980) 1* एस. सी. सी. *370: [1980] 2* एस. सी. आर. *268*-संदर्भित।

7.3 कोई भी वादी न्यायालय में केवल मामले के लंबित रहने से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अंतरिम आदेश हमेशा विलय हो जाता है।

मामले में पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश में और यदि रिट याचिका अंततः खारिज कर दी जाती है, तो अंतरिम आदेश रद्द हो जाता है।

स्वतः। किसी पक्ष को अंतरिम आदेश प्राप्त करके और न्यायालय को दोष देकर अपनी गलतियों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अंततः, यदि रिट याचिका किसी भी योग्यता से रहित पाई जाती है, तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, न्यायालय न्यायालय के अधिनियम द्वारा किसी पक्ष के साथ किए गए गलत कार्य को पूर्ववत करने के लिए बाध्य है। न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा प्राप्त किसी भी अनुचित या अनुचित लाभ को बेअसर किया जाना चाहिए।

के रूप में मुकदमेबाजी की संस्था को किसी भी प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

न्यायालय के अधिनियम द्वारा विलंबित कार्रवाई से एक दावेदार पर लाभ। यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि बेईमानी या कोई भी प्रयास

कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जाना चाहिए और न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके किसी के लिए कोई गलत, अनधिकृत या अन्यायपूर्ण लाभ न हो। किसी को भी कमाई के लिए न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अनुचित लाभ के लिए अनुचित लाभ। न्यायालयों की निरंतरता

यह सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिए कि सभी के साथ न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार हो। एक्टस क्यूरी नेमेनेमेग्रेविट ", या यह सिद्धांत कि न्यायालय का कोई कार्य किसी भी पक्ष को पूर्वाग्रहित नहीं कर सकता है, कानून का एक स्थापित सिद्धांत है। *[* पारस *57-58] [228-G-H; 229-A-B]*

अमरजीत सिंह बनाम। देवी रतन *(2010) 1* एस. सी. सी. *417* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2018] 2 एस सी आर।

: [2009] 15 एससीआर *1010;* ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और अन्न। *(1988) 2* एससीसी *602: [1988] 1* पूरक। एससीआर *1*

पर भरोसा किया।

7.4 भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कार्यवाही में अक्सर यह मामला होता है कि प्रभावित पक्ष अधिग्रहण की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हैं जब तक कि मामला अंतिम रूप नहीं ले लेता। एक

अंतरिम रोक राज्य को भूमि अधिग्रहण करने और अधिनियम के तहत बाद की प्रक्रिया का पालन करने से रोकती है, चाहे वह

अधिसूचनाओं का प्रकाशन, पुरस्कार देना, अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेना, या मुआवजे का भुगतान और जमा करना। यदि राज्य स्थगन आदेश का पालन नहीं करता है, तो इसे अवमानना के लिए रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में, मामले को अंतिम रूप देने में महीनों और वास्तव में वर्षों का समय लग सकता है, जिसके दौरान राज्य को अधिग्रहण की कार्यवाही करने से रोका जाता है। किसी मामले में, मामले को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश, डिवीजन के माध्यम से पारित होने में पांच से दस साल या उससे अधिक समय लग सकता है। उच्च न्यायालय की पीठ, और अंत में सर्वोच्च न्यायालय, या यहाँ तक कि किसी बिंदु पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया। कब्जा लेने और भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान करने में कई साल लग सकते हैं। राज्य लेने से वंचित है

बिना अपनी गलती के अधिकार। केसस ओमिसस की आपूर्ति करने में विफल रहने से ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जहां अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

अधिग्रहण या कानूनी कार्यवाही में लगातार देरी। मुकदमेबाजी के सभी पक्षों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। यह अधिनियम के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा यदि राज्य को बिना किसी गलती के अधिग्रहण पूरा करने से रोक दिया जाता है, जबकि निश्चित रूप से अवसरवादी वादी भूमि को कानूनी रूप से अधिग्रहण करने के राज्य के प्रयासों को विफल करना चाहते हैं। वास्तव में, जब विधानमंडल ने उसी अधिनियम के अन्य प्रावधानों में अंतरिम स्थगन आदेशों को बाहर कर दिया है,

ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस न्यायालय को इन्हें लागू करने से रोकता है *2013* अधिनियम की धारा *24 (2)* को सामान्य रूप से अपवर्जन। इस प्रकार, इंदौर विकास प्राधिकरण *v* के लिए अंतरिम ठहराव की अवधि को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाना चाहिए।

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

2013 अधिनियम की धारा *24 (2)* के तहत समय अवधि की गणना के उद्देश्य। यह तब होता है कि एक विशिष्ट की अनुपस्थिति विधानमंडल द्वारा धारा *24 (2)* में संशोधन से अवधि को हटाने पर कानूनी स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पड़ता है।

पाँच वर्ष की गणना के उद्देश्यों के लिए अंतरिम रोक

2013 अधिनियम की धारा *24 (2)*। दूसरे शब्दों में, पांच साल की अवधि में अनिवार्य रूप से स्थगन आदेश की ऐसी अवधि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। *[* पारस *59-62] [229-A-C; 230-A-E]*

मामला कानून संदर्भ

मिश्रा, जे. *(*अपने लिए और अपने लिए*)*

पर एरुन

आदर्श कुमार गोयल, जे.*)*

इनक्यूरियम के अनुसार

(2014) 3 एससीसी *183*

पैरा *1*

(2015) 3 एस. सी. सी. *353*

खारिज कर दिया गया

पैरा *2*

[1962] पूरक। एससीआर *618*

उस पर भरोसा करें

पैरा *34*

उस पर भरोसा करें

पैरा *34*

ए. आई. आर *1965* एस. सी. *1503*

(1971) 1 एस. सी. सी. *337*

उस पर भरोसा करें

पैरा *37*

[1964] एससीआर *579*

पैरा *38*

उस पर भरोसा करें

[1953] एससीआर *533*

उस पर भरोसा करें

पैरा *41 (*बी*)*

[2008] 14 एससीआर *419*

पैरा *41 (*बी*)*

उस पर भरोसा करें

[1990] 1 पूरक। एससीआर *590*

पैरा *41 (*बी*)*

उस पर भरोसा करें

[1982] 1 एससीआर *55*

पैरा *41 (*बी*)*

उस पर भरोसा करें

[1998] 2 एससीआर *56*

उस पर भरोसा करें

पैरा *41 (*बी*)*

[2010] 11 एससीआर *112*

पैरा *41 (*बी*)*

उस पर भरोसा करें

[2004] 2 पूरक। एससीआर *723*

पैरा *41 (*बी*)*

उस पर भरोसा करें

पैरा *41 (*बी*)*

[1990] 1 एससीआर *483*

उस पर भरोसा करें

[2007] 8 एससीआर *136*

पैरा *41 (*बी*)*

उस पर भरोसा करें

[1959] पूरक। एससीआर *489*

पैरा *41 (*बी*)*

उस पर भरोसा करें

[1982] एससीआर *365*

उस पर भरोसा करें

पैरा *41 (*बी*)*

पैरा *41 (*बी*)*

[2001] 2 पूरक। एससीआर *60*

उस पर भरोसा करें

[1954] एससीआर *913*

उस पर भरोसा करें

पैरा *44*

[1996] 9 पूरक। एससीआर *707*

उस पर भरोसा करें

पैरा *44*

[2002] 1 एससीआर *83*

उस पर भरोसा करें

पैरा *44 [2018] 2* एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2002] 5 पूरक। एससीआर *387*

उस पर भरोसा करें

पैरा *44*

(1987) 1 एस. सी. सी. *606*

उस पर भरोसा करें

पैरा *45*

[2002] 2 एससीआर *369*

उस पर भरोसा करें

पैरा *49 (*टी

[1955] एससीआर *842*

पैरा *51 (*टी

संदर्भित किया गया है

[1989] 1 एससीआर *570*

पैरा *51 (*टी

संदर्भित किया गया है

[2003] 1 एससीआर *1159*

पैरा *51 (*सी.

संदर्भित किया गया है

(1993) पूरक। *2* एससीसी *493*

पैरा *51 (*सी.

संदर्भित किया गया है

[2003] 2 एससीआर *1*

पैरा *51 (*सी.

संदर्भित किया गया है

[2010] 3 एससीआर *847*

पैरा *51 (*सी.

संदर्भित किया गया है

[2002] 2 एससीआर *945*

पैरा *51 (*सी.

संदर्भित किया गया है

पैरा *51 (*सी.

[1999] 2 एससीआर *1111*

संदर्भित किया गया है

[2001] 2 एससीआर *36*

पैरा *51 (*सी.

संदर्भित किया गया है

पैरा *51 (*सी.

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर *1964* एस. सी *1687* *[2016] 5* एससीआर *227*

पैरा *59*

आंशिक रूप से असहमत

(1969) 3 एस. सी. सी. *392*

उस पर भरोसा करें

पैरा *69*

[1980] 3 एस. सी. आर. *17*

उस पर भरोसा करें

पैरा *70*

[1998] 3 एससीआर *1088*

उस पर भरोसा करें

पैरा *70*

[1955] एससीआर *1140*

उस पर भरोसा करें

पैरा *70*

[2010] 13 एससीआर *311*

उस पर भरोसा करें

पैरा *70*

[2011] 15 एससीआर *540*

उस पर भरोसा करें

पैरा *70*

[2012] 7 एससीआर *909*

उस पर भरोसा करें

पैरा *70*

[2016] 5 एससीआर *227*

उस पर भरोसा करें

पैरा *71*

उस पर भरोसा करें

ए. आई. आर *1990* एस. सी. *2033*

पैरा *72*

[1995] 3 पूरक। एससीआर *584*

उस पर भरोसा करें

पैरा *73*

[1996] 1 एससीआर *1058*

उस पर भरोसा करें

पैरा *74*

[1997] 3 एससीआर *1096*

उस पर भरोसा करें

पैरा *75*

उस पर भरोसा करें

2018 (1) स्केल *174*

पैरा *77* इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

आकाशवाणी *1936* पी. सी. *253 (2)*

उस पर भरोसा करें

पैरा *78*

[1995] 5 पूरक। एससीआर *448*

पैरा *81 (*ए*)*

उस पर भरोसा करें

पैरा *81 (*बी*)*

[1996] 7 पूरक। एससीआर *6*

उस पर भरोसा करें

पैरा *81 (*सी*)*

[1995] 4 पूरक। एससीआर *787*

उस पर भरोसा करें

[1996] 2 एससीआर *638*

उस पर भरोसा करें

पैरा *81 (*सी*)*

[1957] एससीआर *1*

पैरा *81 (*डी*)*

उस पर भरोसा करें

पैरा *81 (*सी*)*

[1996] 1 पूरक। एससीआर *799*

उस पर भरोसा करें

[2011] 5 एससीआर *460*

पैरा *81 (*एफ*)*

उस पर भरोसा करें

[1975] पूरक। एससीआर *250*

पैरा *87 (*ए*)*

उस पर भरोसा करें

पैरा *87 (*बी*)*

[2010] 12 एससीआर *1184*

उस पर भरोसा करें

[2011] 7 एससीआर *435*

पैरा *87 (*सी*)*

उस पर भरोसा करें

[1995] 5 पूरक। एससीआर *451*

पैरा *87 (*डी*)*

उस पर भरोसा करें

[1996] 2 एससीआर *643*

पैरा *87 (*ई*)*

उस पर भरोसा करें

[2005] 1 एससीआर *545*

पैरा *87 (*एफ*)*

उस पर भरोसा करें

[2011] 14 एससीआर *1113*

पैरा *87 (*जी*)*

उस पर भरोसा करें

[2009] 14 एससीआर *507*

पैरा *87 (*एच*)*

उस पर भरोसा करें

[2010] 15 एस. सी. आर. *303*

पैरा *87 (i)*

उस पर भरोसा करें

(2015) 17 एससीसी *1*

पैरा *87 (*जे*)*

उस पर भरोसा करें

[2011] 6 एससीआर *443*

प्रतिष्ठित

पैरा *87 (*मी*)*

(2015) 4 एससीसी *325*

खारिज कर दिया गया

पैरा *89*

(2017) 6 एस. सी. सी. *787*

उस पर भरोसा करें

पैरा *94*

[2007] 5 एससीआर *729*

उस पर भरोसा करें

पैरा *95*

[2005] 4 पूरक। एससीआर *535*

उस पर भरोसा करें

पैरा *96*

[2014] 8 एससीआर *751*

सही कानून नहीं

पैरा *102*

[1997] 3 एससीआर *931*

उस पर भरोसा करें

पैरा *105*

[2010] 2 एससीआर *447*

उस पर भरोसा करें

पैरा *105 (*बी*)*

[1990] 1 एससीआर *186*

पैरा *105 (*डी*)*

[2018] 2 एस. सी. पर निर्भर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1988] 2 पूरक। एससीआर *528*

उस पर भरोसा करें

पैरा *105*

[2001] 1 पूरक। एससीआर *115*

उस पर भरोसा करें

पैरा *105*

[1959] पूरक। एस. सी. आर. *239*

उस पर भरोसा करें

पैरा *105*

[2002] 2 एससीआर *383*

प्रतिष्ठित

पैरा *111*

[1996] 1 एससीआर *698*

उस पर भरोसा करें

पैरा *111*

[1996] 5 पूरक। एससीआर *222*

उस पर भरोसा करें

पैरा *111*

[2013] 14 एससीआर *58*

उस पर भरोसा करें

पैरा *113*

[2008] 17 एससीआर *120*

उस पर भरोसा करें

पैरा *113*

[1999] 3 एससीआर *594*

उस पर भरोसा करें

पैरा *115*

[1973] 1 एससीआर *822*

उस पर भरोसा करें

पैरा *116*

[1999] 2 पूरक। एससीआर *754*

उस पर भरोसा करें

पैरा *118*

[2000] 2 एससीआर *871*

उस पर भरोसा करें

पैरा *119*

[2002] 2 एससीआर *1093*

उस पर भरोसा करें

पैरा *121*

[2004] 6 पूरक। एससीआर *282*

उस पर भरोसा करें

पैरा *122*

[1975] 1 एससीआर *504*

उस पर भरोसा करें

पैरा *123*

[2005] 1 पूरक। एससीआर *49*

उस पर भरोसा करें

पैरा *124*

(1998) 3 एससीसी *376*

उस पर भरोसा करें

पैरा *131*

(2005) 8 एस. सी. सी. *423*

उस पर भरोसा करें

पैरा *131*

[1992] 2 एससीआर *378*

उस पर भरोसा करें

पैरा *131*

(1980) 2 एससीसी *191*

उस पर भरोसा करें

पैरा *131*

[1995] 1 एससीआर *543*

उस पर भरोसा करें

पैरा *131*

[2009] 15 एससीआर *1010*

उस पर भरोसा करें

पैरा *131*

[2004] 1 एससीआर *965*

उस पर भरोसा करें

पैरा *131 (*

[1988] 1 पूरक। एससीआर *1*

उस पर भरोसा करें

पैरा *131*

[2013] 12 एससीआर *674*

पैरा *131*

पीछा किया।

[1975] पूरक। एससीआर *365*

प्रतिष्ठित

पैरा *132*

[2006] 3 पूरक। एससीआर *548*

उस पर भरोसा करें

पैरा *134* इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

[2003] 4 पूरक। एससीआर *651*

उस पर भरोसा करें

पैरा *140 (*ए*)*

[2012] 2 एससीआर *1127*

पैरा *140 (*बी*)*

उस पर भरोसा करें

[2012] 4 एससीआर *74*

उस पर भरोसा करें

पैरा *140 (*सी*)*

(2011) 8 एससीसी *161*

पैरा *140 (*सी*)*

उस पर भरोसा करें

[2006] 2 एससीआर *390*

पैरा *140 (*डी*)*

उस पर भरोसा करें

[2011] 2 एससीआर *1142*

प्रतिष्ठित

पैरा *144 (*ए*)*

पैरा *144 (*ए*)*

[1995] 5 पूरक। एससीआर *790*

प्रतिष्ठित

(2014) 6 एस. सी. सी. *586*

पैरा *145 (*डी*)*

प्रतिष्ठित

(2014) 6 एस. सी. सी. *583*

पैरा *145 (*ई*)*

प्रतिष्ठित

(2015) 3 एस. सी. सी. *327*

पैरा *145 (*एफ*)*

संदर्भित किया गया है

(2015) 8 एस. सी. सी. *544*

पैरा *145 (*एच*)*

संदर्भित किया गया है

(2016) 15 एस. सी. सी. *464*

पैरा *145 (i)*

संदर्भित किया गया है

(2016) 14 एस. सी. सी. *746*

उस पर भरोसा करें

पैरा *145 (*के*)*

(2016) 12 एस. सी. सी. *504*

पैरा *145 (1)*

संदर्भित किया गया है

(2015) 3 एस. सी. सी. *341*

पैरा *145 (*मी.*)*

संदर्भित किया गया है

(2016) 7 एस. सी. सी. *614*

पैरा *147 (ए)*

संदर्भित किया गया है

[1975] 3 एससीआर *834*

पैरा *147 (*बी*)*

संदर्भित किया गया है

[1988] 1 पूरक। एससीआर *1*

पैरा *147 (*बी*)*

संदर्भित किया गया है

(1991) 4 एस. सी. सी *139*

पैरा *147 (*सी*)*

संदर्भित किया गया है

[1988] 2 पूरक। एससीआर *929*

पैरा *147 (*डी*)*

संदर्भित किया गया है

[2010] 13 एससीआर *621*

संदर्भित किया गया है

पैरा *148*

पर मोहन एम.

शांतनागौदर, जे। *:*

[2014] 7 एससीआर *799*

खारिज कर दिया गया

पैरा *1*

[2014] 1 एससीआर *783*

पुनर्विचार की जरूरत

पैरा *2*

बड़ी बेंच से

[1995] 5 पूरक। एससीआर *790*

पैरा *7*

संदर्भित किया गया है

[2011] 2 एससीआर *1142*

संदर्भित किया गया है

पैरा *7 [2018] 2* एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8 एससीआर *751*

[2014]

संदर्भित किया गया है

पैरा *7*

(2015) 3 एससीसी *206*

पैरा *7*

संदर्भित किया गया है

(2015) 8 एस. सी. सी. *544*

पैरा *7*

संदर्भित किया गया है

[2016] 5 एससीआर *227*

पैरा *8*

संदर्भित किया गया है

(2016) 15 एस. सी. सी. *464*

संदर्भित किया गया है

पैरा *9*

(2014) 6 एस. सी. सी. *586*

संदर्भित किया गया है

पैरा *10*

(2014) 6 एस. सी. सी. *583*

पैरा *11*

संदर्भित किया गया है

(2016) 12 एस. सी. सी. *487*

पैरा *11*

संदर्भित किया गया है

[1994] 2 पूरक। एससीआर *122*

उस पर भरोसा करें

पैरा *13*

[1990] सप. *1* एस. सी. सी. *806*

उस पर भरोसा करें

पैरा *25*

[1976] पूरक। एससीआर *645*

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा *27*

[1988] 1 पूरक। एससीआर *1*

उस पर भरोसा करें

पैरा *33*

[2010] 15 एससीआर *201*

उस पर भरोसा करें

पैरा *34*

[2010] 13 एससीआर *621*

उस पर भरोसा करें

पैरा *38*

[2002] 2 एससीआर *383*

संदर्भित किया गया है

पैरा *46*

[2003] 3 एससीआर *762*

पैरा *46*

संदर्भित किया गया है

[2008] 14 एससीआर *13*

संदर्भित किया गया है

पैरा *46*

2017 (8) स्केल *112*

संदर्भित किया गया है

पैरा *46*

[2014] 8 एससीआर *751*

पैरा *47*

संदर्भित किया गया है

(2015) 3 एस. सी. सी. *327*

संदर्भित किया गया है

पैरा *47*

(1995) 6 एससीसी *240*

उस पर भरोसा करें

पैरा *50*

[1980] 2 एससीआर *268*

पैरा *55*

संदर्भित किया गया है

[2009] 15 एससीआर *1010*

उस पर भरोसा करें

पैरा *57*

[1988] 1 पूरक। एससीआर *1*

उस पर भरोसा करें

पैरा *58*

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. *20*

2017 से।

उच्च न्यायालय के *03.11.2014* दिनांकित निर्णय और आदेश से

मध्य प्रदेश की, इंदौर की पीठ ने *20* इंदौर विकास प्राधिकरण की रिट अपील संख्या *166* बनाम.

शैलेंद्र *(*मृत*)* एलआरएस के माध्यम से।

के साथ

2008 की विशेष अनुमति याचिका *(*सी*)* संख्या *10742*।
विशेष अनुमति याचिका *(*सी*)* सं। *20920* , *26574-26575* और *28993*

2011 से।

विशेष अनुमति याचिका *(*सी*)* सं। *30198* , *30192* , *30142* , *30128* , *30203* , *25289* , *22356* , *31678* , *22527* , *30577-30580* , *27389* , *27383* और *2015* का *34787*।

विशेष अवकाश याचिका *(*सी*)*। *2016* का सीसी सं. *9842*।
2017 की विशेष अनुमति याचिका *(*सी*).* डायरी संख्या *24901*।

विशेष अनुमति याचिका *(*सी*)* सं। *4705* , *38290* , *9571* , *15127* , *15144* , *15131* , *15139* , *16425* , *15117* , *15140* , *15113* , *16438* , *15119* , *15126* , *15125* , *15118* , *15124* , *15112* , *11824* , *15143* , *15141* , *15142* , *17324* , *38368* , *23846* , *23097* , *19804-19805* , *22127-22128* और *2016* का *21997-21998*। विशेष अनुमति याचिका *(*सी*)* सं। *10190-10200* , *15213-15217* और *2017* का *5182-5184*।

डब्ल्यू. पी. *(*ग*) 2017* का *No.602*।

बी. के. सतीजा, अनिल ग्रोवर, अजय बंसल, बीरेंद्र कुमार चौधरी, अमित कुमार, हेमंत गुप्ता, अनीश कुमार गुप्ता, एएजी, सुश्री इंदु

मल्होत्रा, पी. एस. पटवालिया, अमरेंद्र शरण, नरेंदर हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , तनवीर नायर, सुश्री राखी मोहंती, प्रशांत सिंह, संदीप छाबड़ा, विकास मेहता, गौरव यादव, संजय कुमार। विसेन, सुश्री नताशा डालमिया, सुश्री

हर्षिका वर्मा, ध्रुव श्योराण, श्रीमती मीनाक्षी अरोड़ा, सुश्री मोनिशा हांडा, अंकित जैन, मोहित डी. राम, विष्णु बी. सहारिया, विरेश बी. सहारिया, मेसर्स सहारिया एंड कंपनी, श्रीमती वीणा बंसल, धीरज गुप्ता, रणबीर यादव, अंजू के. वर्की, अभिषेक यादव, ए. कादरी, जुबैर अहमद खान, जैद अली, तमीम कादरी, मुदासिर नबी, सईद कादरी, एल. आर. सिंह, अश्विनी कुमार, रविंदर नैना, नवीन कुमार, पीयूष हंस, अनीश कुमार गुप्ता, विश्व पाल सिंह, पुनीत जैन, सुश्री क्रिस्टी जैन, पंकज शर्मा, अभिनव गुप्ता, सुश्री अंकिता गुप्ता, सुश्री प्रियल जैन,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पराशाद, कुलदिप सिंह, सिद्धार्थ सिंगला, लक्ष्मी रमन सिंह, संजय कपूर, बलदेव अत्रेया, दीपक गोयल, कमल कुमार पांडे, प्रशांत त्यागी, डी. पी. मोहंती, अभिराम नाइक, सार्थक गौर, मेसर्स पारेख एंड कंपनी, दीपक ठुकराल, पीयूष हंस, सुश्री मोनिशा हांडा, अंकित जैन, अंकित स्वरूप, दुष्यंत तिवारी, चंद्र शेखर सुमन, आर. के. राजवंशी, अवधेश कुमार सिंह, सुश्री दीपशिखा भारती, सुश्री रीता गुप्ता, समर विजय सिंह, अंकुर मित्तल, अविनाश जैन, सतीश कुमार, सुश्री नूपुर सिंघल, मिश्रा सौरभ, अंकित कृष्ण। लाल, डॉ. हंस राज यादव, शैलेंद्र के. यादव, बृज भूषण, सुश्री रश्मि चोपड़ा, सुश्री आसिया, सिद्धार्थ मित्तल, नयन नेपाल, डी. के. शर्मा, सुश्री मोनिका शर्मा, रोहित वत्स, राजेश सहारन, ब्रज किशोर मिश्रा, सुश्री अपर्णा झा, डॉ. एम. एस. वर्मा, एन. एन. झा, कैलाश मुद्गल, श्रीमती संतोष सिंह, राकेश कुमार, केदार नाथ त्रिपाठी, विशाल चौहान, सुश्री रचना श्रीवास्तव, सुकृत आर. कपूर, नित्या मधुसूदनन, संदीप नारायण, *Ms.Anjali* अग्रवाल, राजेश भारद्वाज, मेसर्स <आईडी*2 &* कंपनी, सौरभ मिश्रा, ओंकार सिंह, जितेंद्र वशिष्ठ, पुनीत शर्मा, पंकज शर्मा, पुनीत सुश्री देविका मोहन, सुश्री पारुल शुक्ला, ई. सी. अग्रवाल, हर्षा पीचारा, आशीष तिवारी, अर्जुन कृष्णन, राकेश कुमार, के. एन. त्रिपाठी, दुष्यंत पाराशर, अरुण शर्मा, अमित आंदले, सुश्री तातिनी बसु, आदित्य सोनी, श्रीमती मयंक दत्ता, श्री पाल सिंह, अतुल कुमार, सुश्री स्वीटी सिंह, सुश्री अर्चना कुमारी, राहुल पांडे, सुमित बंसल, सुश्री ऋचा ओबेरॉय, प्रतीक कोहली, गगन गुप्ता, अंकित स्वरूप, सुश्री अनु गुप्ता, कमल मोहन गुप्ता, अतुल कुमार, सिद्धार्थ मित्तल, पुनीत दत्त त्यागी, सुभाशीष भौमिक, प्रदीप मिश्रा, राव रंजीत, सिबो उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय और आदेश दिए गए थे

द्वारा

अरुण मिश्रा, जे. *1.* इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम।

एलआर के माध्यम से शैलेंद्र *(मृत)*। *&* अन्य *[2017* का सी. ए. <आई. डी. *1]* पुणे नगर निगम और ए. एन. आर. के निर्णय की शुद्धता। वी. हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी *[2014 (3)* एस. सी. सी. *183]* पर संदेह किया गया है। मुख्य मुद्दा निष्पक्षता के अधिकार की धारा *24* की व्याख्या है

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और आई. डी. ओ. आर. विकास प्राधिकरण में क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता *v.*

अनुपूरक अधिनियम, *2013 (*संक्षेप में, *'2013* का अधिनियम*')* और अधिग्रहण अधिनियम, *1894* की धारा *31 (*संक्षेप में, *'1894* का अधिनियम*')*।*2.* योगेश नीमा और ओआरएस में। वी. एम. पी. और अन्य का राज्य। *[* एस. एल. पी *[सी] 2008* का *0742] 12.1.2016* के आदेश के अनुसार, उस अन्य प्रश्न को देखते हुए,

अय निस्संदेह प्रश्न संख्या के रूप में माना जाता है। *IV* और *V*

संदर्भित किया गया।

विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैंः *I.* अनुभाग में 'भुगतान'/'निविदा' अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है*?*

24 2013 के अधिनियम और *1894* के अधिनियम की धारा *31?*

क्या *1894* के अधिनियम की धारा *31 (2)* के तहत अदालत में मुआवजे को जमा न करने के परिणामस्वरूप अधिग्रहण में चूक हो जाती है।

धारा के तहत मुआवजे की पेशकश की गई है और उसे अस्वीकार कर दिया गया है *31 (1) 1894* के अधिनियम और *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)?* क्या ऐसे व्यक्ति इनकार करने के बाद उनका लाभ उठा सकते हैं

गलत/आचरण*?*

II. भौतिक कब्जा लेने का तरीका जैसा कि नीचे विचार किया गया है

1894 के अधिनियम की धारा *24 (2)*।

III. क्या *2013* के अधिनियम की धारा *24* वर्जित और बासी को पुनर्जीवित करती है

दावे*?*

IV. क्या पैराग्राफ *11* में संदर्भित सचेत चूक

श्री बालाजी नगर आवासीय में निर्णय एसोसिएशन वी। तमिलनाडु राज्य *[(2015) 3* एस. सी. सी. *353]* एक अंतरिम अवधि के बहिष्करण या समावेश के संबंध में कानूनी स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अंतर करता है।

के निर्धारण के उद्देश्य से न्यायालय का आदेश

2013 अधिनियम की धारा *24 (2)* की प्रयोज्यता*?*

V.Whether "एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट" का सिद्धांत,

अर्थात् न्यायालय के अधिनियम को किसी भी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए जो वर्तमान मामले में *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में विचार के अनुसार कब्जा लेने के संबंध में प्रश्न का निर्धारण करने के उद्देश्य से एक अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को बाहर करने के लिए लागू होगा*?*

इन रेः प्रश्न संख्या *1*

3. प्रश्न जिसका अर्थ में उल्लेख किया गया है

2013 के अधिनियम की धारा *24* में प्रयुक्त 'भुगतान' अभिव्यक्ति और *1894* के अधिनियम की धारा *31 (1)* में प्रयुक्त 'निविदा' अभिव्यक्ति जब *1894* के अधिनियम की धारा *31 (2)* के तहत जमा करना आवश्यक है, तो क्षतिपूर्ति स्वीकार करने से इनकार करने का प्रभाव और

क्या कोषागार में जमा करने की अनुमति है और न्यायालय में क्षतिपूर्ति जमा न करने का प्रभाव है।

4. उत्तर दिए जाने वाले विभिन्न प्रश्नों की सराहना करने के लिए, पहले अधिनियम में निहित प्रावधानों पर विचार करना उचित है *1894* पुरस्कार के पारित होने के संबंध में, इसके संचार और भुगतान के साथ; निम्नलिखित उसी का एक 'विहंगम दृश्य' है।

अधिनियम और संबंधित प्रावधानों की योजनाः

5. धारा *4* के तहत अधिसूचना और *1894* के अधिनियम के तहत धारा *6* के तहत घोषणा जारी होने के बाद, कलेक्टर से यह आवश्यक है कि -

धारा *11* के तहत एक पुरस्कार पारित करने के लिए आगे बढ़ें। धारा *12* कलेक्टर से ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को पुरस्कार की तत्काल सूचना देने की अपेक्षा करती है जो व्यक्तिगत रूप से या उनके प्रतिनिधियों द्वारा पुरस्कार के समय उपस्थित नहीं होते हैं।

बनाया जाता है। धारा *16* धारा *11* के तहत अधिनिर्णय दिए जाने के बाद भूमि पर कब्जा करने की कलेक्टर की शक्ति से संबंधित है। यह कलेक्टर के लिए भूमि का कब्जा लेने के लिए खुला है, जो इसके बाद पूरी तरह से सरकार में निहित होगा। धारा *16* यहाँ नीचे निकाली गई हैः

"16. कब्जा लेने की शक्ति-जब कलेक्टर ने धारा *11* के तहत कोई अधिनिर्णय दिया है, तो वह उस भूमि का कब्जा ले सकता है, जो उसके बाद सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से सरकार में निहित होगी। *(* जोर दिया गया*)*

6. धारा *17* तात्कालिकता के मामलों में विशेष शक्तियों से संबंधित है। वही कलेक्टर को पारित करने से पहले कब्जा करने के लिए अधिकृत करता है

1894 के अधिनियम की धारा *17 (1)* में प्रावधान के अनुसार अधिनिर्णय और किसी भी भूमि का कब्जा लेने पर, ऐसी भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से सरकार में निहित होगी। धारा *17* यहाँ नीचे निकाली गई हैः

"17. तात्कालिकता के मामले में विशेष शक्तियाँ*-(1)* तात्कालिकता के मामलों में

जब भी *[*उपयुक्त सरकार*]* ऐसा निर्देश देती है, कलेक्टर, विकास प्राधिकरण *v.*

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

यद्यपि ऐसा कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है, धारा *9*, उप-धारा *1* में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से पंद्रह दिनों की समाप्ति पर*)*। *[* सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक किसी भी भूमि का कब्जा लेना*]*। उस पर ऐसी भूमि पूरी तरह से निहित होगी

[सरकार*]*, सभी बाधाओं से मुक्त। *(2)* जब भी किसी भी नौगम्य नदी के चैनल में अचानक बदलाव या अन्य अप्रत्याशित आपात स्थिति के कारण, यह हो जाता है

किसी भी रेलवे प्रशासन के लिए अपने यातायात के रखरखाव के लिए या उस पर नदी के किनारे या घाट स्टेशन बनाने के उद्देश्य से किसी भी भूमि का तत्काल कब्जा हासिल करना आवश्यक है, या

उस धारा पर कब्जा करने वाले को उसके इरादे की कम से कम अड़तालीस घंटे की सूचना दिए बिना, या ऐसी लंबी सूचना दिए बिना जो हो सके। ऐसे अधिभोगकर्ता को अनावश्यक रूप से ऐसी इमारत से अपनी चल संपत्ति को हटाने में सक्षम बनाने के लिए यथोचित रूप से पर्याप्त होना चाहिए।

असुविधा। *(3)* प्रत्येक मामले में पूर्ववर्ती उप-धाराओं में से किसी एक के तहत कलेक्टर कब्जा लेने के समय व्यक्तियों को प्रस्ताव देगा।

ऐसी भूमि पर खड़ी फसलों और पेड़ों *(*यदि कोई हो*)* के लिए और इस तरह के अचानक बेदखल होने के कारण उनके द्वारा किए गए किसी अन्य नुकसान के लिए ब्याज मुआवजे और यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है, तो ऐसी फसलों और पेड़ों का मूल्य और ऐसे अन्य नुकसान की राशि यहां निहित प्रावधानों के तहत भूमि के लिए मुआवजे देने के लिए अनुज्ञात की जाएगी। *3 [(3* क*)* उप-धारा *(1)* या उप-धारा *(2)* के तहत किसी भी भूमि का कब्जा लेने से पहले, कलेक्टर, उप-धारा *(3)-(*क*)* के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रति सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट अस्सी का निविदा भुगतान करेगा।

ऐसी भूमि के लिए मुआवजे की प्रतिशत राशि जो उसके द्वारा अनुमानित है -

धारा *31*, उप-धारा *(2)* में, और जहां कलेक्टर ऐसा है
धारा *31*, उप-धारा *(2)* के प्रावधानों को प्रतिबंधित किया गया है *(*सिवाय इसके कि

दूसरा परंतुक*)*, लागू होगा क्योंकि वे भुगतान पर लागू होते हैं।
उस धारा के तहत मुआवजे का।

(3 बी*)* धारा *(3* ए*)* के तहत भुगतान या जमा की गई राशि,

मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा गया

धारा *31* के तहत निविदा की आवश्यकता है, और जहां राशि
इस प्रकार भुगतान या जमा किए गए मुआवजे से अधिक है

धारा *11* के तहत कलेक्टर, अतिरिक्त राशि तब तक वापस कर सकते हैं जब तक कि इसके भीतर वापस नहीं किया जाता है।

कलेक्टर के पुरस्कार की तारीख से तीन महीने, बरामद किया जाए

भूमि राजस्व के बकाया के रूप में*]*। *[(4)* किसी भी भूमि के मामले में

जो, *[*उपयुक्त सरकार*]* की राय में, प्रावधान

उप-धारा *(1)* या उप-धारा *(2)* लागू होती है, *[*उपयुक्त*]*
सरकार*]* निर्देश दे सकती है कि धारा *5* ए के प्रावधान

लागू नहीं होता है, और, यदि यह प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करता है, तो एक घोषणा की जा सकती है
धारा *6* के तहत किसी भी समय भूमि के संबंध में *[*तारीख के बाद*]*

अधिसूचना के प्रकाशन का*]* धारा *4*, उप-धारा के तहत

(1) . ”

(जोर दिया गया*)*

भूमि का कब्जा लेने से पहले, यह धारा के तहत आवश्यक है

17 (3 क*) 80* प्रतिशत मुआवजे का भुगतान करने के लिए जब तक कि धारा *31* की उप-धारा *(2)* में उल्लिखित कुछ एक या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा रोका न जाए और जहां कलेक्टर को इस तरह से रोका जाता है,

धारा *31 (2)*, दूसरे परंतुक को छोड़कर, लागू होगी क्योंकि वे उस धारा के तहत मुआवजे के भुगतान पर लागू होती हैं। धारा के तहत आवश्यकतानुसार *17 (3* क*)* और धारा *17 (3* ख*)*, उप-धारा *(3* क*)* के तहत भुगतान या जमा की गई राशि को धारा *31* के तहत निविदा की जाने वाली मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। *1894* के अधिनियम की धारा *18* में यह प्रावधान है कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति, जिसने पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, *(1)* भूमि की माप; *(2)* मुआवजे की राशि *(3)* उन व्यक्तियों के संबंध में अदालत को निर्देश देने के लिए कह सकता है जिन्हें यह देय है या *(4)* भूमि का बंटवारा।

इच्छुक व्यक्तियों के बीच मुआवजा। धारा *30* के तहत, अदालत के लिए एक संदर्भ हो सकता है; इसका दायरा मुआवजे की राशि के विभाजन के रूप में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या किसी भी विवाद तक सीमित है।

उन व्यक्तियों के बारे में जिनके लिए वही या उसका कोई हिस्सा इंदौर विकास प्राधिकरण *v.*

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

देय है। धारा *30* के तहत एक संदर्भ में, भूमि के माप और मुआवजे की मात्रा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। के लिए एक सीमा है

धारा *18 (2)* के तहत संदर्भ; जबकि, धारा *30* के तहत संदर्भ मांगने के लिए *1894* के अधिनियम में सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

मुआवजे के भुगतान के मामले में जो पुनः अदालत के फैसले के आधार पर मुआवजे की राशि का निर्धारण, उस व्यक्ति के संबंध में जिसने संदर्भ नहीं मांगा था, और कलेक्टर के फैसले को स्वीकार कर लिया था; ऐसा व्यक्ति मुआवजे की राशि का निर्धारण कर सकता है।

न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर मुआवजे का निर्धारण। यदि कोई व्यक्ति धारा *28* ए *(2)* के तहत किए गए पुनर्निर्धारण से संतुष्ट नहीं है, तो वह धारा *28* ए *(3)* के तहत अदालत में निर्देश की मांग कर सकता है।

8. मुआवजे का भुगतान और इसे अदालत में जमा करने पर विचार किया जाता है।

1894 के अधिनियम के भाग *5* में, धारा *31* के साथ। धारा *31* यहाँ नीचे निकाली गई है:

"31. अदालत में मुआवजे या उसी की जमा राशि का भुगतान। - *(1)* धारा *11* के तहत पुरस्कार देने पर, कलेक्टर अपने द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान पुरस्कार के अनुसार इसके हकदार व्यक्तियों को करेगा और इसका भुगतान करेगा।

उन्हें जब तक कि किसी एक या अधिक द्वारा रोका न जाए

अगले उपखंड में उल्लिखित आकस्मिकताएँ।

(2) यदि वे इसे प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देंगे, या यदि कोई व्यक्ति भूमि को अलग करने के लिए सक्षम नहीं है, या यदि मुआवजे को प्राप्त करने के अधिकार के बारे में या इसके विभाजन के बारे में कोई विवाद है, तो कलेक्टर मुआवजे की राशि उस न्यायालय में जमा करेगा, जिसमें धारा *18* के तहत एक संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगाः बशर्ते कि इच्छुक होने के लिए स्वीकार किया गया कोई भी व्यक्ति विरोध के तहत ऐसा भुगतान प्राप्त कर सकता है कि राशि पर्याप्त हैः बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसने विरोध के अलावा अन्य कोई राशि प्राप्त नहीं की है, वह कोई भी राशि देने का हकदार नहीं होगा।

धारा *18* के तहत आवेदनः बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा, जो इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी मुआवजे का पूरा या कोई हिस्सा प्राप्त कर सकता है, उसे कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति को भुगतान करने के लिए।

भूमि, या तो बदले में अन्य भूमि के अनुदान द्वारा, उसी शीर्षक के तहत आयोजित अन्य भूमि पर भूमि-राजस्व की माफी, या इस तरह से अन्य तरीके से जो संबंधित पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत हो सकता है। *(4)* अंतिम पूर्वगामी उप-धारा की किसी भी बात का अर्थ भूमि में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति और सक्षम व्यक्ति के साथ कोई व्यवस्था करने की कलेक्टर की शक्ति में हस्तक्षेप करना या उसे सीमित करना नहीं होगा।

उसके संबंध में अनुबंध करना।

9. धारा *31 (2)* के प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि केवल धारा *31 (2)* में प्रदान की गई आवश्यकताओं में, राशि को संदर्भ न्यायालय में जमा किया जाना है, न कि सभी आवश्यकताओं में। जैसा कि धारा *55* के तहत बनाए गए नियमों में आगे चर्चा की गई है, यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति कोई संदर्भ नहीं चाहता है और वह मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार करता है तो उसे खजाने में जमा करना होगा। अधिनियम और नियमों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। धारा *31 (2)* में उपयोग की गई

अभिव्यक्ति यह है कि इनकार करने पर राशि न्यायालय में जमा की जाएगी जहां संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगा। जब नहीं।

संदर्भ माँगा जाता है और इसे न्यायालय में प्रस्तुत करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए, संदर्भ न्यायालय तस्वीर में नहीं आता है तो जमा है

स्पष्ट रूप से खजाने में बनाया जाना चाहिए जैसा कि इसके बाद चर्चा किए गए नियमों/आदेश में प्रदान किया गया है।

10. धारा *31* की उप-धारा *(1)* "भुगतान" से संबंधित है, जबकि धारा *31* की उप-धारा *(2)* राशि के "जमा" से संबंधित है।

कुछ आकस्मिकताओं में न्यायालय में क्षतिपूर्ति। " मुआवजे के भुगतान के बारे में धारा *31 (1)* में अलग-अलग चर्चा की गई है और जमा के बारे में *1894* के अधिनियम की धारा *31 (2)* में अलग से चर्चा की गई है। धारा *31 (1)* भुगतान करने के लिए राशि की निविदा प्रदान करती है। उप-धारा *(1)* के प्रावधान भुगतान से संबंधित हैं, और धारा *31* की उप-धारा *(2)* केवल उल्लिखित आकस्मिकताओं में न्यायालय में जमा से संबंधित है, अर्थात *(1)* यदि इच्छुक व्यक्ति इसे प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देगा, और उसने न्यायालय में संदर्भ मांगा है या *(2)* यदि *(3)* क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार के बारे में कोई विवाद है या *(4)* इंदौर विकास प्राधिकरण के बीच मुआवजे के विभाजन के बारे में कोई विवाद है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

इच्छुक व्यक्ति। कलेक्टर को मुआवजे की राशि अदालत में जमा करनी होती है, जिसके लिए धारा *18* के तहत एक संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगा। धारा *31 (2)* में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति

जिसने विरोध के अलावा अन्य रूप से राशि प्राप्त की है, वह धारा *18* के तहत संदर्भ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का हकदार होगा।

धारा *31 (2)* के पहले परंतुक के तहत किसी व्यक्ति के लिए पर्याप्तता के विरोध में मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है।

राशि, और ऐसा व्यक्ति भी एक संदर्भ बनाए रखने का हकदार है। द.

धारा *31 (2)* के तीसरे परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे का पूरा या कोई हिस्सा प्राप्त हुआ है, वह अभी भी उस व्यक्ति को वही भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो कानूनी रूप से उसका हकदार है। यह धारा *31* में दिए गए उद्देश्य के साथ है जब राशि की निविदा दी जाती है तो इसे विरोध के तहत स्वीकार किया जा सकता है और फिर भी एक संदर्भ बनाए रखा जा सकता है। यदि पुरस्कार राशि बिना विरोध के स्वीकार कर ली गई है,

11. विचाराधीन भूमि को अलग करने में किसी व्यक्ति की अक्षमता के मामले में, राशि को धारा *31 (2)* के तहत संदर्भ अदालत में जमा करना पड़ता है, और जब ऐसे व्यक्ति का पैसा अदालत में जमा किया जाता है, तो अदालत पैसे को दूसरी भूमि की खरीद में निवेश करने का आदेश दे सकती है। भूमि के समान शीर्षक और स्वामित्व की शर्तों के तहत आयोजित

जिसमें से ऐसा धन जमा किया गया होगा, रखा गया होगा, या यदि ऐसी खरीद तुरंत नहीं की जा सकती है, तो धन का निवेश किया जा सकता है।

सरकार या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, जैसा कि न्यायालय उचित समझेगा और धारा *32* में निहित प्रावधानों के अनुसार निपटा जाना चाहिए। धारा *33* अन्य में जमा किए गए धन के निवेश से संबंधित है। मामले।

12. यदि धन न्यायालय में अन्यथा जमा किया जाता है जैसा कि प्रदान किया गया है

धारा *32* के तहत, कोई भी इच्छुक पक्ष सरकार या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है, जो जमा करने का उद्देश्य है। *1894* के अधिनियम की धारा *32* और *33* के प्रावधानों को नीचे निकाला गया है:

"*32.* अलग करने में अक्षम व्यक्तियों की भूमि के संबंध में जमा किए गए धन का निवेश। -

(1) यदि कोई धन उप-धारा के तहत न्यायालय में जमा किया जाएगा।

(2) अंतिम पूर्ववर्ती धारा की और ऐसा प्रतीत होता है कि वह भूमि जिसके संबंध में उसे प्रदान किया गया था, किसी व्यक्ति की थी।

जिनके पास इसे अलग करने की कोई शक्ति नहीं थी, न्यायालय *[2018] 2* एस. सी. आर. करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क*)* समान स्वामित्व और स्वामित्व की शर्तों के तहत रखी जाने वाली अन्य भूमि की खरीद में निवेश करने के लिए धन का आदेश देना।

जिस भूमि के संबंध में ऐसा धन दिया गया होगा।

जमा किया गया था, या

और ऐसे निवेश से उत्पन्न ब्याज या अन्य आय के भुगतान का निर्देश उस व्यक्ति या व्यक्तियों को देगा जो कुछ समय के लिए, उक्त भूमि के कब्जे के हकदार होते और ऐसे धन तब तक जमा और निवेश किए जाते रहेंगे जब तक कि वे लागू नहीं हो जाते।

((i) ऐसी अन्य भूमि की खरीद में जो ऊपर बताई गई है*;* या
((ii) किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति को पूरी तरह से भुगतान करने में

इसके हकदार हैं।

निवेश किया जा रहा है, और ऐसे धन के मूलधन के न्यायालय से बाहर भुगतान के लिए, और उससे संबंधित सभी कार्यवाहियों के लिए, सिवाय इसके कि प्रतिकूल के बीच मुकदमेबाजी के कारण हो सकता है। दावेदार।

33. अन्य मामलों में जमा किए गए धन का निवेश-जब कोई धन इस अधिनियम के तहत अंतिम कार्यवाही धारा में उल्लिखित किसी अन्य कारण के अलावा किसी अन्य कारण से न्यायालय में जमा किया गया होगा, तो न्यायालय, ऐसे धन में रुचि रखने वाले या ब्याज का दावा करने वाले किसी भी पक्ष के आवेदन पर, उसे ऐसी सरकार या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश करने का आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

और इस तरह से भुगतान किया जाए जिस पर वह विचार करे, उसमें रुचि रखने वाले पक्षों को वही सुधार लाभ मिलेगा जो उन्हें उस भूमि से हुआ होगा जिसके संबंध में ऐसा धन जमा किया गया होगा या उसके जितना निकट हो सके। इंदौर विकास प्राधिकरण *v.*

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

13. धारा *34* में निहित प्रावधान उन आवश्यकताओं से संबंधित हैं जहां मुआवजे की राशि का भुगतान या जमा नहीं किया जाता है।

भूमि पर कब्जा करना। कलेक्टर कब्जा लेने के समय से *9* प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ दी गई राशि का भुगतान तब तक करेगा जब तक कि उसे इस तरह से भुगतान या जमा नहीं कर दिया जाता है और यदि ऐसा मुआवजा या उसका कोई हिस्सा कब्जा लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर भुगतान या जमा नहीं किया जाता है, तो प्रति वर्ष *15* प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। *1894* के अधिनियम की धारा *34* को इसके तहत निकाला गया हैः

"34. ब्याज का भुगतान-जब इस तरह के मुआवजे की राशि का भुगतान या जमा नहीं किया जाता है या भूमि का कब्जा लेने से पहले जमा नहीं किया जाता है, तो कलेक्टर इस तरह से कब्जा करने के समय से प्रति वर्ष *(*नौ प्रतिशत*)* की दर से ब्याज के साथ दी गई राशि का भुगतान करेगा जब तक कि इसे इस तरह से भुगतान या जमा नहीं किया जाता हैः

[बशर्ते कि यदि ऐसी क्षतिपूर्ति या उसके किसी भाग का भुगतान या जमा उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है जिस दिन कब्जा लिया जाता है, तो प्रति वर्ष पंद्रह प्रतिशत की दर से ब्याज एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख या समाप्ति की तारीख से मुआवजे की राशि या उसके हिस्से पर देय होगा जिसका भुगतान या जमा ऐसी तारीख से पहले नहीं किया गया है।
एक्सपायरी "।

14. "भुगतान"/"निविदा" अभिव्यक्ति और "जमा" अभिव्यक्ति दोनों का उपयोग धारा *31* के साथ-साथ धारा *34* में अलग-अलग किया गया है।

1894 का अधिनियम; इसी प्रकार *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में भी। उनके अलग-अलग अर्थ हैं, और उनसे अलग-अलग परिणाम निकलते हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, *1894* के अधिनियम की धारा *16* के तहत यह स्पष्ट है कि एक बार अधिनिर्णय पारित हो जाने और कब्जा ले लिए जाने के बाद, भूमि पूरी तरह से राज्य में निहित होती है, और धारा *17 (1)* में प्रदान की गई आकस्मिकताओं की स्थिति में जब अधिनिर्णय पारित होने से पहले ही अतिआवश्यकता की स्थिति में कब्जा ले लिया जाता है, तो धारा *17 (3* ए*)* के तहत भूमि पूरी तरह से राज्य में निहित होती है, धारा *17 (1)* और *17 (2)* के तहत कब्जा लेने से पहले *80* प्रतिशत राशि की निविदा की आवश्यकता होती है। और, उसी का भुगतान धारा *31 (1)* के तहत प्रदान किए गए तरीके से किया जाना है और धारा *31 (2)* के तहत प्रदान किए

गए अन्य मामलों को अलग करने से इनकार करने, अक्षमता आदि के मामले में, इसे अदालत में जमा करना होगा और यदि इसे इस तरह से जमा नहीं किया जाता है, तो

धारा *34* के तहत निर्धारित परिणाम, अर्थात्

कब्जा लेने की तारीख पहले वर्ष के लिए *9* प्रतिशत ब्याज और *1* वर्ष के बाद, इस तरह से भुगतान या जमा नहीं की गई राशि पर *15* प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा।

1894 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत, उस भूमि का विनिवेश नहीं किया जाता है जो पूरी तरह से राज्य में निहित है; और

क्षतिपूर्ति का भुगतान, या गैर-निविदा, या अदालत में इसे जमा नहीं करने का भुगतान, केवल धारा *34* में प्रदान किए गए ब्याज के अतिरिक्त दायित्व का होगा। *15* प्रतिशत ब्याज के भुगतान के संबंध में प्रावधान को संशोधन अधिनियम *No.68/1984* के माध्यम से धारा *34, W. E. F. 24.9.1984* में परंतुक के माध्यम से जोड़ा गया है।

15. जब हम *2013* के अधिनियम के प्रावधानों और *1894* के अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि *2013* के अधिनियम की धारा *11,1894* के अधिनियम की धारा *4* के समान है। धारा *19* घोषणा के प्रकाशन और पुनर्वास और निपटान के सारांश से संबंधित है, यह *1894* के अधिनियम की धारा *6* के बराबर है। धारा *23* मुआवजे का निर्धारण करते समय विचार किए जाने वाले मामलों से संबंधित है -

कलेक्टर।

16. 2013 के अधिनियम की धारा *24* भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से संबंधित है।

1894 के अधिनियम के तहत शुरू किया गया, जिसे कुछ मामलों में व्यपगत माना जाएगा। अधिग्रहण के संबंध में, जब *1894* के अधिनियम के तहत पुरस्कार पारित नहीं किया गया है, तो *2013* के अधिनियम की धारा *24 (1) (ए)* के अनुसार, *2013* के अधिनियम के सभी प्रावधान निर्धारण से संबंधित हैं।

मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, उक्त कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा। धारा *24 (2)* के प्रावधान में कहा गया है कि जब अधिनिर्णय दिया गया है और अधिकांश जोतों के संबंध में मुआवजा लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, तो अधिग्रहण समाप्त नहीं होगा; हालाँकि, सभी लाभार्थी *2013* के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। *18.* जब हम मुआवजे के भुगतान के तरीके के संबंध में *2013* के अधिनियम की योजना पर भी विचार करते हैं, तो हम विकास प्राधिकरण *v* के प्रावधान पाते हैं।

शैलेंद्र *(मृत)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]77* पर धारा *31* के लगभग समान हैं। *2013* के अधिनियम के *77* के प्रावधानों को नीचे निकाला गया है:

" 77. मुआवजे का भुगतान या उसे प्राधिकरण में जमा करना। *- (1)* धारा *30* के तहत पुरस्कार देने पर, कलेक्टर अपने द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान करेगा। इच्छुक व्यक्ति पुरस्कार के अनुसार इसके हकदार हैं और

उनके बैंक खातों में राशि जमा करके उन्हें इसका भुगतान करेंगे।

जब तक कि किसी या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा रोका न जाए

उप-धारा *(2)* में उल्लिखित है।

(2) यदि मुआवजे का हकदार व्यक्ति इसे प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देगा, या यदि कोई व्यक्ति भूमि को अलग करने के लिए सक्षम नहीं है, या यदि मुआवजे को प्राप्त करने के लिए स्वामित्व के बारे में या इसके विभाजन के बारे में कोई विवाद है, तो कलेक्टर मुआवजे की राशि उस प्राधिकरण में जमा करेगा जिसके पास एक संदर्भ है। धारा *64* के तहत प्रस्तुत किया जाएगाः

बशर्ते कि इच्छुक होने के लिए स्वीकार किया गया कोई भी व्यक्ति विरोध के तहत ऐसा भुगतान प्राप्त कर सकता है कि राशि पर्याप्त हैः

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसने विरोध के अलावा अन्य कोई राशि प्राप्त नहीं की है, वह कुछ भी करने का हकदार नहीं होगा।

धारा *64* की उप-धारा *(1)* के तहत आवेदनः

बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा, जो पूरा या कोई हिस्सा प्राप्त कर सकता है।

इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए

कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति।

19. 2013 के अधिनियम की धारा *80,2013* की धारा *34* के बराबर है।

1894 के सी. टी. को यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" 80. ब्याज का भुगतान। -जब इस तरह के मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है या भूमि का कब्जा लेने से पहले जमा नहीं किया जाता है, तो कलेक्टर नौ प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ दी गई राशि का भुगतान करेगा। लेने के समय से प्रति वर्ष जब तक इसका भुगतान या जमा नहीं किया जाता है तब तक अधिकारः

बशर्ते कि यदि ऐसा मुआवजा या उसका कोई हिस्सा

कब्जा लेने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पंद्रह प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान या जमा नहीं किया जाता है। प्रति वर्ष उक्त सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट की तिथि या समाप्ति से देय होगा।

मुआवजे की राशि या उसके हिस्से पर एक वर्ष की अवधि जो ऐसी तारीख से पहले भुगतान या जमा नहीं की गई है

एक्सपायरी "।

20. 2013 के अधिनियम की धारा *77* में निहित प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि धारा *77* में उपयोग की गई अभिव्यक्ति कि कलेक्टर भूमि मालिकों/इच्छुक व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान "निविदा" करेगा, और दायित्व यह है कि जब तक धारा *77 (2)* में प्रदान की गई अनिवार्यताओं द्वारा रोका न जाए, तब तक उनके बैंक खातों में राशि जमा करके उन्हें इसका भुगतान करना *1894* के अधिनियम की धारा *31 (2)* के समान है।

21. धारा *24 (2)* के प्रावधान में, उपयोग की गई अभिव्यक्ति मुआवजे को लाभार्थियों के खाते में "जमा" नहीं किया गया है, जो हो सकता है

कोषागार में भी अलग से जमा किया जाना चाहिए; जबकि, *2013* के अधिनियम की धारा *77* में, लाभार्थियों के "बैंक" खाते में जमा की आवश्यकता है, जब तक कि इनकार नहीं किया जाता है। "बैंक-खाता" शब्द का उपयोग *1894* के अधिनियम की धारा *31* या *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में नहीं किया गया है। धारा *24 (2)* के परंतुक में, "खाते में जमा" शब्द का अर्थ केवल कोषागार में या भुगतान के लिए भूमि अधिग्रहण संग्रहकर्ता के पास जमा करना होगा। *22.* यह उल्लेख करना उचित है कि *2013* के अधिनियम की धारा *80* भी जमा नहीं की जाने वाली राशि पर *1894* के अधिनियम की धारा *34* के समान ब्याज का दायित्व लगाती है। यानी पहले वर्ष के लिए *9* प्रतिशत और उसके बाद *15* प्रतिशत प्रति वर्ष। *2013* के अधिनियम में अदालत में क्षतिपूर्ति जमा न करने पर अधिग्रहण की समाप्ति के परिणाम की परिकल्पना नहीं की गई है और न ही *1894* के अधिनियम की धारा *31* में इसका प्रावधान किया गया था। इस प्रकार धारा *24* का प्रावधान न्यायालय में राशि जमा करने पर विचार नहीं करता है। हमारी राय में, "भुगतान" और "जमा" अभिव्यक्ति का उपयोग दोनों अधिनियमों में अलग-अलग किया जाता है, और वे दोनों एक अलग अर्थ रखते हैं। द.

उपरोक्त प्रावधान निविदा और जमा से संबंधित हैं; और, परिणाम समान हैं।

धारा *24* का हस्तक्षेप

23. 2013 के अधिनियम की धारा *24* यहाँ नीचे निकाली गई है:

" 24. 1894 के अधिनियम संख्या *1* के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भूमि अधिग्रहण के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के किसी भी मामले में

अधिग्रहण अधिनियम बना दिया गया है, तो मुआवजे के निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे; या

(ख) जहां उक्त धारा *11* के तहत कोई अधिनिर्णय दिया गया है, तो ऐसी कार्यवाहियां निम्नलिखित प्रावधानों के तहत जारी रहेंगी:

कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जैसे कि उक्त अधिनियम नहीं किया गया है

निरस्त कर दिया।

(2) उप-धारा *(1)* में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894 (1894* का *1)* के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के मामले में, जहां उक्त धारा *11* के तहत एक अधिनिर्णय इस अधिनियम के प्रारंभ से पांच साल या उससे अधिक समय पहले किया गया है, लेकिन भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, तो उक्त कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा और उपयुक्त सरकार, यदि वह ऐसा चाहती है, तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नए सिरे से शुरू करेगी:

बशर्ते कि जहां कोई पुरस्कार और मुआवजा दिया गया हो

यदि अधिकांश भूमि जोत लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं की गई है, तो उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा *4* के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे।

24. जब हम *2013* के अधिनियम की धारा *24* के प्रावधानों पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि पुरस्कार पारित नहीं होने की स्थिति में धारा *24 (1) (ए)* के अनुसार, *2013* के अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। यह भी स्पष्ट है कि धारा *24 (1) (*बी*)* में यह प्रावधान है कि जहां *1894* के अधिनियम की धारा *11* के तहत कोई अधिनिर्णय दिया गया है, तो ऐसी कार्यवाही *1894* के उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी रहेगी जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है। हालाँकि, यदि भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है, या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, तो कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा। और, अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजे के मामले में लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी यानी भूमि मालिक *2013* के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे।

25. धारा *24 (2)* में, जो अभिव्यक्ति प्रयुक्त की गई है, वह है "क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है"। "जमा" पद, जो उप-धारा *(2)* के परंतुक में आता है, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट में उपयोग नहीं किया गया है।

धारा *24 (2)*। इसके प्रावधान में "लाभार्थियों के खाते में जमा" शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि अधिकांश भूमि जोत राशि के संबंध में लाभार्थियों के खाते में राशि जमा नहीं की गई है, हालांकि अधिग्रहण समाप्त नहीं होगा, सभी लाभार्थियों को *2013* के अधिनियम के तहत मुआवजे का लाभ मिलेगा। इस प्रकार, लाभार्थियों के खाते में अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में राशि जमा न करने का परिणाम यह है कि अधिग्रहण समाप्त नहीं होगा, और केवल नए अधिनियम के तहत मुआवजा देय होगा। जबकि, धारा *24 (2)* के मुख्य भाग के तहत, यह स्पष्ट है कि "मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। "जमा" शब्द धारा *24 (2)* के मुख्य भाग से गायब है, और इसका उपयोग केवल परंतुक में किया जाता

है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विधानमंडल ने क्रमशः अलग-अलग अर्थ रखने के लिए दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया है; और, परंतुक एक अलग क्षेत्र में काम करता है, जहां अधिग्रहण समाप्त नहीं होगा। उद्देश्य यह है कि एक निकाय या राज्य सरकार, जिसके लाभ के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, के पास भूमि मालिकों को भुगतान के लिए आवश्यक धन होना चाहिए। जहां मुआवजे का भुगतान किया गया है, वहां परन्तुक आकर्षित नहीं होता है।

26. धारा *24 (2)* के प्रावधान में यह प्रावधान नहीं है कि मुआवजे की राशि अदालत में जमा की जानी है। यह स्पष्ट रूप से संदर्भित करता है कि

एल. ए. ओ. या कोषागार में जमा किया गया भुगतान। *27.* इस प्रकार, *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में प्रयुक्त अलग-अलग अभिव्यक्ति "भुगतान" का एक ही अर्थ नहीं हो सकता है और इसमें जमा राशि शामिल नहीं हो सकती है।

24 (2) 2013 का अधिनियम। *29. 1894* के अधिनियम की धारा *31 (2)* में 'न्यायालय में जमा' शब्द का उपयोग किया गया है। अदालत में जमा राशि लाभार्थियों को भुगतान नहीं है। यह है।

1894 के अधिनियम की धारा *31 (1)* के तहत दिए गए मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद ही इसे अदालत में जमा किया जाना है। नियमों में आगे यह प्रावधान किया गया है कि संदर्भ के मामले में, राशि इंदौर विकास प्राधिकरण *v* के लिए है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

अदालत में जमा किया जाएगा जहां संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगा अन्यथा यह

कोषागार में जमा किया जाना है। यदि धारा *24 (2)* के परंतुक में प्रयुक्त "जमा" अभिव्यक्ति और मुख्य धारा *24 (2)* में प्रयुक्त "भुगतान" अभिव्यक्ति दोनों को "भुगतान" अभिव्यक्ति में निहित माना जाता है। निविदा; और, इनकार करने पर इसे "भुगतान" को पूरा करने के लिए अदालत में जमा किया जाता है; यदि धारा *24 (2)* के तहत "भुगतान" अभिव्यक्ति में "जमा" अभिव्यक्ति शामिल है, तो परंतुक और मुख्य उप-धारा के बीच विसंगति और प्रतिकूलता पैदा होगी; जिसे छोड़ना होगा। द.

न्यायालय अधिनियम *1894* की धारा *31* या *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में "भुगतान"/"निविदा" अभिव्यक्ति में "जमा" शब्द नहीं जोड़ सकता है।

30. 2013 के अधिनियम की धारा *24 (2)* का परंतुक कोषागार में या भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के साथ मुआवजे के 'जमा' से संबंधित है -

अधिकांश स्वामित्व के संबंध में यह स्पष्ट रूप से विचार करता है कि भूमि मालिकों/लाभार्थियों/इच्छुक व्यक्तियों को राशि का 'भुगतान' नहीं किया गया है। इस प्रकार, जब पूरी धारा *24* की योजना पर विचार किया जाता है, तो मुख्य धारा *24 (2)* में 'भुगतान' की अवधारणा जमा राशि से अलग है। यदि जमा को शब्द भुगतान में धारा *24 (2)* के परंतुक में शामिल किया जाता है, जिसका कोई चूक नहीं होने का अलग परिणाम होता है, लेकिन केवल अधिक मुआवजा ही अनुचित होगा और अनावश्यक हो जाएगा और तिरस्कार होगा।

31. यह स्पष्ट है कि धारा *24* में 'भुगतान' अभिव्यक्ति 'जमा' से अलग है जो इसके परंतुक में प्रदान की गई है। 'जमा' शब्द को धारा *24* में 'भुगतान' शब्द में शामिल किया गया है। धारा *31 (1)* और *31 (2)* के तहत भी यही स्थिति है। धारा *24* के प्रावधानों को 'भुगतान' में 'जमा' को शामिल करके पूरी तरह से अव्यवहारिक नहीं बनाया जा सकता है।

1894 के अधिनियम की धारा *31* और *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में "भुगतान" का अर्थः

32. सवाल यह उठता है कि धारा *24* में 'भुगतान' और *1894* के अधिनियम की धारा *31 (2)* में 'निविदा' अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। क्या मुआवजे की निविदा दायित्वों के निर्वहन के बराबर है

भुगतान करने के लिए। अभिव्यक्ति "कोमल" का अर्थः जब किसी व्यक्ति ने राशि का भुगतान किया है और इसे बिना शर्त उपलब्ध कराया है और भूमि मालिक ने इसे प्राप्त करने से इनकार कर दिया है, तो जिस व्यक्ति ने राशि का भुगतान किया है, उस पर दायित्व नहीं लगाया जा सकता है, जिसे राशि का भुगतान न करने के लिए देखा जाना है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में निविदा को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

"टेंडर, एन। *(16(*ग) *1.* प्रदर्शन का एक वैध और पर्याप्त प्रस्ताव; विशिष्ट, *[2018] 2* एस. सी. आर. को संतुष्ट करने के लिए धन या प्रदर्शन का बिना शर्त प्रस्ताव।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक ऋण या दायित्व-वितरण की निविदा। निविदा बचत कर सकती है

भुगतान न करने या न करने के लिए दंड से निविदा देने वाला पक्ष

प्रदर्शन या, यदि दूसरा पक्ष अनुचित रूप से निविदा को अस्वीकार कर देता है, तो दूसरे पक्ष को डिफ़ॉल्ट में रख सकते हैं। सी. एफ. प्रस्ताव या
परफार्मेंस; कॉन्सिगनेशन "।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि "निविदा" निविदा देने वाले पक्ष को भुगतान न करने या प्रदर्शन न करने या जुर्माने से बचा सकती है।

यदि कोई अन्य पक्ष अनुचित रूप से निविदा को अस्वीकार कर देता है, तो दूसरे पक्ष को चूक में डाल देता है। एक पक्ष द्वारा विशेष रूप से दूसरे पक्ष को विधिवत किया गया एक औपचारिक प्रस्ताव

दायित्व के निर्वहन में धन का प्रस्ताव कानून और दायित्व की शर्तों को पूरा करता है। निविदा ऋण की संतुष्टि के लिए धन की पेशकश है, जिसमें किसी लेनदार या पक्ष को राशि पेश करके और दिखाकर और मौखिक रूप से, इसे भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की जाती है। अभिव्यक्ति "निविदा" है

धारा *31* में उपयोग किया गया है। अदालत में जमा करने की अवधारणा निविदा और "भुगतान" से अलग है।

33. स्ट्रा बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में यह न्यायालय,

सहारनपुर बनाम. गोबिंद, ए. आई. आर. *1962* एस. सी. *1500* ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा *33* के संदर्भ में अभिनिर्धारित किया है जहाँ एक महीने के वेतन का भुगतान आवश्यक था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक महीने के वेतन के भुगतान का अर्थ हमेशा यह हो सकता है कि नियोक्ता ने अपना वेतन दे दिया है और यह भुगतान के बराबर होगा अन्यथा एक कर्मचारी हमेशा मजदूरी लेने से इनकार करके इस धारा को अव्यवहारिक बना सकता है। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

"*8.* आइए अब हम ऊपर कही गई बातों की पृष्ठभूमि में परंतुक के शब्दों की ओर मुड़ें। परंतुक में कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी को तब तक छुट्टी या बर्खास्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे एक महीने के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया हो और उसके द्वारा एक आवेदन नहीं किया गया हो। नियोक्ता उस प्राधिकारी को जिसके समक्ष नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई के अनुमोदन के लिए कार्यवाही लंबित है। यह स्पष्ट होगा कि दो प्रकार की सजा परंतुक की शर्तों के अधीन है, अर्थात् निर्वहन या बर्खास्तगी। किसी अन्य प्रकार की सजा परंतुक के भीतर नहीं है। इसके अलावा, परंतुक में दो शर्तें रखी गई हैं, अर्थात् *(i)* एक महीने के लिए मजदूरी का भुगतान और *(ii)* नियोक्ता द्वारा उस प्राधिकरण को आवेदन करना जिसके समक्ष की गई कार्रवाई के अनुमोदन के लिए कार्यवाही लंबित है। यह हमारे सामने विवादित नहीं है कि जब परंतुक निर्धारित करता है

एक महीने के वेतन के भुगतान के बारे में शर्त, वह सब जो नियोक्ता विकास प्राधिकरण *v.*

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

उस शर्त को पूरा करने के लिए निविदा देना आवश्यक है

कर्मचारी को वेतन। लेकिन अगर कर्मचारी मजदूरी स्वीकार नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो वह आगे आकर यह नहीं कह सकता है कि नियोक्ता द्वारा उसे मजदूरी का कोई भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए, हालांकि एस। *33* एक महीने की मजदूरी के भुगतान की बात करते हुए इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि नियोक्ता ने मजदूरी का भुगतान किया है और यह भुगतान के लिए राशि होगी, अन्यथा, एक कर्मचारी हमेशा मजदूरी लेने से इनकार करके इस खंड को अव्यवहारिक बना सकता है। जहाँ तक आवेदन करने के बारे में दूसरी शर्त का संबंध है।

(जोर दिया गया*)* *34.* दिल्ली परिवहन उपक्रम के प्रबंधन में *v.*

औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली और एएनआर। ए. आई. आर. *1965* एस. सी. *1503*, इस न्यायालय के *3-* न्यायाधीश एच. ने मजदूरी के भुगतान के प्रश्न पर विचार किया

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा *33 (3)* पर विचार करते हुए उन्होंने कहा हैः

कर्मचारी को बर्खास्तगी से पहले भुगतान प्राप्त करना है प्रभावी। इस मामले में, बर्खास्तगी का आदेश प्रभावी होने से पहले निविदा निश्चित रूप से की गई थी और अगर हरि चंद ने उनके लिए कहा होता तो निश्चित रूप से मजदूरी का भुगतान किया जाता। वहाँ कोई नहीं था।

इस संबंध में प्रावधान का पालन करने में विफलता।

35. इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय। नारायण भौमिक *(1968)* जे. आर. *94* ने 'भुगतान' की अवधारणा पर चर्चा की है और कहा हैः

" *4.* धारा *33 (2) (*बी*)* के प्रावधान में कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी को तब तक छुट्टी या बर्खास्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया हो।

एक महीने के लिए और नियोक्ता द्वारा प्राधिकरण को एक आवेदन दिया गया है जिसके समक्ष उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अनुमोदन के लिए कार्यवाही लंबित है। हालांकि परंतुक में इस्तेमाल किया गया शब्द 'भुगतान' है, परंतुक का मतलब यह नहीं है कि नियोक्ता को वास्तव में उस कर्मचारी को सौंपना या भुगतान करना चाहिए जिसे बर्खास्त कर दिया गया हो या जिसने अपने एक महीने के वेतन का भुगतान कर दिया हो। *(1962)* में *3* पूरक। एस. सी. आर. *618]* स्ट्रॉबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कं. इस न्यायालय ने इस परंतुक का अर्थ लगाते हुए कहा कि जब यह एक महीने के वेतन के भुगतान के रूप में शर्त निर्धारित करता है तो नियोक्ता को उस शर्त को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक है, वह है सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को वेतन देना।

कर्मचारी। लेकिन अगर कर्मचारी उन्हें स्वीकार नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो वह आगे आकर यह नहीं कह सकता है कि नियोक्ता द्वारा उसे मजदूरी का कोई भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए, हालांकि धारा *33* बोलती है। एक महीने के वेतन के भुगतान का, इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि नियोक्ता ने मजदूरी का भुगतान किया है और यह भुगतान के बराबर होगा, अन्यथा, एक कर्मचारी हमेशा मजदूरी लेने से इनकार करके धारा को अव्यवहारिक बना सकता है। *(1964) 2* एस. सी. आर. *104,109* पी. एच. कल्याणी बनाम। एम/एस। एयर फ्रांस, नियोक्ता ने कर्मचारी के खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश लागू होने से पहले उसे एक महीने के वेतन की पेशकश की थी। प्रस्ताव को पर्याप्त माना गया था

दिल्ली परिवहन उपक्रम का प्रबंधन, *[(1955) 1* एस. सी. आर. *998]* परंतुक में निर्धारित उक्त शर्त का अनुपालन।

औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली एक ऐसा मामला था जिसमें मजदूरी को मनी ऑर्डर द्वारा प्रेषित किया जाता था, लेकिन मजदूर ने जानबूझकर उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियोक्ता को यह नहीं कहा जा सकता कि उसने परंतुक द्वारा निर्धारित शर्त का पालन नहीं किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परंतुक में भुगतान की शर्त का यह अर्थ नहीं है कि मजदूरी का वास्तव में भुगतान किया जाना है, लेकिन यदि मजदूरी का निविदा या प्रस्ताव दिया जाता है, तो ऐसी निविदा या प्रस्ताव धारा *33 (2) (*बी*)* परंतुक के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त अनुपालन होगा। "

36. "भुगतान" शब्द का अर्थ है लागू, व्यवस्थित या संतुष्ट। इस न्यायालय ने बनारस में भुगतान की अवधारणा पर भी विचार किया है।

स्टेट बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, लखनऊ *(1969) 2* एस. सी. सी. *316,* आयकर अधिनियम, *1922* की धारा *14 (2) (*सी*)* के संदर्भ में। इस न्यायालय ने कहा कि धारा *16 (2)* में "भुगतान" अभिव्यक्ति के सदस्यों द्वारा लाभांश की वास्तविक प्राप्ति पर विचार नहीं करती है। समुदाय; सामान्य तौर पर, लाभांश का भुगतान तब किया जा सकता है जब कंपनी अपने दायित्व का निर्वहन करती है और लाभांश की राशि को उसके हकदार सदस्य को बिना शर्त उपलब्ध कराती है। न्यायालय ने कहा है:

"5. ..... इस न्यायालय ने जे. डालमिया बनाम में टिप्पणी की। आय-कर आयुक्त, दिल्ली *53* आई. टी. आर. *83* ने कहा कि धारा *16 (2)* में *"*भुगतान*"* अभिव्यक्ति सदस्य द्वारा लाभांश की वास्तविक प्राप्ति पर विचार नहीं करती हैः सामान्य तौर पर, लाभांश का भुगतान धारा *16 (2)* के अर्थ के भीतर किया जा सकता है जब कंपनी अपने दायित्व का निर्वहन करती है और लाभांश की राशि को बिना शर्त उपलब्ध कराती है।

इसके हकदार सदस्य। *"(*जोर दिया गया*)*

37. एन. बी. संजना, सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बॉम्बे और अन्य। वी. एल्फिंस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कं।

इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

लिमिटेड *(1971) 1* एस. सी. सी. *337,* अदालत ने कहा कि *"*भुगतान*"* शब्द का शाब्दिक अर्थ अपनाने की आवश्यकता नहीं है।

38. J.Dalmia v में। आयकर आयुक्त, नई दिल्ली,

ए. आई. आर. *1964* एस. सी. *1866* में *1869* में, इस न्यायालय ने कहा है कि *"*भुगतान*"* अभिव्यक्ति सदस्य द्वारा लाभांश की वास्तविक प्राप्ति पर विचार नहीं करती है। लाभांश का भुगतान धारा *16 (2)* के अर्थ के भीतर किया जा सकता है जब कंपनी अपने दायित्व का निर्वहन करती है और राशि देती है। इसके हकदार सदस्य बिना शर्त उपलब्ध हैं।

*"*एस में अभिव्यक्ति *"*भुगतान*"*। *16 (2)* यह सच है कि विचार नहीं करता है

कहा जा सकता है कि एस के अर्थ के भीतर भुगतान किया जाता है। *16 (2)* जब कम्पनी अपन दायित्वक निर्वहन करैत अछि आ लाभांशक राशि बनाबैत अछि।

इसके हकदार सदस्य के लिए बिना शर्त उपलब्ध।

(जोर दिया गया*)*

*39. "*भुगतान*"* पद का अर्थ अधिनियम की धारा *31 (1)* में होगा।

1894 और *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* जैसे ही इसे प्रस्तुत किया जाता है और बिना शर्त उपलब्ध कराया जाता है। केवल, यदि कोई भूमि मालिक इसे स्वीकार करने से इनकार करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका भुगतान नहीं किया गया है। एक बार बोली लगाने के बाद यह राशि भुगतान के बराबर होगी। इस प्रकार, *"*भुगतान*"* शब्द का अर्थ वास्तविक भुगतान करना नहीं है, बल्कि किसी पदधारी के लिए जो कुछ भी संभव है वह करना है।

भुगतान पर ही विचार किया जाता है। भुगतान का मतलब रसीद या अदालत में जमा करना नहीं है। निविदा के बावजूद राशि प्राप्त करने से इनकार किया जा सकता है। इस प्रकार, सी. आई. टी. केरल *(*ऊपर*)*, एन. बी. संजना *(*ऊपर*)* और जे. डालमिया *(*ऊपर*)* में इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, धारा *24 (2)* के प्रावधानों का अर्थ राशि की निविदा से किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ होगा परिकल्पना के अनुसार भुगतान।

40. यह तय किया गया है कि न्यायालय किसी शब्द को जोड़ या घटा नहीं सकता है।

धारा *24 (2)* में "क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है; अदालत के लिए इन शब्दों को जोड़ने या उक्त शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए खुला नहीं है।

किसी भी आगे की अभिव्यक्ति के साथ अभिव्यक्ति, जैसे 'जमा'। में

"जी. पी. सिंह द्वारा "सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत" *(14* वां संस्करण*)*, यह देखा गया है कि न्यायालय को शब्दों को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने से बचना चाहिए। इस प्रकार, जब "भुगतान" शब्द है, तो यह "जमा" जोड़ने के लिए खुला नहीं है, विशेष रूप से जब *1894* के अधिनियम की योजना में निविदा के संबंध में धारा *31 (1)* में अलग-अलग प्रावधान भी हैं, भुगतान है।

जबकि धारा *31 (2)* अदालत में जमा से संबंधित है; धारा *34* में गैर-जमा परिणाम पर, बाद में भूमि मालिक को किया गया भुगतान नहीं है।

धारा *34* में दिए गए अनुसार ब्याज का भुगतान करने के दायित्व को समाप्त करने की दृष्टि से जमा केवल कुछ आवश्यकताओं में है।

*41 (*ए*)*। किसी वैधानिक प्रावधान की व्याख्या करते समय, अधिनियम में कोई जोड़ या घटाव की अनुमति नहीं है। यह अदालत के लिए भी खुला नहीं है

एक शब्द जोड़ें या घटाएं। कानूनी उक्ति "ए वर्बिस लेजिस नॉन एस्ट रेसेडेन्डम" का अर्थ हैः कानून के शब्दों से, कोई विचलन नहीं होना चाहिए। कानून की व्याख्या में विद्वान लेखक ने क्रॉफर्ड बनाम में प्रिवी काउंसिल के फैसले का उल्लेख किया है। स्पूनर, *(1846) 6* मूर पी. सी. *1* और लॉर्ड हावर्ड डी वाल्डेन बनाम। आई. आर. सी., *(1948) 2* ए. ई. आर. *825* और न्यायालय के अन्य निर्णयों में कहा गया हैः

*(*क*)* शब्दों को जोड़ने या बदलने से बचना।

जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने कहा हैः " हम किसी अधिनियम के विधानमंडल के दोषपूर्ण वाक्यांश की सहायता नहीं कर सकते हैं, हम जोड़ या सुधार नहीं कर सकते हैं और निर्माण मेकअप की कमियों को जोड़ सकते हैं जो वहां बची हुई हैं। किसी अधिनियम में शब्दों को पढ़ना निर्माण के सभी नियमों के विपरीत है।

जब तक कि ऐसा करना बिल्कुल आवश्यक न हो। "इसी तरह, क़ानून के शब्दों के लिए कुछ अन्य शब्दों को प्रतिस्थापित करके आगे बढ़ना गलत और खतरनाक है। संक्षेप में बोलते हुए अदालत बहुत अच्छे कारण से कानून को फिर से तैयार नहीं कर सकती है कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है

एक्स *XXXX* कंपनी अधिनियम, *1956* की धारा *621*-ए *(1)* की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय को अस्वीकृति या अस्वीकृति से बचना चाहिए।

शब्दों को जोड़ना और केवल असाधारण स्थिति में ही उनका सहारा लेना।

अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने या धारा को उद्देश्यपूर्ण अर्थ देने के लिए परिस्थितियाँ। धारा *621*-ए कंपनी विधि बोर्ड द्वारा अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के लिए चक्रवृद्धि का प्रावधान करती है, जो केवल कारावास या कारावास और जुर्माने से दंडनीय अपराध नहीं है।
किसी भी अभियोजन की स्थापना से पहले या बाद में। यह माना गया कि

कंपनी विधि बोर्ड के पास इस तरह के संयोजन की शक्ति है

न्यायालय की अनुमति के बिना अपराध। चूँकि विधानमंडल ने अपने विवेक में, धारा में पूर्व अनुमति के सवार को नहीं रखा है, इसलिए 'न्यायालय की पूर्व अनुमति से' शब्दों को जोड़ा गया है

प्रावधान की अनुमति नहीं है।

विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, *1996* की धारा *2 (2),* जो अधिनियम के भाग *I* में है, में प्रावधान है कि यह भाग उन जगहों पर लागू होगा जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में है। भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ, कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक. ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अधिनियम का भाग *I* विदेशों में बैठे मध्यस्थताओं पर भी इस आधार पर लागू होता है कि ऐसे मामले में कुछ शब्द

धारा *2 (2)* में जोड़ा जाना है, जिसे तब यह प्रावधान करना होगा कि 'यह भाग भारत में मध्यस्थता का स्थान होने पर और भारत से बाहर होने वाले मध्यस्थताओं पर लागू होगा'। यह भाषा के कठोर और अनुचित पुनर्लेखन या परिवर्तन के बराबर होगा।

धारा *2 (2),* और न्यायालय के लिए किसी वैधानिक प्रावधान का पुनर्निर्माण करने की अनुमति नहीं है। इस मामले में संविधान पीठ ने भाटिया इंटरनेशनल बनाम में उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को संभावित रूप से खारिज कर दिया। बल्क ट्रेडिंग एसए, जिसने यह अभिनिर्धारित किया था कि भाग *I* के प्रावधान भारत के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं पर तब तक लागू होंगे जब तक कि पक्षकार

समझौता, व्यक्त या निहित, इसके सभी या किसी भी प्रावधान को बाहर करता है। एक्स *XXXX*

और, उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्र अधिनियम, *1914* की धारा *14 (*च*)* का अर्थ लगाते हुए, जिसमें कहा गया है कि 'अपनी परिस्थितियों और संपत्ति के अनुसार मूल्यांकन किए गए व्यक्तियों पर कर ऐसी दर से अधिक नहीं है और ऐसी सीमाओं और प्रतिबंधों के अधीन है जो निर्धारित किए जा सकते हैं',

उच्चतम न्यायालय ने उक्त कर लगाने के लिए शर्त के एक आवश्यक हिस्से के रूप में शहर क्षेत्र के भीतर निवास को पढ़ने से इनकार कर दिया।

लॉर्ड लॉरबर्न, एल. सी. की टिप्पणियों को मंजूरी देते हुए, "हम संसद के एक अधिनियम में शब्दों को पढ़ने के हकदार हैं जब तक कि इसका स्पष्ट कारण अधिनियम के चारों कोनों के भीतर नहीं पाया जाता है"।

इसी सिद्धांत पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पढ़ने से इनकार कर दिया

वैवाहिक कारण अधिनियम, *1950* की धारा *4* में 'संतुष्ट' शब्द
इसका अर्थ है 'उचित संदेह से परे संतुष्ट'।

एक्स *XXXX*

सूचना का अधिकार अधिनियम, *2005* की धारा *12 (5)* और *15 (5),*

यह प्रावधान करते हुए कि मुख्य सूचना आयुक्त और

सूचना आयुक्त सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

कानून, विज्ञान में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ जीवन, और

प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया

या प्रशासन और शासन, आगे किसी भी निर्धारित न करें

बुनियादी योग्यता जो ऐसे व्यक्तियों के पास संबंधित में होनी चाहिए

जिन क्षेत्रों में वे काम करते हैं। नतीजतन, न्यायालय इस पर विचार नहीं कर सकता है।
अधिनियम की धारा *12 (5)* और *15 (5)* के प्रावधान

कि ऐसे व्यक्तियों के पास अपने-अपने में एक बुनियादी डिग्री होनी चाहिए

मैदान "। " "

(जोर दिया गया*)*

41 (बी*)*। नाली नलिनख्या बिसैक बनाम में यह न्यायालय। श्यामसुंदर

हलदर, ए. आई. आर. *1953* एस. सी. *148 152* पर, मध्य प्रदेश राज्य बनाम। जीएस। डेल एंड फ्लोर मिल्स, ए. आई. आर. *1991* एस. सी. *772,* गुजरात राज्य और अन्य बनाम। दिलीपभाई नाथजीभाई पटेल और एक अन्य *(1998) 3* एस. सी. सी. *234,* भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाम। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड *(2010) 10* एस. सी. सी. *744,* निर्धारण प्राधिकरण सह-उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी बनाम। पूर्वी भारत कपास एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड *(1981) 3* एस. सी. सी. *531,* पॉल एंटरप्राइजेज और अन्य। वी. राजीब चटर्जी एंड कंपनी एंड ओआरएस। , ए. आई. आर. *2009* एस. सी. *187,* साक्षी बनाम भारत संघ *(2004) 5* एस. सी. सी. *518,* आयकर आयुक्त, केरल बनाम। टाटा एजेंसीज *(2007) 6* एस. सी. सी. *429,* राम नारायण मेधी बनाम। बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. *1959* एस. सी. *459,* एस. पी. गुप्ता बनाम। भारत के राष्ट्रपति ए. आई. आर. *1982* एस. सी. *149,* दादी जगन्नाधम बनाम। जम्मुलु रामुलु *(2001) 7* एस. सी. सी. *71,* पी. के. उन्नी बनाम। निर्मला इंडस्ट्रीज ए. आई. आर. *1990* एस. सी. *933,* क्रॉफर्ड बनाम स्पूनर *(1846) 6* मूर पी. सी. *1,* रॉयल ट्रस्ट कंपनी बनाम। वित्त मंत्री ए. आई. आर. *1921* पी. सी. *184,* पद्म सुंदर राव *(*मृत*)* और अन्य। वी. टी. एन. और अन्य का राज्य। *(2002) 3* एस. सी. सी. *533* ने पाया है कि प्रावधान में कहा गया है कि कानून क्या चाहता है। अदालत इस अभिव्यक्ति को विस्तारित अर्थ नहीं दे सकती है। यह न्यायालय के लिए अधिनियम के दोषपूर्ण

वाक्यांशों में सहायता करने या कमियों को पूरा करने के लिए खुला नहीं है। यह न्यायालय के लिए प्रावधान को फिर से बनाने, फिर से लिखने या फिर से तैयार करने के लिए खुला नहीं है। न्यायालय चूक नहीं मान सकता है और इंदौर विकास प्राधिकरण *v* को जोड़ या संशोधित नहीं कर सकता है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

शब्द। शब्दों के जोड़ और प्रतिस्थापन के बिना सादा और असंदिग्ध निर्माण दिया जाना चाहिए। प्रतिस्थापन का प्रलोभन

यह समझाते हुए कि कानून क्या प्रयास कर रहा है, शब्दों को हतोत्साहित किया जाना है। अदालत को विचार करना होगा कि क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया है। कानून के शब्दों के लिए कुछ अन्य शब्दों को प्रतिस्थापित करके आगे बढ़ना गलत और खतरनाक है। जब शाब्दिक पठन एक बोधगम्य परिणाम उत्पन्न करता है तो यह शब्दों को पढ़ने या कानून में शब्दों को जोड़ने के लिए खुला नहीं होता है। अधिनियम की भाषा में कोई भी उदार जोड़ करना वैधानिक प्रावधान का निर्माण नहीं होगा, बल्कि इसका संशोधन होगा। प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है। विधान के इरादे का पता विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों से लगाया जाना चाहिए। विधायी मामला छूट न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है। जब प्रावधान की भाषा स्पष्ट होती है तो उसमें कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं होती है। इस प्रकार किसी क़ानून की व्याख्या के संबंध में उभरने वाले परिदृश्य को निम्नानुसार समझाया जा सकता है। यह एक हितकारी सिद्धांत है कि न्यायालय के लिए शब्दों के स्थान पर कुछ शब्दों को जोड़ना या प्रतिस्थापित करना खुला नहीं है।

जब धारा *24 (2)* "क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है तो हमें कोई शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भुगतान पूरा करने के लिए, हम नहीं कर सकते हैं इसमें इस आशय के शब्दों को पढ़ें कि अदालत में भुगतान की जमा राशि भूमि मालिकों को भुगतान है। यह स्पष्ट है कि जब तक ऐसा करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, तब तक भूमि मालिकों को भुगतान करने पर विचार करने पर 'भुगतान' के हिस्से के रूप में अदालत में 'जमा' शब्द को पढ़ने के लिए खुला नहीं है। द.

गैर-जमा के परिणाम को धारा *24 (2)* के परंतुक में शामिल किया गया है। यह है।

ऐसा नहीं है कि धारा *31 (2)* अर्थहीन हो जाएगी। इसलिए, जमा राशि को भुगतान/निविदा में नहीं जोड़ा जा सकता है और न ही जोड़ा जाना चाहिए। यदि विधायिका चाहती थी कि 'अदालत में जमा' को 'भुगतान/निविदा' में शामिल किया जाए, तो वह आसानी से ऐसा कह सकती थी। लेकिन इसने अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया है।

परिणाम।

42. उपरोक्त उद्धरण से जो पता चलता है वह यह है कि विधायिका ने मुख्य धारा *24 (2)* में "जमा" अभिव्यक्ति को जानबूझकर हटा दिया है, जबकि इसका उपयोग परंतुक में किया गया है; दोनों के अलग-अलग उद्देश्य हैं। जब विधायिका ने विभिन्न अभिव्यक्तियों का उपयोग किया है

पिछली घटनाओं के संबंध में "भुगतान" शब्द का उपयोग एक स्पष्ट रूप से विशिष्ट रूप में किया जाता है।

[2018] 2 एस. सी. आर. में आने वाले "जमा" शब्द द्वारा व्यक्त अर्थ की तुलना में अर्थ।

परंतुक-दोनों को अलग-अलग अर्थ दिए जाने की आवश्यकता है। मुख्य धारा *24 (2)* में विधानमंडल द्वारा जानबूझकर चूक की गई है, जब "जमा" अभिव्यक्ति का उपयोग "भुगतान किया गया है" अभिव्यक्ति में नहीं किया गया है, और यह केवल निविदा राशि के बाद ही किया जाता है। अस्वीकार किए जाने पर, इसे न्यायालय में जमा किया जाना है, वह भी धारा *31 (2)* के अनुसार कुछ आवश्यकताओं में।

43. शब्द "भुगतान", के विभिन्न परिणामों को देखते हुए

भुगतान और जमा का अर्थ "जमा" से अलग होना चाहिए। अन्यथा, यदि यह मामला होता कि 'जमा' को 'भुगतान' में शामिल किया जाता है, तो दो अलग-अलग उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती

अलग-अलग प्रावधानों में अलग-अलग परिणाम देने वाली अभिव्यक्तियाँ।

उसे अपनी गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, या यदि उसका आचरण मुकदमे दायर करने, पुरस्कार पारित करने में देरी करने या कार्यवाही पर रोक लगाने का है, तो ऐसी कार्रवाई मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार करने के समान होगी, और व्यक्ति तब इसके हकदार भी नहीं हो सकता है।
धारा *34* के तहत परिकल्पित उच्च ब्याज दर।

44. वैधानिक व्याख्या करते समय, असंगति और असंगतता से बचना चाहिए और सामंजस्यपूर्ण निर्माण करना चाहिए।

अपनाया गया। अपनाया जाने वाला निर्माण ऐसा होना चाहिए, जिससे कानून समग्र रूप से एक सुसंगत अधिनियम बन जाए। इस तरह के निर्माण में किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता से बचने की योग्यता होगी।

किसी दी गई धारा के भीतर या एक ओर किसी विशेष धारा के बीच और दूसरी ओर क़ानून के अन्य भागों के बीच। यह अदालतों का कर्तव्य है कि वे "आमने-सामने के टकराव" से बचें, जैसा कि राज कृष्ण बनाम में माना गया है। बिनोद कानूनगो,

ए. आई. आर. *1954* एस. सी. *202,203* पर; सुल्ताना बेगम बनाम। प्रेमचंद जैन, एआईआर *1997* एससी *1006,* पृष्ठ *1109* पर; कैलाश चंद्र बनाम। मुकुंदी लाल, *(2002) 2* एस. सी. सी. *67;* और, सी. आई. टी. बनाम। हिन्दुस्तान बल्क कैरियर्स, *(2003) 3* एस. सी. सी. *57,* पृ. *74 .*

इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

45. जब हम *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के प्रावधानों पर सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को लागू करते हैं, यानी धारा के मुख्य भाग और इसके परंतुक के बीच, तो मुख्य भाग में आने वाले "भुगतान" शब्द का अलग अर्थ निकाला जाना चाहिए *(*एक अलग अर्थ के साथ*)*

इसे दिया गया*)* परंतुक में आने वाले *"*जमा*"* शब्द से*;* अन्यथा, विसंगति और तिरस्कार प्रावधान का परिणाम होगा। समग्र रूप से धारा *24 (2)* में निहित है और इससे बचा जाना चाहिए। जैसा कि चर्चा की गई है, प्रावधान अपरिवर्तनीय और विसंगत होंगे।

परिणाम सामने आएगा।

46. इस न्यायालय ने बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम बाबूभाई शंकरलाल पांड्या, *(1987) 1* एस. सी. सी. *606* के मामले में कहा कि एक धारा की व्याख्या उसके सभी भागों को पूरी तरह से पढ़कर की जानी चाहिए, और यह नहीं है

इसके किसी भी हिस्से को हटाने की अनुमति है। इस प्रकार, तत्काल मामले में, मुख्य उप-धारा की व्याख्या करते समय धारा *24 (2)* के परंतुक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

47. परंतुक धारा *24 (2)* के हिस्से के रूप में अधिनियमित किया गया है*;* यह एक स्वतंत्र प्रावधान नहीं है और पांच साल या उससे अधिक समय के लिए किए गए अधिग्रहण पर लागू होता है।

उपरोक्त अधिनियमों की धारा *24 (2)* या धारा *31 (1)*। इस प्रकार, अभिव्यक्ति में *"*जमा*"* शब्द को शामिल करने की अनुमति नहीं है। *"* भुगतान *"*।

49 (ए*)*। शाब्दिक निर्माण का नियम यह बताता है कि एक क़ानून के शब्दों को पहले उनके प्राकृतिक, साधारण या लोकप्रिय अर्थ और वाक्यांशों में समझा जाता है, प्रवेश को उनके व्याकरणिक अर्थ के अनुसार समझा जाता है।

*"*सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत*"* में अर्जित लेखक जी. पी. सिंह

), पृष्ठ *91* के बाद के संस्करण में कहा गया हैः

प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ। एक क़ानून के शब्द

पहले उनके स्वाभाविक, साधारण या लोकप्रिय अर्थों में समझा जाता है और वाक्यांशों और वाक्यों को उनके अनुसार समझा जाता है

व्याकरणिक अर्थ, जब तक कि यह कुछ बेतुका की ओर न ले जाए या जब तक कि संदर्भ में या क़ानून के उद्देश्य में इसके विपरीत सुझाव देने के लिए कुछ न हो। *"* सच्चा मार्ग *"*, प्रभु के अनुसार

BROUGHAM का अर्थ है, *"*उन शब्दों को लेना जो विधानमंडल ने उन्हें दिए हैं, और उस अर्थ को लेना जो दिए गए शब्द स्वाभाविक रूप से इंगित करते हैं, जब तक कि उन शब्दों का निर्माण, या तो प्रस्तावना द्वारा या प्रश्न में शब्दों के संदर्भ द्वारा, नियंत्रित या परिवर्तित न हो*"*; और विस्कॉन्ट हाल्डेन, एल. सी. के शब्दों में, यदि उपयोग की गई भाषा का एक स्वाभाविक अर्थ है तो हम उस अर्थ से तब तक अलग नहीं हो सकते जब तक कि क़ानून को समग्र रूप से नहीं पढ़ा जाता है, संदर्भ हमें ऐसा करने के लिए निर्देशित करता है। एक बार-बार उद्धृत अंश में, प्रभु

वेन्सलेडेल ने इस नियम को इस प्रकार बतायाः वसीयतों और वास्तव में कानूनों और सभी लिखित उपकरणों के अर्थ में, शब्द के व्याकरणिक और सामान्य अर्थ का पालन किया जाता है, जब तक कि इससे कोई लाभ न हो।

किसी बेतुकेपन के लिए, या बाकी वाद्य के साथ किसी तरह की असंगति या असंगति के लिए, जिस स्थिति में शब्दों के व्याकरणिक और सामान्य अर्थ को संशोधित किया जा सकता है, ताकि उस बेतुकेपन और असंगति से बचा जा सके, लेकिन आगे नहीं। और लॉर्ड एटकिन्सन ने कहाः क़ानूनों के निर्माण में, उनके शब्दों की व्याख्या उनके सामान्य व्याकरणिक अर्थों में की जानी चाहिए, जब तक कि संदर्भ में या क़ानून के उद्देश्य में कुछ न हो, जिसमें वे होते हैं या जिन परिस्थितियों में उनका उपयोग किया जाता है, यह दिखाने के लिए कि उनका उपयोग उनके सामान्य व्याकरणिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ में किया गया था। *28* विस्कॉन्ट साइमन, एल. सी. ने कहाः " सुनहरा नियम यह है कि एक क़ानून के शब्दों को प्रथम दृष्टया उनका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए। शब्दों के स्वाभाविक और सामान्य अर्थ को तब तक अलग नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सके कि जिस कानूनी संदर्भ में शब्दों का उपयोग किया जाता है, उसके लिए एक अलग अर्थ की आवश्यकता होती है। न्यायाधीशों द्वारा इस तरह के अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता है। नीति के बारे में उनके अपने विचार "हालांकि वे" एक उद्देश्यपूर्ण विकास प्राधिकरण *v* को अपना सकते हैं।

शैलेंद्र *(मृत)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

संसद के उद्देश्य या नीति की अभिव्यक्ति की व्याख्या। नियम के आधुनिक कथन के लिए, भाषण का उल्लेख किया जा सकता है

संसद के एक अधिनियम में कहा गया। क़ानूनों का मसौदा तैयार करना, इतना महत्वपूर्ण एक ऐसे लोगों के लिए जो कानून के शासन के तहत रहने की उम्मीद करते हैं, कभी नहीं होगा

व्याकरणिक और पारिभाषिक रूप से, साधारण और प्राथमिक में भाव जिसे वह अपने संदर्भ में बिना किसी चूक या जोड़ के धारण करता है।

बेशक, संसद को अच्छी समझ का श्रेय दिया जाना चाहिए; ताकि जब इस तरह का दृष्टिकोण अन्याय, बेतुका, विरोधाभास पैदा करता है

या सांविधिक उद्देश्य का संवर्धन भाषा को संशोधित किया जा सकता है।

इस तरह के नुकसान से बचने के लिए पर्याप्त है, हालांकि आगे नहीं। द. ऊपर बताए गए नियमों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है

अदालत "।

(जोर दिया गया*)*

49 (बी*)*। यह न्यायालय, हर्भजन सिंह बनाम में। प्रेस परिषद

, ए. आई. आर. *2002* एस. सी. *1351,1354* में इस प्रकार देखा गया हैः

"विधायिका अपने शब्द बर्बाद नहीं करती है। साधारण, व्याकरणिक और

व्याख्या करते समय उपयोग किए जाने वाले शब्दों को पूर्ण अर्थ दिया जाना है।

नियम का सम्मान करने के लिए एक प्रावधान-विधानमंडल उचित चुनता है

इसके इरादे को व्यक्त करने के लिए शब्द, और इसलिए, श्रेय दिया जाना चाहिए

इस तरह के इरादे के साथ जो इतने लंबे समय तक इस्तेमाल किए गए शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है

क्योंकि इसके परिणामस्वरूप बेतुका या विसंगति नहीं होती है या जब तक कि सामग्री नहीं होती है

आंतरिक या बाहरी-से प्रस्थान की अनुमति देने के लिए उपलब्ध है

नियम "। *(* जोर दिया गया*)*

50. इस प्रकार, तत्काल मामले में, जब हम सादा, प्राकृतिक और देते हैं

'भुगतान'/'निविदा' शब्द का भौतिक अर्थ, जिसका उपयोग 'अदालत में जमा' शब्दों के लिए किया गया है, यह स्पष्ट है कि

रिंग भुगतान में अदालत में जमा राशि शामिल नहीं होगी, जिसमें केवल

भुगतान से इनकार कर दिया जाता है, कि वही अदालत में जमा किया जाता है; दायित्व

जैसे ही राशि की निविदा दी जाती है और अस्वीकार कर दी जाती है, *y* समाप्त हो जाता है।

51 (a) जब एक ही शब्द में दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया हो।

एक कानून के कारण, एक धारणा है कि उनका उपयोग सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में नहीं किया जाता है

भावना। इस संबंध में, जी. पी. सिंह ने पृष्ठ *395* पर अपने ग्रंथ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस *(14* वें संस्करण*)* में इस प्रकार कहा हैः

..... जब एक ही विषय वस्तु के संबंध में, एक ही क़ानून में अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो एक धारणा होती है कि वे हैं

समान अर्थ में उपयोग नहीं किया जाता है।

डाक टिकट अधिनियम, *1899* की धारा *5* में आने वाले 'विशिष्ट मामलों' के शब्दों का अर्थ निकालने में और यह निष्कर्ष निकालने में कि इन शब्दों का अर्थ 'दो या दो से अधिक विवरणों' के शब्दों के समान नहीं है।

धारा *6*, वेंकटरामा ए. आई. ए. आर. में आने वाली अनुसूची *I* में,

जे. ने कहाः "जब अलग-अलग महत्व के दो शब्दों का उपयोग किया जाता है

लगातार दो प्रावधानों में एक क़ानून, यह मुश्किल होगा यह बनाए रखने के लिए कि उनका उपयोग उसी अर्थ में किया जाता है। इसी तरह,

बॉम्बे नगर निगम अधिनियम, *1888* की धारा *3 (*एफ. एफ*.)* के तहत 'लाभ' शब्द का अर्थ लगाते हुए, जिसमें 'लाभ या लाभ' शब्दों का उपयोग किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने शब्दों के शब्दकोश अर्थों पर भरोसा करते हुए कहा कि 'लाभ' शब्द का पर्याय नहीं है। 'लाभ' शब्द के रूप में यह आर्थिक या वाणिज्यिक लाभ तक सीमित नहीं है, और यह कि कोई लाभ या लाभ अर्जित या मूल्यवर्धन

कुछ गतिविधियों द्वारा किया गया कार्य 'लाभ' के बराबर होगा। **** 14 .* ब्राइटन पैरिश गार्डियंस बनाम। स्ट्रैंड यूनियन गार्डियंस,

(1891) 2 क्यूबी *156,* पी। *167 (* सीए*);* सदस्य, राजस्व बोर्ड बनाम। आर्थर पॉल बेंथल, ए. आई. आर. *1956* एस. सी. *35,* पी. *38 : 1955 (2)* एससीआर *842;* सीआईटी बनाम। ईस्ट वेस्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट *(*पी*)* लिमिटेड, जयपुर, ए. आई. आर. *1989* एस. सी. *836, p.838: (1989) 1* एससीसी *760;* बी. आर. एंटरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. *1999* एस. सी. *1867, p.1902: (1999) 9* एस. सी. सी. *700 (*अनुच्छेद *298* में 'व्यापार और व्यवसाय' का अर्थ 'व्यापार और वाणिज्य' से अलग है।

अनुच्छेद *301* में*);* श्री इशाल एलॉय स्टील्स लिमिटेड *v.* जयस्वालासनेको

लिमिटेड, जे. टी. *2001 (3)* एस. सी. *114,* पी. *119 : (2001) 3* एससीसी *609:* ए. आई. आर. *2001* एस. सी. *1161 (*धारा *138* एन. आई. में 'एक बैंक' और 'बैंक' शब्द हैं। अधिनियम, *1881* का एक ही अर्थ नहीं है*);* द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड *v.* हंसराजभाई बनाम। कोडाला, ए. आई. आर. *2001* एस. सी. *1832,* पी. *1842 : (2001) 5* एस. सी. सी. *175;* कैलाशनाथ अग्रवाल बनाम। प्रदेशइंडस्ट और आई. एन. वी. निगम। यू. पी., *2003* का ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. *1358,* पी. *1365 : (2003) 4* एससीसी *305,* पी। *313. (* एक ही खंड में उपयोग किए गए शब्द 'कार्यवाही' और 'वाद' का अर्थ अलग-अलग था*);* लेकिन परमजीत सिंह पाठक बनाम में। आई. सी. डी. एस. लिमिटेड *(2006) 13* एस. सी. सी. *322:* ए. आई. आर. *2007* एस. सी. *168* अलग दृष्टिकोण इसलिए जेनिथ स्टील ट्यूब बनाम में लिया गया था। सिकॉम लिमिटेड, *(2008) 1*

एससीसी *533:* ए. आई. आर. *2008* एस. सी. *451* मामला एक बड़ी पीठ को भेजा गया; इंदौर विकास प्राधिकरण *v.*

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

डी. एल. एफ. कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम

हरियाणा राज्य, *2003* एयर एससीडब्ल्यू *1046,* पी। *1057 :* ए. आई. आर. *2003* एससी

1648 : (2003) 5 एस. सी. सी. *622 (*अभिव्यक्ति 'अपनी कीमत पर' और 'इसकी कीमत पर ', अलग-अलग अर्थ दिए गए एक खंड में उपयोग किया जाता है*)'*

(जोर दिया गया*)*

51 (बी*)*। लेखक ने ब्राइटन पैरिश के फैसलों का उल्लेख किया है।

संरक्षक बनाम। स्ट्रैंड यूनियन गार्डियंस, *1891* क्यू. बी. *156*, सदस्य, राजस्व बोर्ड बनाम। आर्थर पॉल बेंथल, ए. आई. आर. *1956* एस. सी. *35* पी. *38* , और सी. आई. टी. वी. ईस्ट वेस्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट *(*पी*)* लिमिटेड, जयपुर, *(1989) 1* एस. सी. सी. *760*, उस मामले में इस न्यायालय ने कहा हैः

" *7.* स्पष्टीकरण में समय के दो बिंदु का संदर्भ है।

स्थानः पहले वाले को "पिछले के अंत में" कहा गया है।

वर्ष "और दूसरा, जो जारी किया जा रहा है," इस तरह के पाठ्यक्रम में है।

पिछले साल "। राजस्व के वकील ने जोर दिया है कि

अलग तरह से व्यक्त किया गया था और यदि विधायी इरादा नहीं था
अंतर करने के लिए और यह कहते हुए कि "इस तरह के पिछले पाठ्यक्रम में

वर्ष "का उद्देश्य अंतिम दिन के विचार को व्यक्त करना था

पिछले वर्ष, व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती

स्थिति अलग है। समर्थन करने के लिए प्रचुर अधिकार है

विधायिका को अलग तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए
एक अलग इरादा व्यक्त करने का इरादा "।

(जोर दिया गया*)* "

*51 (*सी*)*। कैलाश नाथ अग्रवाल बनाम। प्रदेशिया इंडस्ट्रीज और

तेजमोहन हुसैनखान पठान बनाम। वी. जे. रघुवंशी, *1993* सप। *(2)* एससीसी *493*, डी. एल. एफ. कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट वी। हरियाणा राज्य, *(2003) 5* एस. सी. सी. *622*, पल्लवी रिसोर्सेज लिमिटेड बनाम। प्रोटोस इंजीनियरिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड, *(2010) 5* एस. सी. सी. *196*, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे *(2002) 4* एस. सी. सी. *297*, बी. आर. एंटरप्राइजेज बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. *1999* एस. सी. *1867*, श्रीलशर एलॉय स्टील्स लिमिटेड बनाम। जयस्वाल नेको लिमिटेड, *(2001) 3* एस. सी. सी. *609*, श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश बनाम बुरहानपुर ताप्ती मिल्स और अन्य। ए. आई. आर. *1964* एस. सी. *1687* इस न्यायालय ने कहा है कि एक सामान्य नियम के रूप में जब क़ानून द्वारा दो अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है तो प्रथम दृष्टया अलग-अलग शब्दों को अलग-अलग अर्थ रखने वाले के रूप में समझना पड़ता है।

'निर्माण' का सहारा केवल तभी लिया जाएगा जब क़ानून का पालन करने के लिए या जब शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए तो यह प्रकट अन्याय या बेतुकेपन की ओर ले जाता है। न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि

विधायिका द्वारा एक निश्चित तरीके से अधिनियमित प्रावधान जैसा कि इरादा था। अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है

संवेदनाएँ।

51 (घ*)* वैधानिक निर्माण के उपरोक्त सिद्धांत, अलग-अलग शब्दों को अलग-अलग अर्थ दिए जाने के साथ-साथ इसके बाध्यकारी उदाहरण भी।

51 (ई*)*। यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि जब *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के साथ-साथ *1894* के अधिनियम की धारा *31* में दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है, यानी "भूमि मालिकों को भुगतान" और "अदालत में जमा", तो दोनों के अलग-अलग अर्थ हैं, और उनकी व्याख्या संबंधित संदर्भों में उपयोग के रूप में की जानी चाहिए। यह अभिव्यक्ति नहीं है कि अदालत में जमा भूमि मालिकों को भुगतान है, न ही इसका उपयोग किया जाता है कि खजाने में जमा की गई राशि भूमि मालिकों को भुगतान है। भुगतान भुगतान करने के दायित्व को इंगित करता है; और, अदालत या राजस्व कोषागार में जमा केवल धारा *31* में प्रदान की गई विभिन्न आवश्यकताओं के होने पर किया जाता है, और कई अन्य आवश्यकताएं हो सकती हैं जो *1894* के अधिनियम की धारा *31 (2)* और वैधानिक नियमों/आदेशों के तहत शामिल नहीं हैं।
52. 2013 के अधिनियम की धारा *24* में, अधिकारियों की ओर से कोई सुस्ती नहीं है, "भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है" अभिव्यक्ति अधिकारियों की ओर से पांच साल लेने में विफलता का संकेत देती है।

या अधिक।

53. जब हम लाभकारी प्रावधानों के इरादे पर विचार करते हैं

2013 के अधिनियम के अनुसार, यह किसानों और उन लोगों की चिंता को संबोधित करता है जिनकी आजीविका अधिग्रहण की जा रही भूमि पर निर्भर है, साथ ही साथ असंख्य कारणों से भूमि अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें शामिल हैं - शहरीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि। , समय पर और पारदर्शी तरीके से। विधायिका ने अधिग्रहण को पूरा करने में अधिकारियों की ओर से पांच साल या उससे अधिक की देरी को नहीं रोका है। जब इसे 'समयोचित' कहा जाता है, तो इसका मतलब अधिकारियों की ओर से बिना किसी देरी के होगा, न कि भूमि मालिकों/इच्छुक व्यक्तियों के विलंबकारी रणनीति और आचरण के कारण देरी।

इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

1894 की धारा *55* के तहत बनाए गए नियमों का प्रभाव

राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए अधिनियम और आदेश

54. धारा *55* के तहत विभिन्न राज्य नियम बनाए गए हैं।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा *1894* के अधिनियम के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद *283* में प्रदान किए गए सरकारी धन से निपटने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, और जब यह सरकारी धन होता है तो इसे जारी किए गए निर्देशों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।

समय-समय पर राज्य सरकार। अन्य वित्तीय

सरकारी धन से निपटने के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले कोड/नियम/आदेश। भूमि अधिग्रहण बिहार और उड़ीसा) नियम *1894* के अधिनियम और नियम के तहत बनाए गए थे।

ओ इसके बारे में इस प्रकार प्रावधान किया गया है:

" 10. धारा *12 (2)* और निविदा के तहत पुरस्कार की सूचना देने में

धारा *31 (1)* के तहत ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को भुगतान

व्यक्तिगत रूप से या उनके प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित नहीं थे जब
पुरस्कार दिया गया था, अधिकारी उन्हें उपस्थित होने के लिए कहेगा

प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तिथि तक व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधियों द्वारा
उन्हें दिए गए मुआवजे का भुगतान, यह भी सूचित करना

कि यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर
वे प्रकट नहीं होते हैं, और सिविल के संदर्भ के लिए आवेदन नहीं करते हैं

धारा *18* के तहत अदालत, अधिकारी किसी भी आगे के प्रयास के बाद

उनकी उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए जो वांछनीय लग सकती है, कारण

कोषागार में राजस्व जमा के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि

उन व्यक्तियों को देय जिन्हें वे क्रमशः देय हैं और

साथ के रूप में *(*चिह्नित ई*)* के लिए आश्वासन दिया गया। अधिकारी ने

ऐसी जमाओं के प्राप्तकर्ताओं को भी सूचना देगा, कोषागार
जिसमें निर्दिष्ट जमा किए गए हैं। जब

भुगतानकर्ता अंततः जमा में रखी गई राशि के भुगतान का दावा करते हैं,

राशि का भुगतान उन्हें सामान्य तरीके से किया जाएगा।
राजस्व जमा। अधिकारी को जहां तक संभव हो, व्यवस्था करनी चाहिए।

प्रापक संबंधित हैं, ताकि असंवित राशियों की संख्या
गैर-उपस्थिति के कारण जमा में रखा जाना कम किया जा सकता है

कम से कम। जब भी भुगतान का दावा किया जाता है

सम्मानित, ऐसे प्रतिनिधि को कानूनी अधिकार दिखाना चाहिए
अपने प्रधान की ओर से मुआवजा प्राप्त करना।

(जोर दिया गया*)*

किसी अधिनिर्णय से संबंधित राशि या न्यायालय या राजस्व जमा *(*कोषागार*)* में जमा की गई राशि, अधिनिर्णय की तारीख से एक महीने के भीतर दी जाएगी। *56.* असम राज्य ने *1894* के अधिनियम की धारा *55* के तहत शक्ति के प्रयोग में जमा से संबंधित नियम भी बनाए हैं। नियम *9* में प्रावधान है कि क्षतिपूर्ति एकत्र करने में विफलता पर यदि -

भूमि मालिक/इच्छुक व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, और एक के लिए आवेदन नहीं करता है धारा *18* के तहत दीवानी अदालत के संदर्भ में, कलेक्टर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने या भुगतान करने का प्रयास करने के बाद

देय राशियों का कोषागार में उन व्यक्तियों को देय राजस्व जमा के रूप में भुगतान करना वांछनीय लग सकता है जिन्हें वे क्रमशः देय हैं, और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित या अनुमोदित प्रपत्र में इसकी पुष्टि की जाती है। वह ऐसी जमाओं के प्राप्तकर्ता को भी सूचना देगा, जिसमें उस कोषागार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें जमा किए गए हैं। जब कोई संदर्भ नहीं मांगा जाता है तो राशि को केवल खजाने में जमा करना पड़ता है। असम नियमों का नियम *9* इसके नीचे दिया गया है:

"9. धारा *12 (2)* के तहत पुरस्कार की सूचना देने और धारा *31 (1)* के तहत निविदा भुगतान करने में, ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को जो व्यक्तिगत रूप से या उनके प्रतिनिधियों द्वारा पुरस्कार दिए जाने के समय उपस्थित नहीं थे, कलेक्टर उनसे व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधियों द्वारा एक निश्चित तिथि तक उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा, ताकि उन्हें दिए गए मुआवजे का भुगतान प्राप्त किया जा सके और यह भी सूचित किया जा सके कि यदि वे उपस्थित होने में विफल रहते हैं तो उन्हें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं और सिविल के संदर्भ के लिए आवेदन नहीं करते हैं

धारा *18* के तहत न्यायालय, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने या ऐसा भुगतान करने के किसी भी आगे के प्रयास के बाद जो वांछनीय लग सकता है, वह देय राशियों का भुगतान उन व्यक्तियों को देय राजस्व जमा के रूप में करेगा जिन्हें वे क्रमशः देय हैं, और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित या अनुमोदित प्रपत्र में इसकी पुष्टि की जाएगी। वह ऐसी जमाओं के प्राप्तकर्ताओं को भी सूचना देगा, जिसमें उस कोषागार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें जमा किए गए हैं।

बनाया गया। जब प्राप्तकर्ता अंततः जमा में रखी गई राशि के भुगतान का दावा करते हैं, तो राशि का भुगतान उन्हें सामान्य राजस्व जमा के समान ही किया जाएगा। कलेक्टर को, जहाँ तक संभव हो, उस गाँव में या उसके पास देय भुगतान करने की व्यवस्था करनी चाहिए जिसे विकास प्राधिकरण *v.*

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

भूमि इस क्रम से संबंधित है कि वितरित राशि की संख्या

गैर-उपस्थिति के कारण जमा में रखा जाना कम किया जा सकता है

कम से कम। जब भी भुगतान का दावा किया जाता है

प्रतिनिधि, ऐसे प्रतिनिधि को कानूनी अधिकार दिखाना चाहिए

प्रधानाचार्य की ओर से मुआवजा प्राप्त करना।

(जोर दिया गया*)*

57. बिहार और उड़ीसा के लिए समान नियम है। इसी तरह के निर्देश

अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था ताकि इससे निपटा जा सके

सी पैसा। उनके पास कानून की शक्ति है। अदालत का कर्तव्य है कि

अधिनियम के प्रावधान के साथ नियमों को एकीकृत करें। पश्चिम बंगाल राज्य में भी *1894* के अधिनियम की धारा *55* के तहत नियम बनाए गए थे।

58. 1909 में जारी किया गया स्थायी आदेश *No.28* पंजाब राज्य है

दिल्ली के लिए भी केबल, भारत सरकार के आदेशों पर पैरा *74* और *75 1* में भुगतान के *5* तरीके प्रदान करता है, जिन्हें नीचे निकाला गया है:

" 74. भुगतान करने के तरीके-पाँच तरीके हैं -

(2) कोषागार पर आदेश के अनुसार, पैराग्राफ *75 (II)* इन्फ्रा देखें। *(3)* मनी ऑर्डर द्वारा, पैराग्राफ *75 (III)* इन्फ्रा देखें।

(4) चेक द्वारा, पैराग्राफ *75 (IV)* इन्फ्रा देखें।

(5) कोषागार में जमा करके, पैराग्राफ *75 (*वी*)* इन्फ्रा देखें।

75. सीधे भुगतान

(V) कोषागार जमा द्वारा-धारा के तहत पुरस्कार की सूचना देने में

12 (2) और धारा *31 (1)* के तहत ऐसे लोगों को भुगतान के लिए निविदा

उन्हें व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधियों द्वारा एक निश्चित तिथि तक उपस्थित होना है। उन्हें दिए गए मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के लिए,

यह भी सूचित करना कि यदि वे असफल होते हैं तो उन्हें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा उपस्थित होने के लिए, यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं और संदर्भ के लिए आवेदन नहीं करते हैं

दीवानी अदालत में धारा *18* के तहत, अधिकारी किसी भी घटना के बाद

उनकी उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए आगे के प्रयास जो प्रतीत हो सकते हैं

वांछनीय, कोषागार को देय राशियों का भुगतान इस प्रकार करें उन व्यक्तियों को देय राजस्व जमा किया जाता है जिनके लिए वे सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट हैं

नीचे चिह्नित ई प्रपत्र में क्रमशः देय और सत्यापित।

अधिकारी ऐसी जमाओं के प्राप्तकर्ताओं को भी नोटिस देगा,

उस खजाने को निर्दिष्ट करना जिसमें जमा किया गया है। कब

तब प्राप्तकर्ता अंततः जमा में रखी गई राशि के भुगतान का दावा करते हैं,

राशि का भुगतान उन्हें सामान्य तरीके से किया जाएगा।

न्यूनतम। जब भी किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भुगतान का दावा किया जाता है चाहे प्रदत्त राशि जमा करने से पहले हो या बाद में, जैसे कि

प्रतिनिधि, प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार होना चाहिए

उसके प्रधान की ओर से मुआवजा "।

फॉर्म ई

फॉर्म ई

उस कार्य का नाम जिसके लिए भूमि। उस कार्य का नाम जिसके लिए भूमि दी गई है।

अर्जित किया गया

अर्जित किया गया

प्रभारी अधिकारी को

प्रभारी अधिकारी को

खजाना

खजाना

कृपया क्रेडिट में हस्तांतरण के लिए प्राप्त करें

कृपया क्रेडिट में हस्तांतरण के लिए प्राप्त करें

रुपये की राशि राजस्व जमा करें।

रुपये की राशि राजस्व जमा करें।

भूमि के लिए मुआवजे के कारण

भूमि के लिए मुआवजे के कारण

देय उपरोक्त उद्देश्य के लिए लिया गया

देय उपरोक्त उद्देश्य के लिए लिया गया

जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

नाम क्षेत्र राशि टिप्पणी

क्रमिक नाम क्षेत्र राशि टिप्पणी

से

से

देय का

की संख्या

देय

व्यक्तियों की भूमि

पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों की भूमि में

प्रत्येक के लिए

प्रत्येक के लिए

को बयान

को

नहीं।

किसे?

किसे?

देय

देय

एकड़ में रु.

एकड़। रु।

कुल

कुल भूमि अधिग्रहण अधिकारी भूमि अधिग्रहण अधिकारी

तिथि।

तिथि। उपरोक्त राशि प्राप्त की और उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए जमा की गई और जमा की गई

राजस्व जमा

राजस्व जमा के लिए

कोषागार अधिकारी

कोषागार अधिकारी

नोट-इस प्रपत्र का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब

नोट-इस प्रपत्र का उपयोग कब किया जाना चाहिए

द.

मुआवजे की देय राशि

मुआवजे की देय राशि

के अभाव में खजाने में भेजा जाता है

के अभाव में खजाने में भेजा जाता है

मालिक जो प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं

मालिक जो प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं

स्वयं भुगतान के लिए "।

स्वयं भुगतान के लिए।

विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]59.* दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम। सुखबीर सिंह और अन्य। *5) 16* एससीसी *258*। यह न्यायालय धारा *31 (1)* के तहत मोड के संबंध में

एल्डः

" 18. पैरा *73* स्पष्ट करता है कि भुगतान या तो स्वीकार किया जा सकता है।

पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ *(I)* से *(IV)* के पढ़ने से स्पष्ट है *74.* यहां तक कि दूसरी विधि, जो खजाने पर आदेश द्वारा भुगतान है, उन मामलों में भुगतान की एक सीधी विधि है जहां किसी भी अधिकारी को भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से प्रतिनियुक्त नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में सीधे भुगतान करने के बजाय, एक रसीद पर प्रति-हस्ताक्षर किया जाता है जिससे वह तुरंत कोषागार में प्राप्तकर्ता को देय हो जाती है। अन्यथा, कुछ परिस्थितियों में, भुगतान मनी ऑर्डर द्वारा किया जाना है।

धारा *12 (2)* के तहत नोटिस दिए जाते हैं जो पुरस्कार दिए जाने के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। भले ही वे नहीं उस स्तर पर उपस्थित होने के लिए अधिकारी उन्हें उपस्थित होने के लिए कहेगा

प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तिथि तक व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान। यह केवल तभी होता है जब वे इस तरह की सूचना के बाद उपस्थित होने में विफल रहते हैं, और यदि अधिकारी, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आगे के प्रयासों के बाद, उनकी उपस्थिति को इतना सुरक्षित नहीं कर सकता है, तो देय राशि को खजाने में जमा किए गए राजस्व के रूप में भुगतान किया जाना है।

उन व्यक्तियों को देय जिन्हें वे देय हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उप-पैरा *(*वी*)*, जब इसके उचित परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाता है, तो यह अपने आप में भुगतान का एक अलग तरीका नहीं है जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है। मुआवजे के हकदार व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक प्रयास किए जाने के बाद यह भुगतान का एक अवशिष्ट तरीका है, और इस तरह के सभी तरीकों के विफल होने के बाद ही, अंतिम उपाय के रूप में, धन को खजाने में जमा किया जाता है। किसी भी मामले में, कोषागार में ऐसी जमा राशि केवल धारा *31 (1)* के लिए संदर्भित है और संदर्भ से पहले कभी भी जमा राशि का विकल्प नहीं हो सकती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा *31 (2)* के तहत प्रदान की गई अदालत, जो उपरोक्त में उल्लिखित परिस्थितियों में लागू होती है

उप-अनुभाग।

हम सुखबीर सिंह *(*ऊपर*)* से संबंधित उपरोक्त भाग से सहमत हैं।

तथापि, धारा *31 (1)* की धारा *31 (2)* से संबंधित भाग के संबंध में नहीं।

60. नियमों से यह स्पष्ट है कि जब स्वीकार करने से इनकार करने पर कोई संदर्भ नहीं मांगा जाता है, तो राशि को खजाने में जमा किया जाता है। नियमों को अधिनियम के प्रावधानों के साथ सुसंगत बनाना होगा, इसलिए यह आवश्यक होगा। जब निर्देश माँगा जाए तो अदालत में जमा करना। इस प्रकार, धारा *31 (2)* के तहत नियमों में दिए गए प्रावधान के अनुसार, जब संदर्भ मांगा गया था, तो इनकार पर अदालत में जमा का प्रावधान आकर्षित किया जाएगा। जब संदर्भ नहीं माँगा गया है तो राशि स्वीकार करने से इनकार करने के मामलों में धारा *31 (2)* बिल्कुल भी लागू नहीं होती है और कोषागार में जमा करना वैध जमा होगा, अन्यथा जहां संदर्भ मांगा जाता है और व्यक्ति इसे स्वीकार करने से इनकार करता है, केवल अदालत में जमा का गैर-अनुपालन का दायित्व धारा *34* के तहत अधिक ब्याज होगा।

61. यद्यपि धारा *31* की उप-धारा *(2)* के अनुसार कुछ

आवश्यकताएँ राशि को अदालत में जमा किया जाना है जहाँ संदर्भ

यदि ऐसा किया जाता है, तो यह पूरी स्थिति को शामिल नहीं करता है जब मुआवजे का वितरण करना संभव नहीं है और खजाने में जमा करना नियमों के अनुसार किया जाता है और यदि न्यायालय में जमा नहीं किया

जाता है तो यह केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता होगी और अधिकतम देयता परिकल्पना के अनुसार होगी। *1894* के अधिनियम की धारा *34* के तहत यदि इसे "निविदा" नहीं दिया गया है। अधिक से अधिक जमा न होने के कारण यह कहा जा सकता है कि राशि को *1894* के अधिनियम की धारा *32* या *33* के तहत सरकारी प्रतिभूति आदि में निवेश नहीं किया जा सकता था। ऐसी प्रतिभूतियों में ब्याज *15* प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।

62. इसके अलावा, धारा *24 (2)* का परंतुक जो 'अधिकांश स्वामित्व' के संबंध में जमा की जाने वाली राशि निर्धारित करता है, के खाते में

लाभार्थियों, यह प्रावधान नहीं है कि ऐसी राशि अदालत में जमा की जानी है। *1894* के अधिनियम की धारा *31* भूमि मालिकों के खाते में अदालत में "अधिकांश जोत" के संबंध में राशि जमा करने से संबंधित नहीं है। केवल *1894* के अधिनियम की धारा *31 (2)*

कुछ आवश्यकताओं पर विचार करता है अर्थात *(1)* स्वीकार करने से इनकार, और संदर्भ मांगा जाता है *(2)* भूमि को अलग करने की अक्षमता, *(3)* हकदारी के बारे में विवाद है या *(4)* विभाजन और प्राधिकरण वितरण नहीं करने का निर्णय लेता है।

बाद की दो आवश्यकताओं में क्षतिपूर्ति। ऐसे मामलों में इसे अदालत में जमा करना पड़ता है। मुआवजे की राशि के लिए निविदा देना आवश्यक नहीं है।

धारा *31 (2)* में प्रदान की गई *3* बाद की आवश्यकताओं में धारा *31 (1)* के तहत स्वयं। *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के परंतुक में धारा *31 (2)* के तहत विचार की गई किसी भी आवश्यकता की परिकल्पना नहीं की गई है, यह स्पष्ट रूप से भूमि अधिग्रहण कलेक्टर या इंदौर विकास प्राधिकरण के समक्ष धन जमा करने से संबंधित है।

शैलेंद्र *(मृत)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

राज्य/प्राधिकरण के रूप में "अधिकांश स्वामित्व" के संबंध में कोषागार, जो भूमि का अधिग्रहण कर रहा है या जिसने इसे अधिग्रहित किया है, के पास भूमि मालिकों को धन का भुगतान करने की व्यवस्था होनी चाहिए और यदि ऐसा धन भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पास या कोषागार में या सभी भूमि धारकों को *2013* के अधिनियम के तहत उच्च मुआवजे के भुगतान के संबंध में परंतुक में गणना किए गए किसी अन्य अनुमेय मोड में जमा नहीं किया गया है। कोषागार में भी अलग-अलग खाते खोले जाते हैं

भूमि मालिकों और धन को ऐसे अलग-अलग खातों में रखा जाता है। जैसा कि पंजाब के स्थायी आदेश *28* और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा *1894* के अधिनियम की धारा *55* के तहत बनाए गए नियमों से स्पष्ट है, यदि राशि को धारा *24 (2)* के प्रावधान के अनुसार खजाने में या भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पास जमा किया गया है।

हमारी राय में धारा *24 (2)* के परंतुक में निहित प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।

63. 2013 के अधिनियम की धारा *24 (2)* के अवलोकन से पता चलता है कि 'भुगतान' अभिव्यक्ति में जमा राशि शामिल नहीं है। 'जमा' शब्द में नियमों के अनुसार जमा भी शामिल होगा। धारा *24 (2)* किसी भी तरह से यह निर्धारित नहीं करती है कि राशि को नहीं कहा जा सकता है 'जमा 'तब भी किया जाता है

जब जमा अनिवार्य नियमों के अनुसार या लागू निर्देशों के अनुसार किया जाता है।' जमा-कोषागार में 'एक के संदर्भ में बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित किया गया है

संवैधानिक प्रावधान, इस प्रकार *1894* के अधिनियम की धारा *55* के साथ-साथ अन्य वैधानिक या प्रशासनिक शक्तियों के तहत भी बनाया गया है। कोषागार में जमा राशि किसी भी तरह से अमान्य नहीं है। यदि जमा वैध है, तो यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उक्त जमा को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

आखिरकार, सरकारी वित्त को लागू नियमों के अनुसार संभाला जाना चाहिए। कोषागार में जमा भारत सरकार द्वारा जारी बाध्यकारी प्रक्रियात्मक नियमों/आदेशों के अनुसार और/या निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया था।

भारत के संविधान का अनुच्छेद *283*।

1894 के अधिनियम के तहत आचरण, व्यवहार और कानूनी स्थिति द्वारा प्रतिस्पर्धा को अस्वीकार करने/स्वीकार न करने पर व्यावहारिक भेदभाव। *64.* मुआवजे की स्वीकृति से इनकार करने का एक तरीका यह है कि जब इसकी निविदा दी जाती है, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। एक अन्य तरीका है भूमि अधिग्रहण पर सवाल उठाने के लिए मुकदमा दायर करना, अंतरिम रोक के लिए आवेदन दायर करना और दशकों तक इसका विरोध करना, अधिग्रहण की अस्वीकृति के स्पष्ट आचरण को दर्शाता है।

क्षतिपूर्ति। राज्य के अधिकारी ऐसी परिस्थितियों में अपने हाथों में धन नहीं रख सकते हैं और वे सरकारी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट जमा करने के लिए बाध्य हैं।

[2018] 2 एस सी आर।

धन जहां वह माना जाता है, यानी नियमों में दिए गए खजाने में। इस प्रकार, आचरण द्वारा भी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्षतिपूर्ति। एक बार मुआवजा स्वीकार हो जाने के बाद, अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। राज्य के अधिकारियों से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वे अपने पास पैसा रखेंगे और भूमि मालिकों के पीछे पड़ेंगे और उनके साथ बराबरी करेंगे।

मुआवजे के लिए, अधिकारी यह नहीं मान सकते हैं कि वे इसे स्वीकार करेंगे और भूमि मालिक उच्च स्तर पर अधिग्रहण पर सवाल नहीं उठाने जा रहे हैं। और यह अधिकारियों के लिए खुला नहीं है कि वे मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान खजाने में एक बार राशि जमा करने के बाद उन्हें बार-बार मुआवजे की पेशकश करें। भूमि मालिक के फैसले के मामले में, इनकार करके या अन्यथा भूमि अधिग्रहण पर सवाल उठाकर प्रारंभिक प्रस्ताव/निविदा का मतलब होगा कि वे मुआवजे को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, जो मुकदमे में उनके आचरण से परिलक्षित होता है। अंतरिम रोक के मामले में भी अधिकारी मुआवजे की पेशकश नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह अदालत के आदेश के उल्लंघन के समान होगा और अंतरिम रोक के बंद होने के बाद, यह भूमि मालिकों पर है कि वे अधिकारियों को मुकदमे को आगे नहीं ले जाने के अपने इरादे और मुआवजे को स्वीकार करने की अपनी इच्छा से अवगत कराएं। धारा *24 (2)* इस तरह के मुकदमे को कवर प्रदान नहीं करती है। *2013* के अधिनियम के आशय पर डी. डी. ए. बनाम में चर्चा की गई है। सुखबीर सिंह *(ऊपर)* इस प्रकार:

" 13. इसलिए धारा *24 (2)* के पढ़ने पर जो तस्वीर सामने आती है, वह यह है कि यदि कोई पुरस्कार दिया गया है और आवश्यक कदम उठाए गए हैं तो राज्य को किसी नागरिक से उसकी संपत्ति जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

अधिग्रहण को पूरा करने के लिए पांच इंदौर विकास प्राधिकरण की अवधि के लिए नहीं लिया गया है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

वर्षों या उससे अधिक। इन कदमों में भूमि का भौतिक कब्जा लेना और मुआवजे का भुगतान करना शामिल है। विधायिका वास्तव में कार्यपालिका को यह बता रही है कि उन्हें अपने घर को व्यवस्थित करना चाहिए था और अधिनिर्णय की घोषणा के बाद उचित समय के भीतर अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी करनी चाहिए थी। पाँच साल की छूट दिए जाने के बाद भी ऐसा नहीं करने पर, विधायी सहिष्णुता की सीमा को पार कर जाएगा, जिसके बाद पूरी कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि अधिग्रहण की कार्यवाही पुरस्कार की घोषणा के बाद पांच साल के भीतर पूरी नहीं की जाती है तो अनुभाग आकर्षित हो जाता है।

इरादा यह है कि अधिग्रहण को पांच साल के भीतर पूरा करने का अधिकार,

विधायिका पाँच साल से अधिक की देरी पर नाराज़ है। *65.* यदि भुगतान प्राप्त करने से इनकार करने के बावजूद यह आयोजित किया जाता है, तो न्यायालय में जमा करना आवश्यक है, अधिकांश अधिग्रहण समाप्त हो जाएगा। द.

प्रावधान। *2013* के अधिनियम की धारा *24* के प्रावधानों के दुरुपयोग में सरलता की कोई कमी नहीं बची है, जबकि यह लाभकारी कानून बनाने के लिए है। इसका इरादा *1894* के अधिनियम की तुलना में बेहतर मुआवजे की पेशकश करने के लिए सत्ताधारियों को फिर से बसाना है। विभिन्न तरीकों से, इस प्रावधान का खुलेआम दुरुपयोग करने की कोशिश की गई है। कानून कभी भी ऐसे बेतुके परिणामों की परिकल्पना नहीं करता है जिन्हें प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। *2013* के अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाता है जो इस तरह के अधिग्रहणों को फिर से खोलने के लिए कानून के प्रावधानों के घोर दुरुपयोग के समान है और अदालत को इस तरह के सभी प्रयासों को विफल करना पड़ता है और ऐसे मामलों को प्राप्त करने के लिए भी नहीं। एक पल के लिए विचार करें। हम देखते हैं कि अधिग्रहित किए गए क्षेत्र में विकास हुआ है, मुकदमेबाजी के कई दौर हुए हैं जो इस न्यायालय तक भी भूमि मालिकों द्वारा खो दिए गए हैं; इसके बाद कुछ व्यक्ति वकीलों की शक्ति या बिक्री विलेखों के आधार पर मामले दायर कर रहे हैं जो राज्य में भूमि निहित होने के बाद अनुमत नहीं हैं और धारा *4* के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद खरीद अवैध और शून्य है और ऐसे अधिकारियों को मुद्दों के पूरे सरगम को फिर से खोलने और यह तर्क देने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि अधिग्रहण *2013* के अधिनियम के प्रावधानों के तहत समाप्त हो गया है।

66. 1894 के अधिनियम के तहत प्रचलित कानून ने अदालत में राशि जमा किए जाने के अभाव में किसी भी भूमि अधिग्रहण को कभी भी अमान्य नहीं किया।

अनादिकाल से अधिकांश मामलों में जहां संदर्भ नहीं मांगा जाता है, राशि निश्चित रूप से कोषागार में जमा की जाती थी जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में दिया गया है।

1894 के अधिनियम की धारा *55* के तहत बनाए गए वैधानिक नियम और राज्य सरकारों द्वारा जारी अन्य स्थायी आदेश, और इस न्यायालय के ऐसे निर्णय थे जिन्होंने केवल यह निर्धारित किया है कि यदि भूमि मालिक भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो अधिक से अधिक वह ब्याज का हकदार हो सकता है। ऐसी राशि पर, यदि कब्जा लेने के समय उसे निविदा/भुगतान नहीं किया गया है। *2013* के अधिनियम की धारा *77* और *80* के तहत भी इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं। अचानक *1894* के अधिनियम की धारा *55* के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों पर विचार करना और देश के विभिन्न राज्यों में हुए ऐसे सभी भूमि अधिग्रहणों को अमान्य करने के आदेश पर विचार करना उचित नहीं होगा, यह निर्धारित करते हुए कि एक बार राशि अदालत में जमा नहीं की गई है, लेकिन खजाने में, अधिग्रहण धारा *24* के तहत समाप्त हो जाएगा। यह कानून का एक बहुत ही कठोर संचालन होगा क्योंकि पुराने अधिनियम में इस तरह के परिणाम के लिए कभी प्रावधान नहीं किया गया था क्योंकि यह अधिनियम *1894* से नया *2013* अधिनियम लागू होने तक अधिनियमित किया गया था। वैसा नहीं है।

2013 के अधिनियम के तहत अधिग्रहण किए जाने के मामले में परिणाम उसकी धारा *77* और *80* के संयुक्त पठन से स्पष्ट है। जब ऐसी विसंगत स्थिति थी, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए वैधानिक नियम और वैधानिक आदेश कि सरकारी धन से कैसे निपटा जाए, तो कानूनी स्थिति को अस्थिर करना उचित नहीं होगा। *1894* के अधिनियम में कभी भी इस तरह के परिणाम पर विचार नहीं किया गया था और कुल मिलाकर, अदालत में जमा करने की प्रथा नहीं थी। केवल उन मामलों में राशि अदालत में जमा की जाती थी, जहां धारा *18* या *30* के तहत संदर्भ मांगा जाता था, जैसा कि नियमों के तहत भी प्रदान किया गया था और दावेदारों के बीच इसके हकदार व्यक्ति या उसके विभाजन के बारे में विवाद था। मुख्य रूप से यह भूमि अधिग्रहण कलेक्टर पर है कि वह मुआवजे को वितरित करे और गरीब किसानों को अदालत और उस स्थान के बारे में पता नहीं होना चाहिए जहां संदर्भ दिया जाएगा, अगर यह नहीं मांगा गया तो व्यक्ति नहीं जानता।

एक ऐसी जगह को जानते हुए जहां इसे अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, अदालत में जमा करने का सवाल ही नहीं उठेगा। जब संदर्भ नहीं मांगा जाता है तो अदालत मुआवजे का अधिकार वितरित नहीं कर रही है। किसान/दावेदार मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण कलेक्टर से संबंधित हैं और एक शताब्दी से अधिक समय से खजाने में जमा करने की यह प्रक्रिया प्रचलित थी और बड़ी मात्रा में राशि केवल खजाने में जमा की गई थी और इस प्रकार कानून के संचालन को ऐसा बनाना उचित नहीं होगा कि कोषागार में जमा किए जाने पर भूमि अधिग्रहण को अमान्य कर दिया जाए। अधिनियम के आशय के अनुसार ऐसी व्याख्या की अनुमति नहीं है। *2013.* हालाँकि यह सत्ताधारियों को लाभ पहुँचाने के लिए एक लाभकारी कानून है, लेकिन इसकी व्याख्या एक ऐसे कानून के रूप में नहीं की जा सकती है जो प्रचलित कानून के अनुसार संपन्न लेनदेन को अमान्य कर देगा और उस भूमि को बेच देगा जो राज्य में निहित है, इंदौर विकास प्राधिकरण *v.*

शैलेंद्र (मृत) टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

विकास हुआ है, कब्जा लिया गया है, पुरस्कार पारित किए गए हैं, मुकदमेबाजी के कई दौर हार गए हैं और फिर भूमि को वापस करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। कानून उस प्रभाव का इरादा नहीं रखता है,

क्योंकि इसे मनमाना और विधायी क्षमता से परे कहा जा सकता है। हमें प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकना होगा और विसंगत परिणामों से बचना होगा।

67. अदालत को इसे रोकने के लिए सतर्क और कर्तव्यबद्ध रहना होगा।

कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग और निर्णयों के अनुभव और बाद के प्रभाव पर विचार करते हुए उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करना। साथ ही हमें किसानों को लाभान्वित करने के लिए *2013* के अधिनियम के प्रावधानों के इरादे और भावना को आगे बढ़ाना होगा, साथ ही साथ, पूरे विकास को विफल करने के लिए या राजकोष पर ऐसे दायित्व का बोझ डालने के लिए जो *2013* के अधिनियम में विचार नहीं किया गया है और उन अधिग्रहणों को अमान्य कर देना है जो *1912,1950* और *1960* के दशक में हुए हैं और अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें *2013* के अधिनियम की आड़ में उपरोक्त तकनीकी पहलू का लाभ उठाते हुए फिर से खोलने की मांग की गई है। अदालतें ऐसे सभी प्रयासों को विफल करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, जैसे कि भूमि जो बहुत पहले अधिग्रहित की गई है, सार्वजनिक राजस्व की कीमत पर अयोग्य व्यक्तियों को *2013* के अधिनियम में प्रदान की गई दर के अनुसार मुआवजे का भुगतान करना संभव नहीं होगा, और पुराने और मृत दावों को स्वीकार करने और उन्हें तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक, यदि कोई हो, और भूमि मालिकों द्वारा किए गए आचरण के आधार पर पुनर्जीवित करने के लिए प्रावधानों की व्याख्या करना उचित नहीं होगा। धारा *24* का आशय यह है कि अधिग्रहण को जल्दी पूरा किया जाए। यदि अधिकारी बिना किसी अच्छे कारण के अपने दम पर पांच साल या उससे अधिक समय तक कदम उठाने में विफल रहते हैं तो धारा *24* के तहत अधिग्रहण की अवधि समाप्त हो जाएगी।

68. "ओम्निस इनोवेशियो प्लस नोविटेट पर्टुर्बैट क्वाम यूटिलिटेट प्रोडेस्ट" अर्थात "ओम्निस इनोवेशियो प्लस नोविटेट पर्टुर्बैट क्वाम यूटिलिटेट प्रोडेस्ट" को संदर्भित करना उचित होगा। हर नवाचार

अंततः, उसके बाद की घटनाओं के दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाना चाहिए और जब हम पुणे नगर निगम *(*उपरोक्त*)* में निर्णय के बाद के प्रभावों पर विचार करते हैं, तो यह तथ्य सामने आता है कि इस संबंध में अटूट 'प्रतिभा' की कोई कमी नहीं होने के कारण, उक्त निर्णय में निहित उक्ति का गलत तरीके से उपयोग करते हुए, ऐसा करने के लिए नए और अभिनव तरीकों का पता लगाकर दृढ़ प्रयास किए जा रहे हैं।

अदालत में गैर-निर्वासितों के लिए पूर्वाग्रह *69.* फिर भी एक अन्य पहलू उत्पन्न होता है, कि यदि राशि अदालत में जमा नहीं की जाती है और खजाने में जमा की जाती है, तो क्या पूर्वाग्रह या अन्याय होगा, विशेष रूप से जब *[2018] 2* एस. सी. आर. में निहित प्रावधान होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1894 के अधिनियम की धारा *31* को धारा *34* की धाराओं के साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा *34* में निहित प्रावधानों के अनुसार, यदि अधिकारियों की गलती है तो कोई व्यक्ति धारा *31 (2)* के तहत परिकल्पित राशि जमा नहीं होने की स्थिति में ब्याज का दावा कर सकता है। यहां तक कि यह मानते हुए भी कि राशि को केवल अदालत में जमा करने की आवश्यकता है जहां संदर्भ होगा

1894 के अधिनियम की धारा *31 (2)* में कानून द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार, कोषागार में जमा किया गया और जमा किया गया जमा एक अनुमेय तरीका नहीं है। यह है।

यह कानून कि दी गई स्थिति में जब तक पीड़ित पक्ष पूर्वाग्रह और अन्याय का मामला नहीं बनाता है, कानून का हर उल्लंघन दूषित नहीं होगा

अधिनियम। जानकीनाथ सारंगी बनाम में यह अदालत। उड़ीसा राज्य *(1969) 3* एस. सी. सी. *392* ने कहाः

" 5. इस सामग्री से, यह तर्क दिया जाता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था क्योंकि अपीलार्थी के अपने साक्ष्य को दर्ज करने के अधिकार से उसे वंचित कर दिया गया था और आगे यह कि उसकी पीठ के पीछे जो सामग्री एकत्र की गई थी, उसका उपयोग किया गया था।

उसके अपराध का निर्धारण करना।

इन तर्कों के समर्थन में, कई निर्णयों का उल्लेख किया गया है जिनमें से प्रमुख हैं बॉम्बे राज्य बनाम। नूरुल लतीफ खान *1966*

2 L.L.J.595 उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य *v.* सी. एस. शर्मा *1969 1* एल. एल. जे. *509* और भारत संघ बनाम टी. आर. वर्मा *1958*

2L.L.J.259

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है और एक सकल मामला होता है, तो यह न्यायालय बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करके हस्तक्षेप करेगा; लेकिन मामले और मामले हैं।

हमें यह देखना होगा कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष अधिकार से कथित रूप से वंचित करने से उसके प्रति क्या वास्तविक पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।

70. सुनील कुमार बनर्जी बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य, *(1980) 3* एस. सी. सी. *304,* यह देखा गया थाः

" 3. ... . यह तुरंत ध्यान दिया जा सकता है कि यह प्रावधान *1898* की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *342* और *1974* की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *313* के समान है। अब ठीक है।

यह स्थापित किया कि केवल गैर-परीक्षा या दोषपूर्ण परीक्षा

1898 की संहिता की धारा *342* के तहत इसका कोई आधार नहीं है।
हस्तक्षेप जब तक कि पूर्वाग्रह स्थापित नहीं हो जाता है, के. सी. मैथ्यू बनाम। त्रावणकोर राज्य-कोचीन *1956* सी. आर. आई. एल. जे. *444,* बिभूति भूषण दास गुप्ता और अन्र। वी. पश्चिम बंगाल राज्य *1969* सी. आर. आई. एल. जे. *654. "*इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम.

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

इस मामले का समान दृष्टिकोण आंध्र प्रदेश राज्य बनाम में लिया गया है। तक्कीदीराम रेड्डी, *(1998) 6* एस. सी. सी. *554;* विली *(*विलियम*)* स्लेनी बनाम। मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. *1956* एस. सी. *116;* अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य *(2010) 10* एस. सी. सी. *259;* पंजाब राज्य बनाम। देविंदरपाल सिंह भुल्लर, ए. आई. आर. *2012* एस. सी. *364;* और बहामंस बनाम। कर्नाटक राज्य, *(2012) 9* एससीसी *650*।

1894 के अधिनियम की धारा *31* के तहत राजपत्र को सार्वजनिक नहीं करने की शर्तः

71. धारा *31* में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "भुगतान" नहीं है, यह केवल "निविदा भुगतान" है और क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायित्व है जब तक कि इसे रोका न जाए। धारा *31* की उप-धारा *(2)* के तहत किसी कारण से। यदि मुआवजे के हकदार व्यक्ति के बारे में विवाद है या इच्छुक व्यक्ति के बीच इसका विभाजन या व्यक्ति अलगाव करने के लिए भी सक्षम नहीं था

जो संपत्ति अर्जित की गई है, उसके लिए निविदा राशि की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उक्त आवश्यकताओं के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्राधिकरण अदालत के आदेश तक इसका भुगतान नहीं करने का निर्णय ले सकता है, फिर इसे *1894* के अधिनियम की धारा *34* के तहत अत्यधिक ब्याज के आगे के दायित्व को बचाने के लिए अदालत में जमा किया जाना है। कलेक्टर को हमेशा भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे धारा *31 (2)* में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अदालत में जमा किया जा सकता है। इसके अलावा धारा *31 (2)* में सभी आवश्यकताओं को शामिल नहीं किया गया है और यह आवश्यक नहीं है कि क्षतिपूर्ति को हमेशा अदालत में जमा किया जाए। यह केवल तब होता है जब संदर्भ की मांग की जाती है कि संदर्भ अदालत नियमों/आदेशों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार काम नहीं करती है, यदि कोई व्यक्ति इनकार करता है और अदालत में संदर्भ की मांग करता है तो इसे अदालत में जमा करना पड़ता है, जहां संदर्भ अन्यथा प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि नियमों में प्रावधान किया गया है, इसे कोषागार में जमा करना होता है। यह केवल तभी होता है जब न्यायालय कार्य में आता है तो नियमों में दिए गए *32* के साथ पठित धारा *31 (2)* की अनिवार्यताओं में संदर्भ न्यायालय में जमा की आवश्यकता होती है। यहां तक कि धारा *31 (2)* भी लागू होती है और "निविदा भुगतान" अनिवार्य प्रावधान है। भुगतान की निविदा तब पूरी होती है जब इसे बिना शर्त उपलब्ध कराया जाता है, इसे पुराने और नए अधिनियमों की धारा *31 (2)* या *24 (2)* के तहत अदालत में जमा राशि के बराबर नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये दो अलग-अलग आवश्यकताएं हैं और मुआवजे का भुगतान न करने का परिणाम धारा *34* में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ब्याज के भुगतान के लिए एक देयता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम में यह न्यायालय। सुखबीर सिंह और अन्य। *[(2016) 16* एस. सी. सी. *258]* ने धारा *31 (1)* में भुगतान के तरीकों पर विचार किया है और ऊपर उद्धृत पैरा *18* में यह अभिनिर्धारित किया है कि कोषागार में जमा राशि *1894* के अधिनियम की धारा *31 (1)* के तहत भुगतान का अवशिष्ट तरीका है।

72. इस अदालत ने जमा न करने के प्रभाव के सवाल पर विचार किया है।

हिसार सुधार *v.* श्रीमती. रुक्मिणी देवी और अन्र। , ए. आई. आर. *1990* एस. सी. *2033* और कहा कि मुआवजे के मामले में भुगतान नहीं किया जा रहा है या भूमि का कब्जा लेने से पहले अदालत में समय पर जमा की गई, कलेक्टर को धारा *31* में दी गई राशि जमा करनी होती है, जिसमें विफल रहने पर वह धारा *34* में दिए गए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। न्यायालय ने कहा हैः

" *5.* यह लाभप्रद नहीं कहा जा सकता है कि मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में भूमि मालिक को ब्याज देय और देय है या

अदालत में समय पर जमा किया। भूमि का कब्जा लेने से पहले, कलेक्टर को धारा *31* में बताई गई राशि का भुगतान या जमा करना होता है, जिसमें विफल रहने पर वह धारा *34* में दिए गए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

6. इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का यह कहना सही था कि ब्याज देय था और भूमि मालिक को देय था। उच्च न्यायालय ने आवश्यक पक्षों को राशि के निर्धारण के लिए निष्पादन अदालत में उपस्थित होने का निर्देश देना उचित ठहराया।

73. किशन दास और ओआरएस में। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य। *(1995) 6* एस. सी. सी. *240* इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि यदि भूमि मालिकों के पास स्वयं है

रणनीति। यहां तक कि धारा *34* के तहत ब्याज को भी अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति विलम्बकारी रणनीति अपनाने के लिए मुकदमेबाजी में लिप्त है, तो अदालत में जमा नहीं किए जाने की स्थिति में *1894* के अधिनियम के तहत भूमि के विनिवेश का कोई प्रावधान नहीं है। न ही *2013* के अधिनियम की धारा *24 (1)* में ऐसा प्रावधान किया गया है। भुगतान करने की बाध्यता का निर्वहन उसी समय किया जाता है जब इसे बिना शर्त निविदा दी जाती है और भूमि मालिकों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद इसे अदालत में जमा करने की कोई और बाध्यता नहीं है ताकि अधिग्रहण को बचाया जा सके। केवल अधिग्रहित निकाय को अत्यधिक दरों पर ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से बचाने के लिए, इसे कुछ मामलों में अदालत में जमा किया जा सकता है जहां संदर्भ न्यायालय राज्य द्वारा दायित्व का निर्वहन करने के लिए चित्र में आता है लेकिन न्यायालय में जमा भूमि मालिकों को भुगतान नहीं होगा। यदि राज्य प्राधिकरणों की ओर से दी गई आवश्यकताओं में अदालत में मुआवजा जमा करने में विफलता होती है, तो केवल धारा *34* के प्रावधानों को आकर्षित किया जाएगा और यह तब न्यायालय के लिए होगा कि वह प्रत्येक मामले में जांच करे कि क्या वह उच्च ब्याज दर के लिए आदेश देगा और जांच करे कि क्या यह राज्य प्राधिकरणों की विफलता के कारण था और यदि कब्जा लिया गया है तो ब्याज का भुगतान करने के लिए देयता उत्पन्न हो सकती है, यह इंदौर विकास प्राधिकरण *v* नहीं हो सकता है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

भूमि मालिकों की विलंबकारी रणनीतियों के लिए प्रीमियम होना चाहिए कि वे और भी अधिक ब्याज दर का दावा कर सकते हैं।

74. शेषन और ओआरएस में। वी. विशेष तहसीलदार और भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एस. पी. आई. सी. ओ. टी., पुदुकोट्टई *(1996) 8* एस. सी. सी. *89* इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि एक वर्ष की समाप्ति के बाद मुआवजा जमा नहीं किया जाता है, तो धारा *34* के प्रावधानों को आकर्षित किया जाएगा ताकि *15* प्रतिशत की दर से ब्याज का दावा किया जा सके, यह एक वर्ष की समाप्ति के बाद भुगतान या जमा नहीं किए गए मुआवजे पर देय ब्याज होगा, और न्यायालय में भुगतान या जमा करने की तारीख तक कब्जा लेने की तारीख से पहले वर्ष के लिए *9* प्रतिशत।

75. डी ब्लॉक अशोक नगर *(*साहिबाबाद*)* में भूखंड धारक

एसोसिएशन *(*विनियमित*) v.* यू. पी. और अन्य का राज्य। *(1997) 10* एस. सी. सी. *77,* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा *34* के तहत ब्याज का भुगतान करने का दायित्व कब्जा लेने की तारीख से उत्पन्न होता है।

76. इस प्रकार, जब *1894* का अधिनियम निम्नलिखित परिणाम प्रदान करता है -

न्यायालय में जमा न करना। हमारी राय में कोषागार में जमा धारा *24 (2)* के परंतुक के तहत जमा का अनुमेय तरीका है और मुख्य धारा *24 (2)* के दायरे में, "भुगतान" शब्द को "जमा" को शामिल करने के लिए नहीं लिया जा सकता था, यह केवल परंतुक में विचार किया गया है, और "बहुमत धारण" के संबंध में राशि लाभार्थी/भूमि मालिक के खाते में जमा नहीं की जाती है, यदि पुरस्कार पांच साल या उससे अधिक समय से पहले पारित किया गया है तो अधिग्रहण समाप्त नहीं होगा, हालांकि सभी लाभार्थी/भूमि मालिक *2013* के अधिनियम में प्रदान किए गए उच्च मुआवजे के हकदार बन जाएंगे। "भूमि मालिकों के खाते में जमा" शब्द का अर्थ न्यायालय में जमा करना नहीं होगा जैसा कि इस में परिकल्पित है। पुराने अधिनियम की धारा *31 (2)* के तहत कानूनी या प्रशासनिक आदेशों वाले वित्तीय निर्देशों के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा *1894* के अधिनियम की धारा *55* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियमों के तहत हमेशा अनुज्ञेय कार्रवाई की जा सकती है। विभिन्न राज्यों में वित्तीय संहिता/आदेश/नियम सरकारी धन से संबंधित हैं और इस तरह की राशि को भूमि मालिकों/लाभार्थियों/दावेदारों के अलग-अलग खाते खोलकर कोषागार में जमा करने की आवश्यकता होती है।

नए अधिनियम की धारा *24 (2)* के प्रावधान का पूर्ण अनुपालन होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम। सुखबीर सिंह और अन्य। इसके अलावा, इस अदालत ने सही निर्णय दिया है कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा खजाने में जमा करना धारा *31 (1)* के तहत जमा करने का अनुमेय तरीका है।

77. महावीर और ओआरएस में। वी. भारत संघ, *[*एस. एल. पी. *[*सी*]* सं. *26281/2017]* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया हैः

" *9.* अधिनियम की धारा *31 (1)* में मुआवजे की निविदा की आवश्यकता होती है जो अधिनियम की धारा *12* के संदर्भ में दी जाती है। धारा *12* दावेदारों को मुआवजे के बारे में सूचित करने का एक तरीका प्रदान करती है। अधिनियम की धारा *31 (2)* के तहत कलेक्टर को अदालत में राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, यदि वह इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है या कोई विवाद होता है। अधिनियम के तहत, जमा की आवश्यकता केवल ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से बचने की दृष्टि से है। न्यायालय में जमा करना मालिक को किया गया भुगतान नहीं है। यह केवल देनदारी से बचने के लिए है, वह भी जमा की विफलता पर उच्च दरों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए। एक बार जब यह जमा हो जाता है तो ब्याज का भुगतान करने की देनदारी समाप्त हो जाती है। अधिनियम की धारा *34* में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि भूमि का कब्जा लेने पर या उससे पहले मुआवजा जमा नहीं किया जाता है, तो कब्जा लेने के समय से लेकर अदालत में मुआवजे का भुगतान या जमा होने तक नौ प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा। धारा *34* के परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि इसे धारा के अनुसार अदालत में जमा नहीं किया जाता है

31 (1) कब्जा लेने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर *15* प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

इस प्रकार, धारा *34* के तहत यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि *15* प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से तब तक देय होगा जब तक कि इसे इस तरह से

भुगतान या जमा नहीं किया जाता है। जैसे ही अधिनियम की धारा *31 (2)* के तहत जमा किया जाता है, देयता मुआवजे पर ब्याज का भुगतान करना बंद कर देती है।

इस प्रकार जमा की गई राशि "।

78. नज़ीर अहमद बनाम में निर्णय पर भूमि मालिकों द्वारा रिलायंस रखा गया था। राजा सम्राट, ए. आई. आर *1936* पी. सी. *253 (2),* जिसमें अदालत यह देखा गया कि "जहां एक निश्चित तरीके से एक निश्चित काम करने की शक्ति दी जाती है, तो काम उस तरह से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। प्रदर्शन के अन्य तरीकों को अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है और इस न्यायालय ने कई बार इसका पालन किया है। हालाँकि, भूमि अधिग्रहण के मामलों में लगातार जो प्रथा अपनाई गई है, वह यह है कि जब संदर्भ मांगा जाता है और धारा *31 (2)* के अनुसार एक या अन्य कारण से राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो राशि उस अदालत में जमा की जाती है, जिसमें संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगा, और अन्यथा नहीं। कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा रही है। मुआवजे की राशि, जो मौजूदा/भूमि मालिकों के पास नहीं है

संदर्भ माँगा जाता है, आम तौर पर खजाने में जमा किया जाता है, खोलकर

उनके अलग-अलग नामों में खाते; वही प्रपत्रों, *1894* अधिनियम की धारा *55* के तहत बनाए गए नियमों और विभिन्न वैधानिक आदेशों इंदौर विकास प्राधिकरण *v* से स्पष्ट है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किया गया। धारा *31 (2)* को राशि जमा करने की सभी आवश्यकताओं को शामिल करने वाला नहीं कहा जा सकता है। इसकी जरूरत नहीं थी। न्यायालय में राशि जमा करने के लिए विभिन्न अन्य आवश्यकताओं के लिए। विशेष रूप से वित्तीय मामलों में सरकारी नियमों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए

2013 अधिनियम की धारा *24* में किए गए प्रावधानों के आधार पर विच्छेदित। *1894* के अधिनियम के तहत राज्य में पूर्ण निहित होने की अवधारणा अच्छी तरह से स्थापित है। और अधिनिर्णय पारित किए जाने, कब्जा लिए जाने, मुआवजे की पेशकश किए जाने लेकिन अस्वीकार किए जाने पर, धारा *24* ऐसी स्थिति में राज्य को विभाजित करने के लिए लागू नहीं होगी यदि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। धारा *24* में *1894* के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य में पूरी तरह से निहित होने के बाद भूमि को बेचने का कोई अलग इरादा नहीं दिखाई देता है। केवल द्वारा

अंतरिम आदेश प्राप्त करना या मुकदमेबाजी को लंबित रखना या इसे नए सिरे से दायर करना, वह भी *2013* के अधिनियम के लागू होने के बाद पुराने और विलंबित दावे के माध्यम से, भूमि के विनिवेश पर विचार नहीं किया जाता है। यह केवल आवश्यकताओं में है बशर्ते कि मानित चूक या तो तब होती है जब कब्जा नहीं लिया जाता है या धारा *24 (2)* में प्रदान किए गए मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है और जहां पुरस्कार पारित नहीं किया गया है, *2013* के अधिनियम की धारा *24* के प्रावधान लागू होते हैं। निर्णयों के एक समूह में, इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जैसा कि *1894* के अधिनियम की धारा *16* में प्रावधान किया गया है, जब कोई पुरस्कार पारित किया जाता है और कब्जा लिया जाता है, तो भूमि पूरी तरह से सरकार में निहित होती है जो सभी बाधाओं से मुक्त होती है, प्रक्रिया की एकमात्र वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है। धारा *17 (1)* में निहित प्रावधान सरकार को सभी बाधाओं से मुक्त करने का भी प्रावधान करता है। किसी पुरस्कार के पारित होने से पहले भी तात्कालिकता।

80. निहित अधिकार को नहीं खोया जा सकता है। काले के कानून में

शब्दकोश "निहित" को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

"निहित, एडज। *(18 ग)* वर्तमान या भविष्य के आनंद के लिए एक पूर्ण, पूर्ण अधिकार बन गया है; आकस्मिक नहीं; बिना शर्त; संपत्ति में पूर्ण निहित हित।

"दुर्भाग्य से, 'निहित' शब्द का उपयोग दो अर्थों में किया जाता है। सबसे पहले, एक ब्याज कब्जे में निहित हो सकता है, जब आनंद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, उदाहरण के लिए जब मैं ब्लैकएक्रे का मालिक होता हूं और उस पर कब्जा करता हूं।

"भविष्य का ब्याज निहित है यदि यह दो आवश्यकताओं को पूरा करता हैः सबसे पहले,
कि ब्याज के पूर्ववर्ती होने की कोई शर्त नहीं है

उन लोगों की प्राकृतिक समाप्ति के अलावा एक वर्तमान संपत्ति
संपत्ति जो इससे पहले के कब्जे में हैं; और दूसरा, कि यह

सैद्धांतिक रूप से यह पहचानना संभव है कि किसे अधिकार मिलेगा
यदि ब्याज किसी भी समय एक वर्तमान संपत्ति बन जाना चाहिए। थॉमस एफ. बर्गिन *8.* पॉल सी. हास्केल, भूमि और भविष्य के हितों में संपदा की प्रस्तावना *66-67 (2d* संस्करण। *1984)* "।

वेबस्टर्स डिक्शनरी में, इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

"निहित एडज। *[* पीपी। बनियान की*] 1.* कपड़े पहने; विशेष रूप से चर्च के वस्त्रों में। *2.* इनलॉ, फिक्स्ड; सेटल्ड; एब्सोल्यूट; आकस्मिक नहीं

कुछ भीः एक निहित स्वार्थ के रूप में "।

पुरस्कार और मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है, अधिकार, मालिक का स्वामित्व समाप्त हो गया है। सरकार बनती है।उक्त भूमि का मालिक। कोई भी किसी भी उपाधि/न्यायसंगत उपाधि का दावा नहीं कर सकता है।

इसके बाद कब्ज़े में रखना। इस न्यायालय ने टिप्पणी की हैः

"*3.* विद्वान न्यायाधीश ने निर्धारित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए

सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के निपटान में कहा गया है कि समर्पण के लिए उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था

पूर्ववर्ती मालिकों को भूमि। प्रत्यर्थी ने खरीदा था

भूमि में सुधार हुआ था और इसलिए वह भूमि का न्यायसंगत मालिक होने का हकदार है। हम पूरी तरह से सराहना करने में विफल रहते हैं

उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण। विद्वान न्यायाधीश के पास जाल था अधिनियम और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यह एक

निर्विवाद तथ्य कि पुरस्कार के पारित होने के परिणामस्वरूप

धारा *11* के तहत और अधिनियम की धारा *16* के संचालन द्वारा भूमि पर कब्जा कर लिया, पूर्ववर्ती का अधिकार, स्वामित्व और हित

संपत्ति का मालिक सभी बाधाओं से मुक्त है। इस प्रकार, नहीं किसी ने न तो विकास प्राधिकरण के संबंध में कोई अधिकार, शीर्षक और हित का दावा किया है और न ही किया है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

अधिग्रहित भूमि। इससे पहले कि कब्जा लिया जा सके,

सरकार के पास अधिनियम की धारा *48 (1)* के तहत भूमि को अधिसूचित करने की शक्ति है। उस स्थिति में, भूमि को पूर्व मालिकों को सौंपना आवश्यक है। इस मामले के तथ्यों पर ऐसा नहीं है। इन परिस्थितियों में सरकार बन गई है सभी बाधाओं से मुक्त संपत्ति का पूर्ण स्वामी, जब तक कि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार शीर्षक प्रदान नहीं किया जाता है, कोई भी व्यक्ति कब्जे में रहकर किसी भी कम न्यायसंगत शीर्षक का दावा नहीं कर सकता है। निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने प्रतिवादी की इस याचिका को खारिज कर दिया कि उसे *20* साल की अवधि के लिए पट्टेदार के रूप में कब्जे में लिया गया था। दूसरी ओर, निष्कर्ष यह था कि वह वार्षिक आधार पर पट्टेदार के रूप में कब्जे में था। सरकार के पट्टेदार के रूप में कानूनी रूप से अधिकार में आने के बाद, साक्ष्य अधिनियम की धारा *116* उसे सरकार के अधिकार से वंचित करने और इसे तीसरे पक्ष में स्थापित करने से रोकती है। सरकारी उपाधि को अस्वीकार करके, उन्होंने वार्षिक पट्टे को भी जब्त कर लिया। इन परिस्थितियों में, पट्टाधारक के रूप में कब्जे में आने के बाद, पट्टा की समाप्ति और ज़ब्त होने के बाद, उसे कोई अधिकार नहीं है। भूमि के अवैध और गैरकानूनी कब्जे के लिए भुगतान करना पड़ता है

सरकार को नुकसान "। *(* जोर दिया गया*)*

81 (बी*)*। स्टार वायर *(*इंडिया*)* लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। *5) 11* एस. सी. सी. *698*, इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जब अधिनिर्णय दिया गया है, तो कब्जा ले लिया गया है, राज्य में भूमि सभी से मुक्त है।

एमब्रांस। पूर्व मालिक द्वारा बनाई गई कोई भी देनदारी

धारा *4* के तहत अधिसूचना का कोई वैध शीर्षक नहीं है और नहीं हैराज्य में एनजी। बाद के खरीदार को अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया हैः

" *2.* याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री पी. पी. राव का तर्क है कि याचिकाकर्ता को अधिग्रहण की कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही उसे अधिग्रहण के बारे में पता चला, उसने अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता को चुनौती दी थी और इसलिए, वह याचिकाकर्ता को कार्रवाई का कारण प्रस्तुत करता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि रिट याचिका को बाधाओं के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था, लेकिन गुण-दोष के आधार पर विचार करने की आवश्यकता थी। हम में कोई बल नहीं पाते हैं

विवाद। धारा *4 (1)* के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद भूमि के पूर्व मालिक द्वारा उत्पन्न कोई भी बोझ राज्य को बाध्य नहीं करता है यदि भूमि का कब्जा अधिनिर्णय पारित होने के बाद पहले ही ले लिया गया है।

भूमि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट थी

[2018] 2 एस सी आर।

अधिसूचना के प्रकाशन की कमी के आधार पर अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का हकदार है। वाई. एन. गर्ग बनाम राजस्थान राज्य *[1996] 1* एस. सी. सी. *284* और स्नेहप्रभा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *[1996] 7* एस. सी. सी. *325,* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि धारा *4 (1)* के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद भूमि के पूर्व मालिक द्वारा किए गए अलगाव, राज्य सरकार या उस लाभार्थी को बाध्य नहीं करते हैं जिसके लाभ के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अर्जित किया। खरीदार को कोई वैध शीर्षक प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तक कि खरीदार द्वारा दावा किए गए शीर्षक का रंग भी अमान्य था। लाभार्थी पूर्ण अधिकार प्राप्त करने का हकदार है जो किसी भी तरह की बाधाओं से मुक्त हो। उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ में अपने अध्यक्ष और अन्र के माध्यम से। वी.

एम/एस। कालरा प्रॉपर्टीज *(*पी*)* लिमिटेड, लखनऊ और अन्य। *[1996] 1* एस. सी. सी. *124,* इस न्यायालय ने आगे कहा था कि धारा *4 (1)* के तहत अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद संपत्ति का खरीदार धारा *6* के तहत घोषणा के प्रकाशन से पहले अधिसूचना की वैधता या भूमि पर कब्जा करने में अनियमितता को चुनौती देने के अधिकार से वंचित है। निकट आने में बाधाओं के संबंध में

रवीन्द्रनाथ बोस और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस। *[1970] 2* एससीआर *697;* मैसूर राज्य और ओआरएस। वी. नरसिम्हा राम नाइक, *[1976] 1* एससीआर *369;*

अफलातून और अन्र। वी. दिल्ली के उपराज्यपाल *[1975] 1* एससीआर *802;*

एम/एस। तिलोकचंद मोतीचंद और अन्य। वी. एच. बी. मुंशी, बिक्री कर आयुक्त, बॉम्बे और अन्र। *[1969] 2* एससीआर *824;* तमिलनाडु राज्य और अन्य। आदि. वी. एल. कृष्णन और ओआरएस।

(1996) 1 एस. सी. सी. *250;* इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, फरीदकोट और अन्य। वी. जगजीत सिंह और अन्य। ;
पंजाब राज्य और अन्य। वी. हरि ओम को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, अमृतसर; मार्केट कमेटी, होडल बनाम। कृष्णमुरारी और ओआरएस। , *(1996) 1SCC311* और;

हरियाणा राज्य बनाम। दीवान सिंह एयर *1996* एससी*675*

जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि उच्च न्यायालय उचित नहीं था

अधिग्रहण की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। यह न्यायालय बृहन्मुंबई नगर निगम बनाम में नवीनतम निर्णय में। औद्योगिक विकास और निवेश कंपनी प्रा. लि. लिमिटेड और

ओआरएस। , ए. आई. आर. *1997.* एस. सी. *482* ने पूरे मामले के कानून की समीक्षा की और कहा कि जो व्यक्ति देर से अदालत का दरवाजा खटखटाता है, उसे बताया जाएगा कि वह धारा *4 (1),* धारा *6* के तहत घोषणा और धारा *11* के तहत कलेक्टर के फैसले के तहत अधिसूचना की वैधता पर सवाल उठाने के लिए अदालत के द्वार बंद कर देता है।

(जोर दिया गया*)*

सरकार में सभी बाधाओं से मुक्त भूमि निहित है। एल. आर. द्वारा पुट्टूलाल *(*मृत*)* में। वी. उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य *(1996) 3* एस. सी. सी. *99* का कब्जा ले लिया गया था और मालिक को मुआवजा दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य में भूमि सभी बाधाओं से मुक्त है। नतीजतन, राज्य पूर्ण स्वामी बन जाता है और कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने का हकदार होता है।

81 (डी*)*। "बनियान" शब्द पर इस न्यायालय द्वारा फल और सब्जी व्यापारी संघ *v* में विचार किया गया है। दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, आकाशवाणी

1957 एस. सी. *344,* का अर्थ है कि अर्जित संपत्ति स्वामित्व या कब्जे के रूप में किसी भी शर्त या सीमा के बिना सरकार की संपत्ति बन जाती है। इस प्रकार जब राज्य में पूर्ण अधिकार निहित होता है तो यह अधिकार के साथ निहित होता है और उसके बाद जो व्यक्ति अधिकार में रहता है वह केवल एक अतिचारक होता है जो सही अधिकार में नहीं होता है। पहनावा नहीं हो सकता है खिताब या कब्जे के रूप में किसी भी सवार के साथ माना जाता है। निहित करना, जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित किया गया है, राज्य में पूर्ण स्वामित्व, अधिकार पर विचार करता है। बेशक, निहित करने की प्रक्रिया को अदालत द्वारा देखा जा सकता है यदि सवाल किया जाता है और एक बार प्रवेश मुट्ठी भर होने के बाद, यह पूरी तरह से राज्य में निहित होता है और *2013* का अधिनियम फिर से नहीं खोलता है और भूमि की राज्य सरकार को विभाजित नहीं करता है। *2013* अधिनियम केवल उन मामलों में आएगा जहां राज्य सरकार को भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ है। फल और सब्जी व्यापारियों में *[2018] 2* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. वी. दिल्ली सुधार न्यास, ए. आई. आर. *1957* एस. सी. *344,* इस न्यायालय ने

वेद इस प्रकार हैः

अधिग्रहण अधिनियम *(1894* का अधिनियम *I)* में प्रावधान है कि इस तरह से अर्जित संपत्ति, कुछ घटनाओं के होने पर, निहित होगी। पूरी तरह से सरकार में सभी बाधाओं से मुक्त "। धारा *16* और *17* द्वारा विचार किए गए मामलों में संपत्ति

अर्जित बिना किसी के सरकार की संपत्ति बन जाती है

स्वामित्व या संपत्ति के संबंध में शर्तें या सीमाएँ। विधायिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संपत्ति का निहित होना किसी सीमित उद्देश्य या सीमित अवधि के लिए नहीं है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि "बनियान" शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, जिसका अर्थ है कि सभी मामलों में संपत्ति उस व्यक्ति या प्राधिकरण के स्वामित्व में है जिसमें वह निहित है। यह शीर्षक में निहित हो सकता है, या यह कब्जे में निहित हो सकता है, या यह एक सीमित अर्थ में निहित हो सकता है, जैसा कि उस संदर्भ में इंगित किया गया है जिसमें इसका उपयोग किसी विशेष कानून में किया गया हो सकता है। सुधार अधिनियम के प्रावधान, विशेष रूप से धारा *45* से *49* और *54* और *54* ए जब वे किसी निश्चित भवन या सड़क या चौक या किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकाय या किसी न्यास में निहित अन्य भूमि की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्वामित्व उनमें से किसी को भी दिया गया है।

81 (ई)। मोसमत में बीबी सईदा बनाम। बिहार राज्य *(1996) 9 516* में "बनियान" की अवधारणा पर इस प्रकार चर्चा की गई है:

" *17.* 'निहित' शब्द को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में परिभाषित किया गया है।

(6) पी. पर। *1563* के रूप में:

" निहित; नियत; उपार्जित; व्यवस्थित; निरपेक्ष; पूर्ण।

विकास प्राधिकरण का होना *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

चरित्र या पूर्ण स्वामित्व के अधिकार दिए गए; आकस्मिक नहीं; एक शर्त पूर्ववर्ती द्वारा पराजित होने के अधीन नहीं।

अधिकार 'निहित' होते हैं जब आनंद का अधिकार, वर्तमान या भावी, किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों की संपत्ति बन जाता है

वर्तमान ब्याज; केवल भविष्य के लाभों की अपेक्षा, या मौजूदा कानूनों के प्रत्याशित निरंतरता पर आधारित संपत्ति में आकस्मिक ब्याज, निहित अधिकारों का गठन नहीं करता है। वेबस्टर्स में

व्यापक शब्दकोश, *(*अंतर्राष्ट्रीय संस्करण*)* पी। *1397* ' निहित 'को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" *[* किसी आकस्मिकता के अधीन कार्यकाल द्वारा आयोजित; पूर्ण; एक स्थायी अधिकार के रूप में कानून द्वारा स्थापित; निहित स्वार्थ।

लागू की गई घोषणा राज्य में निहित होगी जो सभी बाधाओं से मुक्त होगी। धारा *6* का राज्य को मध्यस्थ के निहित अधिकार, अधिकार और हित से वंचित करने का प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिकारों में से एक मध्यस्थ द्वारा धारण की गई भूमि पर कब्जा करने का अधिकार है। इस धारा में धारा *4* और *5* के संचालन को शामिल नहीं किया गया है। , खास कब्जा बनाए रखने के लिए प्रत्यर्थी का हित निर्धारित में आवेदन करने के अधीन बचा लिया गया था रूप में। यह अभिनिर्धारित किया गया कि मत्स्य पालन के अधिकार राज्य में निहित हैं।

18. ब्रिघु नाथ सहाय सिंह बनाम। मोहम्मद. अपीलकर्ता खलीलुर रहमान बिहार के बेगुसराय जिले के सरौंजा गांव में तौज़ी *(*नई*)* संख्या *8655* में कुछ भूमि के मालिक थे, जिसे एक दीवानी मुकदमे में निजी भूमि घोषित करने की मांग की गई थी। अदालतों ने आदेश दिया लेकिन उच्च न्यायालय ने आदेश को उलट दिया। अपील पर, इस न्यायालय ने निर्णय दिया था कि धारा *3* के तहत अधिसूचना के प्रकाशन पर, भूमि राज्य में निहित थी। इससे पहले

अपीलार्थियों द्वारा धारण किए गए वर्तमान अधिकार, स्वामित्व और हित समाप्त हो गए। इसलिए वे इन भूमि पर खास के कब्जे का दावा नहीं कर सकते हैं।

किरायेदारों का व्यवसाय।

19. लाबण्य बाला देवी बनाम। बिहार राज्य पटना सचिवालय, मध्यस्थ द्वारा तय किए गए टैंक और टैंक को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट माना गया था

अधिनियम लागू होने के बाद राज्य में निहित किया गया था।

इसलिए, टैंक में कार्यकाल-धारक के पूर्व-मौजूदा अधिकार समाप्त हो गए क्योंकि उन्हें धारा *6 (1) (*बी*)* के तहत संरक्षित नहीं किया गया था।

अधिनियम। *20.* इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि धारा *3* के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को और उससे प्रभावी, एक मध्यस्थ द्वारा रखे गए अधिकार, स्वामित्व और ब्याज की समग्रता समाप्त हो जाती है। इसके परिणाम, जैसा कि धारा *4 (*ए*)* में उल्लिखित है, धारा *4 (*ए*)* में गणना की गई वस्तुओं सहित पूरी संपत्ति पर पहले से मौजूद अधिकार, स्वामित्व और ब्याज का उन्मूलन है, जिसमें राज्य में टोपी और बाजार और पहले से मौजूद अधिकार, स्वामित्व शामिल हैं।

और मध्यस्थ/कार्यकाल धारक द्वारा रखे गए ब्याज का विनिवेश कर दिया गया। " "वेस्ट" का अर्थ है एक पूर्ण या अक्षम्य अधिकार। इस प्रकार, प्रावधान

2013 के अधिनियम के तहत निहित निहित अधिकारों को नहीं लिया गया है।

81 (च*)*। जे. एस. यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य *(2011) 6* एस. सी. सी. इस न्यायालय ने कहा हैः

" 20. " 'निहित' शब्द को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में परिभाषित किया गया है। *(6* संस्करण*)* पृष्ठ *1563* पर इस प्रकार हैः

निहित; निश्चित; उपार्जित; व्यवस्थित; निरपेक्ष; पूर्ण। जिसका होना

चरित्र या पूर्ण स्वामित्व के अधिकार दिए गए हैं; नहीं
आकस्मिक; एक शर्त पूर्ववर्ती द्वारा पराजित होने के अधीन नहीं।

अधिकार 'निहित' होते हैं जब आनंद का अधिकार, वर्तमान या भावी, किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों की संपत्ति बन जाता है

वर्तमान ब्याज; केवल भविष्य के लाभों की अपेक्षा, या मौजूदा के प्रत्याशित निरंतरता पर आधारित संपत्ति में आकस्मिक ब्याज।

कानून, निहित अधिकारों का गठन नहीं करते हैं। वेबस्टर्स में

पृष्ठ *1397* पर व्यापक शब्दकोश *(*अंतर्राष्ट्रीय संस्करण*),* 'निहित' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

कोई आकस्मिकता के अधीन कार्यकाल द्वारा आयोजित कानून; पूर्ण;

एक स्थायी अधिकार के रूप में कानून द्वारा स्थापित; निहित हित। "

(मोसमत बीबी सईदा और ओआरएस देखें। आदि वी। बिहार राज्य और

ओआरएस। आदि। ए. आई. आर. *1996* एस. सी. *1936* एस. सी. सी. पी. *527* , पैरा *17)*

21. "बनियान" शब्द का उपयोग आम तौर पर वहाँ किया जाता है जहाँ किसी संपत्ति के संबंध में वर्तमान या भविष्य के आनंद में तत्काल निश्चित अधिकार है।

बनाया गया है। लंबे समय तक उपयोग के साथ, उक्त शब्द "बनियान" ने इंदौर विकास प्राधिकरण भी हासिल कर लिया है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

विधानमंडल द्वारा कानून में परिवर्तन के कारण इसे पूरा करना असंभव है।
इसके अलावा, इस तरह की "स्थिर अपेक्षा" या तथाकथित "निहित अधिकार" को सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं माना जा सकता है और

सुविधा जो कानून के संशोधन द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। *(* वीडियोः हावड़ा नगर निगम। और ओआरएस। वी. गंगा की रस्सी

22. इस प्रकार, "निहित अधिकार" किसी भी आकस्मिकता से स्वतंत्र अधिकार है।
ऐसा अधिकार किसी अनुबंध, कानून या कानून के संचालन से उत्पन्न हो सकता है। एक निहित अधिकार को केवल तभी छीन लिया जा सकता है जब कानून विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा इस तरह के पाठ्यक्रम के लिए प्रावधान करता है।

82. धारा *24* के उचित अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि प्रावधान के तहत किसी भी विनिवेश पर विचार नहीं किया गया है। धारा *24* के प्रावधान जब पुरस्कार दिया जाता है

पारित किया जाता है, कब्जा ले लिया जाता है, मुआवजे की निविदा दी जाती है, निहित किया जाता है। ऐसे मामले में धारा *24* के तहत कोई चूक नहीं मानी जाती है। धारा *17 (1)* में दिए गए प्रावधान के अनुसार पुरस्कार पारित होने से पहले भी तात्कालिकता की स्थिति में, *17 (3* ए*)* शर्तों की पूर्ति पर निहित किया जाता है।

ऐसे अधिकारों को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थों द्वारा दूर करना। ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान या आवश्यक निहितार्थ नहीं है। फायदेमंद धारा *24 (2)* के परंतुक का आशय यह है कि अधिग्रहण करने वाले निकाय के पास अधिकांश स्वामित्व के संबंध में मुआवजे के भुगतान के लिए धन की व्यवस्था होनी चाहिए। यह कभी भी प्रावधान के दुरुपयोग की परिकल्पना नहीं करता है। कानून किसी वादी को प्रावधानों के दुरुपयोग पर विचार या अनुमति नहीं देता है। कानून अदालत के आवरण को ढाल के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है जब दावे में कोई वैधता नहीं होती है और किसी को अपनी विलम्बकारी रणनीति, अनंत काल तक मुकदमा करने के लिए धन शक्ति का फल प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अधिनियम का कहीं भी यह इरादा नहीं है कि केवल मुकदमेबाजी करने वाले अधिकारी जो अधिग्रहण स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन्हें *2013* के अधिनियम का लाभ दिया जाना चाहिए। जिन लोगों ने किसी भी तरह प्रथम दृष्टया मामले की आड़ में अंतरिम आदेश प्राप्त किए हैं या

किसी भी तरह से बिना किसी आधार के, उनके दावे में योग्यता के बिना, *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के सुरक्षात्मक छत्र के तहत आश्रय प्रदान करके संरक्षित नहीं किया जा सकता है।

84. ऐसे कई निर्णय हैं जो भूमि अधिग्रहण की चुनौती को अस्वीकार करने वाले पक्षों के बीच प्रस्तुत किए गए हैं। में आयोजित किया गया है

पूर्व निर्णय कि भूमि राज्य में निहित है और अधिग्रहण कानूनी रूप से किया गया है और कब्जा ले लिया गया है और ऐसे पदाधिकारी मुआवजा प्राप्त नहीं करने के लिए जिम्मेदार हैं। अब उन निर्णयों को बाद के कानून के तहत, विशेष रूप से *2013* के अधिनियम की धारा *24* के तहत हटाने की मांग की जाती है।

85. उक्ति 'निमो डेबेट बिस वेक्सारी प्रो उना एट एडेम कौसा' के संबंध में, जिसका अर्थ है कि यह कानून का एक नियम है कि एक व्यक्ति को एक ही कारण के लिए दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए, ब्रूम ने लीगल मैक्सिम्स में इस प्रकार चर्चा की हैः

"जब मुकदमेबाजी का कोई पक्ष उसी प्रश्न को फिर से उठाने के लिए अनुचित तरीके से प्रयास करता है जो एक सक्षम न्यायालय द्वारा तय किया गया है, तो अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र में एक संक्षिप्त उपाय पाया जा सकता है जो

हमारे न्यायालयों के पास प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने का अधिकार है।

इस प्रकार, धारा *24* के प्रावधानों की व्याख्या पिछले फैसलों की अनदेखी और अनदेखी करके नहीं की जा सकती है। उनमें क्या रखा गया है

बाध्यकारी और अधिकारों को छीन नहीं लिया जा सकता है। जब धारा *24* के भीतर उठाए गए मुद्दों पर पहले ही निर्णय ले लिया गया है और निहित कर दिया गया है तो यह अंतिम है। धारा *24* में दिए गए अपवाद के रूप में जब मुआवजे के निर्धारण के लिए धारा *24 (1) (ए)* के तहत पुरस्कार पारित नहीं किया गया है, तो केवल *2013* के अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। एक बार जब कब्जा ले लिया जाता है तो अधिनियम की धारा *17 (1)* या *1894* के अधिनियम की धारा *16* के तहत मुआवजा दिया जाता है लेकिन स्वीकार नहीं किया जाता है।

इन आरईः प्रश्न *NO.II:* शारीरिक लेने का तरीका

86. प्रश्न संख्या *1* के साथ आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ प्रश्न *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में निहित भौतिक कब्जा लेने का प्रश्न है। जब यह कहा जा सकता है कि कब्जा ले लिया गया है। जब हम इस पर विचार करते हैं, तो सवाल उठता है कि धारा *24 (2)* में "भौतिक कब्जा नहीं लेने" का क्या अर्थ है, जब राज्य अर्जित संपत्ति का कब्जा लेने में शामिल है, तो वह पंचनामा खींचकर कब्जा कर सकता है। कुछ व्यक्तियों के माध्यम से भूमि पर अधिकार रखने वाले राज्य का सामान्य शासन होगा

ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा। खुली भूमि पर कब्जा मालिक का माना जाता है। जब राज्य ने भूमि का अधिग्रहण किया है और खींचा है

जिस तरह से राज्य इंदौर विकास प्राधिकरण को लेता है, उस पर कब्जा करने का ज्ञापन *v.*

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

राज्य के रूप में अर्जित संपत्ति के बड़े हिस्से का कब्जा अन्य व्यक्तियों या उसके पुलिस बल को कब्जे में नहीं रखने जा रहा है या इसे खेती करने जा रहा है या विस्थापित होने के बाद रहने या भौतिक रूप से कब्जा करने जा रहा है।

भौतिक रूप से कब्जे में, जैसा कि कुछ निजी व्यक्तियों के मामले में होता है, यदि वे फिर से खुली भूमि के कब्जे में आते हैं, तो खेती शुरू करते हैं या घर में रहते हैं। वैध अधिकार राज्य का माना जाता है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में राज्य द्वारा पंचनामा खींचने के तरीके को लगातार कब्जा करने का एक तरीका स्वीकार किया है।

87 (ए*)*। बलवंत नारायण भागडे बनाम। एम. डी. भागवत और अन्य। *, (1976) 1* एस. सी. सी. *700* के बहुमत के विचार में, यह माना गया कि मौके पर जाने और भूमि का निरीक्षण करने में तहसीलदार का कार्य गठन करने के लिए पर्याप्त था।

अधिकार लेना। न तो सरकार और न ही आयुक्त अधिनियम की धारा *48 (1)* के तहत भूमि अधिग्रहण से पीछे हट सकते थे। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

"28. हम अपने भाई जे. उन्तवालिया द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत हैं और साथ ही उस तर्क से भी सहमत हैं जिस पर निष्कर्ष आधारित है। लेकिन हम एक अलग निर्णय लिख रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि सी. पी. सी. के आदेश *XXI* के नियम *35,36,95* और *96* के तहत 'प्रतीकात्मक' और 'वास्तविक' कब्जे के वितरण के संबंध में हमारे विद्वान भाई, न्यायमूर्ति, उन्तवालिया के निर्णय में चर्चा आवश्यक नहीं है।

वर्तमान अपीलों के निपटारे के लिए और हम उस संबंध में हमारे विद्वान भाई जे. उन्नटवालिया द्वारा कही गई बातों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और न ही हम उनके द्वारा किए गए विभिन्न प्राधिकरणों की चर्चा के साथ अपनी सहमति व्यक्त करना चाहते हैं।

निर्णय। हमारा मानना है कि यह कहना पर्याप्त है कि जब सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894* के तहत उसके द्वारा अधिग्रहित भूमि पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसे भूमि का वास्तविक कब्जा लेना चाहिए क्योंकि भूमि में सभी हितों का अधिग्रहण उसके द्वारा किया जाना चाहिए।

सी. पी. सी. के तहत न्यायिक निर्णयों द्वारा समझे जाने वाले अर्थों में 'प्रतीकात्मक' कब्जा लेने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। न ही केवल कागज पर कब्जा करना पर्याप्त होगा। अधिनियम सरकार को भूमि सौंपने की एक आवश्यक शर्त के रूप में क्या मानता है

यह भूमि का वास्तविक अधिकार लेना है। इस तरह का कब्जा कैसे लिया जा सकता है, यह भूमि की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इस तरह के कब्जे को लेना होगा क्योंकि भूमि की प्रकृति स्वीकार करती है

से। भूमि पर कब्जा करने के लिए क्या अधिनियम पर्याप्त होगा, यह निर्धारित करने वाला कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है। इसलिए, हमें एक निरपेक्ष और *[2018] 2* एस. सी. आर. निर्धारित करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अलंघनीय नियम जो केवल मौके पर जा रहा है और एक बना रहा है

ढोल बजाकर या अन्यथा घोषणा करना पर्याप्त होगा

प्रत्येक मामले में भूमि का कब्जा लेना। लेकिन यहाँ, हमारी राय में, चूंकि भूमि परती पड़ी थी और उस पर भौतिक समय पर कोई फसल नहीं थी, इसलिए तहसीलदार का मौके पर जाकर यह निर्धारित करने के उद्देश्य से भूमि का निरीक्षण करने का कार्य कि कौन सा हिस्सा बेकार और कृषि योग्य था और इसलिए, इसका कब्जा लिया जाना चाहिए और इसकी सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, कब्जा लेने के लिए पर्याप्त था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब तहसीलदार द्वारा ऐसा किया गया था तब अपीलार्थी उपस्थित नहीं था, लेकिन कब्जा लेने के लिए भूमि के मालिक या अधिभोगियों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। कानूनी आवश्यकता के मामले के रूप में यह भी कड़ाई से आवश्यक नहीं है कि भूमि के मालिक या अधिभोगियों को नोटिस दिया जाना चाहिए कि कब्जा एक विशेष समय पर लिया जाएगा, हालांकि यह वांछनीय हो सकता है कि अधिकारियों द्वारा कब्जा लेने से पहले ऐसी सूचना दी जाए, क्योंकि इससे किसी भी धोखाधड़ी या मिलीभगत की संभावना समाप्त हो जाएगी।

केवल कागजी अधिकार लेने का लेन-देन, बिना

रहने वाले या मालिक को कभी भी इसके बारे में पता चलता है।

87 (बी)। तमिलनाडु आवास बोर्ड बनाम। एल. आर. द्वारा *A.Viswam (*मृत)। , *(1996) 8* एस. सी. सी. *259,* इस न्यायालय ने माना है कि

भूमि अधिग्रहण अधिकारी की उपस्थिति में ज्ञापन/पंचनामा

उनके द्वारा हस्ताक्षरित गवाहों का भूमि पर कब्जा करना होगा। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

"*8.* इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा यह तय किया गया है कि अधिग्रहित भूमि पर कब्जा करने के स्वीकृत तरीकों में से एक एल. ए. ओ. द्वारा उसके/उनके पक्ष में गवाहों की उपस्थिति में एक ज्ञापन या पंचनामा दर्ज करना है और यह होगा

भूमि का कब्जा लेना क्योंकि अधिग्रहित भूमि का भौतिक कब्जा लेना असंभव होगा। यह सामान्य ज्ञान है कि कुछ मामलों में मालिक/इच्छुक व्यक्ति भूमि पर कब्जा करने में सहयोग नहीं कर सकता है।

87 (सी)। बांदा विकास प्राधिकरण में, बांदा बनाम. मोती लाल अग्रवाल और अन्य। *(2011) 5* एस. सी. सी. *394* इस न्यायालय ने कहा कि एक पंचनामा तैयार करना कब्जा लेने के लिए पर्याप्त है। यदि अधिग्रहण

भूमि का एक बड़ा हिस्सा है, तो भूमि के प्रत्येक हिस्से पर भौतिक कब्जा करना संभव नहीं हो सकता है और यह पर्याप्त होगा कि

प्रतीकात्मक अधिकार को विकास प्राधिकरण *v* में एक उपयुक्त दस्तावेज तैयार करके लिया जाता है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति और उनके हस्ताक्षर प्राप्त करना। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित भूमि के एक हिस्से का समान उपयोग भी कब्जा करने के लिए पर्याप्त है। बांदा में यह न्यायालय

निवेश प्राधिकरण *(*ऊपर*)* ने विभिन्न निर्णयों पर विचार किया है और

अपना इस प्रकार है:

" 37. जिन सिद्धांतों को उपरोक्त से निकाला जा सकता है-नोट किया गया

विचार इस प्रकार हैं:

(i) अधिग्रहित भूमि पर कब्जा करने के लिए कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(ii) यदि अधिग्रहित भूमि खाली है, तो संबंधित राज्य प्राधिकरण का उस स्थान पर जाने और पंचनामा तैयार करने का कार्य सामान्य रूप से होगा।

कब्जा लेने के लिए पर्याप्त माना जाएगा। *(iii)* यदि अधिग्रहित भूमि या भवन/संरचना पर फसल खड़ी है, तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा केवल मौके पर जाना, अपने आप में, कब्जा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आम तौर पर, ऐसे मामलों में, संबंधित प्राधिकारी को नोटिस देना होगा

भवन/संरचना का अधिभोगकर्ता या वह व्यक्ति जिसने खेती की है

भूमि और स्वतंत्र की उपस्थिति में कब्जा ले

इस निष्कर्ष पर कि अधिग्रहित भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है। *(iv)* यदि अधिग्रहण भूमि के एक बड़े हिस्से का है, तो अधिग्रहण/नामित प्राधिकारी के लिए भूमि के प्रत्येक हिस्से पर भौतिक कब्जा करना संभव नहीं हो सकता है और यह होगा -

पर्याप्त है कि तैयारी करके प्रतीकात्मक अधिकार लिया जाता है

स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उपयुक्त दस्तावेज

और ऐसे दस्तावेज़ पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करना।

v) यदि अधिग्रहण का लाभार्थी राज्य की एक एजेंसी/साधन है और कुल मुआवजे का *80* प्रतिशत शर्तों के अनुसार जमा किया जाता है।

धारा *17 (3* ए*)* और अधिग्रहित भूमि के बड़े हिस्से का उपयोग विशेष सार्वजनिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, तो

न्यायालय यथोचित रूप से यह मान सकता है कि अधिग्रहित का अधिकार

जमीन ले ली गई है।

87 (डी*)*। तमिलनाडु और अन्न राज्य में। वी. महालक्ष्मी अम्मल एस। *(1996) 7* एस. सी. सी. *269*, इस न्यायालय ने निर्णय दिया हैः "अधिग्रहित *[2018] 2* एस. सी. आर.

भूमि केवल ज्ञापन, पंचनामा के माध्यम से ली जाएगी जो कानूनी रूप से स्वीकृत रूप है। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

"*9.* यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि धारा *6* के तहत घोषणा का प्रकाशन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्णायकता देता है। पुरस्कार *26* सितंबर, *1986* को दिया गया था और सर्वेक्षण संख्या *2/11* के लिए पुरस्कार *31* अगस्त, *1990* को दिया गया था। *24* नवंबर, *1981* को पहले ही कब्जा कर लिया गया है, यह अधिनियम की धारा *16* के तहत राज्य में निहित है जो सभी बाधाओं से मुक्त है और इस तरह

सरकार ने भूमि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। प्रारंभिक पुरस्कार अधिनियम की धारा *11* के तहत दो साल के भीतर दिए जाने के कारण, यह तथ्य कि बाद का पुरस्कार *31* अगस्त, *1990* को दिया गया था, प्रारंभिक पुरस्कार को अमान्य नहीं करता है। यह भी देखा जाना चाहिए कि बेदखल होने की स्थिति बनी हुई है। एक बार जब बेदखल करने पर रोक लग जाती है, तो आगे की सभी कार्यवाहियों को अनिवार्य रूप से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है

जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है। इसलिए, यह सीमा भी एक बाधा के रूप में नहीं खड़ी होती है जैसा कि अधिनियम की धारा *11* ए के प्रावधान में प्रदान किया गया है। समान रूप से, भले ही धारा *9* और *10* के तहत नोटिस की सेवा में कोई अनियमितता हो, यह एक उपचार योग्य अनियमितता होगी और उसके कारण, धारा *11* के तहत दिया गया पुरस्कार अमान्य नहीं हो जाता है। पुरस्कार केवल राज्य की ओर से एक प्रस्ताव है। यदि बिना विरोध के मुआवजा स्वीकार किया जाता है, तो यह ऐसे पक्ष को बाध्य करता है लेकिन धारा *28* ए के अधीन है। अधिग्रहित भूमि का कब्जा केवल एक ज्ञापन, पंचनामा के माध्यम से लिया जाएगा, जो एक कानूनी रूप से स्वीकृत मानदंड है। किसी भी भौतिक कब्जे को लेना संभव नहीं होगा। इसलिए, पूर्व मालिक द्वारा बाद में जारी रखा जाना, यदि कोई हो, केवल अवैध या गैरकानूनी कब्जा है जो सरकार को बाध्य नहीं करता है और न ही धारा *16* के तहत निहित है जो अवैध कब्जाधारक को दिया गया है। इस दृष्टिकोण से, हम मानते हैं

कि उच्च न्यायालय पुरस्कार में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था।

*87 (*ई)। बालमोकंद खत्री एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रस्ट बनाम। पंजाब राज्य *(1996) 4* एस. सी. सी. *212* यह देखा गया कि अनिवार्य अधिग्रहण के तहत भूमि का भौतिक कब्जा लेना मुश्किल है। कब्जा लेने का सामान्य नियम पंचों की उपस्थिति में पंचनामा का मसौदा तैयार करना है, जो भूमि पर कब्जा करने का स्वीकृत तरीका है। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

"*4.* यह देखा गया है कि अधिग्रहण की कार्यवाही का पूरा हिस्सा *17* अप्रैल, *1976* तक पूरा हो गया था, जिस तारीख तक भूमि का कब्जा ले लिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री पारेख ने दावा किया है कि विकास प्राधिकरण बनाम।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

कि अपीलार्थी ने अभी भी अपना अधिकार बनाए रखा। अब यह अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति है कि अनिवार्य अधिग्रहण के तहत भूमि पर भौतिक कब्जा करना मुश्किल है। कब्जा लेने का सामान्य तरीका पंचनाम का मसौदा तैयार करना है

पंचों को पकड़ना और उन्हें सौंपना

लाभार्थी भूमि पर कब्जा करने का स्वीकृत तरीका है। इसके बाद, अधिकार का प्रतिधारण होगा

यह केवल अवैध या गैरकानूनी कब्जे के बराबर है।

5. इन परिस्थितियों में, केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने अधिग्रहित भूमि पर कब्जा बनाए रखा है, अधिग्रहण को कानूनी रूप से गलत नहीं कहा जा सकता है। तब श्री पारेख द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी-संस्थान एक शैक्षणिक संस्थान चला रहा है और एक सार्वजनिक विद्यालय स्थापित करने का इरादा रखता है और चूंकि अन्य भूमि उपलब्ध थी, इसलिए सरकार ने अपीलार्थी के लिए अधिग्रहित भूमि को छोड़कर कुछ अन्य भूमि का अधिग्रहण किया होगा। उच्च न्यायालय में दायर जवाबी-हलफनामे में यह कहा गया था कि अधिग्रहित भूमि के अलावा, अपीलार्थी के पास *482* नहरों और *19* मरला भूमि भी थी। इस प्रकार, यह देखा जाता है कि अपीलार्थी आगे बढ़ने के लिए अक्षम नहीं है

उस शैक्षणिक संस्थान की निरंतरता जिसे वह स्थापित करना चाहता है। तब यह तर्क दिया जाता है कि एक अवसर दिया जा सकता है राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन करने के लिए अपीलार्थी। हम पाते हैं कि हमारे लिए ऐसी कोई स्वतंत्रता देना आवश्यक नहीं है क्योंकि अधिग्रहण प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है।

*(*जोर दिया गया*)*

*87 (*च*)*। पी. के. कालबुर्की बनाम. कर्नाटक राज्य और अन्य। *(2005)* सी. सी. *489,* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि भूमि खाली और खाली थी, तो जी प्रतीकात्मक अधिकार पर्याप्त होगा। इस न्यायालय ने कहा किभूमि खाली थी केवल प्रतीकात्मक कब्जा लिया जा सकता था और कब्जा करना सरकार को भूमि सौंपने के बराबर होगा।

धारा *48* के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सका।

*87 (*जी*)*। रघबीर सिंह सहरावत बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य।

2) 1 एस. सी. सी. *792* में यह देखा गया:

"28. यदि अपीलार्थी के मामले की जांच बांदा विकास प्राधिकरण, बांदा बनाम में लिए गए प्रस्तावों के आलोक में की जाती है। मोतीलाल अग्रवाल और अन्य। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अधिग्रहित भूमि का कब्जा अपीलार्थी से *28.11.2008* पर नहीं लिया गया था, यानी जिस दिन पुरस्कार *[2018] 2* एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा घोषित किया गया क्योंकि अपीलार्थी की भूमि सहित भूमि के कई भागों पर फसलें खड़ी थीं और भूमि मालिकों को नोटिस दिए बिना उनका कब्जा नहीं लिया जा सकता था। इसके अलावा, यह मानवीय रूप से असंभव था
उसी दिन बड़ी संख्या में व्यक्तियों को नोटिस देना और विभिन्न सर्वेक्षण संख्या में शामिल भूमि का वास्तविक कब्जा लेना।

(कुल माप *214* एकड़ *5* कनाल और *2* मार्ला*)* "।

इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि चूंकि भूमि परती पड़ी थी और उस पर कोई फसल नहीं थी, इसलिए तहसीलदार मौके पर जाकर भूमि का निरीक्षण करना कब्जा करने के लिए पर्याप्त था। किसी सूचना की आवश्यकता नहीं थी भूमि के अधिभोगियों को दिया जाता है।

87 (एच*)*। सीता राम भंडार सोसायटी, नई दिल्ली बनाम। उपराज्यपाल, एन. सी. टी. सरकार, दिल्ली और अन्य। *(2009) 10* एससीसी *501,*

इस न्यायालय ने कहा कि जब भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा किया जाना है तो पंचनामा खींचकर कब्जा करने की अनुमति है।

87 ((i)। ओम प्रकाश वर्मा और ओआरएस में। वी. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। *(2010) 13* एस. सी. सी. *158,* इस न्यायालय ने कहाः

"85. जैसा कि पहले बताया गया है, 'दीवानी अपीलों की अनुमति है' अभिव्यक्ति का केवल एक ही अर्थ है, अर्थात उच्च न्यायालय का निर्णय निर्धारित किया गया है।

एक तरफ और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। इसके अलावा,
मालिकों की घोषणा के आधार पर अधिशेष भूमि का निर्धारण बहुत पहले ही अंतिम हो गया है। अधिनियम की धारा *10* के तहत जारी अधिसूचनाएं और कब्जे में लिया गया पंचनामा भी अंतिम हैं। राज्य की ओर से, यह दावा किया गया कि अधिशेष भूमि का कब्जा *20.07.1993* पर लिया गया था और यह दर्शाते हुए पंचनामा निष्पादित किया गया था कि कब्जा ले लिया गया है। यह गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित है। हमने उन विवरणों का अध्ययन किया है जो पेपर बुक में उपलब्ध हैं। यह तय किया गया कानून है कि कब्जा कहाँ होना है

भूमि के एक बड़े हिस्से को लेने के बाद ठीक से निष्पादित पंचनाम द्वारा कब्जा करने की अनुमति है। *[* वीडियो सीता राम भंडार

सोसायटी, नई दिल्ली बनाम। उपराज्यपाल, सरकार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

(2009) 10 एससीसी *501]*।

86. यह विवाद में नहीं है कि किसी भी अपीलार्थी द्वारा किसी भी कार्यवाही में पंचनामा पर सवाल नहीं उठाया गया है। हालांकि यह कहा गया है कि चाणक्यपुरी सहकारी समिति एक स्तर पर कब्जे में है और श्री वेंकटेश्वर एंटरप्राइजेज को मालिकों द्वारा कब्जा दिया गया था और कब्जा गोल्डन हिल इंदौर विकास प्राधिकरण *v* को भी दिया गया था।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

निर्माण निगम और उसके बाद इसे खरीदारों को दे दिया गया, तथ्य यह है कि मालिकों के कब्जे में नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कि

पंचनामे के माध्यम से राज्य द्वारा कानूनी और वैध रूप से कब्जा लिया जाना बिल्कुल सही है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। "

87 (जे*)*। एम. वेंकटेश और ओआरएस में। वी. आयुक्त, बैंगलोर विकास प्राधिकरण आदि *(2015) 17* एस. सी. सी. *1,* इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी हैः

"17. अजय कृष्ण सिंहल बनाम में इस न्यायालय के निर्णय भी इसी प्रभाव के हैं। भारत संघ, महावीर बनाम। ग्रामीण संस्थान, ज्ञान चंद बनाम। गोपाल, मीरा साहनी बनाम। दिल्ली के उपराज्यपाल और टीका राम बनाम। यू. पी. की स्थिति इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वाद की तारीख तक, प्रत्यर्थियों ने वाद संपत्ति के कब्जे में *12* साल पूरे नहीं किए थे ताकि वे बी. डी. ए., वास्तविक मालिक के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा करने के लिए हकदार हो सकें। यह तर्क कि भूमि का कब्जा कभी नहीं लिया गया था, केवल अस्वीकार किए जाने के लिए नोटिस की आवश्यकता है क्योंकि यह तय किया जाता है कि कब्जा लेने का एक तरीका ड्राइंग है।

एक पंचनामा जो प्रतिवादी बी. डी. ए. के नेतृत्व में साक्ष्य के अनुसार पूर्णता के लिए किया गया है। टी. एन. आवास बोर्ड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय। ए. विश्वम एंड लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य, बी. डी. ए. का पर्याप्त समर्थन करता है कि उसके द्वारा अपनाया गया कब्जा लेने का तरीका एक अनुमेय तरीका था। *(*जोर दिया गया*)*

87 (के*)*। हालाँकि, वेलक्सन कुमार बनाम में विचार लिया गया है। भारत संघ और अन्य। *(2015) 4* एस. सी. सी. *325* कि वास्तविक भौतिक अधिकार है

लेने की आवश्यकता है और अदालत ने यह मानने के लिए तस्वीरें देखी हैं कि कब्जा नहीं लिया गया था। वेलक्सन कुमार *(*ऊपर*)* में लिए गए दृष्टिकोण को सही और कानून के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। पंचनामा खींचना कब्जा करने का स्वीकृत तरीका है और एक बार जब गवाहों की उपस्थिति में पंचनामा खींचा जाता है, तो

2013 के अधिनियम की धारा *114* के तहत आधिकारिक अधिनियम की शुद्धता का अनुमान होने के कारण इसकी शुद्धता के बारे में आधिकारिक गवाहों द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक तस्वीर वास्तविक/कानूनी अधिकार नहीं दिखा सकती है।

कब्ज़े का बहुत कम प्रमाण क्योंकि व्यक्ति फोटो खींचने के लिए अतिचार करके प्रवेश/पुनः प्रवेश कर सकता है। यह पंचनामे को लेने और खींचने के लिए आयोजित कार्यवाही को नकार नहीं पाएगा।

87 (1) . रघबीर सिंह सहरावत *(ऊपर)* में भी यह टिप्पणी की गई है कि पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना संभव नहीं था। एक दिन में भूमि, स्वीकार नहीं की जा सकती है। राज्य अपने स्वयं के व्यक्तियों/पुलिस/या अन्य अधिकारियों को भूमि पर कब्जा करने के लिए नहीं रखने जा रहा है। इस प्रकार पंचनामा खींचकर कब्जा करने के तरीके को बड़ी संख्या में निर्णयों में स्वीकार किया गया है, जो इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण प्रतीत होता है, और इसे प्रबल होना चाहिए।

87 (एम*)*। नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्र। ए. आई. आर. *2011* एस. सी. *1989* में, इस न्यायालय ने कहा है कि यह व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि कब्जा लिया गया है या नहीं। हालांकि, इस अदालत ने मौके पर कब्जे और डीवीडी का पता लगाने के लिए उक्त मामले में एक आयुक्त नियुक्त किया था। और सी. डी. को यह मानते हुए देखा गया कि भूमि मालिकों के कब्जे में था। जिला न्यायाधीश, इंदौर ने कार्यकाल धारकों के बयान दर्ज किए, जिन्हें इस न्यायालय ने उक्त फैसले में संदर्भित किया था। उक्त निर्णय को अपने तथ्यों तक ही सीमित माना जाना चाहिए, क्योंकि आयुक्त की मदद से कब्जा निर्धारित करने के लिए अपनाया गया तरीका संदिग्ध है। द.

कब्जा निर्धारित करने के लिए नहीं और एक बार कब्जा ले लिए जाने के बाद, उक्त मामले में पुनः प्रवेश या अतिचार की जांच नहीं की गई थी। हालाँकि, नर्मदा बचाओ आंदोलन *(ऊपर)* में जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए बयानों को भी ध्यान में रखा गया था। फैसला

उक्त मामले को तथ्यों तक सीमित माना जाना चाहिए और इसे सार्वभौमिक अनुप्रयोग नहीं कहा जा सकता है। बाद की डी. वी. डी./सी. डी. यह स्थापित करने वाली नहीं है कि क्या वास्तव में कब्जा पहले लिया गया था। बाद की सामग्री द्वारा कब्जा निर्धारित करने का ऐसा तरीका बहुत मूल्यवान नहीं है क्योंकि कब्जा लेने के बाद कब्जा में फिर से प्रवेश किया जा सकता है। फैसले में

बांदा विकास प्राधिकरण *(ऊपर)* के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित कानून पर ठीक से चर्चा की गई है और प्रस्तावों को ठीक से निर्धारित किया गया है।

88. हम पाते हैं कि इस न्यायालय ने बांदा विकास प्राधिकरण, बांदा बनाम मोती लाल में मामले के कई पहलुओं की जांच की।

अग्रवाल *[(2011) 5* एस. सी. सी. *394],* बाद के कुछ निर्णयों में विपरीत दृष्टिकोण लिया गया है। बांदा विकास प्राधिकरण *(ऊपर)* में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि भूमि खाली थी, तो उस स्थान पर जाना और राज्य प्राधिकरण द्वारा पंचनामा तैयार करना आम तौर पर पर्याप्त माना जाएगा।

कब्जा लेने का गठन करना। यदि फसल खड़ी है, तो ध्यान दें कि इंदौर विकास प्राधिकरण *v.*

शैलेंद्र *(मृत)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

भूमि के बड़े हिस्से का अधिग्रहण या उपयोग विशेष सार्वजनिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, कब्जा लेना था अनुमान लगाया गया। अधिग्रहित भूमि के एक बड़े हिस्से का सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयोग अपने आप में कब्जा करने के लिए पर्याप्त था।

89. हम पाते हैं कि वेलक्सन कुमार बनाम भारत संघ में *[(2015)*

4 एस. सी. सी. *325]*, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि *2013* अधिनियम की धारा *24 (2)* एक हितकारी प्रावधान है, भले ही कब्जा ले लिया गया था, लेकिन यदि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और, तस्वीरों से पता चलता है कि जमींदारों के कब्जे में थे, कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। इस तरह का दृष्टिकोण, हमारी राय में, बांदा विकास प्राधिकरण *(*उपरोक्त*)* में निर्दिष्ट स्थापित कानून के विपरीत है। तदनुसार वही स्थिति बनेगी।

खारिज कर दिया। इन रेः प्रश्न *No.III:*

2013 के अधिनियम की धारा *24* में स्टेइल/बैरेड क्लेम्स को संशोधित किया गया है*?*

90. कई मामलों में, अधिग्रहण की चुनौती पुरानी हो गई है और अन्यथा वर्जित हो गई है। सवाल यह उठता है कि क्या यह फायदेमंद है।

2013 के अधिनियम की धारा *24* का प्रावधान ऐसे दावों को पुनर्जीवित करता है और अदालतें उन्हें स्वीकार कर सकती हैं।

91. इस आशय के तर्क, कि *2013* के अधिनियम की धारा *24* का लाभार्थियों के दावों को फिर से खोलने का प्रभाव पड़ता है,

कुछ उदाहरणों में, *20* वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक या दशकों पहले किए गए अधिग्रहण, इस न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों के समक्ष नियमित रूप से आग्रह किए जा रहे हैं और कई तत्काल मामलों में शामिल हैं। इसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

नए सिरे से दायर किया गया, भले ही संबंधित अधिग्रहण कार्यवाही से संबंधित सब कुछ, जिसमें कई दौर की कानूनी चुनौती भी शामिल है, दशकों पहले अंतिम रूप ले चुका है। सवाल यह है कि क्या ऐसे दावों को धारा *24* के प्रावधानों के दायरे में रखते हुए उन्हें पुनर्जीवित करने का दावा करने की अनुमति है।

92. इस न्यायालय के समक्ष रखे गए इस तरह के दावे का एक उदाहरण, महावीर और महावीर के रूप में शीर्षक वाले मामले की सीमा के भीतर तर्क दिया गया और निर्णय लिया गया।

ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. , एस. एल. पी. *(*सी*)* संख्या. *26281/2017* के रूप में क्रमांकित, *8.9.2017* पर तय किया गया। यह नई दिल्ली के 'लुटियंस ज़ोन' में स्थित 'रायसीना हिल्स' के नाम से जाने

जाने वाले क्षेत्र के संबंध में दायर एक याचिका थी। *93.* सवाल यह उठा कि क्या अदालत ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है*?* इसमें शामिल कानूनी पहलुओं पर न्यायालय की चर्चा

महावीर के मामले *(*उपरोक्त*)* और उस पर उसके निर्णय का सारांश दिया गया है। इसके नीचे। याचिका को देरी और अड़चनों के आधार पर खारिज कर दिया गया था, यह मानते हुए कि यह उपचार को नष्ट कर देता है। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि धारा *24*

गैर-मौजूदा या मृत दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है; यह केवल यह सुनिश्चित करता है कि जो दावे जीवित थे, उनकी जांच की जाएगी।

94. महावीर के मामले *(*ऊपर*)* में, इस न्यायालय ने तमिलनाडु आवास बोर्ड, चेन्नई बनाम में भी निर्णय का उल्लेख किया है। एम. मयप्पन और

ओआरएस। *[(2010) 14* एस. सी. सी. *309],* और जसवीर सिंह बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। *[(2017) 6* एससीसी *787]*। उपचार को नष्ट करने के लिए देरी और दरारें पर्याप्त हैं।

महावीर के मामले *(*उपरोक्त*)* में इस प्रभाव का अवलोकन भी शामिल है कि, यदि भूमि मालिक या उसके उत्तराधिकारी का आचरण और उपेक्षा

उन्हें इस विलंबित मोड़ पर अपने दावे का दावा करने की अनुमति देते हुए, यह संपदा प्राधिकरण को ऐसी स्थिति में डाल देगा जिसमें उन्हें रखना उचित नहीं होगा और ऐसे मामलों में,

समय और विलंब सबसे अधिक भौतिक विचारों में से एक हैं। महावीर के मामले *(*उपरोक्त*)* में न्यायालय की टिप्पणियों को नीचे निकाला गया है:

" 15. उत्तर प्रदेश राज्य में जल निगम और अन्र। वी. जसवंत सिंह और अन्र। *(2006) 11* एस. सी. सी. *464* इस न्यायालय ने कहा है कि यह निर्धारित करने में कि क्या विलंब हुआ है ताकि याचिकाकर्ता/दावेदार को अधिकार के उल्लंघन के बारे में पता हो, जहां उसके आचरण द्वारा कोई उपाय उसे माफ करने के बराबर है या जहां, उसके आचरण या उपेक्षा द्वारा, हालांकि उपाय को माफ नहीं किया गया है, उसने दूसरे पक्ष को ऐसी स्थिति में डाल दिया है जिसमें उसे रखना उचित नहीं होगा यदि बाद में उपाय का दावा किया जाए। ऐसे मामलों में समय की कमी और देरी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इन विचारों पर लेचेस का सिद्धांत निर्भर करता है।

16. रवींद्रनाथ बोस और अन्य में इस न्यायालय की संविधान पीठ। वी. भारत संघ और अन्य। *(1970) 1* एस. सी. सी. *84* ने देखा है:

इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

" 32 ..... हमारा विचार है कि कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता जो बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के संपर्क करते हैं यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत अत्यधिक के बाद

संविधान। यह इरादा नहीं हो सकता था कि यह न्यायालय वर्षों के अंतराल के बाद पुरानी माँगों में चला जाएगा। कहा जाता है कि

कि अनुच्छेद *32* अपने आप में एक गारंटीकृत अधिकार है। तो यह है, लेकिन यह करता है इससे यह नहीं पता चलता कि यह संविधान का इरादा था

निर्माताओं ने कहा कि इस न्यायालय को सभी सिद्धांतों को त्याग देना चाहिए और अनुदान देना चाहिए

अत्यधिक देरी के बाद दायर याचिकाओं में राहत "।

(जोर दिया गया*)* "

95. यह न्यायालय, धारप्पा बनाम में। बीजापुर सहकारी दूध

प्रोड्यूसर्स सोसाइटीज यूनियन लिमिटेड *[(2007) 9* एस. सी. सी. *109]* के पास औद्योगिक विवाद अधिनियम, *1947* की धारा *10 (4* ए*)* के प्रभाव और संचालन पर विचार करने का अवसर था; इस धारा को एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अधिनियम में बनाया गया। उसी के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि देरी, यदि निर्णय से संबंधित भौतिक साक्ष्य खो जाता है या अनुपलब्ध हो जाता है, तो घातक होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा *10 (4* ए*)* द्वारा निर्धारित *6* महीने की समय सीमा की व्याख्या की जानी चाहिए ताकि पुराने और मृत दावों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सके, क्योंकि समय बीतने के कारण और भौतिक साक्ष्य खो जाने या अनुपलब्ध होने के कारण ऐसे दावों का बचाव करना संभव नहीं होगा। धारप्पा *(*सुप्रा*)* में, यह मनाया गया था;

धारा *10 (1) (*सी*)* के तहत विवाद उठाने के लिए सीमा की अवधि या
*((*घ*)* यदि विलम्ब के कारण कोई विवाद बासी हो गया है या समाप्त हो गया है।

अस्तित्व में होने के लिए, संदर्भ को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यह भी माना गया है कि

देरी घातक होगी यदि इसके परिणामस्वरूप भौतिक साक्ष्य मिले हैं।
न्यायनिर्णयन के खो जाने या अनुपलब्ध होने के लिए प्रासंगिक *[*वीडियो -

नेदुंगडी बैंक लिमिटेड बनाम के. पी. माधवन कुट्टी *(2000)* आई एलएलजे

561 एससी; बलबीर सिंह बनाम। पंजाब रोडवेज *2000 (8)* स्केल

180 ; आसिस्टेंट। कार्यकारी अभियंता बनाम. शिवलिंग *(2002) I LLJ 457*

एससी; और एस. एम. नीलाजकर बनाम दूरसंचार डी. टी. प्रबंधक *(2003) II* एलएलजे

359 एससी। जब विलंबित दावों को पुराना और गैर माना जाता है

किसी संदर्भ को अस्वीकार करने या अस्वीकार करने के उद्देश्य से विद्यमान

धारा *10 (1) (*सी*)* या *(*डी*)*, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट होने की कोई सीमा अवधि नहीं होने के बावजूद

छह महीने की समय सीमा निर्धारित करने वाली धारा *10 (4* ए*)* को शामिल करने वाले अधिनियम की व्याख्या सभी पुराने और मृत दावों को पुनर्जीवित करने के रूप में की जानी चाहिए। *30.* धारा *10 (4* ए*)* का उद्देश्य श्रमिकों को समाप्ति से संबंधित विवादों के निर्णय के लिए श्रम न्यायालय में सीधे आवेदन करने में सक्षम बनाना है।

आई. डी. अधिनियम की धारा *10 (1)* के तहत संदर्भ की मांग करना। विधायी उद्देश्य पुराने या गैर-मौजूदा दावों को पुनर्जीवित करना नहीं था। धारा *10 (4* ए*)* में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक कर्मचारी जो सीधे संपर्क करना चाहता है

धारा *10 (4* ए*),* जो *7.4.1988* पर प्रभावी होती है, ने केवल यह कहा था कि आवेदन संचार की तारीख से छह महीने के भीतर दायर किया जाना था, उसे *10-4-1988* से पहले आवेदन दायर करना था, जो कि संशोधन लागू होने की तारीख से मुश्किल से तीन दिन है। विधायिका ने सोचा कि श्रमिकों को नए प्रावधान के बारे में जानने और श्रम न्यायालय से संपर्क करने के लिए कदम उठाने के लिए कुछ उचित समय दिया जाना चाहिए। इसलिए, जिन सभी श्रमिकों को *7-4-1988* से पहले छह महीने के भीतर बर्खास्तगी के आदेश के बारे में सूचित किया गया था, उन्हें *7-4-1988* से छह महीने के समय के लिए वर्दी का लाभ दिया गया था, चाहे कोई भी हो। छह महीने की समाप्ति की तारीख। जब किसी कानून द्वारा कोई नया उपाय या राहत प्रदान की जाती है, तो ऐसा संक्रमणकालीन प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जिन व्यक्तियों को विशेष अधिकार दिया गया है, वे इसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय की कमी के कारण इसे न खोएं, हालांकि उनके पास उस तारीख को कार्रवाई का कारण या अधिकार है जब नया उपाय या राहत प्रभावी होती है।

31. इसलिए धारा *10 (4* ए*)* गैर-मौजूदा या पुराने या मृत दावों को पुनर्जीवित नहीं करती है, बल्कि केवल उन दावों को सुनिश्चित करती है जो जीवित थे।

धारा के लागू होने की तारीख से धारा *10 (4* ए*)* में छह महीने के नियम को लागू करने के लिए, श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कम से कम छह महीने का समय है। यह इन शब्दों को जोड़कर सुनिश्चित किया जाता है-विकास प्राधिकरण *v*।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

" या औद्योगिक विवाद शुरू होने की तारीख

(कर्नाटक संशोधन*)* अधिनियम, *1987,* जो बाद में इन शब्दों के लिए है।

" छह महीने के भीतर, उसे संचार की तारीख

उपचार प्राप्त करने के उद्देश्य से *7-4-1988* पर। इसलिए, प्रारंभ होने की तारीख से छह महीने के भीतर शब्द

औद्योगिक विवाद *(*कर्नाटक संशोधन*)* अधिनियम, *1987,* जो भी हो

बाद में केवल उन लोगों को सक्षम बनाता है जिन्हें सूचित किया गया था

7-4-1988 के तहत आवेदन करने से पहले छह महीने के भीतर समाप्ति

धारा *10 (4* ए*)*। "

96. समय न होने के बावजूद पुराने दावों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

निर्धारित किया गया है, यह कर्नाटक राज्य *v* में मनाया गया था। लक्सुमन

5) 8 एस. सी. सी. *709]* इस प्रकारः

" 9. जैसा कि देखा जा सकता है, अदालत में आवेदन करने के लिए कोई समय नहीं है

उप-धारा *(3)* कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। लेकिन चूंकि आवेदन है

न्यायालय को, हालांकि एक विशेष अधिनियम, अनुच्छेद *137* के तहत, सीमा अधिनियम, *1963* की अवशिष्ट वस्तु को आकर्षित किया जाएगा।

और आवेदन तीन साल के भीतर किया जाना है

संदर्भ देने के लिए आवेदन या *90* दिनों की समाप्ति के बाद

आवेदन। इस अदालत के फैसले से स्थिति तय होती है।

स्प्ल.

अधिग्रहण अधिकारी,

एडल्ट।

जमीन।

द में

बैंगलोर बनाम. ठाकुरदास, मेजर और अन्य। , ए. आई. आर. *1994* एस. सी. *2227* यह आयोजित किया गया थाः

" 3. मान लीजिए, संदर्भ मांगने के लिए कार्रवाई का कारण

पुरस्कार की सेवा की तारीख को उत्पन्न हुआ था

अधिनियम की धारा *12 (2)*। तारीख से *90* दिनों के भीतर
नोटिस की सेवा, उत्तरदाताओं ने आवेदन किया

उपायुक्त से मामलों को भेजने का अनुरोध करना

अधिनियम की धारा *3 (ए)* के तहत उपायुक्त *90 1* सितंबर, *1970* से दिनों के तहत संदर्भ दें

दीवानी न्यायालय की धारा *18* जो वह करने में विफल रहा। नतीजतन,

की समाप्ति के साथ उप-धारा *3 (*बी*)* के संचालन द्वारा

90 दिनों के लिए वन, कार्रवाई का कारण अर्जित किया गया था

[2018] 2 एस. सी. आर. के साथ सिविल न्यायालय में आवेदन करने के लिए उत्तरदाता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपायुक्त को निर्देश देने की प्रार्थना। उस आवेदन को करने के लिए उप-धारा *3 (*बी*)* में निर्धारित सीमा की कोई अवधि नहीं है, लेकिन यह सीमा अधिनियम की अनुसूची द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। चूँकि नहीं

अनुच्छेद स्पष्ट रूप से ऐसा करने की सीमा निर्धारित करता है
आवेदन, अनुच्छेद *137* के तहत अवशिष्ट लेख

सीमा अधिनियम की अनुसूची आकर्षित होती है। इस प्रकार यह हो सकता है

देखा कि सीमा की किसी विशेष अवधि के अभाव में

अधिनियम की धारा *18* की उप-धारा *(3)* के खंड *(*बी*)* द्वारा निर्धारित, आवेदन तीन साल के भीतर किया जाना चाहिए था

धारा *18 (3) (*बी*)* में निर्धारित *90* दिनों की समाप्ति की तारीख से

अर्थात् वह तिथि जिस पर कार्रवाई का कारण उपार्जित हुआ था

प्रतिवादी-दावेदार। चूंकि आवेदन तीन साल से अधिक समय के लिए किए गए थे, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से सीमित कर दिया गया था। चूंकि, उच्च न्यायालय ने नगरपालिका में मामले पर भरोसा किया
अथानी निगम, *(1969)* आई. आई. एल. एल. जे. *651.* एस. सी., जो

खारिज कर दिया, उच्च न्यायालय का आदेश अस्थिर है।

इस स्थिति का समर्थन केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम में तर्क द्वारा भी किया जाता है। टी. पी. कुन्हालियममा, *1977] 1* एस. सी. आर. *996*। यह देखा जा सकता है कि कर्नाटक संशोधन के बिना केंद्रीय अधिनियम के तहत एक संदर्भ को मजबूर करने के लिए मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख दीवानी अदालत से संपर्क करने का कोई अधिकार नहीं था और कोई समय सीमा भी तय नहीं की गई थी

इस तरह का दृष्टिकोण बनाने के लिए। दावेदार के लिए केवल छह सप्ताह के भीतर संदर्भ के लिए आवेदन करना आवश्यक था।

पुरस्कार या पुरस्कार की सूचना, जैसा भी मामला हो। लेकिन जाहिर है कि राज्य विधानमंडल ने दावेदार को बढ़े हुए मुआवजे के लिए अपना दावा करने के लिए एक समय सीमा प्रदान करना आवश्यक समझा।

और अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा संदर्भ के लिए आवेदन का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक समय निर्धारित करना जिसके भीतर उसे कार्य करना है और दावेदार को समय के भीतर संदर्भ के लिए आवेदन करने की पूर्व शर्त को पूरा करने पर दीवानी अदालत से संपर्क करने का अतिरिक्त अधिकार प्रदान करना है। निर्धारित किया गया।

10. एक कानून, एक अधिकार प्रदान करते हुए भी, एक विश्राम के लिए भी प्रावधान कर सकता है। सीमा अधिनियम एक न्यायसंगत कानून नहीं है, बल्कि यह एक शांति का क़ानून है। यदि वादी निर्धारित समय के

भीतर अदालत से संपर्क नहीं करता है तो निस्संदेह एक वादी के लिए उपलब्ध अधिकार अप्रवर्तनीय हो जाता है। इस संदर्भ में इंदौर विकास प्राधिकरण *v* है।

शैलेंद्र

(मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

कहा गया है कि कानून मेहनती लोगों के लिए है। कानून एक वादी की अपेक्षा करता है

कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने के उचित समय के भीतर उसके लिए उपलब्ध अधिकार के प्रवर्तन की मांग करना और उचित समय सीमा के विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा परिलक्षित होता है।

अधिनियम "।

98. हमारी सुविचारित राय में धारा *24* का उपयोग मृत या पुराने दावों और उन मामलों को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जिन्हें इस न्यायालय या यहां तक कि उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई है, जहां मामले हार गए हैं या जहां मुआवजे को बढ़ाने के लिए संदर्भ मांगा गया है। क्षतिपूर्ति प्राप्त की गई और फिर भी यह आग्रह किया जाता है कि उनसे भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है, ऐसे दावों पर धारा *24 (2)* की आड़ में विचार नहीं किया जा सकता है। हम उन मामलों में आए हैं जिनमें निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं कि किस पंचनामा द्वारा कब्जा किया गया है, अब फिर से धारा *24 (2)* के तहत यह दावा किया जाता है कि भौतिक कब्जा अभी भी उनके पास है। इस तरह के दावों पर पिछले निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विचार नहीं किया जा सकता है जिसमें इस तरह की याचिका उठाई जानी चाहिए थी और ऐसे निर्णय न्यायिक या रचनात्मक रूप से काम करेंगे। न्याय करें। चूँकि या तो उठाई गई याचिका नकार दी गई है या ऐसी याचिका उठाई जानी चाहिए थी या मुकदमे के पिछले दौर में नहीं उठाई गई थी। *2013* के अधिनियम की धारा *24* अदालत के फैसले को रद्द या निरस्त नहीं करती है और इस तरह के दावों को एक बार फिर से साबित करने के लिए प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। एक बार जब पंचनामा तैयार हो जाता है और पंचनामा भौतिक रूप से कब्जा कर लिया जाता है, तो *2013* के अधिनियम की धारा *24* की आड़ में मामले को फिर से नहीं खोला जा सकता है।

99. धारा *24* का उद्देश्य उन लोगों की सहायता करना नहीं है जो पहले जानबूझकर मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, और फिर नुकसान पहुँचाते हैं।

दशकों से सलाह दी गई मुकदमेबाजी, और अक्सर गलत तरीके से प्रेरित विलंबकारी रणनीति, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक साथ। इसके विपरीत, इस धारा का उद्देश्य उन लोगों की सहायता करना है जिन्हें कानूनी होने के बावजूद मुआवजे की पेशकश या भुगतान नहीं किया गया है।

ऐसा करने के लिए अधिग्रहण निकाय का दायित्व, और/या जो पांच साल या उससे अधिक समय से अवैध रूप से अपने कब्जे से वंचित हैं; दोनों परिदृश्यों में, गलती/कारण भूमि मालिकों/दावेदारों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

100. हमारा विचार है कि पुराने या मृत दावे *2013* के अधिनियम की धारा *24* के तहत न्यायिक जांच का विषय नहीं हो सकते हैं। धारा *24* के प्रावधान अदालतों के उन निर्णयों/आदेशों को अमान्य नहीं करते हैं जहां अधिकारों/दावों के तहत खो दिया गया है/नकार दिया गया है, न ही वे उन अधिकारों को पुनर्जीवित करते हैं जो निष्क्रियता के कारण या अन्यथा कानून के संचालन द्वारा वर्जित हो गए हैं। धोखाधड़ी और पुराने दावों को धारा *24* की आड़ में नहीं उठाया जाना चाहिए। धारा *24 (2)* के प्रावधानों के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कानून के प्रावधानों के इस तरह के घोर दुरुपयोग के मामलों में अदालतों द्वारा संरक्षण *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के प्रावधानों को लागू करने के पीछे कभी भी इरादा नहीं हो सकता था; और, पुणे नगर निगम *(ऊपर)* में निर्धारित निर्णय द्वारा, और इस न्यायालय ने कभी भी, एक पल के लिए भी, यह इरादा नहीं किया कि ऐसे मामले अदालतों द्वारा प्राप्त किए जाएंगे या उन पर विचार किया जाएगा।

इन आरईः प्रश्न संख्या। *IV* और *V*

101. प्रश्न संख्या। *IV* और *V* का उल्लेख योगेश नीमा और ओआरएस में किया गया है। वी. एम. पी. और अन्य का राज्य। *(* ऊपर*)* श्री बालाजी नगर आवासीय में निर्णय की शुद्धता के संबंध में इस न्यायालय द्वारा एसोसिएशन वी। तमिलनाडु राज्य *(*उपर्युक्त*)* और उक्त निर्णय के पैरा *11* में निर्दिष्ट सचेत चूक से न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि के बहिष्करण या समावेश के संबंध में कानूनी स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अंतर आता है और *2013* के अधिनियम की धारा *24 (3)* पर "एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट" के सिद्धांत और इसके प्रभाव की प्रयोज्यता होती है।

102. योगेश कुमार और ओआरएस में। वी. एम. पी. राज्य, इस न्यायालय ने श्री बालाजी नगर आवासीय में निर्णय की शुद्धता पर संदेह किया है

संघ *(*उपर्युक्त*)* जिसमें इस न्यायालय ने टिप्पणी की हैः

> *" 11. 2013* के अधिनियम की धारा *24* के सरल अध्ययन से यह स्पष्ट है कि *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में किसी भी अवधि को शामिल नहीं किया गया है
> जिसके दौरान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन या निषेधाज्ञा के कारण रुकी हुई हो सकती है। उसी अधिनियम में, सीमा के संदर्भ में धारा *19 (7)* का परंतुक
>
> धारा *19 (1)* और विकास प्राधिकरण *v* के तहत घोषणा के प्रकाशन के लिए।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

धारा *11* के तहत प्रारंभिक अधिसूचना और पुरस्कार की तारीख के बीच देरी के संदर्भ में भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए धारा *69 (2)* का स्पष्टीकरण, विशेष रूप से प्रदान करता है।

कि वह अवधि या अवधि जिसके दौरान अधिग्रहण की कार्यवाही किसी भी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी भी रोक या निषेधाज्ञा के कारण रुकी हुई थी, प्रासंगिक अवधि की गणना में बाहर रखी जाएगी। मामले के उस दृष्टिकोण में, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विधायिका ने धारा *24 (2)* में इंगित पांच साल की अवधि को बढ़ाने के लिए जानबूझकर चूक की है, भले ही कार्यवाही में किसी न्यायालय द्वारा दिए गए

स्थगन या निषेधाज्ञा के आदेश के कारण या किसी भी कारण से देरी हुई हो। पद्म सुंदर राव बनाम में इस न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा किए गए विषय पर कानून को देखते हुए न्यायालय द्वारा इस तरह के मामले में छूट प्रदान नहीं की जा सकती है। टी. एन. राज्य *(2002) 3* एस. सी. सी. *533*।

12. यहां तक कि *1894* के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में भी, विधायिका ने अधिनियम की धारा *6 (1)* के तहत घोषणा को प्रकाशित करने के लिए प्रदान की गई सीमा के संदर्भ में, उस अवधि को हटाने के उद्देश्य से स्पष्टीकरण *I* जोड़ने के लिए *1984* के एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से धारा *6* में संशोधन किया था, जब अदालत के आदेश द्वारा कार्यवाही पर रोक लगी थी। इसी तरह का प्रभाव धारा *11*-ए का स्पष्टीकरण था जिसे *1984* के संशोधन अधिनियम *68* द्वारा जोड़ा गया था। स्पष्ट रूप से, विधायिका ने अपने विवेक से, *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के तहत पांच साल की अवधि को न्यायालय द्वारा स्थगन के किसी भी आदेश के कारण कार्यवाही में किसी भी देरी से पूर्ण और अप्रभावित बना दिया है। विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले सादे शब्द स्पष्ट हैं और कोई अस्पष्टता या संघर्ष पैदा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में, न्यायालय को शाब्दिक नियम से अलग होने की आवश्यकता नहीं है

व्याख्या "।

श्री बालाजी *(उपरोक्त)* मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने अधिग्रहण की कार्यवाही पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश के तहत आने वाली अवधि को बाहर करने के लिए *2013* की धारा *24 (2)* में विधायिका द्वारा की गई जानबूझकर चूक के बारे में राय दी है, इस न्यायालय ने कहा है कि*1894* का अधिनियम *6* और *11* ए में निहित प्रावधानों में संशोधन करके उस सीमा की अवधि का विस्तार प्रदान करता है जिसके दौरान न्यायालय का अंतरिम आदेश संचालित किया गया है। धारा *24 (2)* में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, श्री बालाजी में भारत संघ बनाम में न्यायालय की *3*-न्यायाधीश पीठ के निर्णय का संदर्भ दिया गया है। शिव राज *(2014) 6* एस. सी. सी. *564*।

योगेश कुमार और अन्य में बेंच। वी. मध्य प्रदेश राज्य और या, मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए कहा है कि भारत संघ और ए. एन. आर. वी. शिव राज *(ऊपर)*, कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया है

इस प्रश्न पर कि क्या उस अवधि को, जिसके दौरान पुरस्कार पर रोक लगी हुई थी, *1894* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के प्रावधानों पर विचार करने के उद्देश्य से बाहर रखा जाना चाहिए। श्री बालाजी *(ऊपर)* में निर्णय की शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया गया है

यह आधार पर कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अदालत के कार्य को मुकदमेबाजी में किसी भी प्रतिद्वंद्वी पक्ष के लिए पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए नहीं माना जा सकता है जो 'एक्टस क्यूरी नेमिनम' में व्यक्त किया गया है।

ग्रेवबिट '।

103. भूमि मालिकों की ओर से यह तर्क दिया गया था कि केवल कब्जा प्राप्त करने के संबंध में अंतरिम रोक थी, न कि मुआवजे के भुगतान के संबंध में। अतः क्षतिपूर्ति होनी चाहिए।

भुगतान किया गया। उपरोक्त प्रस्तुतिकरण को उठाते समय *1894* अधिनियम के तहत अधिग्रहण की मूल अवधारणा को नजरअंदाज कर दिया जाता है और अनदेखी की जाती है क्योंकि मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और यह तभी अस्तित्व में आता है जब सरकार अधिग्रहित संपत्ति का कब्जा ले लेती है। यह धारा *11* के तहत भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा मुआवजे की मात्रा पर निर्भर नहीं है।

यदि किसी मुकदमेबाजी या यथास्थिति के आदेशों में कब्जे पर अंतरिम रोक प्राप्त की जाती है और या ऐसा अन्य आदेश पारित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि उन्हें भुगतान किया जाना चाहिए था मुआवजे के बावजूद कि वे अधिग्रहण और कब्जा लेने का विरोध कर रहे हैं।

अधिकारियों के लिए मुआवजे के भुगतान के संबंध में या अन्यथा आगे बढ़ने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ये दायित्व हैं भूमि अधिग्रहण की योजना में अंतर्निहित। अंतरिम आदेश के ख़ाली होने तक सब कुछ स्थिर है। ऐसे मामले भी हैं जिनमें हमें पता चला है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में अवैध रूप से अस्वीकार्य कारणों से अधिग्रहण को रद्द कर दिया है और इस न्यायालय के समक्ष रिट अपील या मामले के लंबित रहने के दौरान, *2013* के अधिनियम के प्रावधान लागू हो गए हैं। इस तरह के मामलों का निर्णय स्वयं इंदौर विकास प्राधिकरण *v* पर किया जाना है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6 (*ई*)* के साथ पठित *2013* के अधिनियम की धारा *114* में बचत और ऐसे मामलों में कोई अलग इरादा दिखाई नहीं देता है। *2013* के अधिनियम की धारा *24* में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए।

105 (ए*)*। *LRs* द्वारा अभय राम *(*मृत*)* में। *&* ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। *(1997) 5* एस. सी. सी. *421,* इस न्यायालय ने विस्तारित अर्थ पर विचार किया

"कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक" और विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी प्रकार के आदेश अधिकारियों की ओर से आगे बढ़ने के लिए एक अवरोधक कार्रवाई होगी। उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

" *9.* अतः बी. आर. गुप्ता बनाम में कारण दिया गया है। यू. ओ. आई. और अन्य। *37 (1989)* डी. एल. टी. *150* धारा *6* बनाम-ए-के तहत घोषणा के प्रकाशन को रद्द करने के संदर्भ में स्पष्ट है।

उसमें रिट याचिकाकर्ता। इस प्रकार यह प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होता है

उत्तरदाताओं को घोषणा के प्रकाशन से प्रतिबंधित किया गया
धारा *6* अपीलार्थियों से संबंधित मामलों के लिए समान रूप से लागू होगी। हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि अपीलकर्ताओं ने घोषणा के प्रकाशन पर कोई रोक नहीं लगाई थी, लेकिन

चूंकि उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में, वास्तव में, उन्हें घोषणा के प्रकाशन से प्रतिबंधित कर दिया है, अनिवार्य रूप से, जब न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के समर्थन में विवादित आदेशों में घोषणा को प्रतिबंधित नहीं किया है, तो अधिकारियों को तब तक अपने हाथ पीछे रखना पड़ा जब तक कि मामलों का निपटारा नहीं हो जाता।

से। वास्तव में, इस न्यायालय ने विभिन्न मामलों, अर्थात् यूसुफभाई, में स्थगन या कार्यवाही के आदेशों को विस्तारित अर्थ दिया है।

नूरमोहम्मद नेन्दोलिया बनाम। गुजरात राज्य और अन्न।
ए. आई. आर. *1991* एससी*2153;* हंसराज जैन बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। *(1993) 4* जे. टी. *360;* संगप्पा गुरुलिंगप्पा सज्जन बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य। *(1994) 4* एस. सी. सी. *145;* गांधी गृह निर्माण

सहकारी समिति लिमिटेड आदि। आदि. वी. राजस्थान राज्य और

Ors.JT (1993) 3 194; एल. आर. एस. द्वारा जी. नारायणस्वामी रेड्डी *(*मृत*)*। और एन. आर. वी. सरकार. कर्नाटक और अन्न। जे. टी. *(1991) 312* और रोशनारा बेगम आदि। यू. ओ. आई. और अन्य। *(1986) 1* शीर्ष *6* दिसंबर। "कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक" शब्द व्यापक रूप से सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट रहे हैं।

इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई और इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार के आदेश

इस न्यायालय द्वारा पारित एक निषेधात्मक कार्रवाई होगी अधिकारियों को आगे बढ़ना है। जब संचालन की क्रिया

धारा *5*-ए के तहत एक जांच जारी की गई और घोषणा की गई

धारा *6* के तहत सवाल उठाया गया था, अनिवार्य रूप से जब तक कि अदालत नहीं मानती है

कि धारा *5*-ए के तहत जांच ठीक से की गई थी और

धारा *6* के तहत प्रकाशित घोषणा वैध होगी, यह नहीं होगा अधिकारियों के लिए मामले में आगे बढ़ने के लिए खुला है। ए के रूप में

परिणामस्वरूप, कुछ के संबंध में दी गई रोक होगी यह उन अन्य लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने उस ओर से रोक प्राप्त नहीं की थी।

हम पहले के निर्देश की शुद्धता से चिंतित नहीं हैं। धारा *5*-एक जांच और आपत्तियों पर विचार

क्योंकि इसे प्रतिवादी संघ द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। हम ना व्यक्त करते हैं

इसकी शुद्धता पर राय, हालांकि यह संदेह के लिए खुला है। "

(जोर दिया गया*)*

105 (बी*)*। ओम प्रकाश बनाम। भारत संघ और अन्य। *(2010) 4* एससीसी

उनके न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 72. इस प्रकार, दूसरे शब्दों में, रोक का अंतरिम आदेश एक में दिया गया है।

भूमि मालिकों के मामलों पर पूर्ण संयम रखा जाएगा।

उत्तरदाताओं ने अधिसूचना जारी करने के लिए आगे बढ़ना अधिनियम की धारा *6* के तहत। क्या उन्होंने उक्त अधिसूचना जारी की थी

उस अवधि के दौरान जब ठहराव चालू था, तो जाहिर है

हो सकता है कि उन्हें अदालत की अवमानना करने के लिए फंसाया गया हो।

ठहरने के अंतरिम आदेशों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा भी ऐसी है

मामले में आगे घोषणा/अधिसूचना जारी करके अधिनियम की धारा *6* "।

(जोर दिया गया*)*

105 (सी*)*। शिव राज *(*ऊपर*)* में, इस न्यायालय द्वारा यह नोट किया गया था कि

जब रिट याचिका लंबित थी तब बेदखल करने का प्रावधान लेकिन यह

टी ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। उत्तरदाता द्वारा पुरस्कार के अनुसरण में कोई कार्रवाई नहीं करने के बाद पिछले *7* वर्षों से कोई रोक नहीं थी।

यह भी शिव राज के मामले की विशिष्ट विशेषताओं में से एक थी

क*)* और यह काफी हद तक के आधार पर जारी परिपत्र पर आधारित थामहान्यायवादी की ओर से।

विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

105 (डी*)*। सुरेश चंद बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ।

एम चिश्ती *(1990) 1* एस. सी. सी. *593,* आत्मा राम मित्तल बनाम का उल्लेख करते हुए।

आर सिंह पुनिया *(1988) 4* एस. सी. सी. *284* ने कहा थाः

" 17. यह तर्क दिया गया था कि 'इस अधिनियम का प्रारंभ' शब्द

अवधि समाप्त हो गई और अधिनियम वंचितों पर लागू हो गया। इमारतें। इस तरह के दृष्टिकोण के लिए इस न्यायालय को अलग देने की आवश्यकता होगी

में दो स्थानों पर दिखाई देने वाली एक ही अभिव्यक्ति के अर्थ एक ही खंड। इस शुरुआत की तारीख को 'शब्द'

वाद के लंबित रहने के संबंध में 'अधिनियम' का अर्थ होगा *15* जुलाई

1972 जैसा कि ओम प्रकाश गुप्ता *(*ऊपर*)* में माना गया है लेकिन शब्दों से

जमा किए जाने के संबंध में इसका अर्थ लगाना होगा के बाद की तारीख में अधिनियम के वास्तविक आवेदन की तारीख के रूप में

15 जुलाई *1972*। आम तौर पर निर्माण का नियम एक ही है

अभिव्यक्ति जहाँ यह एक ही क़ानून में एक से अधिक बार दिखाई देती है, एक ही प्रावधान में अधिक, एक ही अर्थ प्राप्त करना चाहिए

जब तक कि संदर्भ अन्यथा सुझाव नहीं देता, इसके अलावा, इस तरह के एक

व्याख्या से पहले उपसर्ग 'इस तरह' का उपयोग किया जाएगा

'आरंभ' शब्द अनावश्यक है। तीसरा इस तरह की व्याख्या

सूट का निपटान। अगर सूट का निपटारा किया जा सकता है तो इसे अलग तरीके से कहें दस साल की अवधि के भीतर, किरायेदार हकदार नहीं होगा

धारा *39* के संरक्षण के लिए लेकिन यदि मुकदमा आगे बढ़ाया जाता है

दस साल के लिए वह धारा *39* का लाभ प्राप्त करेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए हमारा मानना है कि यह संभव नहीं है कि

तर्क का समर्थन करें।

(जोर दिया गया*)*

105 (ई*)*। श्याम सुंदर और मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

वी. राम कुमार और अन्र। *(2001) 8* एस. सी. सी. *24* ने माना कि

पक्षकारों की जाँच मुक़दमे की तारीख को की जानी है जब तक कि

ए. टी. यू. आर. ऐसे अधिकारों को पूर्वव्यापी बनाता है। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 28. उपरोक्त निर्णयों से उत्पन्न होने वाली कानूनी स्थिति

यह है कि जब किसी अधिनियम के निरसन के बाद एक नया विधान बनाया जाता है तो ऐसा विधान वाद या वाद के निर्णय की तारीख पर पक्षों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है जब तक कि ऐसा विधान पूर्वव्यापी न हो और अपील न्यायालय अपील किए गए निर्णय के बाद अस्तित्व में लाए गए नए कानून पर विचार नहीं कर सकता है क्योंकि अपील में पक्षों के अधिकार वाद की तारीख को लागू कानून के तहत निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि, कानून में स्थिति अलग होगी

संशोधन अधिनियम अन्यथा प्रावधान करता है। हमने संशोधन अधिनियम *1995* द्वारा मूल अधिनियम में लाई गई नई प्रतिस्थापित धारा *15* पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से नहीं पाया है। संचालन में पूर्वव्यापी निहितार्थ जो मुकदमे के निर्णय की तारीख पर पक्षों के अधिकार को प्रभावित कर सकता है और इसे अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार में लिया जाना आवश्यक है। शांति देवी *(श्रीमती)* और एक अन्य बनाम हुकुम चंद ए. आई. आर. *1996* एस. सी. *3525* में इस न्यायालय को प्रतिस्थापित धारा *15* की व्याख्या करने का अवसर मिला था, जिसके साथ हम चिंतित हैं और यह अभिनिर्धारित किया कि धारा *15* के एक सादे पठन पर यह स्पष्ट है कि इसे संभावित रूप से पेश किया गया है और ऐसी धारा के किसी भी तरह से प्रभावित होने का कोई सवाल ही नहीं है।

दूसरी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए पूर्व-प्रवर्तन के लिए मुकदमे में पारित निर्णय और डिक्री। हम उक्त निर्णय में व्यक्त विचार से सम्मानपूर्वक सहमत हैं और मानते हैं कि धारा *15* में कुछ भी नहीं होने के कारण

यह दर्शाता है कि यह पूर्वव्यापी है, उन पक्षों के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है जो मुकदमे की तारीख या पारित होने की तारीख को उन्हें प्राप्त हुए थे

प्रथम दृष्टांत के न्यायालय द्वारा डिक्री।

हम पूर्व विकास प्राधिकरण *v* के भी हैं। शैलेंद्र *(मृत)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

विचार है कि वर्तमान अपीलों में कानून में परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

जहाँ तक यह पक्षों के मूल अधिकारों के निर्धारण से संबंधित है और उन पर कानून के आलोक में निर्णय लेने की आवश्यकता है

जैसा कि यह डिक्री के पारित होने की तारीख को मौजूद था "।

(जोर दिया गया*)*

105 (च*)*। दौ दयाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर *1959*

33 , यह देखा गया कि यदि शिकायत दायर की गई है और अदालत द्वारा प्रक्रिया जारी करने की अनुमति दी गई है, तो यह माना गया है कि यह कानून की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी यदि व्यापारी जिसके अधिकार हैं।

ई. एन. का उल्लंघन किया गया है और जो मामले को तुरंत पहले उठाता है

नाल अदालत, फिर भी देरी के कारण निवारण से इनकार कर दिया जाता है

प्रक्रिया जो न्यायालय में होती है। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" *6.*यह ध्यान दिया जाएगा कि शिकायतकर्ता को सहारा लेना आवश्यक है

अपराध की खोज के एक वर्ष के भीतर न्यायालय यदि वह है

शिकायतकर्ता और अभियोजन में उसकी ओर से परिश्रम सुनिश्चित करना उसके अधिकार, और न्यायालय के खिलाफ नहीं। अब, यह वस्तु को हरा देगा

अधिनियमन और व्यापारियों को उस संरक्षण से वंचित करना जो
कानून उन्हें देने का इरादा रखता है यदि हम यह मानते हैं कि जब तक प्रक्रिया न हो
की खोज के एक वर्ष के भीतर उनकी शिकायत पर जारी किया जाता है
अपराध, इसे बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा।
कानून की स्थिति यदि व्यापारी जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया था और
जो आपराधिक न्यायालय के समक्ष मामले को तुरंत उठाता है,
फिर भी, के मुद्दे में देरी के कारण निवारण से इनकार कर दिया
प्रक्रिया जो न्यायालय में होती है। *(* जोर दिया गया*)*
105 (जी*)*। सारा मैथ्यू बनाम में यह न्यायालय। हृदय रोग संस्थान
लार रोग, *(2014) 2* एस. सी. सी. *62*, दौ दयाल में निर्णय पर निर्भर था।
क*)* और अवलोकन कियाः

" 29. धारा *473* निम्नानुसार हैः

473. कुछ मामलों में सीमा की अवधि का विस्तार।

पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी निहित होने के बावजूद
इस अध्याय का कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है।
सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, यदि यह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों पर संतुष्ट है

तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में कि देरी
ठीक से समझाया गया है या ऐसा करना आवश्यक है
न्याय के हित।

37. हम इस दृष्टिकोण को भी लेने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि वहाँ होना चाहिए
सीमा के मामलों में निश्चितता या निश्चितता की कुछ मात्रा आपराधिक अपराधों से संबंधित।
यदि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कहा गया है,

संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा संदिग्ध व्यक्ति पर दिमाग का प्रयोग है। अपराध, व्यक्तिपरक तत्व आता है। क्या एक मजिस्ट्रेट

संज्ञान लिया है या नहीं, यह तथ्यों पर निर्भर करेगा और

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। एक मेहनती शिकायतकर्ता या

अभियोजन गंभीर रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण होगा यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि गणना सीमा के लिए प्रासंगिक बिंदु वह तिथि होगी जिस पर

मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है। शिकायतकर्ता या

अभियोजन एजेंसी को पूरी तरह से दया पर छोड़ दिया जाएगा

मजिस्ट्रेट, जो सीमा अवधि के बाद संज्ञान ले सकते हैं कई कारणों से; प्रणालीगत या अन्यथा। यह नहीं हो सकता।

एक मेहनती शिकायतकर्ता को बाहर निकालने का विधायिका का इरादा

इस तरह से अदालत का। इसके अलावा यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि

शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निवारण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है।

वह चाहते हैं कि अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत काम करने वाली अदालतें बनाई जाती हैं।

इस उद्देश्य के लिए। यह दृष्टिकोण रखना अनुचित होगा कि

न्यायालय द्वारा किसी मामले का संज्ञान लेने में होने वाली देरी

एक मेहनती शिकायतकर्ता को न्याय देने से इनकार करना। इस तरह की व्याख्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *468* होगी -

अस्थिर और इसे असंवैधानिक बना देगा। यह अच्छी तरह से व्यवस्थित है।

कि एक अदालत एक प्रावधान की व्याख्या करेगी जो मदद करेगा

के सिद्धांत को लागू करके कानून की वैधता को बनाए रखना

एक सिद्धांत को लागू करने के बजाय उचित निर्माण जो

प्रावधान को अस्थिर और अधिकार से बाहर कर देगा

संविधान। *(* यू. पी. पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अयोध्या प्रसाद

मिश्रा*)* "।

(जोर दिया गया*)*

106. जब एक बार अदालत ने राज्य के अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया है

कब्जा, या यथास्थिति बनाए रखने के लिए वे राशि का भुगतान नहीं कर सकते हैं या

इसके अलावा, अंतरिम आदेशों के परिणाम इंदौर विकास प्राधिकरण *v* नहीं हो सकते हैं।

शैलेंद्र *(मृत)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

राज्य के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। यह मूल सिद्धांत है कि जब कोई पक्ष किसी कर्तव्य का पालन करने में अक्षम हो जाता है और उसके लिए किसी कर्तव्य का पालन करना संभव नहीं होता है, तो यह एक अच्छा बहाना है। यह एक तय प्रस्ताव है कि किसी को अपनी गलती का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। "कमोडम एक्स-इंजुरिया सुआ नेमो हेबेरे डेबेट" सिद्धांत का अर्थ है कि किसी पक्ष को अपनी गलती से सुविधा नहीं मिल सकती है। किसी भी व्यक्ति को अपनी गलती का फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक वादी सही या गलत हो सकता है। आम तौर पर लीज़ की योग्यता होनी चाहिए

संस्थान की तिथि पर देखा गया। किसी को अन्यायपूर्ण निषेधाज्ञा या स्थगन आदेश प्राप्त करने और अपने कार्यों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कानून का इरादा

न्यायसंगत कारणों का निवारण करना; साथ ही, मुकदमेबाजी को बढ़ावा देना और कानून की प्रक्रिया और विलंबकारी रणनीति का दुरुपयोग करके अपने स्वयं के कार्यों से बेईमान व्यक्तियों द्वारा की गई देरी के कारण फल प्राप्त करने में सक्षम बनाना इसकी नीति नहीं है।

107. सुरेश चंद्र बनाम। गुलाम चिश्ती *(ऊपर)*, यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अदालत के दोषों या दोषों के कारण पीड़ित नहीं किया जा सकता है।

मुकदमों के निपटारे में अदालत की देरी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि यह तर्क नहीं हो सकता है कि यदि मुकदमा *10* वर्ष से अधिक समय तक चलता है, तो किरायेदार सुरक्षा का हकदार होगा और यदि *10* वर्ष के भीतर निपटाया जाता है, तो किरायेदार सुरक्षा का हकदार नहीं होगा। मुकदमेबाजी में देरी के लाभ के आधार पर अधिकारों पर तर्क को खारिज कर दिया गया था और ऐसा पक्ष कानून में बदलाव का लाभ नहीं उठा सकता था।

केसस ओमीससस: *108.* यह आग्रह किया गया था कि धारा *24* के प्रावधानों में अंतरिम ठहराव की अवधि को शामिल नहीं करते हुए एक अपवाद था। जबकि

संसदीय समिति ने इस मामले पर चर्चा की, दिल्ली सरकार ने अपना मामला सामने रखा है कि ठहराव के दौरान बिताई गई अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए और इस तरह के प्रावधान को धारा *24* में जोड़ा जाना चाहिए। बाद में, वैसे

अध्यादेश को दूसरे परंतुक के रूप में शामिल किया जाना था, अध्यादेश समाप्त हो गया है। यह भी आग्रह किया गया कि यह केसस ओमिसस का मामला है क्योंकि जहां भी विधायिका *2013* के अधिनियम की धारा *19 (7)* में ठहराव की अवधि को बाहर करना चाहती है, वहां ठहराव और निषेधाज्ञा आदेश के दौरान बिताई गई अवधि को बाहर करने के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है।

नए अधिनियम की धारा *19,1894* के अधिनियम की धारा *6* से मेल खाती है। यह भी आग्रह किया गया कि धारा *69 (2)* में संलग्न स्पष्टीकरण में ठहराव/निषेधाज्ञा के दौरान खर्च की गई अवधि को बाहर करने के लिए

एक प्रावधान भी किया गया है। धारा *69* दिए जाने वाले मुआवजे की राशि और उस पर ब्याज के निर्धारण से संबंधित है।

109. हमने संसदीय समिति के कार्यवृत्त को देखा है; इसने केवल संबंधित सरकार/अधिकारियों के विचारों को नोट किया है। ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में केवल सिफारिशों में उल्लेख किया गया है कि समिति चाहेगी कि सरकार इस मुद्दे की फिर से जांच करे क्योंकि जो अधिग्रहण किया गया है, वह समाप्त नहीं होना चाहिए। समिति ने सुझावों को नोट किया है। क्या इस तरह के प्रावधान को शामिल करना आवश्यक था, यह नहीं गया था।

समिति में। इसकी सिफारिश गंजा है। हालाँकि अध्यादेश जारी किया जा चुका था, लेकिन ठहरने के समय को हटाने के लिए दूसरा परंतुक जोड़ा जाना था। प्रोविसो पुणे नगर निगम *(उपरोक्त)* के निर्णय के आधार को हटाने के लिए खजाने में जमा राशि को मान्य करना चाहता था। इसका मतलब यह नहीं होगा कि परंतुक को जोड़ने के अभाव में, वास्तविक कानूनी स्थिति को नजरअंदाज किया जा सकता है। हमारे द्वारा चर्चा की गई विधि की स्थिति यह स्पष्ट करती है कि इसे आकस्मिक चूक नहीं कहा जा सकता है और केवल इसलिए कि धारा *19* और *69* में ठहराव की अवधि को छोड़कर कुछ प्रावधान किए गए हैं, इसका मतलब यह नहीं होगा कि धारा *24* के प्रावधानों में आकस्मिक चूक है जिसका आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। *2013* के अधिनियम की धारा *19* में निहित प्रावधानों में निर्धारित किया गया है -

सीमा की अवधि जिसमें एक घोषणा जारी की जानी है, यह *1894* के अधिनियम की धारा *6* के बराबर थी, क्योंकि बहिष्करण का प्रावधान पिछले प्रावधान के समान किया गया है, इसलिए धारा *69* में भी किया गया है। धारा *24* में मुकदमेबाजी और उसके फल प्राप्त करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने पर विचार नहीं किया गया था। अदालती आदेश के स्थगन/निषेधाज्ञा की अवधि को हटाने के प्रावधान की अनुपस्थिति *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के प्रावधान को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है। इसका उद्देश्य यह था कि प्राधिकरण को अपनी ओर से लापरवाही के कारण अधिग्रहण को पांच साल तक लंबित नहीं रखना चाहिए या

अधिक। अदालती आदेश या भूमि मालिकों के आचरण के कारण दायित्व का पालन करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में इसका कभी भी आवेदन करने का इरादा नहीं था। जाहिर है कि कानूनी प्रावधानों की व्याख्या सामान्य कानून के तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में की जानी चाहिए जब तक कि उन्हें बाहर नहीं रखा जाता है, और यदि कोई व्यक्ति मुकदमा कर रहा है।

कई दशकों से, मुआवजे को स्वीकार न करने और अधिग्रहण पर सवाल उठाने के लिए, *2013* अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग करने या चूक का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

110. शिवराज *(ऊपर)* में, इस अदालत ने समय को हटाने के सवाल पर विचार नहीं किया। करनैल कौर *(ऊपर)* और बालाजी नगर में आवासीय संघ *(ऊपर)*, विभिन्न पहलुओं, जिन पर प्रभाव पड़ता है

इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया। इस प्रकार, उन्हें सही कानून निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]111.* भूमि मालिकों ने इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया, जो पद्म सुंदर राव *(*मृत*)* और अन्य में निहित था। वी. तमिल राज्य और अन्य। *, (2002) 3* एस. सी. सी. *533,* जिसमें इस अदालत ने केसस माना

सुस और अवलोकन कियाः

जो स्पष्ट और असंदिग्ध है। कानून विधायिका का एक आदेश होता है। कानून में प्रयुक्त भाषा निर्धारक होती है। विधायी आशय का कारक। निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि विधान का इरादा स्वयं विधानमंडल द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में पाया जाना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या इरादा किया गया है, बल्कि यह है कि क्या कहा गया है। क़ानूनों को यूक्लिड के प्रमेय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। जज लर्नड हैंड ने कहा, "लेकिन शब्दों को उनके पीछे के उद्देश्यों की कुछ कल्पना के साथ समझा जाना चाहिए।" *(* लेहाई वैली कोल कं. वी. देखें। येनसावेज *218* एफआर *547)*। इस विचार को यूनियन में दोहराया गया था

भारत और ओआरएस। वी. वेदेम वास्को डी गामा के फिलिप टियागो डी गामा *(1990) 1* एससीसी*277*।

13. डॉ. आर. वेंकटचलम और ओआरएस में। आदि वी। डी वी। परिवहन

आयुक्त और अन्य। आदि. *[1977] 2* एस. सी. आर. *392* में यह कहा गया था कि न्यायालयों को वैचारिक संरचना या योजना की अपनी पूर्व-परिकल्पित धारणाओं के आधार पर किसी प्रावधान के अर्थ के प्राथमिकता निर्धारण के खतरे से बचना चाहिए, जिसमें व्याख्या किए जाने वाले प्रावधान कुछ हद तक उपयुक्त हैं। वे हड़पने के हकदार नहीं हैं।

व्याख्या के भेष में विधायी कार्य।

14. किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है और इसे कानून नहीं बना सकता है। यदि कानून के किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, तो यह विधायिका के लिए है

यदि आवश्यक समझा जाए तो इसमें संशोधन, संशोधन या निरसन करें।

[ऋषभ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम देखें। पी. एन. बी. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड *(2000) 5* एससीसी*515]*। विधायी मामला छूट न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है। धारा *6 (1)* की भाषा सरल और असंदिग्ध है। इसमें कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, जैसा कि नरसिंहैया के मामले *(*ऊपर*)* में किया गया था। नंजुदैया *(*ऊपर*)* के मामले में, समय पाने के लिए अवधि को और बढ़ाया गया था।

अवधि उच्च न्यायालय के आदेश की सेवा की तारीख से चलती है।

विचार धारा *6 (1)* की भाषा के साथ मेल नहीं खा सकता है। यदि विचार स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि कोई मामला न केवल धारा *6 (1)* के परंतुक के खंड *(i)* और/या *(ii)* द्वारा, बल्कि एक गैर-निर्धारित अवधि द्वारा भी कवर किया जा सकता है। वही कभी भी विधायी नहीं हो सकता है

इरादा।

15. निर्माण के दो सिद्धांत-एक केसस ओमिसस से संबंधित और दूसरा समग्र रूप से क़ानून को पढ़ने के संबंध में-अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होते हैं। प्रथम सिद्धांत के तहत न्यायालय द्वारा स्पष्ट आवश्यकता के मामले को छोड़कर और जब इसका कारण क़ानून के चारों कोनों में ही पाया जाता है, तो एक मामला चूक की आपूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन साथ ही एक मामला चूक का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए एक क़ानून या धारा के सभी हिस्सों का एक साथ अर्थ लगाया जाना चाहिए और एक धारा के प्रत्येक खंड को स्पष्ट आवश्यकता के मामले में प्रदान किया जाना चाहिए।

संदर्भ और उसके अन्य खंडों के संदर्भ में अर्थ लगाया गया है ताकि निर्माण को एक विशेष प्रावधान पर रखा जाए

पूरे कानून का एक सुसंगत अधिनियमन।

यह और भी अधिक होगा यदि किसी विशेष खंड के शाब्दिक निर्माण से स्पष्ट रूप से बेतुके या विसंगत परिणाम सामने आते हैं जो विधानमंडल द्वारा अभिप्रेत नहीं हो सकते थे। एक अनुचित परिणाम उत्पन्न करने का इरादा ", डैनकवर्ट्स, एल. जे. ने आर्टेमिउ वी. में कहा। प्रोकोपियो *(1966 1* क्यू. बी. *878),* "यदि कोई अन्य निर्माण उपलब्ध है तो इसे किसी क़ानून के लिए आरोपित नहीं किया जाना चाहिए"। जहां शब्दों को शाब्दिक रूप से लागू किया जाए, वह "कानून के स्पष्ट इरादे को विफल कर देगा और पूरी तरह से अनुचित परिणाम देगा" हमें "शब्दों के साथ कुछ हिंसा करनी चाहिए" और इसलिए उस स्पष्ट इरादे को प्राप्त करना चाहिए और एक तर्कसंगत निर्माण करना चाहिए। *[* ल्यूक बनाम में लॉर्ड रीड के अनुसार। आई. आर. सी. *1966* ए. सी. *557* जहाँ पी. *577* उन्होंने यह भी कहाः यह कोई नई समस्या नहीं है, हालांकि मसौदा तैयार करने का हमारा मानक ऐसा है कि यह शायद ही कभी उभरता है।

16. टकटकी निर्णय सिद्धांतों की प्रयोज्यता से संबंधित याचिका स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। के. चिन्नाथांबी गौंडर में निर्णय

(उपर्युक्त*)* को *22.6.1979* यानी *1984* के अधिनियम द्वारा संशोधन से बहुत पहले प्रस्तुत किया गया था। यदि विधानमंडल उन मामलों में नया जीवन देने का इरादा रखता है जहां धारा *6* के तहत घोषणा रद्द कर दी जाती है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह विशेष रूप से इसके लिए प्रावधान करके ऐसा नहीं कर सकता था। यह तथ्य कि विधायिका ने विशेष रूप से स्थगन या निषेधाज्ञा के आदेशों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए प्रावधान किया है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किसी अन्य अवधि को बाहर रखने का इरादा नहीं था और यह कि किसी अन्य अवधि को प्रदान करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

सीमाएँ। मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा उजागर की गई कहावत 'एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट' इस मामले की तथ्य स्थिति पर लागू नहीं होती है।

17. नरसिम्हा के मामले *(*ऊपर*)* और नंजुदैया के मामले *(*ऊपर*)* में व्यक्त किया गया विचार सही नहीं है और इसके बावजूद यह अति-शासित है।

जिसे ए. एस. नायडू के मामले *(*ऊपर*)* और ऑक्सफोर्ड के मामले में व्यक्त किया गया है।

(ऊपर*)* की पुष्टि की गई है "।

पद्म सुंदर राव *(*ऊपर*)* में, इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा *6* के तहत घोषणा जारी करने के लिए सीमा की अवधि पर विचार किया

1894. यह देखा गया कि धारा *6* की भाषा सरल और स्पष्ट थी; इसमें कुछ पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी, जैसा कि एन. नरसिम्हा बनाम में किया गया था। कर्नाटक राज्य *(1996) 3* एस. सी. सी. *88*। कर्नाटक राज्य में *v.* डी. सी. नंजुदैया, *(1996) 10* एस. सी. सी. *619,* अवधि को और बढ़ा दिया गया था, ताकि समय अवधि उच्च न्यायालय के आदेश की सेवा की तारीख से चल सके। इस न्यायालय ने पद्म सुंदर राव *(*उपर्युक्त*)* में अभिनिर्धारित किया कि इस तरह के दृष्टिकोण का धारा *6 (1)* की भाषा के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है, और इस संबंध में, आगे कहा कि धारा *6* के स्पष्टीकरण में केवल उस अवधि को शामिल नहीं किया गया है जिसके दौरान धारा *4 (1)* के तहत जारी अधिसूचना के अनुसरण में शुरू की गई किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही पर अदालत के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी। जब विधायिका ने विशेष रूप से स्थगन और निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा कवर की गई अवधि के लिए प्रावधान किया है, तो न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश की सेवा की तारीख से चलने के लिए समय अवधि प्रदान करके किसी अन्य अवधि को बाहर करने का इरादा नहीं कहा जा सकता है; इसमें, अदालत के लिए उस अवधि को जोड़ने के लिए खुला नहीं था।

(ऊपर*)* चिंतित था। इस प्रकार उक्त निर्णय का अनुपात अलग है। कार्य करने के लिए क्षेत्र, और परिणामस्वरूप, भूमि मालिकों की ओर से उठाए गए समर्पण को कोई समर्थन नहीं देता है।

113. रिलायंस को भूमि मालिकों द्वारा राणा गर्डर्स लिमिटेड बनाम में रखा गया है। भारत संघ *(2013) 10* एस. सी. सी. *746* जिस पर भारत संघ बनाम में भरोसा किया गया है। सिकॉम लिमिटेड और ओआरएस। *(2009) 2* एससीसी *121*।

इस अदालत के पास *[2018] 2* एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह मत व्यक्त किया गया कि सांविधिक प्रावधान सामान्य विधि सिद्धांतों पर इस प्रकार प्रबल होगाः

" 9. आम तौर पर, ऋण की वसूली के लिए ताज के अधिकार होंगे

किसी विषय के अधिकार पर हावी होना। मुकुट ऋण का अर्थ है ऋण

राज्य या राजा के कारण ऋण जो एक विशेषाधिकार का अधिकार देता है

अन्य सभी लेनदारों से पहले प्राथमिकता का दावा करने के लिए मुकुट। *[* देखें। पी. रामनाथ अय्यर का उन्नत विधि शब्दकोश *(*तीसरा संस्करण*)* पी।

1147] . हालाँकि, ऐसे लेनदारों को असुरक्षित माना जाना चाहिए।

लेनदार। क्राउन ऋण का सिद्धांत इस तरह सामान्य से संबंधित है

कानून का सिद्धांत। एक सामान्य कानून जो अर्थ के भीतर एक कानून है

संविधान के अनुच्छेद *13* को अनुच्छेद *372* के संदर्भ में सुरक्षित रखा गया है।

वहाँ से। सामान्य कानून के वे सिद्धांत, जो इस प्रकार मौजूद थे

भारत के संविधान के लागू होने के समय

उपरोक्त प्रावधान के कारण सहेजा गया। एक ऐसा ऋण जो
जो किसी कानून के प्रावधानों के कारण सुरक्षित या हो जाता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद *372* को प्रबल माना जाना चाहिए।
क्राउन ऋण पर जो एक असुरक्षित ऋण है।

10. यह सामान्य बात है कि जब कोई संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा करता है

एक अधिनियम, वही सामान्य कानून पर प्रबल होगा। इस प्रकार,

सामान्य कानून सिद्धांत जो आने की तारीख को मौजूद था

भारत के संविधान के लागू होने के लिए एक वैधानिक के अधीन होना चाहिए

राज्य विधानमंडलों ने विभिन्न कानूनों में प्रावधान जोड़े, जिनमें से कुछ
जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है, यह प्रदान करने से पहले कि

वैधानिक बकाया संपत्ति पर पहला प्रभार होगा।

कर दाता। इस मामले के इस पहलू पर विचार किया गया है।

निर्णयों की एक श्रृंखला में न्यायालय "।

(जोर दिया गया*)*

114. उपरोक्त प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है; और, हमारे

अधिनियम की धारा *24* में निहित वैधानिक प्रावधानों की राय

2013 , सामान्य कानून के उन सिद्धांतों को बाहर न करें जिन्हें हमने लागू किया है। जिन सिद्धांतों को बाहर रखा जा सकता है, वे केवल वे हैं जिनके संबंध में क़ानून में ही प्रावधान किया गया है या प्रयोज्यता निहितार्थ द्वारा हटा दी गई है।

115. सिद्धांत के संबंध में पूर्व-निकाले गए अवलोकन

व्याख्या की कि यदि किसी प्रावधान में कुछ व्यक्त किया गया है, तो इसके विपरीत कुछ भी निहित रूप से बाहर रखा गया है, जो स्वयं सिद्धांत एन. डी. ओ. आर. ई. विकास प्राधिकरण *v* पर आधारित है।

यह एक विशेष परिवर्तन है। यह उक्ति संचालन की सीमा तक रखी गई है और तमिलनाडु की मैरी एंजेल ते *(1999) 5* एस. सी. सी. *209* में सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नहीं है। इस प्रकार, केवल यह तथ्य कि कुछ ई प्रावधानों में ठहराव की अवधि को बाहर रखने के बारे में उल्लेख किया गया है, को निर्णायक माना जाना चाहिए कि अन्य प्रावधानों में*2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के संदर्भ में स्थगन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए या सामान्य कानून की अधिकतम शर्तों की कोई योग्यता नहीं है। कोर्ट एरी एंजेल ने कहा है:

" 19. इसके अलावा, "एक्सप्रेसियो यूनिअस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टेरियस" उक्ति के आधार पर व्याख्या के नियम के लिए, इस पर विचार किया गया है डीन बनाम के मामले में रानी की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय। विसेंग्रंड *(1955) 2* क्यू. बी. डी. *120*। न्यायालय ने उक्त उक्ति पर विचार किया और कहा कि आखिरकार यह एक सहायता से अधिक है

निर्माण और इसका बहुत कम, यदि कोई हो, वजन है जहां यह संभव है, "एक्सक्लूसिओल्टेरियस" को प्रभावित करने के इरादे के अलावा अन्य आधारों पर "एक्सक्लूसिओनियस" के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद, न्यायालय ने कोलकुहून बनाम के मामले से निम्नलिखित अंश का उल्लेख किया। ब्रूक्स *(1887) 19* क्यू. बी. डी. *400* जिसमें न्यायालय ने अपनी मंजूरी के लिए कहा था-'एक्सप्रेसिओनियस एक्सक्लूसिओअल्टेरियस' कहावत पर हम पर दबाव डाला गया है। इस सिद्धांत के बारे में जे. विल्स द्वारा नीचे दिए गए न्यायालय में जो कहा गया है, मैं उससे सहमत हूं। यह अक्सर एक मूल्यवान सेवक होता है, लेकिन दस्तावेजों के कानूनों के निर्माण में पालन करने के लिए एक खतरनाक मास्टर होता है। बहिष्करण अक्सर असावधानी या दुर्घटना का परिणाम होता है, और इस उक्ति को तब लागू नहीं किया जाना चाहिए जब इसका उपयोग उस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिस पर इसे लागू किया जाना है, जो असंगति या अन्याय की ओर ले जाता है। मेरी राय में, यहाँ इस उक्ति के लागू होने से विसंगति और अन्याय होगा, और *1920* के अधिनियम की धारा *14 (1)* को अनिश्चित और मनमौजी बना देगा।

ऑपरेशन "। *(* जोर दिया गया*)*

116. सहायक ए. सी. ई. में, कलकत्ता बनाम राष्ट्रीय तंबाकू

लिमिटेड ऑफ इंडिया लिमिटेड, *(1972) 2* एस. सी. सी. *560,* यह आयोजित किया गया था:

" 30. सवाल यह है कि क्या कोई निहित शक्ति थी या नहीं केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम के नियम *10* ए के साथ पठित अधिनियम की धारा *4* के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारे समक्ष मामले की परिस्थितियों में जांच करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जांच नहीं की गई थी क्योंकि इसने गलती से नियम *10* ए के अर्थ और प्रयोज्यता पर विचार करना बंद कर दिया था। उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

यह निर्माण के नियम के एक अनुप्रयोग पर आधारित था कि जहाँ *[2018] 2* एस. सी. आर.

किसी कर्तव्य को करने का एक तरीका कानून द्वारा निर्धारित किया गया है जिसे उस तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। इस नियम से प्रवाहित होता है

अधिकतमः "अभिव्यक्तिपूर्ण एकता बहिष्करण परिवर्तन है। लेकिन, जैसा कि हमने कॉलकोहौन बनाम में विल्स, जे. द्वारा इंगित किया है। ब्रूक्स *(1888) 2 1.* प्र. *52* यह उक्ति अक्सर एक मूल्यवान सेवक होता है, लेकिन एक खतरनाक स्वामी होता है।

..... "यह नियम इस मूल सिद्धांत के अधीन है कि न्यायालयों को विधायी इरादे और उद्देश्य का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए, और फिर निर्माण का एक ऐसा नियम अपनाना चाहिए जो इन्हें पराजित करने के बजाय प्रभावी हो। इसके अलावा आवश्यक निहितार्थ द्वारा निषेध का नियम केवल वहां लागू किया जा सकता है जहां एक निर्दिष्ट

एक कर्तव्य के निष्पादन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। यद्यपि नियम *52* एक निर्माता द्वारा माल को हटाने से पहले एक मूल्यांकन को अनिवार्य बनाता है, फिर भी न तो उस नियम और न ही किसी अन्य नियम ने, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, मूल्यांकन के लिए विस्तृत प्रक्रिया को निर्दिष्ट किया है। हमारे सामने वाले मामले की परिस्थितियों में किसी अन्य समय मूल्यांकन के खिलाफ कहीं भी कोई स्पष्ट निषेध नहीं है, जहां कोई "मूल्यांकन", जैसा कि जबड़े में समझा जाता है, बिल्कुल नहीं हुआ था। दूसरी ओर, नियम *10* ए इंगित करता है कि विशेष परिस्थितियों में मांग करने की अवशिष्ट शक्तियां हैं जो अधिनियम या नियमों के निर्माताओं द्वारा पूर्वानुमेय नहीं हैं।

यदि निर्धारिती मांग की शुद्धता पर विवाद करता है और

के हितों की रक्षा के लिए मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है

मूल्यांकनकर्ता। हमारे सामने वाला मामला अप्रत्याशित मामलों के अवशिष्ट वर्ग के भीतर अधिक ठीक से आता है। हमारा मानना है कि नियम *10* ए के साथ पठित अधिनियम की धारा *4* के प्रावधानों से, किसी मूल्यांकन को पूरा करने या पूरा करने की निहित शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है, जो नियमों द्वारा विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई है। इसलिए, निषेध या आदेश के किसी भी रिट की परिस्थितियों में आवश्यकता नहीं थी

मामला "।

इस प्रकार, पक्षकारों के साथ पूर्ण न्याय करने और पक्षकारों के गर्भपात को रोकने के लिए, जैसा कि हमारे द्वारा चर्चा की गई है, सामान्य कानून के सिद्धांतों को हटाया नहीं जा सकता है।

न्याय, *2013* के अधिनियम की धारा *24* के दायरे में।

अक्षमता का दस्तावेज़

117. कई मामलों में अक्सर यह देखा जाता है कि जमीन के मालिक मुआवजे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, भले ही उन्हें इसकी पेशकश की गई हो।

उन्होंने या तो स्वीकार करने से इनकार कर दिया है या भूमि अधिग्रहण पर सवाल उठाते हुए रिट आवेदन दायर किए हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि बार-बार, इंदौर विकास प्राधिकरण *v* द्वारा भी क्रमिक रिट आवेदन दायर किए गए हैं।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

जिन व्यक्तियों ने अधिसूचना जारी होने के बाद संपत्ति खरीदी है

धारा *4* के तहत और कुछ मामलों में, अधिनिर्णय पारित होने के बाद भी, कब्जा ले लिया गया और जब भूमि पूरी तरह से राज्य सरकार में निहित हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति भूमि अधिग्रहण पर सवाल उठा रहे हैं। हम ऐसे कई मामलों में आए हैं जब अधिग्रहण की चुनौतियों को इस अदालत तक नकार दिया गया है, लेकिन उसी से विचलित हुए बिना, मुकदमे का नया दौर फिर से शुरू हो गया है, जिसके कारण या तो उन्हीं व्यक्तियों द्वारा या कुछ अन्य ऐसे खरीदारों द्वारा फिर से आंदोलन किया जा रहा है। यह हमारे संज्ञान में आया है कि अब, *2013* के अधिनियम के लागू होने के बाद, अनुचित प्रयास किए जा रहे हैं

इस तरह की याचिकाओं को दायर करके कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग किया जाता है, और इसमें जोर देकर कहा जाता है कि हालांकि उन्होंने खुद को स्वीकार नहीं किया होगा

क्षतिपूर्ति, और उसी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, लेकिन, क्योंकि यह 'उन्हें भुगतान नहीं किया गया है', अदालत में जमा करके, या वे भूमि के वास्तविक कब्जे में बने हुए हैं, हालांकि पंचनामा लेने का

हो सकता है कि कब्जा कर लिया गया हो, इसलिए भूमि अधिग्रहण समाप्त हो गया है। उपरोक्त दावे किए जा रहे हैं; इसके बावजूद भी

इससे पहले का न्यायिक निष्कर्ष कि कब्जा पंचनामा आदि खींचकर लिया गया था। यदि धारा *24* की व्याख्या विधि और तरीके से की जाती है ताकि सभी मामलों को फिर से खोला जा सके, इस तथ्य के बावजूद कि भूमि मालिक, या जैसा भी मामला हो, उनके उत्तराधिकारी स्वयं हित में हैं।

क्षतिपूर्ति को स्वीकार नहीं करने या अवैध रूप से स्वीकार करने से इनकार करने के लिए जिम्मेदार, या कि उन्होंने अवैध तरीके से भूमि पर फिर से कब्जा कर लिया है, तो यह बन जाता है, और वास्तव में, राज्य सरकारों के लिए इसे बचाना और लागू करना लगभग असंभव हो गया है। जनहित की कीमत पर भूमि का बहुत आवश्यक अधिग्रहण, इसे कोई व्यवहार्य कानूनी बचाव के साथ नहीं छोड़ता है जिससे दशकों पहले की गई ऐसी कार्यवाही में अधिग्रहण को बचाया जा सके।

118. श्री पटवालिया ने 'लक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया' के सिद्धांत पर जोर दिया है और हमसे इसके दायरे और अनुप्रयोग पर विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने तर्क दिया कि एक कानून राज्य के अधिकारियों से वह करने की उम्मीद नहीं करता है जो ऐसे भूमि मालिकों के अडिग रवैये और आचरण के कारण संभवतः नहीं किया जा सकता है; यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि कानून किसी पक्ष से असंभव काम करने की उम्मीद नहीं करता है। यह था।

आग्रह किया कि ऐसे मामलों में 'इम्पॉसिबिलियम नुल्लाओब्लिगेशियो एस्ट' उक्ति राज्य के अधिकारियों के बचाव में आएगी। इस न्यायालय ने चंदर किशोर झा बनाम में इस सिद्धांत पर विचार किया है। महाबीर प्रसाद *(1999) 8* एस. सी. सी. *266* इस प्रकारः

" 13. जहाँ तक चुनाव याचिका का संबंध है, हमारी राय में पटना उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका की उचित प्रस्तुति। केवल अध्याय *XXI-E* के नियम *6* द्वारा निर्धारित तरीके से किया जा सकता है। अधिनियम या उसके तहत नियमों के तहत चुनाव याचिका प्रस्तुत करने के किसी अन्य तरीके की परिकल्पना नहीं की गई है और इसलिए, किसी भी परिस्थिति में, सीमा की अवधि को बचाने के लिए पंजीयक को चुनाव याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। यह एक अच्छी तरह से बसा हुआ है।

हितकारी सिद्धांत कि यदि कोई क़ानून किसी विशेष तरीके से किसी काम को करने का प्रावधान करता है, तो उसे उस तरीके से और उस तरीके से किया जाना चाहिए।

कोई और तरीका नहीं। *[* लाभ के साथ देखें - नजीर अहमद बनाम। राजा सम्राट; राव शिव बहादुर सिंह और अन्न। वी. विंध्य प्रदेश राज्य *1954* सी. आर. आई. एल. जे. *910* उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। सिंघारा सिंह और अन्य। *[1964] 4* एससीआर *485*। नियमों के तहत एक चुनाव याचिका केवल नियम *6 (*ऊपर*)* द्वारा निर्धारित तरीके से शाम *4.15* बजे तक *(*न्यायालय के कार्य के घंटे*)* खुली अदालत में न्यायाधीश या पीठ के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती थी, जैसा कि मामला सीमा की अवधि को बचाने के लिए हो। हालांकि ऐसा नहीं किया गया। हालाँकि, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वर्तमान मामले में स्थिति अपीलार्थी के निर्माण की नहीं थी। न तो नामित चुनाव न्यायाधीश जिनके समक्ष चुनाव याचिका औपचारिक रूप से खुली अदालत में प्रस्तुत की जा सकती थी और न ही सिविल आवेदनों और प्रस्तावों की सुनवाई करने वाली पीठ *3.15* बजे के बाद आई. डी. *1* पर उपलब्ध थी, क्योंकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकार किया था कि "न्यायालय दोपहर *3.15* बजे के बाद बाकी दिन नहीं बैठेगा"। कानून किसी पक्ष से असंभव-असंभव दायित्व करने की उम्मीद नहीं करता है-क्योंकि तत्काल मामले में, अदालत के घंटों के दौरान चुनाव याचिका <आई. डी. *1* पर दायर नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अब तक सभी इरादे और उद्देश्यों के लिए, अदालत ने कहा था

दोपहर *3.15* बजे के बाद *16.5.1995* पर बंद हो जाता है।

119. मोहम्मद गाजी बनाम। मध्य प्रदेश राज्य *(2000) 4* एस. सी. सी. उनकी अदालत ने इस प्रकार निर्धारित किया हैः

" 6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में समता की अधिकतम सीमा, अर्थात् न्यायालय का एक अधिनियम किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, लागू होगी। यह उक्ति इस पर आधारित है

न्याय और अच्छी समझ जो कानून के प्रशासन के लिए एक सुरक्षित और निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करती है। दूसरा उक्ति है, लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया-कानून किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो वह संभवतः नहीं कर सकता है। कानून स्वयं और इसका प्रशासन इंदौर विकास प्राधिकरण *v* है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

अस्वीकार करने के लिए समझा जाता है जैसा कि यह अपने सामान्य एफोरिज़्म में करता है, बाध्यकारी असंभवताओं के सभी इरादे, और कानून के प्रशासन को चाहिए

विशेष मामलों के विचार में उस सामान्य अपवाद को अपनाएँ। उपरोक्त मानदंडों की प्रयोज्यता को इस न्यायालय द्वारा राज कुमार दिवस और अन्य मामलों में अनुमोदित किया गया है। वी. तारापद दिवस और

ओआरएस। *[1988] 1* एस. सी. आर. *118* और गुरशरण सिंह और अन्य। वी. एन. डी. एम. सी और अन्य। *[1996] 1* एससीआर *1154* "।

120. श्री पटवालिया ने रोमन कानून के सिद्धांत 'नेमो तेनेतुर एड इम्पॉसिबिलिया' *(*कोई भी असंभवता करने के लिए बाध्य नहीं है*)* को भी लागू करने पर जोर दिया है। दावेदार/भूमि मालिक अंतरिम रोक प्राप्त करने के लिए लगातार आवेदन/मुकदमे दायर कर रहे हैं जिसे मंजूरी दे दी गई है। उन्हें मुआवजे को स्वीकार करने के लिए तैयार करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि एक बार जब वे मुआवजे को स्वीकार कर लेते हैं तो अधिग्रहण पर सवाल उठाने का उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा। यदि वे बिना विरोध के मुआवजे को स्वीकार करते हैं तो वे संदर्भ न्यायालय में अधिक मुआवजे का दावा भी नहीं कर सकते थे। विरोध के तहत मुआवजे को स्वीकार करने के बाद ही वे *1894* के अधिनियम की धारा *18* के तहत संदर्भ की मांग कर सकते हैं।

121. विद्वान वकील ने औद्योगिक क्षेत्र में निर्णय पर भरोसा किया है।

भारतीय वित्त निगम लिमिटेड बनाम कन्नौर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड *(2002) 5* एस. सी. सी. *54* जिसमें न्यायालय ने कहाः

"*30.* लैटिन मैक्सिम ने अंग्रेजी निर्णय "लैक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया" का उल्लेख किया जिसे आम अंग्रेजी स्वीकृति के अर्थ में "नपुंसकता बहाना" के रूप में भी व्यक्त किया गया है, कानून एक आदमी को वह करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो वह संभवतः नहीं कर सकता है। इस प्रकार दायित्व का पालन करने के लिए हमेशा एक अजेय अक्षमता होनी चाहिए और यह ब्रूम के कानूनी अधिकतम में रोमन मैक्सिम "नेमो टेनेटर एड इम्पॉसिबिलिया" के समान है।

इसका वर्णन इस प्रकार किया गया हैः

"फिर, यह एक सामान्य नियम है जो पर्याप्त व्यावहारिक चित्रण को स्वीकार करता है, वह नपुंसकता आरोप; जहां कानून एक कर्तव्य या आरोप बनाता है, और पक्षकार बिना किसी चूक के इसे करने के लिए अक्षम है, और इसका कोई उपाय नहीं है, वहां कानून सामान्य रूप से उसे माफ कर देगा *(टी):* और हालांकि असंभवता

प्रदर्शन, सामान्य तौर पर, एक दायित्व का पालन नहीं करने का कोई बहाना नहीं है जो एक पक्ष ने अनुबंध द्वारा स्पष्ट रूप से किया है, फिर भी जब दायित्व कानून द्वारा निहित है, तो प्रदर्शन की असंभवता एक अच्छा बहाना है। इस प्रकार एक ऐसे मामले में जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 2 एस सी आर।

एक माल के मालवाहक को उतारने से रोका गया था

एक डॉक हड़ताल के कारण तुरंत जहाज, अदालत, के बाद

यह मानते हुए कि उतारने के लिए एक स्पष्ट समझौते के अभाव में

एक निर्दिष्ट समय में माल उतारने का निहित दायित्व था।

एक उचित समय, माना जाता है कि मैक्सिम लैक्स नॉन कोजिट विज्ञापन

निहित दायित्वों के साथ, और मुझे किसी भी मामले की जानकारी नहीं है
जो नुकसान का भुगतान करने का दायित्व कभी भी निहितार्थ द्वारा डाला जाता है

एक व्यक्ति पर वह नहीं करने के लिए जो असंभव हो जाता है

उसके नियंत्रण से परे कारणों से "।

(जोर दिया गया*)*

122. हुडा बनाम। बाबेश्वर कन्हार *(2005) 1* एस. सी. सी. *191* यह अदालत

एल्डः

" 5. 30.10.2001 दिनांकित पत्र के खंड*-4* में क्या निर्धारित किया गया है

आबंटन स्वीकार करने से इनकार करने के संबंध में एक संचार। यह *28.11.2001* पर किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या *1* को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है।

हुडा के कार्यालय को *01.12.2001* पर बंद करने के लिए और

02.12.2001 और *30.11.2001* पर डाक अवकाश। वास्तव में उन्होंने

इन मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ तक कि धारा *10* का तर्क भी सामान्य खंड अधिनियम, *1897* को सेवा में लगाया जा सकता है। इसके अलावा

एक सामान्य सिद्धांत है कि एक पार्टी को ऐसा करने से रोका जाता है कुछ परिस्थितियों में अपने नियंत्रण से परे कार्य करें, ऐसा कर सकते हैं

बाद का पहला अवसर *(*देखें सांबशिव चारी बनाम। रामास्वामी रेड्डी *(1898) (8)* मद्रास लॉ जर्नल *265)*। अंतर्निहित वस्तु

सिद्धांत एक व्यक्ति को वह करने में सक्षम बनाना है जो वह कर सकता था

छुट्टी पर, अगले कार्य दिवस पर किया जाता है। जहाँ ए

न्यायालय में किसी कार्य के निष्पादन के लिए अवधि निर्धारित की जाती है या

कार्यालय, और वह अवधि छुट्टी पर समाप्त हो जाती है, तो अधिनियम होना चाहिए माना जाता है कि उस अवधि के भीतर किया गया था यदि यह किया जाता है

अगले दिन जिस दिन अदालत या कार्यालय खुला रहता है। इसका कारण यह है कि

कानून असंभवता के प्रदर्शन को मजबूर नहीं करता है। *(* देखें।

हुसैन एली वी। डोन्ज़ेल*)* आई. एल. आर. *5* कैल *906*। प्रत्येक विचार

न्याय और समीचीनता के लिए आवश्यक होगा कि स्वीकृत सिद्धांत

जो सामान्य खंड अधिनियम की धारा *10* के अंतर्गत आती है

उन मामलों में लागू किया जाता है जहां यह अन्यथा लागू नहीं होता है। द.

अंतर्निहित सिद्धांत लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया *(*कानून*)* हैं।

एक आदमी को असंभव करने के लिए मजबूर नहीं करता है*)* और एक्टस क्यूरी

*(*न्यायालय का कार्य किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा*)*।

ऊपर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

नीचे दिए गए मंच। हालांकि, निश्चित ब्याज की दर प्रतीत होती है कि थोड़ा ऊपर की ओर होना चाहिए और इसके साथ भुगतान करने के लिए *9* प्रतिशत तक कम किया जाता है

03.12.2001 से प्रभाव, यानी उस तारीख को जिस दिन पत्र लिखा गया था हुडा द्वारा प्राप्त। ”

(जोर दिया गया*)*

123. इन रेः राष्ट्रपति चुनाव, *(1974) 2* एस. सी. सी. *33* इस न्यायालय ने

वेदः

(v) कानून नपुंसकता माफी कानून का सिद्धांत अंतरंग है

कानून के अनिवार्य भाग का पालन करने के लिए अजेय अक्षमता नपुंसकता के बहाने, कानून किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो

संभवतः कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता। ”जहाँ कानून कोई कर्तव्य बनाता है या

उस में, और उस पर कोई उपाय नहीं है, वहाँ कानून सामान्य रूप से होगा उसे क्षमा करें। ” इसलिए, जब यह प्रतीत होता है कि प्रदर्शन

उन परिस्थितियों से जिन पर इच्छुक व्यक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं था, भगवान के कार्य की तरह, परिस्थितियों को एक वैध के रूप में लिया जाएगा

क्षमा करें। जहाँ ईश्वर का कार्य अनुपालन को रोकता है

एक कानून के शब्दों में, वैधानिक प्रावधान इसके लिए अस्वीकृत नहीं है

सुपरवेनिंग असंभवता के कारण अनिवार्य चरित्र

ईश्वर के कार्य से। *(* सेक ब्रूम का लीगल मैक्सिम्स *10* वां संस्करण

पीपी। *1962-63* और क़ानून *6* वीं संस्करण पर क्रेज़। पी। *268) ”.*

(जोर दिया गया*)*

124. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम। प्रवर्तन निदेशालय,

2005 (2) एस. सी. *2622,* इस अदालत ने माना कि एक स्वीकार्य कानूनी है

एम कि कानून एक आदमी को वह करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो संभवतः "नपुंसकता कारण कानून" को विकृत नहीं कर सकता है। कानून का मूल सिद्धांत है -

ए. डब्ल्यू. किसी भी असंभवता को मजबूर नहीं करता है। यह आग्रह किया गया था कि यदि भूमि मालिकों

ऐसी परिस्थितियाँ, जो असंभव प्रदर्शन करती हैं

प्राकृतिक रूप से निर्धारित औपचारिकताएं, ऐसे भूमि मालिक नहीं ले सकते थे अपने स्वयं के कार्य या गलत का नुकसान।

125. हमारी राय में, किसी अधिनियम के निष्पादन की असंभवता के बारे में सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि धारा *31* या *24* के तहत अधिनियम निष्पादित करने में सक्षम थे, लेकिन अधिकारियों को उनकी ओर से कोई गलती नहीं होने के कारण उन्हें निष्पादित करने में अक्षम कर दिया गया था। हालाँकि, न्यायालय के आदेशों के प्रभाव, या भूमि मालिकों/दावेदारों/लाभार्थियों के आचरण पर विचार करने की आवश्यकता है, प्रश्नगत कार्यों को उनकी प्रकृति से करना 'असंभव' नहीं था, लेकिन उपरोक्त पहलू प्रासंगिक है और प्रदर्शन करने में असमर्थता के अंतर्निहित सिद्धांत पर इस तथ्य की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए कि क्या यह उन कार्यों को करने के लिए प्राधिकरण के नियंत्रण या क्षमता में था जो किया जाना संभव था, लेकिन जब प्रदर्शन करना संभव नहीं था या करने में असमर्थ थे। ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उसे अंदर डालने के लिए नहीं कह सकता है। किसी अधिनियम के गैर-अनुपालन के लिए लाभप्रद स्थिति, जो संभवतः निष्पादित की गई होगी, लेकिन ऐसी कार्रवाई के लिए।

उक्ति "नलस कमोडम कैपेरे पोटेस्ट डी इंजुरिया सुआ"

प्रोप्रिय 'अर्थात'। कोई भी व्यक्ति अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता।

126. लेखक ब्रूम ने लीगल मैक्सिम्स में इस सिद्धांत पर चर्चा की है और कहा हैः

"टेंडरः पुनः, जहाँ कोई लेनदार पर्याप्त राशि की निविदा को अस्वीकार कर देता है, और विधिवत किया जाता है, वह बाद में, उत्पीड़न या जबरन वसूली के उद्देश्यों के लिए, इस तरह के इनकार का लाभ नहीं उठा सकता है; क्योंकि, हालाँकि ऋणी अभी भी जब भी ऐसा करने की आवश्यकता होती है, तो भुगतान करने के लिए उत्तरदायी रहता है।
फिर भी निविदा भुगतान नहीं करने या ऋण को रोकने के लिए नुकसान और ब्याज के लिए किसी भी दावे के प्रतिबंध में काम करती है, और ऋण की लागत के बारे में भी।

मांग *(*वाई*)* की वसूली के लिए की गई कार्रवाई। "

भुगतान की जाने वाली राशि की "निविदा" किसी भी राशि पर प्रतिबंध के रूप में काम करती है।

127. इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के तथ्यात्मक और कानूनी परिदृश्य और भूमि मालिकों के आचरण के संदर्भ में। दावेदार, जिनके बारे में हम वर्तमान में चिंतित हैं, जब एक बार राशि की "निविदा" की गई थी, तो किसी भी निर्धारित तरीके से, जो

इसे स्वीकार करने से इनकार करने और/या लगातार मुकदमेबाजी में लिप्त होने के आचरण से, जो कुछ मामलों में, एक स्थगन/अंतरिम आदेश में समाप्त हो गया, जिस पक्ष ने इस प्रकार राशि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसके बजाय 'बेतुके नाटक' में लिप्त हो गया, वह पक्ष पलट नहीं सकता है और तर्क नहीं दे सकता है कि अब दूसरे पक्ष को भुगतान न करने के लिए दंड के साथ देखा जाना चाहिए।

इस उक्ति के संबंध में लेखक ब्रूम ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

"इसके अलावा, हम यह टिप्पणी कर सकते हैं कि वह उक्ति जो एक व्यक्ति को अपनी गलती का लाभ उठाने से रोकती है, सिद्धांत रूप में, इसके साथ निकटता से संबद्ध है

उक्ति, पूर्व डोलो मालो गैर-मौखिक कार्रवाई, जो इसी तरह सामान्य अनुप्रयोग की है, और इसके बाद अध्याय *IX* में इसका इलाज किया जाएगा। बाद वाला उक्ति, वास्तव में, उपरोक्त अवलोकन में शामिल है; क्योंकि यह स्पष्ट है कि चूँकि किसी व्यक्ति को अपने पाप का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसलिए उसे अपने पाप पर दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगीः निमो एक्स प्रोप्रियो

और, जैसा कि पहले देखा गया है, कानूनी प्रतिबद्धता *(*जी*)* " एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवैट का दस्तावेज़।

128. उपरोक्त उक्ति के साथ हमें विचार करना होगा

प्रश्न के लिए अधिकतम 'एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट' की प्रयोज्यता।

हर्बर्ट ब्रूम की "सिलेक्शन ऑफ लीगल मैक्सिम्स" नामक पुस्तक में, उक्त सिद्धांत के बारे में लेखक ने कहा हैः

"यह उक्ति न्याय और सद्बुद्धि पर आधारित है; और प्रदान करता है।

कानून के प्रशासन के लिए एक सुरक्षित और निश्चित मार्गदर्शक "*(*बी*)*। इसके आधार पर, जहां कोई मामला न्यायालय में कार्य की बहुलता के कारण तर्क के लिए या प्रश्न की जटिलता से निर्णय के लिए खड़ा होता है, पक्षकार को उस देरी से पूर्वाग्रहित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपना निर्णय दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

मामले के न्याय को पूरा करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से *(*ग*)* और इसलिए, यदि किसी कार्रवाई के लिए एक पक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो निर्णय बिना किसी कारण के दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि देरी का कार्य है

न्यायालय, जिसके लिए किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं उठाना चाहिए *(*घ*)*।

129. यह कानून का तय प्रस्ताव है कि कोई भी वादी अदालत में किसी मामले के लंबित होने का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी भी अंतरिम मामले में मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान आदेश पारित किया जाता है और यह अंतिम आदेश में मिल जाता है। यदि मामला खारिज कर दिया जाता है तो इसकी

विचाराधीनता के दौरान पारित अंतरिम आदेश स्वचालित रूप से रद्द हो जाता है। यह भी तय किया गया है कि किसी पक्ष को अपनी गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि 'कमोडम एक्स इंजुरिया सुआ नेमो हेबेरे डेबेट' यानी किसी पक्ष को सुविधा नहीं मिल सकती है।

अपनी ही गलती से। " किसी भी व्यक्ति को अपनी गलती का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मामले में मुकदमेबाजी बिना किसी आधार और अंतरिम के दायर की गई है आदेश पारित किया जाता है तो यह असमर्थनीय दावा दायर करने के लिए अवैध लाभ या गलत लाभ देना होगा। मृत्युंजय पान बनाम में यह न्यायालय। नर्मदा बाला सस्मल और अन्न। ए. आई. आर. *1961* एस. सी. *1353* ने कहा हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 2 एस सी आर।

..... एस. *90* से पहले निम्नलिखित तीन शर्तों को पूरा किया जाएगा।

भारतीय न्यास अधिनियम को किसी मामले में लागू किया जा सकता हैः *(1)* बंधक बंधक के रूप में अपने पद का लाभ उठाएगा; *(2)* वह लाभ प्राप्त करेगा।

एक लाभ; और *(3)* लाभ का अपमान होना चाहिए संपत्ति में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों का अधिकार। अनुभाग,

चित्रण के साथ पढ़ें ®, स्पष्ट रूप से बताता है कि जहां एक दायित्व है

अपने लिए संपत्ति खरीदता है, वह एक न्यासालय में खड़ा होता है लाभ के लिए इस प्रकार खरीदी गई संपत्ति के संबंध में संबंध

संपत्ति के मालिक। यह केवल एक और उदाहरण है

एक सुव्यवस्थित सिद्धांत कि एक न्यासी को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

न्यास से लाभ कमाना। एक ही सिद्धांत शामिल है

लैटिन अधिकतम में कमोडम सुविधा एक को अर्जित नहीं कर सकती है

पार्टी अपनी गलती से। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी नहीं हो सकता है

अपने स्वयं के गलत कार्य से लाभ उठाने की अनुमति।

" 9

(जोर दिया गया*)*

130. यह भूमि मालिकों की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि एक बार

अदालत प्रथम दृष्टया मामला पाती है और अंतरिम आदेश दिया जाता है, वादी को दोषी नहीं कहा जा सकता है। अंततः मामले में एक योग्यता की जांच की जाती है और उसे बेमानी पाया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में

'एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट' उक्ति विपरीत पक्ष के बचाव में आती है जो अंतरिम आदेश के कारण पीड़ित है और कदम उठाने में असमर्थ था। यह सिद्धांत कि न्यायालय का कार्य किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, ऐसे मामले में स्पष्ट रूप से लागू होता है। न्यायालय का दायित्व है कि वह न्यायालय के कार्य द्वारा किसी पक्ष के साथ किए गए गलत कार्य को पूर्ववत करे और

अंतर्निहित शक्तियों के तहत बहाली। इस प्रकार कोई भी अनुचित या अनुचित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा प्राप्त लाभ को बेअसर किया जाना चाहिए, क्योंकि मुकदमेबाजी की संस्था को अधिनियम द्वारा विलंबित कार्रवाई से किसी भी पक्षकार को कोई लाभ प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अदालत। न ही *2013* के अधिनियम की धारा *24* द्वारा इस पर विचार किया गया था। यह कानून की नीति नहीं है कि जो मुकदमेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने अंतरिम आदेश प्राप्त किए, हालांकि अंततः उनका दावा मान्य नहीं हो सकता है। विलम्ब या कलंकित कार्य के कारण लाभ की अनुमति नहीं है और कानून का पालन करने वाले व्यक्ति की पीड़ा की अनुमति नहीं है। धारा *24* के प्रावधानों का उद्देश्य केवल अधिग्रहण प्राधिकरणों का शीघ्र निपटान करना है, पांच साल या उससे अधिक समय तक प्राधिकरणों की सुस्ती को विधायिका द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाता है, प्रावधान मुकदमेबाजी में लंबित होने की ऐसी स्थिति को कवर या सुरक्षा प्रदान नहीं करता है और वादियों को अधिकार प्रदान नहीं करता है।

विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]131 (* ए*)*। जी. टी. सी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय भारत संघ*) 3* एस. सी. सी. *376* ने कहा है कि रोक को खाली करते हुए यह अदालत का काम है कि वह देरी की अवधि के लिए जिम्मेदार हो और इक्विटी का निपटारा करे, अदालत ने कहाः

" 16. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, *1944* की धारा *11* एए को वित्त अधिनियम, *1995* द्वारा *26* मई, *1995* को जोड़ा गया था। यह धारा अन्य बातों के साथ-साथ शुल्क के विलंबित भुगतान पर ब्याज का प्रावधान करती है। जहाँ उप-धारा *(2)* के तहत निर्धारित कर्तव्य के साथ प्रभार्य व्यक्ति धारा *11* ए इस तरह के निर्धारण की तारीख से तीन महीने के भीतर ऐसे शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, वह शुल्क के अलावा, *10* प्रतिशत से कम और *30* प्रतिशत से अधिक की दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद की तारीख से ऐसे शुल्क के भुगतान की तारीख तक बोर्ड द्वारा इस तरह के शुल्क पर तय किया जा रहा वर्ष। धारा *11* एए को शामिल करने से पहले, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, *1944* में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था, जिसके तहत विभाग

शुल्क के विलंबित भुगतान पर ब्याज की वसूली हो सकती है। लेकिन इस न्यायालय ने उपयुक्त मामलों में ब्याज के भुगतान का निर्देश दिया था। ऐसे दो

निर्णय हमारे संज्ञान में लाए गए हैं। के मामले में

कश्यप जिप इंड बनाम भारत संघ और अन्य। *1993 (64)* ईएलटी

161 (एस. सी.*)*, रिट याचिका में उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश द्वारा विवादित कर्तव्य की वसूली पर रोक लगा दी गई थी। रिट याचिका को खारिज करते हुए और स्थगन आदेश को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने

अपीलार्थी को स्थगन आदेश की तारीख से वसूली तक प्रति वर्ष *17.5%* पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस न्यायालय ने ब्याज की दर को घटाकर *12* प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया और तथ्यों और तथ्यों पर परिस्थितियों ने निर्देश दिया कि इस राशि की वसूली *1* जनवरी, *1985* से भुगतान तक की जानी चाहिए, यह वह वर्ष है जिसमें इस न्यायालय द्वारा मामले का अंत में निर्णय लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप -

उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज कर दी गई। *" (* जोर देना

आपूर्ति की गई*)*

131 (बी*)*। जयपुर नगर निगम में यह न्यायालय। वी. सी. एल. मिश्रा *5) 8* एस. सी. सी. *423* ने कहा है कि अंतरिम आदेश अंतिम क्रम में विलय हो जाता है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इससे आगे नहीं रह सकता है। इस प्रकार,

अंतरिम आदेश लागू नहीं किया जा सकता है।

131 (सी*)*। राम कृष्ण वर्मा बनाम में यह न्यायालय। यू. पी. राज्य *(1992)* सी *620,* ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम में पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए।कर अधिकारी, कलकत्ता *(1980) 2* एस. सी. सी. *191* ने कहा कि कोई भी *[2018] 2* एस. सी. आर. नहीं कर सकता है।

न्यायालय के कार्य से पीड़ित है और यदि कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया है और याचिकाकर्ता इसका लाभ उठाता है और अंततः याचिका को बिना योग्यता के पाया जाता है और खारिज कर दिया जाता है, तो न्याय के हित की आवश्यकता होती है।

कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा प्राप्त किसी भी अनुचित या अनुचित लाभ को बेअसर किया जाना चाहिए।

131 (डी*)*। इस न्यायालय ने महादेव सावलाराम शेल्के बनाम. पुणे

नगर निगम *(1995) 3* एस. सी. सी. *33* ने कहा है कि अदालत ने

अंतर्निहित अधिकारिता के तहत 'पूर्व ऋण न्याय' का कर्तव्य है कि वह अदालत के कार्य से प्रतिवादियों को हुए नुकसान को कम करे। अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई आवश्यक है।

131 (ई*)*। अमरजीत सिंह बनाम। देवी रतन और ओआरएस। *(2010) 1* एससीसी

417 रामकृष्ण वर्मा के मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं हो सकता है

अदालत के कार्य और अंतरिम आदेश के अनुचित लाभ को बेअसर किया जाना चाहिए, अदालत ने कहाः

" राम कृष्ण वर्मा बनाम। यू. पी. राज्य, इस न्यायालय ने जांच की

अपने पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए इसी तरह का मुद्दा

ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम आई. टी. ओ., *(1980) 2* एस. सी. सी. *191,* और माना कि नहीं

व्यक्ति न्यायालय के अधिनियम से पीड़ित हो सकता है और एक अंतरिम मामले में

और अंततः याचिका को बिना किसी योग्यता के पाया जाता है
और खारिज कर दिया जाता है, न्याय के हित की आवश्यकता है कि कोई भी

आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा प्राप्त कम सेवा या अनुचित लाभ

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बेअसर किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया*)*

131 (च*)*। इस न्यायालय ने 'एक्टस क्यूरी' के सिद्धांत पर विचार किया है।

कर्नाटक में 'नेमेनेम ग्रेवबिट' दुर्लभ पृथ्वी और ए. एन. आर. वी. सीनियर

भूविज्ञानी, खान और भूविज्ञान विभाग और एएनआर। *(2004) 2* एस. सी. सी. *783* में इस बात पर जोर दिया गया कि पक्षों को उसी स्थिति में रखा जाना चाहिए जो वे अदालत के आदेश के लिए होते और उन्होंने कहाः

" 10. ..... एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट का सिद्धांत और आयोजित

कि यह सिद्धांत केवल इस तरह के अनुप्रयोगों तक ही सीमित नहीं था
न्यायालय के कार्य जो गलत थे; सिद्धांत लागू होता है

ऐसे सभी कार्यों के लिए जिनके बारे में यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि न्यायालय ऐसा नहीं करेगा

इस तरह से कार्य किया है यदि इसे तथ्यों से सही ढंग से अवगत कराया गया है और
कानून। यह पुनर्स्थापन का सिद्धांत है जो आकर्षित होता है। कब चालू होता है

पक्ष के किसी कार्य का लेखा-जोखा, न्यायालय को एक विकास प्राधिकरण *v* पारित करने के लिए राजी करना।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

आदेश, जिसे अंत में टिकाऊ नहीं माना जाता है, के परिणामस्वरूप एक पक्ष को लाभ हुआ है जो अन्यथा उसे नहीं होता

अर्जित किया गया है, या दूसरे पक्ष को एक सुधार का सामना करना पड़ा है जो उसे नुकसान नहीं उठाना पड़ता है, लेकिन अदालत के आदेश और ऐसे पक्ष के कार्य के लिए, तब सफल पक्ष अंततः मुकदमे के अंत में धन के संदर्भ में आकलन योग्य राहत का हकदार है, उसी तरह से मुआवजा पाने का हकदार है जैसे पक्षकारों को होता अगर अदालत का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाता। सफल पक्ष *(*क*)* न्यायालय के अंतरिम आदेश

के तहत विरोधी पक्ष द्वारा अर्जित लाभ के वितरण की मांग कर सकता है, या *(ख)* जो उसने खो दिया है उसकी भरपाई करने की मांग कर सकता है।

11. इस मामले के तथ्यों में, उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद, यदि अपीलकर्ता इस न्यायालय को अंतरिम आदेश पारित करने के लिए राजी नहीं करते, तो वे खनन पट्टों को संचालित करने और खनन पट्टों को बढ़ाने और हटाने और निपटाने के हकदार नहीं होते।

निकाले गए खनिज। लेकिन इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के लिए, अपीलकर्ताओं और किसी भी व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है

धारा *21* की उप-धारा *(5)* की प्रयोज्यता को आकर्षित करते हुए, किसी भी वैध प्राधिकरण के बिना, किसी भी भूमि से कोई खनिज उगाना। जिस तरह से

अपीलार्थी अदालत से हार गए हैं, उन्हें अदालत के अंतरिम आदेशों के तहत उनके द्वारा अर्जित लाभ को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को उसी स्थिति में रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया है जिसमें वे होते यदि यह न्यायालय अंतरिम आदेश जारी करके उनकी रक्षा नहीं करता। राज्य सरकार अपीलार्थियों से केवल लघु खनिजों की कीमत की मांग कर रही है। राज्य सरकार द्वारा किराया, रॉयल्टी या कर पहले ही वसूल किया जा चुका है और इसलिए, उस शीर्ष के तहत कोई मांग नहीं है। अपीलार्थियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही, किसी भी आपराधिक कार्यवाही से बहुत कम, शुरू नहीं की गई है। यह तर्क देना बिल्कुल गलत है कि अपीलकर्ताओं को कोई जुर्माना देने के लिए कहा जा रहा है या उन्हें दंड दिया जा रहा है।

किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के अधीन। यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि उन्हें निर्यात से प्राप्त मूल्य से अधिक मूल्य का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है या यह कि प्रतिवादी राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य किसी भी तरह से मनमाना या अनुचित है।

99

(जोर दिया गया*)*

131 (जी)। सिद्धांत "एक्टस क्यूरिया नेमिनेम ग्रेवबिट" है

कानून और अच्छी समझ के प्रशासन का सीई। इसे आर. अंतुले बनाम माना गया है। आर. एस. नायक और अन्य। , ए. आई. आर. *1988* एस. सी. *1531* इस प्रकार हैः

" 83. इस मामले ने हमें काफी चिंतित किया है। अपीलार्थी अभियुक्त ने देश के एक प्रमुख राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इस देश में एक महत्वपूर्ण पद संभाला है। उन पर गंभीर आपराधिक अपराधों का आरोप लगाया गया है। कानून और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उनका मुकदमा *1952* के अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। यह संभवतः *16* फरवरी *1984* के इस न्यायालय के निर्देशों के कारण नहीं किया जा सका, जैसा कि ऊपर बताया गया है। अभी तक यह पता नहीं चला है कि अपीलार्थी दोषी है या निर्दोष। यह दुर्भाग्यपूर्ण है,

राज्य के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश में लोकतंत्र के भविष्य में काम करने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जो हालांकि एक आसान विकास का पौधा नहीं है, फिर भी भारतीय राजनीति में गहरी जड़ों के साथ है कि प्रक्रिया संबंधी झगड़ों के कारण देरी हुई है। अपीलार्थी अपने विरुद्ध कथित गंभीर अपराधों का दोषी हो सकता है या वह पूरी तरह से या यदि पूरी तरह से नहीं तो काफी हद तक निर्दोष हो सकता है। सार्वजनिक जीवन में मूल्यों और सार्वजनिक जीवन में इन मूल्यों के दृष्टिकोण में पिछले कुछ दशकों के दौरान गंभीर परिवर्तन और क्षरण हुआ है। जो पहले नहीं सुना गया था वह आज आम बात है। हमारे जीवन और हमारी संस्कृति में एक नया मूल्य अभिविन्यास हो रहा है। हम मूल्यों के क्रॉस-रोड की दहलीज पर हैं। यह देश के संप्रभु लोगों के लिए है कि वे उन संघर्षों को सुलझाएं, फिर भी ऐसे मामलों में अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। त्वरित सुनवाई के स्वीकृत उद्देश्य के साथ अपीलार्थी के मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन इसकी समीचीनता के आधार पर

मुकदमे में, उसे कानून द्वारा अनुचित और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत प्रक्रिया के अधीन नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी एक आदर्श राजनीतिज्ञ हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन यह एक तथ्य है कि

उनके खिलाफ एक राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति द्वारा आरोप लगाए गए हैं, लेकिन यह निर्णायक कारक नहीं है।

यदि अपीलार्थी श्री अब्दुल रहमान अंतुले ने कानून का उल्लंघन किया है, तो उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। हम घोषणा करते हैं और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन साथ ही दोहराएँ और घोषणा करें कि संविधान और कानूनों के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसे कानून के अनुसार व्यवहार करने का अधिकार है न कि उसका अपमान करने का।

इस न्यायालय ने विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

गुजरात बनाम में यह न्यायालय। राम प्रकाश *[1970] 2* एससीआर *875* ने इस स्थिति को दोहराते हुए कहाः प्रक्रिया नौकरानी है न कि कानून की मालकिन, जिसका उद्देश्य न्याय के कारण को कम करना और सुविधा प्रदान करना है, न कि शासन करना या

इसे बाधित करें, प्रक्रिया के सभी नियमों की तरह, यह नियम एक ऐसे निर्माण की मांग करता है जो इस उद्देश्य को बढ़ावा देगा। एक बार न्यायिक संतुष्टि हो जाने पर कि निर्देश नहीं था

ऐसा किया जा सकता है और इसे अदालत की गलती के रूप में स्वीकार किया जाता है, यह न केवल उचित है, बल्कि अदालत का कर्तव्य भी है कि वह अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके गलती को सुधारें। न्यायिक राय इस दृष्टिकोण के पक्ष में बहुत अधिक झुकती है कि न्यायालय की गलती को स्वयं न्यायालय द्वारा बिना किसी बाधा के ठीक किया जा सकता है।

जैसा कि अलेक्जेंडर रॉजर के मामले *(ऊपर)* में संकेत दिया गया है। मैं हूँ।

इस दृष्टिकोण से कि वर्तमान स्थिति में, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ

गलती को सुधारने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। महाजन, जे. बोल रहे हैं

[1953] 4 एस. सी. आर. *136* ने कहाः न्यायाधीश के पास अपनी गलती को सुधारने का अधिकार क्षेत्र था।

डिक्री-धारक या द्वारा लिए गए आधारों की चर्चा में

निर्णय द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ-देनदार।

131 (एच)। सारा मैथ्यू बनाम में संविधान पीठ। संस्थान

io संवहनी रोग, *(2014) 2 SCC 62,* ने माना है

मैक्सिम ने कहा; इसने देखाः

" 39. जैसा कि हम पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुँचने में उल्लेख कर चुके हैं,

कानूनी परिभाषाओं से लिया जा सकता है। कानूनी मानदंडों को संदर्भित किया जाता है

भारत काले, जापानी साहू और वंका राधामनोहरी *(श्रीमती)*।

यह प्रसिद्ध कानूनी उक्ति 'नलम टेम्पस' के अनुरूप है। 'ऑट लोकस ऑपेरिट्रेगी', जिसका अर्थ है कि कोई अपराध कभी नहीं मरता। में।

साथ ही, सतर्क लोगों की सहायता करना भी कानून की नीति है और

नींद में नहीं। यह लैटिन मैक्सिम 'विजिलेंटिबस' में व्यक्त किया गया है।

और गैर शयनकक्ष, न्याय के अधीन '। संहिता का अध्याय *XXXVI*

अपराधों के प्रकार जिनके लिए कम सजा दी जाती है इस उक्ति से समर्थन। लेकिन, यहां तक कि कुछ अपराध जैसे कि

भारतीय दंड संहिता की धारा *384* या *465,* जिसमें कम प्रावधान हैं।

सजा के गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। प्रावधान है,

इसलिए, देरी को माफ करने के लिए बनाया गया। दाखिल करने की तिथि

शिकायत या कार्यवाही शुरू करने की तारीख

संहिता की धारा *468* के तहत गणना की सीमा के लिए तिथि है कानूनी उक्ति 'एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट' द्वारा समर्थित

जिसका अर्थ है कि न्यायालय का कार्य किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यह सहन करता है।

यह बताने के लिए दोहराना कि संज्ञान लेने में अदालत की निष्क्रियता

मेहनती शिकायतकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार अध्याय *XXXVI* इन तीनों कानूनी पहलुओं की परस्पर क्रिया को प्रस्तुत करता है।

अधिकतम। तथापि, इस अध्याय के प्रावधानों की व्याख्या नहीं की गई है। केवल इन अधिकतम के आधार पर। वे केवल मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं

सिद्धांत "।

(जोर दिया गया*)*

विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

132. जमींदारों ने एस. यू. पी. टी. डी. पर भी निर्भरता रखी है। कर, आर. आई. और अन्य। वी. असम जूट सप्लाई लिमिटेड और अन्य। *(1976) 1* एससीसी *766:*

" 17. राज्य की ओर से पहला तर्क कि यह बन गया

असंभव का अर्थ है कि कानून किसी व्यक्ति को वह करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो वह संभवतः नहीं कर सकता है। वर्तमान अपीलों में, कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किए गए थे। प्रत्यर्थियों ने अधिनियम की वैधता को चुनौती दी, और इसलिए,

राज्य को लेने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की

अधिनियम के तहत कार्यवाही। किसी भी स्तर पर, राज्य ने निषेधाज्ञा के आदेश में बदलाव या संशोधन के लिए नहीं कहा। यह सर्वविदित है कि यदि किसी न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है कि निषेधाज्ञा के किसी भी आदेश के कारण कार्यवाही समय पर बाधित होने की संभावना है या अदालत ऐसे उपयुक्त या उचित आदेश पारित करती है जो पक्षों के हितों की रक्षा करेगा और किसी भी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यहां तक कि जब *1* अगस्त *1963* को इस न्यायालय में अपील करने का प्रमाण पत्र दिया गया था, तब भी राज्य ने निर्णय के संचालन पर रोक लगाने के लिए कोई आदेश नहीं मांगा था। ऐसा अक्सर किया जाता है। पहले के लिए

10 अगस्त *1964* को राज्य ने उच्च न्यायालय के फैसले के संचालन पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया। राज्य ने उचित समय पर कदम नहीं उठाए। इस न्यायालय ने *28* अक्टूबर *1964* को उच्च न्यायालय के फैसले के संचालन पर रोक लगाने का एक अंतरिम आदेश दिया। *28* जनवरी *1965* को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम आदेश को पूर्ण बना दिया गया था। राज्य अपनी गलती और परिश्रम की कमी का लाभ नहीं उठा सकता है। राज्य यह तर्क नहीं दे सकता कि नए अधिनियम की धारा *7 (2)* में उल्लिखित अवधि के भीतर कोई नोटिस जारी करना असंभव था। राज्य ने समय के भीतर कदम उठाने के खिलाफ निषेधाज्ञा के कारण कठिनाइयों को दूर करने के लिए उचित आदेश प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया नए अधिनियम की धारा *7 (2)* में विचार किया गया। राज्य चूक का दोषी है। राज्य के पास आदेश में संशोधन के लिए कदम उठाने के लिए उपाय खुले थे। राज्य को इस अधिकार पर जोर देना था कि राज्य करों की मांग करने का हकदार था और प्रत्यर्थी था

समान भुगतान करने के लिए उत्तरदायी। राज्य ने निष्क्रियता की नीति का पालन किया। निष्क्रियता असंभव नहीं है। आदेश निषेधाज्ञा नहीं होनी चाहिए ईश्वर के किसी कार्य या राज्य के दुश्मन के किसी कार्य के बराबर

या एक आम हड़ताल "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 2 एस सी आर।

उपरोक्त मामले में राज्य की ओर से गलती थी। राज्य अधिकारों का दावा करने में विफल रहा। राज्य चूक का दोषी था और उक्त अधिनियम की धारा *7 (2)* के तहत विचार किए गए समय के भीतर कदम नहीं उठाए। मामला अपने तथ्यों पर बदल गया।

133. इस संबंध में नीरज पर भी भरोसा जताया गया है।

कुमार सैनी और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। *, (2017)* एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. *258,* जिसमें इस अदालत ने कहा हैः

"31. उपरोक्त परिच्छेद से यह ध्यान देने योग्य है कि

व्याख्या संहिता के अनुसार की गई थी और

कानूनी सिद्धांत को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में लिया गया था। कहने की जरूरत नहीं है कि

कानून में अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी को भी कोई पूर्वाग्रह नहीं झेलना चाहिए

न्यायालय के कार्य के कारण। जिन अधिकारियों का हमने उल्लेख किया है, वे विभिन्न तथ्यात्मक व्याख्याओं से निपटते हैं। कानूनी उक्ति जिसका सहारा लिया गया है वह एक में काम नहीं कर सकता है

वैक्यूम। इसे तथ्यों से पोषण प्राप्त करना होगा। जैसा कि स्पष्ट है, इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रवेश समाप्त होने के बाद, अपीलार्थी, जिन्होंने अपने भाग्य के लिए इस्तीफा दे दिया था, यह भूलकर कि कानून सतर्क लोगों की सहायता नहीं करता है, घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए जाग गए। सुस्ती की विलासिता में कोई लिप्त नहीं हो सकता,

संभवतः इस भावना को पोषित करना कि भूलना एक गुण है, और

इसके बाद, जब समय बीत जाता है, क्योंकि वह किसी का इंतजार नहीं करता है, तो जागो और "एक्टस क्यूरी नेमेनेम" कहावत के तहत शरण लो।

ग्रेवबिट "। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है "।

मामला सुस्ती से संबंधित है जो किसी मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है कि कानूनी सिद्धांतों से किस हद तक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

134. एक पदधारी को अंतिम निर्णय में सफल या असफल होना चाहिए

याचिका में उन्होंने कौन सा मामला स्थापित किया है, इस पर मुकदमा लंबित है। न्यायालय के आदेश की आड़ में कब्जा जारी रहने की स्थिति में या

अदालत के आदेश के कारण मुआवजे का वितरण नहीं किया जा सका

माना जाता है कि धारा *24 (2)* में निहित प्रावधान को ऐसी स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति धारा *24 (2)* के प्रावधानों के तहत नहीं आती है, क्योंकि अन्यथा अभिनिर्धारित करना अधिग्रहण को चुनौती देने में कोई योग्यता नहीं होने के बावजूद उसकी विलम्बकारी रणनीति के लिए वादी प्रीमियम देने के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में किसी भी पदाधिकारी को आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, हालांकि मैंने आपको कब्जा करने से रोकने के लिए रोक प्राप्त की होगी, हालांकि मैंने मुआवजा प्राप्त करने से इनकार कर दिया होगा या अन्यथा अदालत की कार्यवाही के कारण, इसका भुगतान/स्वीकार नहीं किया गया था।

इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

अब आपको मेरे उक्त कार्य के कारण पीड़ा उठानी होगी। यह उमा देवी बनाम में न्याय के सभी सिद्धांतों और कानून के तय किए गए प्रस्तावों के खिलाफ होगा। कर्नाटक राज्य *(2006) 6* एस. सी. सी. *1* जहाँ इस न्यायालय ने एक बार के उपाय के रूप में केवल उन अधिकारियों को नियमित करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने अदालत के आदेश के आवरण के बिना दस साल से अधिक समय तक सेवा की है। यह उपरोक्त सिद्धांतों पर भी आधारित था कि किसी को भी दूसरे पक्ष को नुकसानदेह स्थिति में डालने के लिए अदालत के संरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

135. सामान्य कानून के सिद्धांत वास्तव में समानता, न्याय और ठोस तर्क के नियम हैं। कानून में निषेध होने के अभाव में,

ये सिद्धांत आकर्षित होंगे। कानून में किसी भी स्पष्ट निषेध के अभाव में ऐसे सामान्य कानून सिद्धांतों की प्रभावकारिता और बाध्यकारी प्रकृति को कम या कम नहीं किया जा सकता है। वे व्याख्या हैं

2013 के अधिनियम की धारा *24*। *136.* इसके बाद सवाल यह उठता है कि अदालत के एक आदेश से राज्य के अधिकारियों को प्रतिबंधित किए जाने की स्थिति क्या होगी।

कब्जा लेना, हालांकि वे अन्यथा इस तरह के आदेश के अभाव में कब्जा कर लेते; और, अंततः, सूची में कोई योग्यता नहीं पाई गई जिसमें अधिग्रहण को चुनौती दी गई थी और अंतरिम आदेश पारित किया गया था। सवाल यह है कि क्या धारा *24 (2)* के प्रावधान ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं, और क्या ऐसी अवधि को *2013* के अधिनियम की धारा *24* के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, जहां अधिकारियों को, भूमि मालिक/लाभार्थी के कहने पर लाए गए मुकदमे के दौरान, अदालत के अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, जो अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों को रोकते हैं, लेकिन वादी के ऐसे अंतरिम आदेश या आचरण के लिए।

137. अदालत के आदेश या भूमि मालिक के आचरण के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका, या मुआवजे का भुगतान या जमा नहीं किया जा सका, ऐसे मामलों में चूक का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता है। अनुभाग *24 (2)* , कानून की नीति किसी वादी को लाभान्वित करने या कानून में शामिल करके अयोग्य लाभ प्रदान करने और बिना किसी अधिकार के अवैध आधार पर कब्जे के आधार पर फल प्राप्त करने के लिए नहीं है और अक्सर एक के बाद एक भूमि अधिग्रहण मामलों में कानून दायर किया जाता है और कानून का इरादा कानून

का पालन करने वाले सत्ताधारियों के साथ अलग व्यवहार करना नहीं है। *2013* के अधिनियम में कानून का संचालन और कानून के लाभकारी प्रावधान वादियों को लाभान्वित करने और अनुमति देने के लिए नहीं हैं

उन्हें अयोग्य या तुच्छ मुकदमेबाजी का फल प्राप्त करने के लिए; और, यदि इस तरह के मुकदमे में कोई योग्यता है, तो उसमें चुनौती अपने आधार पर खड़ी होनी चाहिए या गिरनी चाहिए, चाहे वह *[2018] 2* एस. सी. आर. के लागू होने के अलावा हो।

2013 एक्ट करें। मुकदमेबाजी को अयोग्य वादी के लिए आकर्षक उद्योग बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है; इसे योग्यता रहित मुकदमे के संबंध में फल प्रदान करने का उपकरण होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

138. अधिकतम शून्य कमोडम कैपेरे पोटेरे डी इंजुरिया

पुनर्स्थापन के सिद्धांत सहित धारा *24* के प्रावधानों की व्याख्या करते समय एस. यू. ए. प्रोप्रिय और एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट आदि कार्य में आते हैं। वे *2013* के अधिनियम की धारा *24* के दायरे से बाहर नहीं हैं।

बहाली का सिद्धांत

139. एल. आई. एस. के मामले में लागू धारा *24 (2)* के प्रावधानों का अर्थ लगाते समय, हमें पुनर्स्थापन के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा जो अदालतों को अंतिम निर्णय के समय पक्षकार के साथ पूर्ण न्याय करने का कर्तव्य देता है। मुकदमे के अंत में सफल पक्षकार इसे यथासंभव उसी स्थान पर रखा जाना चाहिए जब तक कि अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाता। दूर करने में

प्रतिपूर्ति के तथ्य का सहारा लेकर अंतरिम आदेश का प्रभाव वास्तव में न्यायालय का दायित्व है। *140 (* ए*)*। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। *(2003) 8* एस. सी. सी. *648* इस अदालत ने कहा कि कोई भी पक्ष ऐसा नहीं कर सकता है।

मुकदमेबाजी का लाभ उठाएँ; इसे मुकदमे की सुनवाई में देरी के कारण प्राप्त लाभ को समाप्त करना होगा, अदालत ने कहा हैः

(ब्लैक लॉ डिक्शनरी, सातवां संस्करण, पी. देखें। *1315) .*
जॉन डी. कैलामारी और जोसेफ एम. पेरिलो द्वारा अनुबंध के कानून को ब्लैक द्वारा यह कहने के लिए उद्धृत किया गया है कि 'पुनर्स्थापना' एक अस्पष्ट शब्द है, जो कभी-कभी किसी ऐसी चीज़ के विघटन का उल्लेख करता है जो विकास प्राधिकरण *v* से पहले थी।

पार्टी के पक्ष में पारित अंतरिम आदेश, पार्टी के खिलाफ अंतिम निर्णय के सफल होने की स्थिति में उलट दिया जाता है। अंतरिम स्तर पर। जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता, तब तक अंत में सफल पक्ष को मुआवजे की मांग करने और उसी स्थिति में रखे जाने में पूरी तरह से उचित ठहराया जाएगा जिसमें उसके खिलाफ अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया होता। सफल पक्ष *(ए)* अंतरिम के तहत विरोधी पक्ष द्वारा अर्जित लाभ के वितरण की मांग कर सकता है।

न्यायालय का आदेश, या *(ख)* जो कुछ उसने खो दिया है उसकी प्रतिपूर्ति करना; और ऐसा करना न्यायालय का कर्तव्य है जब तक कि वह यह महसूस न करे कि तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, प्रतिपूर्ति न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने से बहुत दूर होगी, बल्कि उसे विफल कर देगी। प्रतिपूर्ति के सिद्धांतों का सहारा लेकर अंतरिम आदेश के प्रभाव को पूर्ववत करना उस पक्ष का दायित्व है, जिसे न्यायालय के अंतरिम आदेश से लाभ हुआ है, ताकि पारित किए गए अंतरिम आदेश के प्रभाव को मिटा दिया जा सके, जो अंतिम निर्णय के चरण में न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क को देखते हुए, न्यायालय को पहले पारित नहीं करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। पक्षकारों को उसी स्थिति में बहाल करने के प्रयास में कुछ भी गलत नहीं है जिसमें वे होते यदि अंतरिम आदेश मौजूद नहीं होता।

27. सी. पी. सी. की धारा *144* स्रोत नहीं है पुनर्स्थापना; बल्कि यह न्याय, समानता और निष्पक्षता के पहले से मौजूद नियम की वैधानिक मान्यता है। यही कारण है कि अक्सर यह माना जाता है कि धारा *144* से दूर भी न्यायालय के पास पुनर्स्थापन का आदेश देने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है ताकि पक्षों के बीच पूर्ण न्याय किया जा सके।

जय बेरहम बनाम। केदार नाथ मारवाड़ी *(1923) 25 BOMLR 643*, प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप्स ने कहाः " सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा *144* के तहत न्यायालय का कर्तव्य है कि वह पक्षकारों को उस स्थिति में रखे जिस पर वे आसीन होते, लेकिन ऐसी डिक्री या उसके ऐसे हिस्से के लिए जिसे परिवर्तित या उलट दिया गया है। न ही वास्तव में यह कर्तव्य या अधिकारिता केवल उक्त धारा के तहत उत्पन्न होती है। न्यायालय के सामान्य अधिकार क्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार सही और निष्पक्ष रूप से कार्य करना स्वाभाविक है।

सभी पक्ष शामिल हैं। कैर्न्स, एल. सी. ने रॉजर बनाम में कहा। कम्पोटायर

डी 'एस्कॉम्प्टे डी पेरिस, *(1871)* एल. आर. *3:* "सभी न्यायालयों के पहले और सर्वोच्च कर्तव्यों में से एक यह ध्यान रखना है कि न्यायालय के कार्य से किसी भी दावेदार को कोई नुकसान न हो और जब अभिव्यक्ति, न्यायालय के कार्य का उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब केवल प्राथमिक न्यायालय या किसी भी मध्यवर्ती अपील न्यायालय का कार्य नहीं है, बल्कि सबसे निचले न्यायालय से समग्र रूप से न्यायालय का कार्य है जो मामले पर अधिकार क्षेत्र को उच्चतम न्यायालय तक पहुँचाता है जो अंततः मामले का निपटारा करता है। यह इस सिद्धांत पर भी है कि एक गलत व्यवस्था को जीवित रखने और उसका सम्मान करने से उसे कायम नहीं रखा जाना चाहिए, ए. ए. नादर बनाम। एस. पी. रथिनसामी, *(1971) 1* एमएलजे *220*। इस तरह की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालयों ने धारा *144* की शर्तों के भीतर नहीं आने वाली असंख्य स्थितियों में बहाली के सिद्धांतों को लागू किया है।

28. यह कि अदालत के किसी कार्य से कोई भी पीड़ित नहीं होगा, यह अदालत के गलत कार्य तक सीमित नियम नहीं है; 'अदालत का कार्य' अपने व्यापक दायरे में ऐसे सभी कार्यों को शामिल करता है जिनके बारे में अदालत किसी भी कानूनी कार्यवाही में राय बना सकती है कि अदालत यदि उसे तथ्यों और कानून के बारे में सही ढंग से अवगत कराया जाता तो ऐसा नहीं किया जाता। प्रतिपूर्ति की प्रयोज्यता को आकर्षित करने वाला कारक न्यायालय का गलत कार्य या न्यायालय द्वारा की गई गलती या त्रुटि नहीं है; परीक्षण यह है कि क्या पक्ष के किसी कार्य के कारण न्यायालय को अंत में आयोजित आदेश पारित करने के लिए राजी किया गया है।

टिकाऊ, जिसके परिणामस्वरूप एक पक्ष को एक लाभ प्राप्त हुआ है जिसे वह अन्यथा प्रभावित नहीं करता, या दूसरे पक्ष को विकास प्राधिकरण *v* का सामना करना पड़ा है।

शैलेंद्र *(मृत)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

एक ऐसी दरिद्रता जिसे उसने नहीं झेला होगा लेकिन इसके लिए न्यायालय का आदेश और ऐसे पक्षकार का समूह।

तथ्यों के आधार पर पुनर्भुगतान की मात्रा और

किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सकता है

केवल वही जो पार्टी ने बाहर रखा होगा, लेकिन यह भी कि क्या

दायित्व के तहत पार्टी ने उचित रूप से किया है या किया होगा। वहाँ

पार्टियों में रखे जाने की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है

वही स्थिति जिसमें वे होते अगर अदालत नहीं होती कार्यवाही के अंत में अपने अंतरिम आदेश द्वारा हस्तक्षेप किया गया

न्यायनिर्णयन पर, न्यायालय क्या है के साथ संयोजन में कार्य करेगा वास्तविक और ठोस न्याय। चोट, यदि कोई हो, के कारण

न्यायालय के कार्य को पूर्ववत कर दिया जाएगा और वह लाभ जो पक्षकार को होगा

अर्जित किया होगा जब तक कि यह आदेश द्वारा बाधित नहीं किया गया था न्यायालय को उचित रूप से पक्ष को बहाल किया जाएगा या प्रदान किया जाएगा

विनाशकारी नहीं तो अन्यायपूर्ण परिणाम की ओर ले जाएगा। मुकदमेबाजी यह एक फलदायी उद्योग में बदल सकता है। हालाँकि मुकदमेबाजी जुआ नहीं है

फिर भी प्रत्येक मुकदमे में संयोग का एक तत्व होता है। अविवेकी

वादियों को अदालतों से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है

न्यायालय उनके पक्ष में अंतर्वर्ती आदेश पारित करने के लिए

एक प्रथम दृष्टया मामला जब मुद्दों की सुनवाई होनी बाकी है और

आवेदन से लेकर अंतरिम आदेशों तक, तब वादी खड़ा होगा अंतरिम आदेश से प्राप्त लाभों को निगलने से लाभ

भले ही लड़ाई अंत में हार गई हो। ऐसा नहीं हो सकता है। माना जाता है, हम हैं, इसलिए, या राय है कि सफल

पक्षकार अंततः धन के संदर्भ में आकलन योग्य राहत का हकदार बना

मुकदमे के अंत में, पुरस्कार द्वारा क्षतिपूर्ति का हकदार है उस अवधि के लिए उपयुक्त उचित दर पर ब्याज

धन जारी करने पर रोक लगाने का अदालत का अंतरिम आदेश

चल रहा था "।

(जोर दिया गया*)*

140 (बी*)*। सामान्य कानून सिद्धांत में पुनर्स्थापन का सिद्धांत निहित है

न्यायालय के अनुसार, इस पर गुजरात राज्य बनाम में भी चर्चा की गई थी। · ऑयल लिमिटेड *(2012) 3* एस. सी. सी. *522;* यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

और यह अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यायपूर्ण लाभ के खिलाफ एक उपाय है। द. अवधारणा का मूल न्यायालय की अंतरात्मा में निहित है जो

किसी पक्ष को धन रखने या कुछ लाभ प्राप्त करने से रोकता है

दूसरे से जो उसने गलत तरीके से प्राप्त किया है

न्यायालय का आदेश। अंग्रेजी कानून में इस तरह का उपाय आम तौर पर अलग होता है।

अनुबंध या अपकृत्य में एक उपाय से और एक तीसरी श्रेणी के भीतर आता है

सामान्य विधि उपचार जिसे अर्ध-अनुबंध कहा जाता है या

प्रतिपूर्ति।

62. यदि हम पुनर्स्थापन की अवधारणा का विश्लेषण करते हैं तो एक बात सामने आती है

स्पष्ट रूप से कि प्रतिस्थापित करने का दायित्व व्यक्ति या पर निर्भर करता है

प्राधिकरण जिसने अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यायपूर्ण लाभ प्राप्त किया हो *(* हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, खंड *9*, पृष्ठ देखें।

434) .

63. यदि हम पुनर्स्थापन के कानून के पुनर्कथन को देखते हैं

अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट *(1937* अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट पब्लिशर्स, सेंट पॉल*)* हम पाते हैं कि एक व्यक्ति समृद्ध होता है यदि उसे एक प्राप्त हुआ है

लाभ और इसी तरह एक व्यक्ति अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध होता है यदि प्रतिधारण

लाभ अनुचित होगा। अब सवाल यह है कि इसका क्या गठन होता है।

एक लाभ। एक व्यक्ति दूसरे को लाभ प्रदान करता है यदि वह देता है

धन, भूमि, संपत्तियों का अन्य अधिकार या कुछ अन्य हित,

एक ऋण या दूसरे के कर्तव्य को संतुष्ट करता है या एक तरह से जोड़ता है दूसरों की सुरक्षा या लाभ। वह न केवल एक लाभ प्रदान करता है जहाँ

वह दूसरे की संपत्ति में जोड़ता है लेकिन यह भी कि वह कहाँ बचाता है

खर्च या हानि से अन्य। इस प्रकार "लाभ" शब्द

किसी भी प्रकार के लाभ को दर्शाता है *(*पुनर्कथन का पृष्ठ *12)*

अमेरिकी विधि संस्थान द्वारा पुनर्स्थापन का कानून*)*।

64. सामान्यतः प्रतिपूर्ति के मामलों में, यदि किसी को कोई लाभ होता है,

अन्य के लिए एक संबंधित नुकसान है और ऐसे मामलों में*;*

लाभान्वित करने वाले पक्ष का भी कर्तव्य है कि वह हारने वाले पक्ष को दे,

वह राशि जिससे वह समृद्ध हुआ है।

(जोर दिया गया*)*

140 (सी*)*। ए. षण्मुगम बनाम। आरिया क्षत्रिय राजकुला

अथु मदालय नंदवन परिपलनाई संगम *(2012) 6* एस. सी. सी.

एनविरो के लिए भारतीय परिषद में दिए गए निर्णय पर भरोसा करना

एक्शन वी. भारत संघ *[(2011) 8* एस. सी. सी. *161]*

कानून हर अदालत में अंतर्निहित है। न्यायालय को लाभ प्रत्यर्पण को बेअसर करना होगा। कानून के सही पक्ष में रहने वाले व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। तुच्छ मुकदमेबाजी के अनुचित लाभ को समाप्त करना होगा यदि विश्वासन्यायपालिका को निरंतर बनाए रखना होगा न्यायालय को व्यावहारिक रूप अपनाना होगा।

हाँ। पुनर्स्थापन के सिद्धांत पर इस प्रकार विचार किया गया हैः

"37. इस न्यायालय ने भारतीय परिषद के एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में

इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन *v.* भारत संघ और ओआरएस। *(2011) 8* एस. सी. सी. *161 (*जिनमें से हम में से एक, भंडारी, जे. फैसले के लेखक थे*)* के पास इस अवधारणा से निपटने का अवसर था

प्रतिपूर्ति। उस निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद जिनसे संबंधित हैं -

प्रासंगिक निर्णयों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

170. यह न्यायालय ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम। आय कर

अधिकारी, कलकत्ता *(1980) 2* एस. सी. सी. *191* ने निम्नानुसार अवलोकन कियाः

इस तरह के आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय अपने अंतर्निहित आदेशों पर ध्यान देता है।

ऐसे सभी आदेश करने की शक्ति जो करने के लिए आवश्यक हैं

पक्षों के बीच पूर्ण न्याय। न्याय के हितों के लिए यह आवश्यक है कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा प्राप्त कोई भी अनुचित या अनुचित लाभ केवल

इस परिस्थिति में कि उसने न्यायालय में कार्यवाही शुरू कर दी है,

तटस्थ होना चाहिए। मुकदमेबाजी की संस्था के सरल तथ्य को स्वयं लाभ प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

इसके लिए जिम्मेदार पार्टी।

171. राम कृष्ण वर्मा और ओआरएस में। वी. यू. पी. राज्य और

ओआरएस। *(1992) 2* एस. सी. सी. *620* इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग करके, वे जारी हैं
आपत्तियों की सुनवाई होने तक अपने वाहन चलाएँ। यह न्यायालय ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम। आय-कर अधिकारी-*[1990] 2* एस. सी. सी. *191* ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद *226* के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्याय के हित की अपेक्षा करता है कि अधिकार क्षेत्र *[2018] 2* एस. सी. आर. का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा प्राप्त कोई भी अनुचित या अनुचित लाभ।

न्यायालय को निष्प्रभावी बनाया जाना चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि इसके द्वारा मुकदमे की संस्था को इसके लिए जिम्मेदार पक्ष को अनुचित लाभ प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उस कानून के आलोक में और संविधान के अनुच्छेद *142 (1)* के तहत शक्ति को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पूर्ण न्याय करेगा और *50* संचालकों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को बेअसर कर देगा, जिसमें अपीलकर्ता भी शामिल हैं, जो स्वीकृत मार्ग या क्षेत्र या उसके हिस्से पर मंच के डिब्बों को चलाने के लिए मुकदमे को खींचते हैं और *26* फरवरी की मसौदा योजना के लिए उनके द्वारा दायर आपत्तियों की सुनवाई के अपने अधिकार को खो देते हैं।

1959 .

यह सख्ती से धारा *144* के दायरे में आता है। धारा *144* इन शब्दों के साथ शुरू होती है "जहां और जहां तक किसी डिक्री या आदेश को किसी अपील, संशोधन या अन्य कार्यवाही में बदला या उलट दिया जाता है या इस उद्देश्य के लिए स्थापित किसी मुकदमे में अलग या संशोधित किया जाता है। तत्काल मामला सख्ती से धारा *144* की शर्तों के भीतर नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसे मामले में पीड़ित पक्ष प्रत्येक अदालत में निहित पुनर्स्थापन की बड़ी और सामान्य शक्तियों के समक्ष अपील कर सकता है।

173. मार्शल संस एंड कंपनी *(*आई*)* लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय। साही।

ओरेट्रांस *(*पी*)* लिमिटेड और ए. एन. आर. *(1999) 2* एस. सी. सी. *325* को निम्नानुसार देखा गयाः

तथ्यों के कथन से, हालांकि यह हमें प्रतीत होता है, प्रथम

अंतहीन प्रोलिक्सिटी द्वारा, हर स्तर पर अनजान लोगों को एक कानूनी जाल प्रदान करना। देरी के कारण, बेईमान पक्षों को कार्यवाही अनुचित लाभ उठाती है और जो व्यक्ति गलत तरीके से कब्जे में है, वह प्रक्रियात्मक जटिलताओं का अनुचित लाभ उठाकर मामलों के निपटारे में देरी से खुशी महसूस करता है।

इसे विकास प्राधिकरण वी भी कहा जाता है। शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

तथ्य यह है कि अचल संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री प्राप्त करने के बाद, इसके निष्पादन में लंबा समय लगता है। ऐसी स्थिति में निर्णय लेनदार के हितों की रक्षा के लिए, उचित आदेश पारित करना आवश्यक है ताकि संपत्ति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा उचित संपत्ति का भुगतान किया जा सके जो बाजार के किराए के बराबर हो सकता है। उचित मामलों में, न्यायालय रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है और संपत्ति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति को रिसीवर द्वारा निर्धारित रॉयल्टी राशि जमा करने या ऐसा अन्य आदेश पारित करने के निर्देश के साथ रिसीवर के एजेंट के रूप में कार्य करने का निर्देश दे सकता है जो न्याय के हित को पूरा कर सकता है। यह उस वादी को और नुकसान पहुँचाने से रोक सकता है जिसके पक्ष में डिक्री पारित की जाती है और संपत्ति की रक्षा करने के लिए।

जिसमें आगे अलगाव भी शामिल है।

174. पद्मावती बनाम। *2002* का हरिजन सेवक संघ सीएम *(*मुख्य*)* संख्या *449* दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा *6.11.2008* पर निर्णय लिया गया, अदालत ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

'*6.* हाथ में मामला दर्शाता है कि तुच्छ बचाव और तुच्छ मुकदमेबाजी एक सोचा-समझा उद्यम है जिसमें कोई जोखिम की स्थिति नहीं है। आपको मुकदमेबाजी को बढ़ाने के लिए केवल पेशेवरों को शामिल करना होगा ताकि किसी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित किया जा सके और अवैधताओं का लाभ उठाया जा सके। मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में जहां न्यायालय को लगता है कि न्यायालयों का एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए, एक वादी ने अवैधताओं को कायम रखा है या एक अवैध कब्जे को बनाए रखा है, न्यायालय को ऐसे वादियों पर लागत अधिरोपित करनी चाहिए जो वादी द्वारा प्राप्त लाभों और सही व्यक्ति को होने वाले नुकसान और अभाव के बराबर होनी चाहिए ताकि तुच्छ मुकदमेबाजी को रोका जा सके और लोगों को न्यायालय के माध्यम से अवैध कार्यों की भरपूर फसल प्राप्त करने से रोका जा सके। प्रत्येक न्यायिक प्रणाली के उद्देश्यों में से एक यह होना चाहिए कि न्यायालयों को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए अन्यायपूर्ण संवर्धन को हतोत्साहित किया जाए। सभी मामलों में न्यायालयों द्वारा लगाई गई लागत वास्तविक लागत होनी चाहिए जो सही व्यक्ति को होने वाले अभाव के बराबर होनी चाहिए।

हम दिल्ली उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को मंजूरी देते हैं

उपरोक्त मामला।

"*9.* इस मामले से अलग होने से पहले, हम इसे आवश्यक मानते हैं यह मत रखिए कि अदालतों में अतिप्रवाह का एक मुख्य कारण तुच्छ मुकदमेबाजी है जिसमें अदालतें सर्वोच्च अदालत की रिपोर्टों में लगी हुई हैं।

वादियों द्वारा और जिसे यथासंभव लंबे समय तक खींचा जाता है। यहां तक कि अगर ये वादी अंततः हार जाते हैं, तो वे असली विजेता बन जाते हैं और आखिरी बार हंसते हैं। इस वर्ग के लोग जो अवैध रूप से काम करते हैं

अदालतों से रोक और निषेधाज्ञा प्राप्त करके किए गए कार्य पीड़ित को न केवल उनके द्वारा किए गए पूरे अवैध लाभ को उसके अधिकार से वंचित व्यक्ति को लागत के रूप में भुगतान करने के लिए किए जाने चाहिए और अनुकरणीय लागतों का बोझ भी होना चाहिए। न्यायपालिका में लोगों का विश्वास केवल तभी कायम रह सकता है जब कानून के सही पक्ष के व्यक्तियों को यह महसूस न हो कि भले ही वे अदालत में न्याय के लिए लड़ते रहें और अंततः जीत जाते हैं, वे मूर्ख बन जाएंगे क्योंकि *20* या *30* वर्षों के बाद एक मामला जीतना गलत करने वाले को वास्तविक लाभकर्ता बना देगा, जिसने उन सभी वर्षों के लिए लाभ प्राप्त किया था। इस प्रकार, यह देखना न्यायालयों का कर्तव्य बन जाता है कि ऐसे गलत काम करने वालों को हर कदम पर हतोत्साहित किया जाए और भले ही वे मुकदमे को लंबा करने में सफल हों। अपनी धन शक्ति के कारण, अंततः उन्हें इन सभी वर्षों की लागतों का सामना करना पड़ता है-लंबे मुकदमेबाजी। तय कानूनी स्थितियों के बावजूद, स्पष्ट रूप से गलत काम करने वाले, एक के बाद एक न्यायिक समीक्षा तंत्र का उपयोग एक जुआ के रूप में करते हैं, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि पासा हमेशा उनके पक्ष में होता है, क्योंकि अगर वे हार भी जाते हैं, तो प्राप्त समय ही वास्तविक लाभ होता है। इस स्थिति को अदालतों द्वारा भुनाया जाना चाहिए।

184. औसेफ मथाई और ओरस में। वी. एम. अब्दुल खादिर *(2002) 1* एससीसी *319* इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को दोहराया किः *(* एससीसी *p.328,* पैरा *13)*

अदालत में याचिका दायर करना जिसने रोक लगा दी थी। ठहराव की मंजूरी स्वचालित रूप से एक वैधानिक संरक्षण के विस्तार के बराबर नहीं है। *188.* अमरजीत सिंह और अन्य मामलों में इस न्यायालय के अपेक्षाकृत हाल के एक फैसले में। वी. देवी रतन और ओआरएस। *(2010) 1* एस. सी. सी. *417* न्यायालय ने निर्णय के पैरा *17* में निम्नलिखित टिप्पणी कीः *(* एससीसी *pp.422 23)*

'17 . कोई भी वादी न्यायालय में केवल मामले के लंबित रहने से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अंतरिम आदेश हमेशा विकास प्राधिकरण *v* में विलय हो जाता है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

190. पुनर्स्थापन की अवधारणा के अनुरूप, यह देखा गया कि अदालतों को सावधान रहना चाहिए और अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसरण में पारित सभी परिणामी आदेशों के प्रभाव को बेअसर करने का आदेश पारित करना चाहिए। इस तरह के स्पष्ट निर्देश हो सकते हैं एक अंतरिम उपाय के रूप में राहत प्राप्त करने और फिर गुण-दोष पर निर्णय से बचने के लिए वादियों के बीच बढ़ती प्रवृत्ति की जांच करना आवश्यक है।

191. न्याय, न्याय और अच्छी अंतरात्मा के सिद्धांत के अनुरूप न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया सही नहीं है।

वादियों द्वारा किसी भी तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। अदालत को कभी भी किसी वादी को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके अवैधता को कायम रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना अदालत का परम कर्तव्य है कि बेईमानी और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के किसी भी प्रयास पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जाना चाहिए

और न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग से किसी के लिए कोई गलत, अनधिकृत या अन्यायपूर्ण लाभ न हो। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का एक तरीका यथार्थवादी लागतों को लागू करना है, जो वास्तव में प्रतिवादी या प्रतिवादी ने कानूनी कार्यवाही में अपना बचाव करने के लिए किया है। जहां कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है, वहां दंडात्मक लागत लागू करना भी अदालतों के लिए पूरी तरह से उचित होगा। किसी को भी न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

अनुचित लाभ या अनुचित लाभ अर्जित करने के लिए। अदालत को धोखाधड़ी, बेईमान और बेईमान मुकदमेबाजी को प्रभावी ढंग से हतोत्साहित करना चाहिए।

192. न्यायालय का निरंतर प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए कि

सभी के साथ न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार किया जाता है। प्रस्तुत करते हुए अदालत ने

न्याय को एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उचित मामलों में

हतोत्साहित करने के लिए वास्तविक लागत और मुआवजे का आदेश दिया जाए

बेईमान मुकदमा। अवधारणा का उद्देश्य और वास्तविक अर्थ

प्रतिपूर्ति तब तक प्राप्त या पूरी नहीं की जा सकती जब तक कि अदालतें मामलों से निपटने में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएँ।

(जोर दिया गया*)*

140 (डी*)*। कृष्णास्वामी एस. पी. डी. *&* एन. आर. वी. भारत संघ और

2000 की सिविल अपील *Nos.3376-3377* ने इस *21.02.2006* पर निर्णय लिया

टी ने पुनर्स्थापन के प्रश्न पर विचार किया है। इस अदालत ने भरोसा जताया है

ईस्टर्न कोलफील्ड का मामला *(*ऊपर*)* और कहा गयाः

"उक्ति 'एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट' अर्थात न्यायालय का एक अधिनियम

पूर्वाग्रह नहीं होगा कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। उक्ति "की स्थापना की गई है

न्याय और अच्छी समझ पर, और एक सुरक्षित और निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है कानून के प्रशासन के लिए ", फ्रीमैन बनाम में जे. क्रेसवेल ने कहा।

त्राना *(12* ई. पू. *406)*। न्यायालय की एक अनजाने में हुई गलती जो

किसी भी पक्ष के कारण को पूर्वाग्रहित कर सकता है और अकेले हो सकता है

ठीक किया गया।

इक्विटी का अधिकतम, अर्थात् एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिटः

अच्छी समझ जो एक सुरक्षित और निश्चित मार्गदर्शक की सेवा करती है कानून का प्रशासन। अन्य प्रासंगिक उक्ति है, लेक्स नॉन कोजिट।

विज्ञापन असंभवताः कानून एक आदमी को वह करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो वह करता है

संभवतः प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्वयं कानून और उसका प्रशासन है अस्वीकार करने के लिए समझा जाता है जैसा कि यह अपने सामान्य सूत्र में करता है, सभी इरादे

बाध्यकारी असंभवताओं का, और कानून के प्रशासन को चाहिए

विशेष मामलों के विचार में उस सामान्य अपवाद को अपनाएँ।

(देखिएः एम/एस *U.P.S.R.T.C.* वी. इम्तियाज हुसैन *(2006 (1) 800 380),* शेख सलीम हाजी अब्दुल खयुमसब बनाम। कुमार और ओआरएस। *(2006*

(1) एस. सी. सी. *46),* मोहम्मद गाजी बनाम। एम. पी. और अन्य का राज्य

(2000 (4) एस. सी. सी. *342)* और गुरशरण सिंह बनाम। नई दिल्ली नगरपालिका समिति *(1996 (2)* एस. सी. सी. *459)*। "

(जोर दिया गया*)*

141. उपरोक्त कानूनी व्याख्या भी इसे अनिवार्य बनाती है -

किसी बेईमान वादी को लाभ प्रदान करने के लिए नहीं, इंदौर विकास प्राधिकरण को प्रदान करने के लिए नहीं।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

अनर्ह लाभ, भूमि का प्रशासन अधिनियम के निष्पादन को नियंत्रित नहीं करता है जो संभव नहीं है, कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग करने के प्रयास को विफल किया जाना चाहिए, धन शक्ति द्वारा मुकदमेबाजी को लंबा करना, विलंबकारी रणनीति या अन्यथा लाभ प्रदान नहीं करना, मामले में योग्यता वाला व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है, अवैधता को बनाए रखने के लिए अदालत द्वारा अन्यायपूर्ण संवर्धन को बचाया नहीं जा सकता है, बहाली का सिद्धांत अदालत को *2013* के अधिनियम की धारा *24* के प्रावधानों के ऐसे वादियों को लाभ प्रदान नहीं करने के लिए मजबूर करता है।

विद्रोह का प्रभावः

142. 2013 के अधिनियम ने *1894* के अधिनियम को निरस्त कर दिया है। निरस्तीकरण

और बचत *2013* के अधिनियम की धारा *114* में प्रदान की गई है। धारा *114* के प्रावधानों को नीचे निकाला गया हैः

" 114. रद्द करें और बचत करें। *- (1)* भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894 (1894* का *1)* इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, उप-धारा *(1)* के तहत निरसन को सामान्य खंड अधिनियम, *1897* की धारा *6* के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा।

1897) निरस्तीकरण के प्रभाव के संबंध में "।

143. 1894 के अधिनियम का निरसन बिना किसी पूर्वाग्रह के या सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* के सामान्य अनुप्रयोग को प्रभावित किए बिना किया गया है।

1897 इस तरह के निरसन प्रावधान के प्रभाव के संबंध में हमें सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* के प्रावधानों पर विचार करना होगा। इसे निकाला जाता है।

इसके नीचेः

" 6. निरसन का प्रभाव। -जहाँ यह अधिनियम, या कोई *1 [*केंद्रीय अधिनियम*]* या

इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया विनियमन, निरसित करता है
अब तक किया गया या इसके बाद किया जाने वाला कोई अधिनियम, जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, निरसन नहीं होगा

(क*)* ऐसी किसी भी चीज़ को पुनर्जीवित करें जो उस समय लागू या मौजूद नहीं है जब निरसन प्रभावी होता है*;* या *(* ख*)* इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित करता है या

इसके तहत विधिवत किया गया या पीड़ित किया गया कुछ भी*;* या

(ग*)* अर्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित करता है।

या इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के अधीन उपगत किया गया हो*;* या

(घ*)* इस प्रकार निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम या सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के खिलाफ किए गए किसी भी अपराध के संबंध में किए गए किसी भी दंड, ज़ब्त या सजा को प्रभावित करता है।

(ई*)* ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, ज़ब्त के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को प्रभावित करता है।

या जैसा कि ऊपर कहा गया है सजा,

और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और ऐसा कोई जुर्माना, ज़ब्त या

सजा इस तरह दी जा सकती है जैसे कि निरसन अधिनियम या विनियमन पारित नहीं किया गया हो।

144. इस प्रकार, सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* में प्रावधान है कि जब तक कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक निरसन किसी भी ऐसी चीज को पुनर्जीवित नहीं करेगा जो लागू नहीं है। धारा *6 (*बी*)* में प्रावधान है कि यह इस तरह से निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम या उसके तहत विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी चीज़ के किसी भी पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। धारा *6 (*ई*)* में प्रावधान है कि यह किसी भी जांच को प्रभावित नहीं करेगी,

ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, ज़ब्त या सजा के संबंध में कानूनी कार्यवाही या उपाय जब तक कि अलग न हो।

इरादा प्रकट होता है, और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, या जारी या लागू किया जा सकता है, और ऐसा कोई जुर्माना, ज़ब्त या सजा इस तरह से लगाई जा सकती है जैसे कि निरसन अधिनियम या विनियमन पारित नहीं किया गया था। धारा *6* के प्रावधान स्पष्ट रूप से ऐसी कार्यवाहियों को छोड़ देते हैं और लंबित मुकदमेबाजी का निर्णय केवल *1894* के अधिनियम के आधार पर किया जाना है, सिवाय इसके कि *2013* के अधिनियम में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है।

विभिन्न निर्णयः *145 (* ए)। पुणे नगर निगम *(*उपरोक्त*)* में, उच्च न्यायालय ने *30.9.2004* पर धारा *4* के तहत जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया था। पुरस्कार

31.1.2008 पर पारित किया गया था। उच्च न्यायालय में लिखित याचिकाएं दायर की गईं जिन्हें इस आधार पर अनुमति दी गई कि "वन उद्यान" के विकास के लिए समाधान के बिना अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती थी निगम के सामान्य निकाय का, न कि *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के आधार पर। धारा *7* और अन्य वैधानिक उल्लंघनों का पालन नहीं किया गया था। वर्ष *2008* में इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई थीं। विचाराधीनता के दौरान, *2013* का अधिनियम लागू हुआ और इस न्यायालय ने यह विचार रखा है कि धारा *24 (2)* में उपयोग की गई "भुगतान" अभिव्यक्ति का दोहरा अर्थ होगा, *i.e.it* इच्छुक व्यक्ति को दिया गया है और यह भी कि ऐसा मुआवजा अदालत में जमा किया गया है। मुआवजे का भुगतान धारा *24 (2)* के अर्थ के भीतर किया जाता है जब कलेक्टर ने पेशकश की है और इनकार करने की स्थिति में जमा किया है

अदालत में मुआवजे की राशि और धारा *31 (2)* के तहत अपने दायित्व का निर्वहन किया है। न्यायालय ने इंदौर विकास प्राधिकरण की जमा राशि भी निर्धारित की है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

सरकारी कोषागार में मुआवजा भूमि मालिकों/इच्छुक व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे की राशि के बराबर नहीं है। इस अदालत ने कहा

कि राज्य के राजस्व में मुआवजे की राशि जमा करने का कोई फायदा नहीं है, जो इवो एग्नेलो सैंटिमानो फर्नांडीस बनाम पर निर्भर करता है। गोवा राज्य *(2011) 11* एस. सी. सी. *506* और प्रेम नाथ कपूर बनाम। भारतीय राष्ट्रीय उर्वरक निगम लिमिटेड *(1996) 2* एस. सी. सी. *71.*

145 (बी)। इवो एग्नेलो *(*ऊपर*)* में निर्णय में यह माना गया था कि ब्याज का भुगतान करने की देयता तब तक बनी रहती है जब तक कि राशि का भुगतान मालिक या मालिक को नहीं किया जाता है।

अदालत में जमा किया। क्या राज्य ने राजस्व खाते में राशि जमा की है और उसी का उपयोग किया है, यह अस्वीकार्य था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि राशि *1894* के अधिनियम की धारा *31 (2)* के तहत आवश्यक रूप से जमा की गई थी। प्रेम नाथ कपूर *(*ऊपर दिए गए*)* मामले में भी रिलायंस को उस फैसले पर रखा गया था जिसमें इस अदालत ने कहा थाः

" 13. इस प्रकार हम मानते हैं कि धारा *23 (1)* के तहत निर्धारित मुआवजे की राशि पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व तब तक बना रहता है जब तक कि यह मालिक या इच्छुक व्यक्ति को भुगतान या जमा नहीं किया जाता है।

धारा *31* के साथ पठित धारा *34* के तहत न्यायालय में। समान रूप से, धारा *11* के तहत कलेक्टर/भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के अलावा धारा *26* के तहत सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारित मुआवजे की अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व तब तक रहता है जब तक कि इसे अदालत में जमा नहीं किया जाता है। धारा *54* के तहत अपील पर मुआवजे में उक्त बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि या उसके हिस्से की सीमा तक और वृद्धि के मामले में, देयता तब तक बनी रहती है जब तक कि इसे अदालत में जमा नहीं किया जाता है। ब्याज का भुगतान करने का दायित्व उस तारीख को समाप्त हो जाता है

जिस दिन अदालत में जमा की गई मुआवजे की राशि के साथ जमा किया जाता है। जैसा कि पहले कहा गया था, ब्याज की गणना की गणना कब्जा लेने की तारीख से लेकर भुगतान या जमा करने की तारीख तक धारा *34* के संदर्भ में या अदालत में धारा *28* के संदर्भ में जमा की जानी चाहिए, जैसा भी मामला हो।

145 (सी)। उपरोक्त निर्णयों में प्रश्न केवल कब्जा लेने की तारीख से लेकर अब तक ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के संबंध में था।

राशि का भुगतान या जमा किया जाता है। निर्णय केवल धारा *31* के साथ पठित धारा *34* के तहत ब्याज के भुगतान के संबंध में प्राधिकरण हैं। प्रेम नाथ कपूर *(*ऊपर*)* में, मुख्य प्रश्न यह था कि लागत मूल्य के लिए जमा की गई राशि का विनियोग, ब्याज की एक अतिरिक्त राशि कैसे की जानी चाहिए। उस संदर्भ में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने चर्चा की थी। इस न्यायालय ने ऋणदाता के सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट को निर्दिष्ट करने के अधिकार पर भी विचार किया

[2018] 2 एस सी आर।

वास्तव में, उच्च न्यायालय ने *2008* में पुणे नगर निगम में अधिग्रहण को रद्द कर दिया था क्योंकि *2013* का ऐसा अधिनियम नहीं था आकर्षक। *2013* के अधिनियम की धारा *24* का पालन करने का कोई सवाल ही नहीं था।

145 (डी)। भूमि मालिकों ने भरत कुमार बनाम में निर्णय पर भरोसा किया है। हरियाणा राज्य और अन्न। *(2014) 6* एससीसी *586*। क्या बात है*?* "पैगू" का अर्थ विचार के लिए उत्पन्न नहीं हुआ। यह ऐसा मामला नहीं था जहां *1894* के अधिनियम की धारा *31 (1)* के तहत राशि की निविदा या भुगतान किया गया था और इनकार किया गया था और उस मामले में कब्जा भी नहीं लिया गया था। जमीन का कोई हस्तांतरण नहीं था। मामला अलग है। उक्त निर्णय में विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का आग्रह नहीं किया गया था।

इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कानून निर्धारित करता है कि क्या तय नहीं किया गया है।

145 (ई)। रिलायंस को बिमला देवी एंड ओआरएस पर भी रखा गया है। वी. हरियाणा राज्य और अन्य। *(2014) 6* एस. सी. सी. *583* जिसमें, इसी तरह

पुणे नगर निगम *(*उपरोक्त*)* में निर्णय का पालन किया गया है। अतः उपरोक्त चर्चा को देखते हुए निर्णय का कोई लाभ नहीं है।

145 (च)। भारत संघ और अन्य में। वी. शिव राज और ओआरएस। *(2014) 6* एस. सी. सी. *564*, पुणे नगर निगम में निर्णय। *(* ऊपर*)* का पालन किया गया है।

स्थगन या मुकदमे के अंतरिम आदेश के प्रभाव के संबंध में मामला जिसने अधिकारियों को शिव राज *(*ऊपर*)* में कार्रवाई करने से रोक दिया है।

इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

*145 (*जी)। मैगनम प्रमोटर्स प्रा. लि. लिमिटेड वी. भारत संघ और अन्य। *(2015) 3* एस. सी. सी. *327,* श्री बालाजी नगर आवासीय संघ *(*ऊपर*)*

और पुणे नगर निगम। *(* ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए*)* का पालन किया गया था, और इसके अलावा, अदालत द्वारा यह पाया गया कि इमारत का कब्जा नहीं लिया गया था और रिकॉर्ड ने संकेत नहीं दिया था कि यह कभी लिया गया था।

*145 (*एच*)*। करनैल कौर और ओआरएस में। वी. पंजाब राज्य और अन्य। *(2015) 3* एस. सी. सी. *206 2013* के अधिनियम में संशोधन के लिए संशोधन अध्यादेश विचार के लिए आया। अधिनियम में प्रस्तुत किए जाने वाले धारा *24 (2)* के दूसरे परंतुक को प्रभावी माना गया था। शुद्धता।

निर्णय की आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अध्यादेश स्वयं समाप्त हो गया है और कई अन्य कारणों से, हमारी राय है कि कानून, जैसा कि यह है, की जांच की जानी चाहिए। करनैल कौर *(*ऊपर*)* में, निर्भरता मुख्य रूप से श्री बालाजी नगर आवासीय संघ *(*ऊपर*),* पुणे नगर निगम पर रखी गई थी। *(* ऊपर*),* भरत कुमार *(*ऊपर*)* और बिमला देवी *(*ऊपर*),* हम पहले ही पुणे नगर निगम *(*ऊपर*)* के बाद इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं। रेडियंस फिनकैप प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। *(2015) 8* एस. सी. सी. *544* को भी सेवा में लगाया गया है, इसे अध्यादेश की धारा *24 (2)* का दूसरा परंतुक माना जाता है जो समाप्त हो गया है।

145 ((i)। इन वर्किंग फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग

सोसायटी लिमिटेड बनाम। पंजाब राज्य और अन्य। *(2016) 15* एस. सी. सी. *464* फिर से ऊपर उल्लिखित पुणे नगर निगम *(*उपरोक्त*)* पर आधारित अन्य निर्णयों का पालन किया गया है। वर्किंग फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड *(*ऊपर*)* में मुआवजे के लिए निविदा नहीं दी गई थी

अपीलार्थी। जब धारा *31* के अनुसार क्षतिपूर्ति की निविदा नहीं दी गई थी, तो यह

यह नहीं कहा जा सकता था कि इसका भुगतान किया गया था। उस हद तक धारा *24 (2)* की प्रयोज्यता के संबंध में कोई विवाद नहीं है। कोषागार या अदालत में केवल जमा राशि से अधिकारियों को मदद नहीं मिलने वाली थी क्योंकि उनके लिए यह अनिवार्य था कि उन्होंने राशि का भुगतान किया हो, जब तक कि धारा *31 (2)* में प्रदान की गई चार में से तीन आवश्यकताओं द्वारा बचत न की जाए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

राजकोष में जमा का पालन किया गया है और धारा *31 (2)* के तहत नहीं, बल्कि *1894* के अधिनियम की धारा *31 (1)* के लिए संदर्भित किया गया है। हम धारा *31 (1)* के संबंध में की गई चर्चा से सहमत हैं। "भुगतान" और "निविदा" अभिव्यक्तियों के संबंध में की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए पुणे का निर्णय नगर निगम। *(* उपर्युक्त*)* को सही सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट निर्धारित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

[2018] 2 एस सी आर।

कानून। यह उस हद तक उसी बीमारी से पीड़ित है जो इसने केवल पुणे नगर निगम का अनुसरण किया है। *(* ऊपर*)*। हरियाणा और अन्न राज्य में। वी. देवंदर सागर और अन्य। *(2016) 14* एस. सी. सी. *746,* इस न्यायालय ने माना है कि मुआवजे का भुगतान कर दिया गया था; हुडा ने कब्जा कर लिया था। धारा *24* की

आवश्यकता के अनुसार पुरस्कार भी पारित किया गया था। अधिग्रहण को अंतिम होने दिया गया था। इस प्रकार *2013* के अधिनियम के तहत अधिग्रहण की चुनौती को खारिज कर दिया गया।

145 (के)। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण बनाम। मेघ सिंह और अन्य। *(2016) 12* एस. सी. सी. *504,* यह पुरस्कार *2013* के अधिनियम के लागू होने पर पारित नहीं किया गया था। इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिग्रहण की कार्यवाही जारी रहेगी लेकिन इस शर्त के साथ कि पुरस्कार

2013 अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित करना होगा और मुआवजे का निर्धारण करना होगा। इस न्यायालय ने *2013* के अधिनियम की धारा *24 (1) (*ए*)* में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त आदेश पारित किए हैं। इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है।

145 (1) . शर्मा एग्रो इंडस्ट्रीज बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य। *, (2015) 3* एस. सी. सी. *341,* पुणे नगर निगम में इस न्यायालय के निर्णय।

(ऊपर*),* बिमला देवी *(*ऊपर*),* श्री बालाजी आवासीय संघ *(*ऊपर*)* और शिव राज *(*ऊपर*)* का अनुसरण किया गया है। यह पुणे नगर निगम के समान तर्क पर आगे बढ़ता है। *(* ऊपर*)*।

'प्रति समावेश' का सिद्धांतः *146.* "पर इनक्यूरियम" की अवधारणा उन निर्णयों को दर्शाती है जो कुछ असंगत वैधानिकता की अज्ञानता या विस्मृति में दिए गए हैं।

उपबंध, या संबंधित न्यायालय पर बाध्यकारी किसी प्राधिकारी के। में। शब्दों में, अवधारणा का अर्थ है कि दिया गया निर्णय स्वयं न्यायालय के पिछले निर्णयों की अवहेलना में है, या यह कि इसे किसी लागू क़ानून या कानून के बल वाले नियम की शर्तों की अज्ञानता में प्रस्तुत किया गया था।

147 (ए*)*। व्यवहार में, इनक्यूरियम के अनुसार, प्रति अज्ञान का अर्थ लिया जाता है, जैसा कि इस न्यायालय ने ममलेश्वर प्रसाद बनाम में कहा है।

कन्हैयालाल, *(1975) 2* एस. सी. सी. *232,* इस प्रकारः

विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

" 5. एक वादी न्यायालय के साथ तेजी से नहीं खेल सकता है। अदालत के लिए उनका शब्द उनके बंधन जितना ही अच्छा है और हमें बिना किसी हिचकिचाहट के, एक चतुर खोज के साथ वर्तमान बदलाव को नकारात्मक रूप से देखना चाहिए।

एक याचिका जिसमें कहा गया हो कि पहले का निर्णय अंतर्विरोध के अनुसार दिया गया था।

6. वह ज्ञान जो एक्स पार्टी में बोवेन, एल. जे. से गिर गया है

प्रैट *52* क्यू. बी. *334,* हालांकि एक अलग संदर्भ में दिया गया है, वर्तमान स्थिति को शामिल करने के लिए व्यापक प्रासंगिकता है। विद्वान लॉर्ड जस्टिस ने कहाः

"एक अच्छा पुराने जमाने का नियम है कि किसी को भी इसका अधिकार नहीं है

एक न्यायाधिकरण के समक्ष स्वयं का आचरण करें जैसे कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया हो

अधिकारिता, और फिर बाद में, जब वह पाता है कि यह है

उसके खिलाफ फैसला किया, मुड़कर कहने के लिए, "आपके पास नहीं है।

अधिकार क्षेत्र "।

7. कानून की निश्चितता, फैसलों की स्थिरता और अदालतों की एकता सभी एक ही सिद्धांत से इस निष्कर्ष तक कि एक बार दिए गए निर्णय को बाद में मामलों की तरह बाध्य होना चाहिए। हम इस नियम से हटने का इरादा नहीं रखते हैं कि, असाधारण मामलों में,

जिससे स्पष्ट असावधानी या किसी निर्णय की निगरानी करने में विफल रहता है

एक सादे वैधानिक प्रावधान या चल रहे अनिवार्य प्राधिकरण को नोटिस करें तर्क और परिणाम के विपरीत, यह नहीं हो सकता है

बाध्यकारी पूर्ववर्तियों का प्रभाव। यह एक स्पष्ट मामला होना चाहिए, और

अव्यवस्थित चूक। ऐसी कोई स्थिति यहाँ प्रस्तुत नहीं होती है और हम प्रति इनक्यूरियम निर्णय के सिद्धांत पर नहीं चलते हैं।

147 (बी)। ए. आर. अनुतुले बनाम आर. एस. नायक, *(1988) 2* एस. सी. सी. *602,* न्यायालय ने कहा है:

सरकार का मामला *(*ऊपर*)*। हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, *4* थ एंड, वॉल्यूम देखें। *26* , पृष्ठ *297,* पैरा *578* और पृष्ठ *300,* प्रासंगिक टिप्पणियाँ *8,11* और *15;* न्यायशास्त्र पर डायस, *5* वीं संस्करण। , पृष्ठ *128* और *130;* यंग बनाम। ब्रिस्टल एयरप्लेन कं. लिमिटेड *[1944] 2* एईआर *293*। यह भी देखें मूर बनाम में लॉर्ड गोडार्ड की टिप्पणियाँ। हेविट *[1947] 2* ए. ई. आर. *270*-ए और पेनी वी। निकोलस *[1950] 2* ए. ई. आर. *89* " इनक्यूरियम के अनुसार "

क्या वे निर्णय अज्ञानता में दिए गए हैं या कुछ सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों को भूल गए हैं

असंगत वैधानिक प्रावधान या किसी बाध्यकारी प्राधिकारी का संबंधित न्यायालय, ताकि ऐसे मामलों में निर्णय का कुछ हिस्सा

या तर्क में कुछ कदम जिस पर यह आधारित है, पाया जाता है,

वह विवरण स्पष्ट रूप से गलत है। मोरेले वी. देखें। टहलना।

[1955] 1 सभी ई. आर. *708.* इसके अलावा, उड़ीसा राज्य बनाम देखें। टीटाघुर

पेपर मिल्स कं. लिमिटेड *[1985] 3* एससीआर *26*। हमारा मानना है कि

दांडिक की धारा *7 (2)* के स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए

विधि संशोधन अधिनियम, *1952* और संविधान के अनुच्छेद *14* और *21*

संविधान, ये निर्देश कानूनी रूप से गलत थे।

47. इस तर्क के समर्थन में कि पूरी तरह से हटाने का निर्देश इस न्यायालय का विवादित निर्देश दिया जाए, निर्भरता रखी गई थी

सत्यधवन घोषाल बनाम। देवराजिनी देवी *[1960] 3* एससीआर *590*।

निर्णय का अनुपात जैसा कि पृष्ठ *601* से *603* तक दिखाई देता है

कि निर्णय जो कार्यवाही को समाप्त नहीं करता है, कर सकता है

अंतिम कार्यवाही से अपील में चुनौती दी जाएगी। यह हो सकता है

अन्यथा यदि बाद की कार्यवाहियाँ स्वतंत्र थीं।

(जोर दिया गया*)*

147 (सी*)*। उत्तर प्रदेश राज्य में *v.* सिंथेटिक्स और रसायन

(1991) 4 एस. सी. सी. *139,* इनक्यूरियम के अनुसार इस अदालत ने कहा हैः

" 40. ' इनक्यूरिया का शाब्दिक अर्थ है 'लापरवाही'। व्यवहार में प्रति में

क्यूरियम का अर्थ प्रति अज्ञान प्रतीत होता है। अंग्रेज़ी अदालतों ने

इस सिद्धांत को टकटकी निर्णय के नियम की छूट में विकसित किया।

'कानून में उद्धरण' से बचा जाता है और अगर इसे प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है।

किसी कानून या अन्य बाध्यकारी प्राधिकरण की अज्ञानता। *1944 1* के. बी *718*

यंग वी. ब्रिस्टल एयरप्लेन लिमिटेड को भी स्वीकार कर लिया गया है।

अनुच्छेद *141* की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित और अपनाया गया

संविधान जो पूर्ववर्तियों के सिद्धांत को मूर्त रूप देता है

कानून का मामला। जैसरी साहू बनाम। राजदेवन दुबे आकाशवाणी *(1962)*

एस. सी. *83* यह न्यायालय पालन की जाने वाली प्रक्रिया की ओर इशारा करते हुए

जब परस्पर विरोधी निर्णय एक निकाली गई पीठ के समक्ष रखे जाते हैं हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों में से एक को शामिल करते हुए पारित किया गया

अपवाद तब होते हैं जब अपीलीय न्यायालय के निर्णय नहीं होते हैं बाध्यकारी "।

147 (डी)। दिल्ली नगर निगम बनाम। वर्णम कौर,

9) 1 एस. सी. सी. *101,* यह माना गया था कि नियम की अज्ञानता का निर्णय प्रति है

iam, अदालत ने कहा हैः

विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

" 11. ..... एक निर्णय को उस समय दिए गए निर्णय के अनुसार माना जाना चाहिए जब वह लिया जाता है।

किसी कानून या नियम की शर्तों की अज्ञानता में दिया जाता है

एक क़ानून का बल "।

147 (ई*)*। नर्मदा बचाओ आंदोलन *(III) v.* मध्य राज्य

इश, ए. आई. आर. *2011* एस. सी. *1989,* इस अदालत ने कहा हैः

या कुछ वैधानिक प्रावधान या बाध्यकारी प्राधिकरण को भूल जाना संबंधित न्यायालय पर, या इसके कारण कानून का बयान

असावधानी या निष्कर्ष जो इसके बिना आया है

बिना किसी कारण के मन का प्रयोग या आगे बढ़ना ताकि ऐसा मामला निर्णय का कुछ हिस्सा या तर्क में कुछ कदम

जिस पर यह आधारित है, पाया जाता है, उस खाते पर स्पष्ट रूप से पाया जाता है

गलत "।

(जोर दिया गया*)*

148. मामले को बड़ी पीठ को भेजने के लिए, द्वारा निर्भरता रखी गई थी

और संत लाल गुप्ता बनाम पर मालिक। आधुनिक कॉप। सोसायटीज लिमिटेड

13 एस. सी. सी. *336* इस प्रकार निर्धारित करता हैः

" 17. एक समन्वय पीठ विवेकाधिकार पर टिप्पणी नहीं कर सकती है

एक ही अदालत। पूर्ववर्ती का नियम कारण के लिए बाध्यकारी है कि कानून में एकरूपता और निश्चितता प्राप्त करने की इच्छा है।

इस प्रकार, न्यायिक प्रशासन में ऐसे उदाहरण हैं जो नियमों का प्रतिपादन करते हैं

न्याय के प्रशासन की नींव के तहत कानून का गठन हमारी प्रणाली। इसलिए, हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है कि निर्णय

एक समन्वय पीठ का पालन किया जाना चाहिए। *(* वीडियोः त्रिभुवनदास

पुरुषोत्तमदास ठक्कर बनाम। रतिलाल मोतीलाल पटेल और अन्य। एयर

1968 एस. सी. *372;* उप-न्यायिक जवाबदेही समिति *v.*

भारत संघ और ओआरएस। *(1992) 4* एस. सी. सी. *97* और त्रिपुरा राज्य

वी. त्रिपुरा बार एसोसिएशन और अन्य। *(1998) 5* एससीसी *637)*।

18. राजस्थान लोक सेवा आयोग और एएनआर में। वी. हरीश

कुमार पुरोहित और अन्य। *(2003) 5* एस. सी. सी. *480,* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

वही दृष्टिकोण जो पहले लिया गया है। पहले का निर्णय समन्वय पीठ किसी भी बाद की समन्वय पीठ पर बाध्यकारी है

समान या समान मुद्दों का निर्णय लेना। अगर बाद वाली पीठ चाहती है कि

पहले की पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लेते हुए,

उचित तरीका यह है कि वह मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजे। *"[2018] 2* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

149. भूमि मालिकों की ओर से यह तर्क दिया गया कि पुणे नगर निगम के साथ-साथ शिवराज मामले के फैसलों के बाद से *(* उपर्युक्त*)* तीन न्यायाधीशों की पीठ के हैं तो औचित्य की आवश्यकता है कि मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए। शिवराज *(*ऊपर*)* के संबंध में

यह स्पष्ट है कि खंड पीठ द्वारा स्वयं संदर्भ देते हुए कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया है, जैसा कि भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय को पढ़ने पर देखा गया है। वी. शिवराज और ओआरएस। *(2014) 6* एस. सी. सी. *564,* उन्हें इस प्रश्न पर कोई विचार नहीं मिला है कि क्या *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के प्रावधानों पर विचार करते हुए उस अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए जिसके दौरान अंतरिम रोक का आनंद लिया गया है। इस न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक *12.1.2016* के आदेश में, संदर्भ देते हुए इस प्रकार उचित टिप्पणी की हैः

"हमने श्री बालाजी नगर में व्यक्त किए गए विचारों पर विचार किया है।

आवासीय संघ *(*ऊपर*)* और भारत संघ और अन्य। वी. शिव राज और अन्य *(*ऊपर*)*। शुरुआत में, हम स्पष्ट करते हैं कि संघ में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पढ़ने पर

भारत और अन्य बनाम शिव राज और अन्य, हमें कोई नहीं मिलता है

आवासीय संघ *(उपरोक्त)* का संबंध है, उसके अनुच्छेद *11* और *12* को पढ़ने और उन पर विचार करने के बाद, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, यह हमारा सुविचारित विचार है कि *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि के किसी भी विशिष्ट बहिष्करण के अभाव के कानूनी प्रभाव के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अदालत के कार्य को पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए नहीं समझा जा सकता है।
किसी मुकदमे में किसी भी प्रतिद्वंद्वी पक्ष को जिसमें व्यक्त किया गया है

उक्ति "एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट"।

150. पुणे नगर निगम *(उपरोक्त)* में भूमि अधिग्रहण को उच्च न्यायालय ने वर्ष *2008* में रद्द कर दिया था। अधिकाँश वर्ष *2008* में इस अदालत में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई थीं। उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया है और कब्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। जब उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है

अधिग्रहण, इस अदालत के लिए *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के आधार पर प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए कोई जगह नहीं थी।

इंदौर विकास प्राधिकरण *v* का कोई सवाल ही नहीं था। शैलेंद्र *(मृत)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

मालिकों को मुआवजे का भुगतान या इसे अदालत में जमा करना *2008* में भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया गया था। कोई स्थायी अधिग्रहण और पुरस्कार नहीं था। जब *2013* का अधिनियम लागू हुआ तो इस प्रकार पांच साल या उससे अधिक समय तक धारा *24* का पालन न करने पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। इस प्रकार, धारा *24 (2)* में निहित प्रावधानों के अनुसार कब्जा करने या मुआवजे के भुगतान का कोई सवाल ही नहीं था। धारा *24* में निहित प्रावधानों को कार्यवाही को रद्द करने/समाप्त करने के बाद लागू नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, जब धारा *24* के प्रावधान पुणे नगर निगम *(उपरोक्त)* में मामले की तथ्य स्थिति की ओर आकर्षित नहीं थे, तो निर्णय को उस प्रश्न पर प्राधिकरण नहीं कहा जा सकता है, जो वास्तव में, विचार के लिए उत्पन्न नहीं हुआ था।

यह अदालत। इस प्रकार, एक प्रश्न पर दिया गया निर्णय जो मामले के लिए उपयुक्त नहीं था, उसे एक बाध्यकारी उदाहरण नहीं कहा जा सकता है-यह आज्ञाकारी आदेश है और इसलिए इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

151. जब उच्च न्यायालय ने पुणे नगर निगम *(उपरोक्त)* में भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया है, जैसा कि हमने माना है कि एक बार उच्च न्यायालय द्वारा भूमि अधिग्रहण को अवैध रूप से रद्द करने के मामले में इसे रद्द करने के बाद अंतरिम रोक की अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए, तो अधिग्रहण निकाय के लिए मैक्सिम एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेविट बचाव में आएगा। और यह नहीं कहा जा सकता था कि अधिग्रहण समाप्त हो गया था, इस प्रकार धारा *24 (2)* के तहत कोई चूक नहीं थी। एक बार अधिग्रहण रद्द हो जाने के बाद कब्जा लेने या मुआवजे का भुगतान करने का कोई सवाल ही नहीं था।

पुणे नगर निगम *(उपरोक्त)* की इस अदालत ने भूमि अधिग्रहण को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के गुण-दोष पर ध्यान नहीं दिया था और धारा *24 (2)* के आधार पर मामले का पूरी तरह से फैसला किया था।

स्पष्ट रूप से इसका मामले की तथ्य स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस तरह के निर्णय को उपरोक्त पर एक प्राधिकरण नहीं कहा जा सकता है।

152. पुणे नगर निगम *(*उपरोक्त*)* में इस न्यायालय के निर्णय के संबंध में हमने गहन विचार किया है कि क्या इसे आगे की बड़ी पीठ को भेजा जाए, लेकिन यह आवश्यक नहीं माना गया क्योंकि हमारी राय है कि पुणे नगर निगम *(*उपरोक्त*)* को निम्नलिखित कारणों से इनक्यूरियम के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिएः

1. उच्च न्यायालय ने पुणे नगर निगम मामले *(*उपरोक्त*)* में भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया है, क्योंकि *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के ऐसे प्रावधानों को लागू नहीं कहा जा सकता है। यह तब अधिग्रहण से बच नहीं रहा था जब कब्जा करके या *[2018] 2* एस. सी. आर. के भुगतान द्वारा धारा *24 (2)* का अनुपालन किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पाँच साल या उससे अधिक के लिए मुआवजा उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि *2008* में उच्च न्यायालय द्वारा अधिग्रहण को रद्द कर दिया गया था।

2. पुणे नगर निगम *(*ऊपर*)* में यह अभिनिर्धारित नहीं किया गया था कि उच्च न्यायालय ने अवैध रूप से अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। मामले में, उच्च न्यायालय ने तब अवैध तरीके से अधिग्रहण को रद्द कर दिया था

'एक्टस क्यूरी नेमिनम ग्रेवबिट' भी अधिग्रहण को समाप्त होने से बचाने के लिए बचाव में आया होगा और इस न्यायालय में अपील में बिताई गई अवधि को बाहर रखा जाना था।

3. 2008 में उच्च न्यायालय द्वारा अधिग्रहण रद्द किए जाने के बाद धारा *24 (2)* के प्रावधानों को मामले में लागू नहीं कहा जा सकता था। इस प्रकार, इस न्यायालय के लिए धारा *24 (2)* के तहत परिकल्पित उपरोक्त पहलू पर मामले का फैसला करने का कोई अवसर नहीं था।

2013 का अधिनियम।

4. 1894 के अधिनियम की धारा *55* के तहत बनाए गए वैधानिक नियम और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत या अन्यथा जारी किए गए वैधानिक बल वाले आदेशों को पुणे नगर निगम में इस अदालत के समक्ष विचार के लिए नहीं रखा गया था।

निगम मामला *(*ऊपर*)*

5. जमा की धारा *34* की प्रचलित प्रथा के प्रावधान और *1894* के अधिनियम की धारा *34* के तहत बाध्यकारी निर्णय इस अदालत के विचार के लिए निर्णय लेते समय नहीं रखे गए थे।

मामला।

6. धारा *24 (2)* के परंतुक को विचार के लिए नहीं रखा गया था जो मुख्य रूप से 'भुगतान' की तुलना में अलग अभिव्यक्ति 'जमा' का उपयोग करता है।

धारा *24 (2)* जिसका एक अलग अर्थ है।

7. इस न्यायालय के विभिन्न बाध्यकारी निर्णयों के अनुसार 'भुगतान' अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है जब भुगतान करने की बाध्यता पूरी हो जाती है जैसा कि स्ट्रॉ बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, सहारनपुर में आयोजित किया गया है।

वी. गोबिंद *(ऊपर)*, दिल्ली परिवहन का प्रबंधन

उपक्रम वी। औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली और एएनआर।

(ऊपर*)*, इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड बनाम। नारायण भौमिक *(*उपरोक्त*)* और बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त, लखनऊ *(ऊपर)* और अन्य निर्णयों को विचार के लिए नहीं रखा गया था।

8. हिसार सुधार *v* में जमा न करने के परिणाम के बारे में न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय। श्रीमती.

रुक्मिणी देवी और इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* अरुण मिश्रा, जे।*]*

एन. आर. *(* ऊपर*)*, किशन दास और अन्य। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य। *(* सुप्रा*)* और शेषन और ओआरएस। वी. विशेष तहसीलदार और भूमि अधिग्रहण अधिकारी, स्पिकॉट, पुदुकोट्टई *(*सुप्रा*)* आदि को मामले का फैसला करते समय विचार के लिए नहीं रखा गया था।

9. मैक्सिम "नलस कमोडम कैपेरे पोटेरे डी इंजुरिया"

सुआ प्रोप्रिय "अर्थात, कोई भी व्यक्ति मुकदमा दायर करने की अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकता है और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से इनकार करने के प्रभाव को उपरोक्त निर्णय लेते समय विचार के लिए नहीं रखा गया था।
मामला।

10. 1894 के अधिनियम या *2013* के अधिनियम के प्रावधानों के तहत राशि जमा न करने के कारण अधिग्रहण में कोई चूक नहीं हुई है। इस संबंध में, *2013* के अधिनियम के तहत भुगतान और जमा से संबंधित धारा *77* और *80* का प्रावधान, जो धारा *31* और *34* के अनुरूप है, इस पर विचार के लिए नहीं रखा गया था।

न्यायालय उपरोक्त निर्णय देते समय।

11. नियमों/आदेशों और निर्णयों के अनुसार खजाने में जमा करने की एक सदी से अधिक समय से चली आ रही प्रथा को लागू नहीं किया गया था।

विचार करें। यह *1894* के अधिनियम के तहत प्रावधानों, प्रचलित प्रथाओं और निर्णयों पर विचार किए बिना कोषागार में की गई ऐसी जमाओं को अमान्य करने के लिए खुला नहीं था।

पुणे नगर निगम *(ऊपर)* में दिया गया निर्णय,

जो प्रश्न संख्या *1* और उसके बाद के अन्य निर्णयों से संबंधित है, पुणे नगर निगम *(*उपरोक्त*)* में लिए गए विचार अपरिवर्तनीय हैं। श्री बालाजी *(ऊपर)* में निर्णय को अच्छा कानून निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है, खारिज कर दिया गया है और उक्त निर्णय के बाद अन्य निर्णय इस हद तक कि वे इस

निर्णय के साथ संघर्ष में हैं, खारिज कर दिए गए हैं। डी. डी. ए. बनाम में निर्णय। सुखबीर सिंह *(ऊपर)* को आंशिक रूप से इस हद तक खारिज कर दिया गया है कि यह इस निर्णय के विपरीत है। पुणे नगर निगम *(उपरोक्त)* के आधार पर दिए गए निर्णयों की इस निर्णय के आधार पर उचित मामलों में समीक्षा की जा सकती है।

निष्कर्ष -

153. इन प्रश्नों के हमारे उत्तर इस प्रकार हैं:

प्र. नहीं। आई: - *2013* के अधिनियम की धारा *24* में 'भुगतान' शब्द का अर्थ *1894* के अधिनियम की धारा *31 (1)* में 'भुगतान की निविदा' के समान है। इनका एक ही अर्थ है और धारा *31 (2)* में 'जमा' अभिव्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट की धारा *24* में 'भुगतान' अभिव्यक्तियों में शामिल नहीं है।

2013 का अधिनियम या *1894* के अधिनियम की धारा *31 (1)* में उपयोग किए गए 'भुगतान की निविदा' में। 'भुगतान'/'निविदा' और 'जमा' शब्द अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ हैं और अपने तह में अलग-अलग अर्थ रखते हैं।

2013 के अधिनियम की धारा *24 (2)* में 'भुगतान' अभिव्यक्ति में, यह आवश्यक नहीं है कि राशि अदालत में जमा की जाए जैसा कि प्रदान किया गया है।

1894 के अधिनियम की धारा *31 (2)* में। *1894* के अधिनियम की धारा *31 (2)* के तहत अदालत में क्षतिपूर्ति जमा न करने के परिणामस्वरूप *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के तहत अधिग्रहण में चूक नहीं होती है। अदालत में जमा की विफलता के कारण, उपयुक्त मामलों में सबसे अधिक परिणाम *1894* के अधिनियम की धारा *34* के तहत परिकल्पित मुआवजे पर उच्च ब्याज दर का हो सकता है न कि अधिग्रहण की समाप्ति का।

एक बार मुआवजे की राशि बिना शर्त दे दी गई है।

धारा *31 (1)* के तहत भुगतान किया जाता है और यह *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के तहत भुगतान के दायित्व के निर्वहन के बराबर है और यह उस व्यक्ति के लिए खुला नहीं है जिसने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, यह आग्रह करने के लिए कि चूंकि इसे अदालत में जमा नहीं किया गया है, अधिग्रहण समाप्त हो गया है। इनकार करने के बाद दावेदार/भूमि मालिक अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकते हैं और धारा *24 (2)* के प्रावधानों के तहत सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते हैं।

प्र. नहीं। *II: -* भूमि अधिग्रहण मामलों के तहत भौतिक कब्जा लेने का सामान्य तरीका पंचनामा लेना है जैसा कि बांदा में आयोजित किया गया था। विकास प्राधिकरण *(ऊपर)*।

प्र. नहीं। *III: - 2013* के अधिनियम की धारा *24* के प्रावधान, वर्जित या पुराने दावों को पुनर्जीवित नहीं करते हैं, ऐसे दावों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

अदालत के अंतिम या अंतरिम आदेश के कारण या अन्यथा धारा *24 (2)* के तहत कार्य करने के लिए, ऐसी अवधि को *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में प्रदान की गई पांच साल की अवधि से बाहर रखा जाना चाहिए। अंतरिम आदेश की अवधि के अपवर्जन के लिए धारा *24 (2)* में कोई सचेत चूक नहीं है। इस तरह के

प्रावधान को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस चूक से कानूनी स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पड़ता है। प्र. नहीं। *V-2013* के अधिनियम की धारा *24* के तहत प्रश्नों का निर्धारण करने के लिए अन्य सामान्य कानून सिद्धांतों को शामिल करते हुए एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट का सिद्धांत लागू होता है। अंतिम/अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि जिसके द्वारा अधिकारियों को इंदौर विकास प्राधिकरण से वंचित कर दिया गया है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस।

कब्जा लेने से बचना होगा। धारा *24 (2)* में ऐसा कोई आवेदन नहीं है जिसमें न्यायालय ने अधिग्रहण को रद्द कर दिया हो।

उल्लिखित प्रश्नों का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।
मोहन एम. शांतनागौदर, जे. *1.* बात यह है कि

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारी पीठ को संदर्भित किया गयाः

I चाहे कोषागार में या कलेक्टर के पास जमा राशि अधिकार की धारा *24 (2)* के तहत मुआवजे के भुगतान के बराबर हो।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिनियम, *2013 (*इसके बाद *'2013* अधिनियम*'* के रूप में संदर्भित*)*, विशेष रूप से जब भूमि मालिकों ने मुआवजा स्वीकार करने से इनकार कर दिया है*? ("* प्रश्न संख्या *1 ")*

II क्या पैराग्राफ *11* में संदर्भित सचेत चूक

श्री बालाजी नगर आवासीय संघ बनाम में निर्णय। तमिलनाडु राज्य, *(2015) 3* एस. सी. सी. *353* के संबंध में कानूनी स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अंतर करता है

2013 अधिनियम की धारा *24 (2)* की प्रयोज्यता के निर्धारण के उद्देश्य से न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि का अपवर्जन या समावेश*? ("* प्रश्न संख्या *2 ")*

III क्या "एक्टस क्यूरी नेमिनेमग्रेविट" का सिद्धांत, अर्थात् न्यायालय का अधिनियम किसी भी पक्ष को प्रभावित नहीं करना चाहिए, वर्तमान मामले में किसी अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को हटाने के लिए लागू होगा, जिसका उद्देश्य धारा में विचार के अनुसार कब्जा लेने के संबंध में प्रश्न का निर्धारण करना है।

24 (2) 2013 के अधिनियम का*? ("* प्रश्न संख्या *3 ")*

आई आर ईः प्रश्न सं। *1*

सोलंकी और अन्र। *, (2014) 3* एस. सी. सी. *183* प्रति इन्क्यूरियम है। हालाँकि, मैं इस विषय पर अपने कारण और विचार रखना चाहता हूँ। *3.* यह प्रश्न सिविल अपील सं. *20982/17 (*इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम. एलआर के माध्यम से शैलेंद्र *(*मृत*)*। *&* ओआरएस.*) .* इस प्रश्न में निर्धारित किए जाने वाले वास्तविक विवाद को समझने के लिए, बेहतर होगा कि तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाए, जैसा कि नीचे दिया गया हैः

इंदौर विकास प्राधिकरण *(*आई. डी. ए.*)* ने इंदौर शहर के बाहरी इलाके में रिंग रोड और लिंक रोड के निर्माण के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण किया।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894* की धारा *17 (1)* के साथ पठित धारा *4 (1)* के तहत एक अधिसूचना *(*संक्षिप्तता *'1894* अधिनियम*'* के लिए*)* जारी की गई थी।

23.12.1994 . क्षतिपूर्ति आई. डी. ए. द्वारा भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पास जमा की गई थी। जमींदारों को इसे लेने के लिए सूचित किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और मुआवजा नहीं लिया। धारा *5* ए के तहत पूछताछ समाप्त कर दी गई थी। धारा *6* के तहत घोषणा *1894* के अधिनियम के तहत *17.3.1995* पर प्रकाशित की गई थी। पुरस्कार एल. ए. ओ. द्वारा *14.03.1997* पर पारित किया गया था। *1997* का डब्ल्यू. पी. *No.1182* अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया था। यह *28.8.1998* धारण करने पर अनुमति दी गई थी कि

योजना तीन साल की समाप्ति पर समाप्त हो गई और धारा *5* ए के तहत उस जांच को अवैध रूप से समाप्त कर दिया गया। *1998* की लेटर्स पेटेंट अपील *No.480* को डिवीजन बेंच के समक्ष प्राथमिकता दी गई और *29.01.2000* पर यथास्थिति का आदेश पारित किया गया। एल. पी. ए. को रखरखाव योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था।

हालाँकि, इस न्यायालय ने एक विशेष अनुमति याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय *(*खंड न्यायपीठ को अपील*)* अधिनियम, *2005* के प्रावधानों के तहत रिट अपील दायर करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया।

04.04.2007 पर उच्च न्यायालय ने फिर से यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। प्रतिवादी ने इसके लिए आधार उठाते हुए एक आवेदन दायर किया *2013* अधिनियम की धारा *24 (2)* के तहत अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द करना। यह.

आई. डी. ए. ने इस आधार पर विरोध किया कि अधिग्रहण पूरा हो गया है और राशि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पास जमा कर दी गई है; कि निर्माण काफी हद तक पूरा हो गया है; यदि शेष क्षेत्र में इसे पूरा नहीं किया जाता है, तो इससे नागरिकों को बहुत कठिनाई होगी और यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए सड़क को चौड़ा करना आवश्यक था।

उच्च न्यायालय ने दिनांक *03.11.2014* के एक आदेश में कहा कि इस न्यायालय के फैसलों को देखते हुए अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई थी

पुणे नगर निगम *(*ऊपर*)* और श्री बालाजी *(*ऊपर*)* में। इस न्यायालय में अपील करने पर, इस निर्णय के पैराग्राफ *1* में उल्लिखित प्रश्न संख्या *1* पर विचार करने के लिए मामले को *07.12.2017* के आदेश द्वारा इस पीठ को भेजा गया है।

4. राज्य के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि "भुगतान" और "जमा" शब्दों के बीच अंतर है, और यह कि अधिग्रहण न्यायालय में "जमा" करने में विफलता पर समाप्त नहीं होता है; यह इंदौर विकास प्राधिकरण *v.*

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

पुणे नगर निगम *(*उपरोक्त*)* के न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894* की धारा *55* के तहत विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए कुछ नियमों पर विचार नहीं किया, जो कोषागार में भूमि मालिकों के खातों में मुआवजे को जमा करने का निर्देश देते हैं। *5.* दूसरी ओर, भूमि मालिकों के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि अदालत में जमा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए

1894 अधिनियम की धारा *31 (2),* अन्यथा *2013* अधिनियम की धारा *24 (2)* के तहत कार्यवाही समाप्त हो जाती है; इसके विपरीत विवाद को विभिन्न राज्यों के नियमों के संबंध में भी इस तर्क के साथ लिया गया था कि नियम अदालत में मुआवजा जमा करने के लिए *1894* अधिनियम की धारा *31 (2)* में व्यक्त प्रावधान को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं।

6. प्रश्न पर विचार करने के लिए, संबंधित अनुभागों का पुनरुत्पादन आवश्यक है।

2013 के अधिनियम की धारा *24 (1)* और *(2)* निम्नानुसार हैः

"24. (1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भूमि के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के किसी भी मामले में
अधिग्रहण अधिनियम, *1894, -*

क*)* जहां उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा *11* के तहत कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, तो मुआवजे के निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे; या

ख*)* जहां उक्त धारा *11* के तहत कोई अधिनिर्णय दिया गया है, तो ऐसी कार्यवाही उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी रहेगी, जैसे कि उक्त अधिनियम को लागू नहीं किया गया है।

निरस्त कर दिया।

(2) उप-धारा *(1)* में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894 (1894* का *1)* के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के मामले में, जहां उक्त धारा *11* के तहत एक अधिनिर्णय इस अधिनियम के प्रारंभ से पांच साल या उससे अधिक समय पहले किया गया है, लेकिन भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, तो उक्त कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा और उपयुक्त सरकार, यदि वह ऐसा चाहती है, तो ऐसे भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करेगी।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे सेः
बशर्ते कि जहां अधिनिर्णय दिया गया हो और अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में मुआवजा सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में जमा नहीं किया गया हो

लाभार्थियों का खाता, तब, उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा *4* के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थी, तदनुसार मुआवजे के हकदार होंगे।

इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ।

2013 के अधिनियम की धारा *24 (2)* की इस न्यायालय की व्याख्या ने अतीत में *1894* के अधिनियम के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उक्त अधिनियम की धारा *31* से *34* का उल्लेख किया है जो

निवेश और ब्याज। धारा *31* से *34* इस प्रकार हैः

"31. अदालत में मुआवजे या उसी की जमा राशि का भुगतान। *- (1)* धारा *11* के तहत पुरस्कार देने पर, कलेक्टर

पुरस्कार के अनुसार इसके हकदार व्यक्तियों को उसके द्वारा दिए गए मुआवजे का निविदा भुगतान, और उन्हें इसका भुगतान तब तक करेगा जब तक कि उनमें से किसी एक या अधिक द्वारा रोका न जाए।

अगले उपखंड में उल्लिखित आकस्मिकताएँ।

(2) यदि वे इसे प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देंगे, या यदि कोई व्यक्ति नहीं है

भूमि को अलग करने के लिए सक्षम, या यदि मुआवजे को प्राप्त करने के लिए स्वामित्व के बारे में या इसके विभाजन के बारे में कोई विवाद है, तो कलेक्टर मुआवजे की राशि अदालत में जमा करेगा, जिसके लिए धारा *18* के तहत एक संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगाः

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसे राशि प्राप्त नहीं हुई हो अन्यथा विरोध के तहत कोई भी करने का हकदार होगा

धारा *18* के तहत आवेदनः बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा, जो इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी मुआवजे का पूरा या कोई हिस्सा प्राप्त कर सकता है।

कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति।

(3) इस धारा में कुछ भी होने के बावजूद, कलेक्टर,

इसके बजाय उपयुक्त सरकार की मंजूरी के साथ

किसी भी भूमि के संबंध में धन क्षतिपूर्ति प्रदान करते हुए, उस भूमि में सीमित हित वाले व्यक्ति के साथ कोई भी व्यवस्था करें।

भूमि, या तो बदले में अन्य भूमि के अनुदान द्वारा, उसी शीर्षक के तहत आयोजित अन्य भूमि पर भूमि-राजस्व की माफी, या इस तरह से अन्य तरीके से जो संबंधित पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत हो सकता है।

विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्रईएडी*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

(4) अंतिम पूर्वगामी उप-धारा की किसी भी बात का अर्थ भूमि में रुचि रखने वाले और उसके संबंध में अनुबंध करने के लिए सक्षम किसी भी व्यक्ति के साथ कोई व्यवस्था करने की कलेक्टर की शक्ति में हस्तक्षेप करना या उसे सीमित करना नहीं होगा।

32. वैकल्पिक रूप से अक्षम व्यक्ति की भूमि के संबंध में जमा किए गए धन का निवेश। *- (1)* यदि न्यायालय में उप-धारा *(2)* के तहत कोई धन जमा किया जाएगा। अंतिम पूर्ववर्ती धारा और ऐसा प्रतीत होता है कि वह भूमि जिसके संबंध में उसे अधिनिर्णीत किया गया था, किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसे उसे अलग करने की कोई शक्ति नहीं थी, न्यायालय

(क*)* समान शीर्षक और शर्तों के तहत आयोजित की जाने वाली अन्य भूमि की खरीद में निवेश करने के लिए धन का आदेश देना।

भूमि के रूप में स्वामित्व जिसके संबंध में ऐसा धन जमा किया गया था, आयोजित किया गया था, या

(ख*)* यदि ऐसी खरीद तुरंत नहीं की जा सकती है, तो ऐसी सरकार या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में जो न्यायालय करेगा।

उचित सोचें*;*

और ऐसे निवेश से उत्पन्न ब्याज या अन्य आय के भुगतान का निर्देश उस व्यक्ति या व्यक्तियों को देगा जो कुछ समय के लिए उक्त भूमि के कब्जे के हकदार थे, और ऐसे धन इस प्रकार जमा और निवेश किए जाते रहेंगे जब तक कि वे लागू नहीं हो जाते।

((i) ऐसी अन्य भूमि की खरीद में जो ऊपर बताई गई है*;* या

((ii) किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति को पूरी तरह से भुगतान करने में

इसके हकदार हैं।

(2) जमा किए गए धन के उन सभी मामलों में, जिन पर यह धारा लागू होती है, न्यायालय निम्नलिखित मामलों की लागत का आदेश देगा, जिनमें शामिल हैं:

उसमें कलेक्टर द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी उचित शुल्क और व्यय होते हैं, अर्थात्: -

*((*क*)* उपरोक्त निवेशों की लागत*;*

(ख*)* ब्याज या अन्य आय के भुगतान के आदेशों की लागत, उन प्रतिभूतियों की लागत जिन पर ऐसे धन का निवेश किया जा रहा है, और ऐसे धन के मूलधन के न्यायालय से भुगतान के लिए, और सभी कार्यवाहियों की लागत *[2018] 2* एस. सी. आर.

उनके संबंध में, सिवाय इसके कि जिनके द्वारा अवसर दिया जाए

प्रतिकूल दावेदारों के बीच मुकदमा।

33. अन्य मामलों में जमा किए गए धन का निवेश। -जब इस अधिनियम के तहत न्यायालय में कोई धन जमा किया गया होगा
अंतिम कार्यवाही धारा में उल्लिखित किसी अन्य कारण के अलावा, न्यायालय, ऐसे धन में रुचि रखने वाले या ब्याज का दावा करने वाले किसी भी पक्ष के आवेदन पर, उसे ऐसी सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश करने का आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

और ऐसे किसी भी ब्याज या अन्य आय का निर्देशन कर सकता है।
निवेश को इस तरह से जमा और भुगतान किया जाना चाहिए कि वह

विचार करने से उसमें रुचि रखने वाले पक्षों को वही लाभ मिलेगा जो उन्हें उस भूमि से मिला होगा जिसके संबंध में ऐसा धन जमा किया गया होगा या उसके जितना निकट हो सके।

बनो।

34. ब्याज का भुगतान-जब ऐसी राशि

क्षतिपूर्ति का भुगतान या जमा नहीं किया जाता है या भूमि का कब्जा लेने से पहले, कलेक्टर उस पर ब्याज के साथ दी गई राशि का भुगतान नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से करेगा जब तक कि इसे इस तरह से भुगतान या जमा नहीं किया जाता है: बशर्ते कि यदि ऐसे मुआवजे या उसके किसी हिस्से का भुगतान या जमा उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है जिस दिन कब्जा लिया गया है, तो मुआवजे की राशि या उसके हिस्से पर पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान या जमा करने की तारीख से पहले भुगतान या जमा नहीं किया गया है।

ऐसी समाप्ति "।

7. पुणे नगर निगम *(ऊपर)* में, इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने इस सवाल का फैसला किया कि "क्या कोषागार में जमा राशि *2013* अधिनियम की धारा *24 (2)* के तहत" भुगतान "किए जाने वाले मुआवजे के बराबर है?" उस मामले में, भूमि मालिकों ने *2013* अधिनियम की धारा *24 (2)* के तहत अधिग्रहण कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी कि पुरस्कार *2013* अधिनियम के प्रारंभ से पांच साल पहले दिया गया था, और भूमि मालिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया था या अदालत में जमा नहीं किया गया था। राज्य ने तर्क दिया कि चूंकि भूमि मालिक मुआवजे को स्वीकार करने के लिए अधिसूचित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने *1894* अधिनियम की धारा *18* के तहत संदर्भ के लिए आवेदन दायर नहीं किया, इसलिए राज्य ने मुआवजे को जमा कर दिया।

कोषागार में राशि। न्यायालय, प्रतिद्वंद्वी दलीलों की जांच करने पर, इंदौर विकास प्राधिकरण *v.*

शैलेंद्र *(मृत)* टीएचआर। एलआरएस। *[* मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

1894 के अधिनियम की धारा *31* के आलोक में *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* की व्याख्या यह अभिनिर्धारित करने के लिए की गई है कि जहां भूमि मालिक कलेक्टर के निर्णय के अनुसार मुआवजा स्वीकार नहीं करते हैं, तो मुआवजे का भुगतान केवल तभी किया जाता है जब इसे "अदालत में" जमा किया जाता है। यदि न्यायालय में क्षतिपूर्ति जमा नहीं की जाती है

ऐसे मामले में, इसे *2013* अधिनियम की धारा *24 (2)* के अनुसार "भुगतान" के रूप में नहीं माना जाएगा, और अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी *(*बशर्ते कि पुरस्कार *2013* अधिनियम के प्रारंभ से पांच साल या उससे अधिक समय पहले दिया गया था*)*। प्रासंगिक पैराग्राफ यहाँ नीचे निकाले गए हैं,

" 17. धारा *24 (2)* को अधिनियमित करते समय, संसद का निश्चित रूप से *1894* के अधिनियम की धारा *31* पर विचार था। इससे एक बात स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य "भुगतान" शब्द को "प्रस्तावित" या "निविदा" के बराबर करना नहीं था। लेकिन साथ ही, हम यह नहीं सोचते हैं कि "भुगतान" शब्द का उपयोग करके, संसद ने मुआवजे की प्राप्ति का इरादा किया
भूमि मालिक/इच्छुक व्यक्ति। हमारे विचार में, इस उप-धारा *[*धारा *24* की उप-धारा *(2)]* में उपयोग की गई "भुगतान" अभिव्यक्ति का शाब्दिक निर्माण करना उचित नहीं है। यदि एक शाब्दिक निर्माण दिया जाना था, तो यह प्रक्रिया की अनदेखी करने के बराबर होगा,

1894 की धारा *31 (2)* में प्रदत्त जमा का तरीका और तरीका

किसी भी आकस्मिकता के घटित होने की स्थिति में कार्य करें

इसमें विचार किया गया है जो कलेक्टर को इससे रोक सकता है

मुआवजे का वास्तविक भुगतान करना। इसलिए हमारा विचार है कि धारा *24 (2)* के प्रयोजनों के लिए मुआवजे को "भुगतान" माना जाएगा यदि मुआवजे की पेशकश इच्छुक व्यक्ति को की गई है और ऐसा मुआवजा अदालत में जमा किया गया है जहां धारा *18* के तहत संदर्भ किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, मुआवजे को धारा *24 (2)* के अर्थ के भीतर "भुगतान" किया गया कहा जा सकता है जब कलेक्टर *(*या उस मामले के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी*)*

अपने दायित्व का निर्वहन किया है और राशि जमा की है

अदालत में मुआवजा और उस राशि को उपलब्ध कराया
इच्छुक व्यक्ति से धारा *32* में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा और

33. "

पुणे नगर निगम *(*ऊपर*)* ने प्रेम नाथ पर भरोसा किया

कपूर बनाम. भारतीय राष्ट्रीय उर्वरक निगम लिमिटेड, *(1996) 2* एस. सी. सी. *71,* जिसमें यह कहा गया था कि यदि मुआवजे में वृद्धि की गई थी, लेकिन बढ़ी हुई राशि अदालत में जमा नहीं की गई थी, तो धारा *34* आकर्षित होगी। इसने अभिनिर्धारित किया कि धारा *34 [2018] 2* एस. सी. आर. के भुगतान को अनिवार्य करती है।

ब्याज यदि राशि धारा *31* के अनुसार "न्यायालय में" जमा नहीं की जाती है, और निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचती है,

"13. इस प्रकार हम मानते हैं कि धारा *23 (1)* के तहत निर्धारित मुआवजे की राशि पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व जारी है।
यह तब तक रहता है जब तक कि यह मालिक या इच्छुक व्यक्ति को भुगतान नहीं किया जाता है या जमा नहीं किया जाता है।

धारा *31* के साथ पठित धारा *34* के तहत न्यायालय में। समान रूप से, धारा *11* के तहत कलेक्टर/भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के अलावा धारा *26* के तहत सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारित मुआवजे की अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व तब तक रहता है जब तक कि इसे अदालत में जमा नहीं किया जाता है। धारा *54* के तहत अपील पर मुआवजे में उक्त बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि या उसके हिस्से की सीमा तक और वृद्धि के मामले में, देयता तब तक बनी रहती है जब तक कि इसे अदालत में जमा नहीं किया जाता है। ब्याज का भुगतान करने का दायित्व उस तारीख को समाप्त हो जाता है जिस दिन अदालत में जमा की गई मुआवजे की राशि के साथ जमा किया जाता है।

पुणे नगर निगम *(ऊपर)* भी इवो पर निर्भर था।

एग्नेलो सैंटियामो फर्नांडीस बनाम। गोवा सरकार, *(2011) 11* एस. सी. सी. *506,* जिसने प्रेम नाथ *(उपर्युक्त)* के आलोक में *1894* के अधिनियम की धारा *34* की व्याख्या करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य के राजस्व खाते में जमा राशि पर ब्याज तब तक उपार्जित होता है जब तक कि ऐसी क्षतिपूर्ति राशि न्यायालय में जमा नहीं की जाती। यह इस प्रकार था,

"22. उपरोक्त सिद्धांत के आलोक में, हमारा विचार है कि उत्तरदाताओं की दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिनियम में ब्याज को अदालत में जमा करने की आवश्यकता है, और प्रेम नाथ कपूर *(ऊपर)* में इसे बरकरार रखा गया है।

23. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थियों ने अदालत में राशि जमा नहीं की, बल्कि अपने राजस्व खाते में जमा की और उसी का उपयोग किया। भले ही प्रत्यर्थी राज्य दावेदारों को सीधे मुआवजे का भुगतान करता है, और वह एकत्र नहीं किया जाता है, फिर भी प्रत्यर्थी राज्य उक्त धन को अपने पास नहीं रख सकता है और इसका उपयोग नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में, एक उचित अवधि के बाद, यदि दावेदार मुआवजा लेने के लिए आगे नहीं आते हैं, तो इसे राज्य द्वारा अदालत में जमा किया जाना चाहिए। राज्य को मुआवजे को अपने पास रखने और इसका उपयोग करने की अनुमति देना संभवतः प्रेम नाथ कपूर *(उपरोक्त)* में निर्धारित अधिनियम और कानून के प्रावधानों के विपरीत होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से गलत है

और पक्ष में रहने के योग्य हैं। "

इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(मृत)* टीएचआर। एलआरएस। *[*मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

पुणे नगर निगम *(उपरोक्त)* का कई बाद के मामलों में पालन किया गया है, जिसमें भारत संघ बनाम के मामले शामिल हैं। शिव राज, *(2014) 6* एस. सी. सी. *564,* करनैल कौर बनाम। पंजाब राज्य, *(2015) 3* एस. सी. सी.

206, और रेडियंस फिनकैप *(*पी*)* लिमिटेड बनाम। भारत संघ, *(2015) 8* एस. सी. सी. *544*, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिग्रहण की कार्यवाही चूक तब होती है जब क्षतिपूर्ति को न्यायालय में जमा करने के बजाय कोषागार या राजस्व विभाग में जमा किया गया हो।

8. दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम में यह न्यायालय। सुखबीर

सिंह, *(2016) 16* एस. सी. सी. *258* ने *1909* के पंजाब स्थायी आदेश संख्या *28* का एक तीखा विश्लेषण किया, जिसमें निर्देश दिया गया है कि कुछ मामलों में कोषागार में जमा किया जाना चाहिए *(*पैराग्राफ *13,14* और *15* में बाद में चर्चा की गई*)*। इसने अभिनिर्धारित किया कि कोषागार में जमा धारा *31 (1)* को संतुष्ट करने के लिए है, लेकिन धारा *31 (2)* को न्यायालय में जमा किए बिना संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी जमा राशि न्यायालय में नहीं की जाती है, तो कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए।

अनिवार्य रूप से टूट जाता है। न्यायालय का अवलोकन था,

" किसी भी मामले में, कोषागार में ऐसी जमा राशि केवल धारा *31 (1)* के लिए संदर्भित है और कभी भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा *31 (2)* के तहत प्रदान की गई संदर्भ अदालत के समक्ष जमा राशि का विकल्प नहीं हो सकती है, जो निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू होती है।

उपरोक्त उप-धारा। इसलिए, हमारी राय है कि इस आधार पर इस मामले के तथ्यों और पुणे नगर निगम के तथ्यों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है, और पुणे नगर निगम का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर सभी चार पर लागू होगा।

9. वर्किंग फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग में

सोसायटी लिमिटेड बनाम। पंजाब राज्य, *(2016) 15* एस. सी. सी. *464*, मुआवजे की राशि कोषागार में जमा की गई थी न कि न्यायालय में। यह मुआवजा बाद में *01.01.2014* के बाद अदालत में जमा किया गया था।

अर्थात्, *2013* अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद। हालाँकि, अदालत ने माना कि *2013* के अधिनियम के लागू होने के बाद अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई।

10. वास्तव में, यह न्यायालय भरत कुमार बनाम. की स्थिति

हरियाणा, *(2014) 6* एस. सी. सी. *586* ने *2013* अधिनियम की धारा *24 (2)* को ऐसे मामले में लागू किया जहां कब्जा नहीं लिया गया था और न तो मुआवजे का भुगतान किया गया था और न ही उचित मंच के समक्ष जमा किया गया था। इसमें कहा गया है कि -

" *7.* हमारी राय में हालांकि यह पुरस्कार भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा पारित किया गया है, लेकिन उन्होंने भौतिक कब्जा *[2018] 2* एस. सी. आर. नहीं लिया है।

भूमि का और अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया है या उक्त मुआवजे को एक उपयुक्त मंच के समक्ष जमा किया था।

बिमला देवी एंड ओआरएस में भी यही तर्क अपनाया गया था। वी. हरियाणा राज्य *(2014) 6* एस. सी. सी. *583*। विजय लटका बनाम। हरियाणा राज्य, *(2016) 12* एस. सी. सी. *487*, इस न्यायालय ने पुणे नगर निगम *(*उपरोक्त*)* के अनुपात को इस अर्थ में बढ़ाया कि अनिवार्य अधिग्रहण के मामलों में भूमि मालिक को आने और भुगतान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया,

विकास प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी को मुआवजे का भुगतान किया गया है और चूंकि अपीलकर्ता मुआवजे के लिए संबंधित क्वार्टरों से संपर्क करने में विफल रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती है। हमें इस विवाद की सराहना करना मुश्किल लगता है। जब किसी भूमि का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किया जाता है, तो यह अधिग्रहण करने वाले प्राधिकारी को भुगतान करना होता है और भूमि मालिक को आने और भुगतान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है।

6. जब भी अधिग्रहण के माध्यम से भूमि पर कब्जा किया जाता है,

भूमि मालिक को राशि के साथ मुआवजा दिया जाना चाहिए

अधिनियम के तहत विधिवत निर्धारित मुआवजा। यदि इस बारे में कोई विवाद है कि राशि का भुगतान किसे किया जाना है, तो उसे *1894* के अधिनियम की धारा *31* के अनुसार न्यायालय में जमा किया जाना है। इसमें

हमारे समक्ष मामले में, अधिग्रहण प्राधिकरण, अर्थात् हरियाणा विकास प्राधिकरण का रुख यह है कि उनके पास पैसा तैयार है और यह भूमि मालिक को आना है और भुगतान प्राप्त करना है।

कानून के तहत इस स्थिति की अनुमति नहीं है। यह संबंधित अधिकारियों पर है कि वे पैसे का भुगतान करें और जमीन लें और यदि कोई विवाद है कि पैसा किसे दिया जाना चाहिए, तो वही

अदालत में जमा करना होगा।

11. विभिन्न उच्च न्यायालयों ने पुणे नगर निगम का अनुसरण किया है।

निगम *(*ऊपर*)*। महाराणा प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम में पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय। हरियाणा राज्य *(2007* का सी. डब्ल्यू. पी. सं. *6860)* ने अभिनिर्धारित किया कि धारा *24 (2)* तब भी लागू होती है जब भूमि मालिकों ने क्षतिपूर्ति स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो।

12. 2013 के अधिनियम की धारा *24 (2)* के अनुसार, कार्यवाही निम्नलिखित स्थितियों में से एक में समाप्त हो जाती है: *(i)* जब कब्जा नहीं लिया जाता है *(*भले ही

क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है*)*, या *(ii)* जब क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता है *(*भले ही इंदौर विकास प्राधिकरण *v.*

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

कब्जा ले लिया जाता है*)*, या *(iii)* जब न तो मुआवजे का भुगतान किया जाता है, न ही कब्जा लिया जाता है। यह मुझे इस मुद्दे की ओर ले जाता है कि मुआवजे के भुगतान की व्याख्या कैसे की जाए: अर्थात्, कोषागार में जमा करें और न्यायालय में नहीं, "भुगतान" का गठन कर सकते हैं।

13. इस समस्या को हल करने के लिए, पहले "निविदा", "जमा" और "भुगतान" की बारीकियों पर ध्यान देना आवश्यक है। "

एक निविदा को ब्लैक लॉ डिक्शनरी *(*पी। *1606)* जैसा कि

निम्नलिखितः

"प्रदर्शन का एक वैध और पर्याप्त प्रस्ताव; विशिष्ट। , ऋण चुकाने के लिए धन या निष्पादन का बिना शर्त प्रस्ताव या

दायित्व "। जमा को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में परिभाषित किया गया है *(*पी। *504)* इस प्रकार हैः

"किसी अन्य व्यक्ति को धन या अन्य संपत्ति देने का कार्य जो इसे संरक्षित करने या इसका उपयोग करने और इसे वापस करने का वादा करता है; विशेष रूप से। , का कार्य

सुरक्षा और सुविधा के लिए बैंक में पैसे रखना।

भुगतान को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में परिभाषित किया गया है *(*पी। *1243)* जैसा कि

निम्नलिखितः

"धन के वितरण द्वारा किसी दायित्व का निष्पादन या

आंशिक या पूर्ण निर्वहन में स्वीकार की गई कोई अन्य मूल्यवान वस्तु

दायित्व "।

"निविदा" की परिभाषा को इस न्यायालय द्वारा टाटा सेल्युलर बनाम में रेखांकित किया गया है। भारत संघ, *(1994) 6* एस. सी. सी. *651* निम्नानुसार,

"*69.* निविदा एक प्रस्ताव है। यह कुछ ऐसा है जो स्वीकृति को सूचित करने के लिए आमंत्रित करता है और सूचित किया जाता है। मोटे तौर पर कहा जाए तो, निम्नलिखित

एक वैध निविदा की आवश्यकताएँ हैं:

1. यह बिना शर्त होना चाहिए।

2. इसे उचित स्थान पर बनाया जाना चाहिए।
3. दायित्व की शर्तों के अनुरूप होना चाहिए।

4. इसे सही समय पर किया जाना चाहिए।

5. इसे उचित रूप में बनाया जाना चाहिए।
6. जिस व्यक्ति द्वारा निविदा दी जाती है, वह सक्षम होना चाहिए और

अपने दायित्वों का पालन करने के लिए तैयार।

7. निरीक्षण के लिए उचित अवसर होना चाहिए।

8. उपयुक्त व्यक्ति को निविदा दी जानी चाहिए।

9. यह पूरी राशि का होना चाहिए।

14. हम इन शब्दों को संसद के एक अधिनियम में पढ़ने के हकदार नहीं हैं, जब तक कि इसका स्पष्ट कारण संसद के चारों कोनों के भीतर गठित नहीं किया जाता है।

स्वयं कार्य करें। हालाँकि, एक क़ानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। एक क़ानून को सभी भागों पर एक साथ निर्माण करके समझना होगा, न कि केवल एक भाग का। कानून के प्रत्येक खंड का अर्थ, जहां तक संभव हो, अधिनियम के संदर्भ और अन्य खंडों के संदर्भ में किया जाना चाहिए ताकि पूरे कानून को सुसंगत रूप से अधिनियमित किया जा सके। यह और भी अधिक होगा यदि किसी विशेष खंड के शाब्दिक निर्माण से स्पष्ट रूप से बेतुके या विसंगत परिणाम सामने आते हैं जो नहीं हो सकते थे। विधानमंडल द्वारा अभिप्रेत। यदि कोई अन्य निर्माण उपलब्ध है तो अनुचित परिणाम देने का इरादा किसी क़ानून के लिए आरोपित नहीं किया जाता है। जहां शब्दों को शाब्दिक रूप से लागू करने से कानून के स्पष्ट इरादे को विफल कर दिया जाता है और एक पूरी तरह से अनुचित परिणाम उत्पन्न होता है, हमें प्रावधान को कुछ पोषण देना चाहिए ताकि स्पष्ट इरादे को प्राप्त किया जा सके और तर्कसंगत निर्माण किया जा सके।

15. 2013 के अधिनियम के साथ-साथ *1894* के अधिनियम में विभिन्न स्थानों पर "निविदा", "भुगतान" और "जमा" का उपयोग किया गया है। की धारा *31 (1)*

1894 अधिनियम निर्देश देता है कि कलेक्टर ".....।

'.....जब तक कि अगली उप-धारा में उल्लिखित कुछ एक या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा रोका न जाए, तब तक *[*लाभार्थियों को*]* इसका भुगतान करेगा। "स्पष्ट रूप से, निविदा और भुगतान दो अलग-अलग शर्तें हैं। हालाँकि, "भुगतान" को धारा *24 (2)* के साथ-साथ अन्य प्रावधानों में भी "जमा" के समान माना गया है। *2013* के अधिनियम की धारा *24* की उप-धारा *2* के एक सादे पाठ से पता चलता है कि यदि या तो भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है, या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, तो अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा। हालांकि, धारा *24* की उप-धारा *2* के परंतुक में इस बात पर जोर दिया गया है कि अधिनिर्णय दिए जाने के बाद, यदि अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजा लाभार्थी के खाते में जमा नहीं किया गया है, तो अल्प भूमि जोतों के मालिक *2013* के अधिनियम के तहत मुआवजे के हकदार होंगे, जिसका अर्थ है कि परंतुक के तहत, हालांकि अल्प भूमि जोतों के मालिकों को *1894* के अधिनियम के तहत मुआवजा मिला है, लेकिन अगर लाभार्थियों के खाते में मुआवजा जमा नहीं किया गया है तो उन्हें *2013* के अधिनियम के तहत अधिक मुआवजा मिलेगा।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में। *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के प्रावधान में निहित लाभार्थियों के खाते में "जमा" शब्द का अर्थ होगा कोषागार में लाभार्थियों के खाते में जमा करना। परंतुक "भुगतान" शब्द

को संदर्भित नहीं करता है, जैसा कि मुख्य प्रावधान, यानी *2013* अधिनियम की धारा *24* की उप-धारा *2* में संदर्भित किया गया है। धारा *24* की उप-धारा *2* के परंतुक में राज्य को अधिग्रहण की बचत के लिए अल्पांश जोतों के संबंध में मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अधिग्रहण को बचाने के लिए खाते में न्यूनतम हिस्सेदारी के संबंध में मुआवजा जमा किया जाता है तो यह पर्याप्त होगा। चूँकि धारा *24* की उप-धारा *2* के परंतुक में अधिग्रहण की समाप्ति की परिकल्पना नहीं की गई है, भले ही भुगतान नहीं किया गया हो, लेकिन वह भी अल्पांश जोतों के लाभार्थियों के संबंध में जमा किया गया हो, उसी से यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलेगा कि धारा *24* की उप-धारा *2* में पाए जाने वाले "भुगतान" शब्द का "जमा" शब्द के साथ एक मजबूत संबंध या सह-संबंध है। प्रावधान के साथ धारा *24* की उप-धारा *2* को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि भले ही अल्पसंख्यक के संबंध में मुआवजा दिया गया हो।

ऐसे अल्पसङ्ख्यक लाभार्थियों के खाते में जमा की गई भूमि का अधिग्रहण समाप्त नहीं होता है। प्रत्येक भूमि खोने वाला *2013* के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिक से अधिक मुआवजे का हकदार है। चूँकि परंतुक "मुआवजे का भुगतान" शब्दों को संदर्भित नहीं करता है और मुख्य प्रावधान के रूप में अर्थात धारा *24* की उप-धारा *2* के रूप में।

"जमा" शब्द का उल्लेख नहीं करता है, एकमात्र व्याख्या जो संभव है वह यह है कि यदि अल्पसंख्यक धारकों के नाम पर कोषागार में जमा किया जाता है या कम से कम अल्पसंख्यक धारकों को भुगतान किया जाता है, तो अधिग्रहण समाप्त नहीं होता है। यदि धारा *24* की उप-धारा *2* में पाए जाने वाले "भुगतान" शब्द को लाभार्थियों के खाते में "जमा" नहीं माना जाता है, तो धारा *24* की उप-धारा *2* का परंतुक अनुचित हो जाएगा। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अधिनियम के तहत किसी भी प्रावधान को निरर्थक या अनुचित नहीं माना जा सकता है।

16. 1894 के अधिनियम की धारा *31 2013* के अधिनियम की धारा *77* के समान है। बेशक, *2013* के अधिनियम की धारा *77* के तहत, विधायिका ने

एक कदम और आगे बढ़कर कलेक्टर को अपने बैंक खातों में राशि जमा करके इच्छुक व्यक्तियों को उनके द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए अनिवार्य किया है, जब तक कि उप-धारा *2* के तहत प्रदान की गई कुछ या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा रोका न जाए। धारा *80* के तहत *2013* अधिनियम, जो कि *1894* के अधिनियम की धारा *34* के समान है, कलेक्टर उस पर ब्याज के साथ दी गई राशि का भुगतान *9* प्रतिशत या *15* प्रतिशत की दर से करेगा, यदि ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है या भूमि पर कब्जा करने से पहले जमा नहीं किया जाता है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि धारा *80* मुआवजे की जमा राशि को मुआवजे के भुगतान के समकक्ष होने के रूप में भी मान्यता देती है। यहां तक कि धारा *34* के तहत भी *1894* अधिनियम के अनुसार, यदि मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है या भूमि पर कब्जा करने से पहले जमा नहीं किया जाता है, तो भूमि खोने वाला *9* प्रतिशत या *15* प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ मुआवजे का हकदार होगा। इस प्रकार, "जमा" शब्द को "भुगतान" शब्द का पर्याय माना जाता है।

17. हालांकि, *1894* के अधिनियम की धारा *31* में कहा गया है कि कलेक्टर पहली बार में व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करेगा।

इच्छुक और ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करें जब तक कि इसकी उप-धारा *2* में उल्लिखित कुछ या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा रोका न जाए।

1894 के अधिनियम की धारा *31*। धारा *31* की उप-धारा *2* में तीन आकस्मिकताएँ पाई जाती हैं जिनमें कलेक्टर भुगतान नहीं करेगा। इच्छुक व्यक्तियों को मुआवजा, अर्थात। , *(* क*)* इच्छुक व्यक्ति क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देते हैं*; (*ख*)* यदि कोई व्यक्ति नहीं है

भूमि को अलग करने के लिए सक्षम*; (*ग*)* यदि स्वामित्व या मुआवजे के विभाजन के बारे में कोई विवाद है। यदि ऐसी कोई आकस्मिकता उत्पन्न होती है, तो कलेक्टर मुआवजे की राशि अदालत में जमा करेगा, जिसके लिए धारा *18* के तहत एक संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगा। यदि धारा *31* को धारा *34* के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जमा न करने या मुआवजे का भुगतान न करने से राज्य निर्धारित ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि कलेक्टर ऐसा करता है

1894 के अधिनियम की धारा *31 (2)* के तहत न्यायालय में मुआवजे की राशि जमा नहीं करने पर, अधिक से अधिक इच्छुक व्यक्ति *9* प्रतिशत या *15* प्रतिशत के ब्याज के हकदार हो सकते हैं। इस तरह का कृत्य कोषागार में राशि जमा करने वाला कलेक्टर और न्यायालय में राशि जमा नहीं करने में कलेक्टर का ऐसा कार्य जैसा कि उप-धारा *2* में अनिवार्य है।

धारा *31* के परिणामस्वरूप अधिग्रहण की समाप्ति का अत्यधिक परिणाम नहीं हो सकता है।

18. भारत के संविधान का अनुच्छेद *283 (1)* यह आदेश देता है कि भारत की संचित निधि की अभिरक्षा से संबंधित मामले और भारत की आकस्मिकता निधि, ऐसी निधियों में धन का भुगतान, उनसे धन की निकासी, सार्वजनिक धन की अभिरक्षा अन्य

भारत सरकार आदि द्वारा प्राप्त ऐसी निधियों में जमा की गई निधियों को संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद *283 (2)* में कहा गया है कि राज्यों की समेकित निधियों आदि के समान मामलों को राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून द्वारा विनियमित किया जाना है। राज्यों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद *283 (2)* के अनुसार नियम बनाए हैं कि सार्वजनिक धन को कैसे संभाला जाना है।

1894 के अधिनियम की धारा *55* राज्य को इंदौर विकास प्राधिकरण के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

अधिकारियों का। भारत के संविधान के अनुच्छेद *283 (2)* और *1894* के अधिनियम की धारा *55* के अनुसार, असम, बिहार, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब जैसे विभिन्न राज्यों ने मुआवजे के भुगतान के तरीके को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए हैं। यदि भू-स्वामी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, तो वे सभी कोषागार में जमा करने का प्रावधान करते हैं, साथ ही ऐसे भू-मालिकों को ऐसी जमा राशि के बारे में सूचित करने का नोटिस भी देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पुणे नगर निगम *(*उपरोक्त*)* के मामले में न्यायालय ने राज्यों द्वारा पारित ऐसे नियमों पर विचार नहीं किया जो कोषागार में लावारिस मुआवजे को

जमा करने का निर्देश देते हैं। कोषागार में जमा करने की अनुमति देने वाले इन नियमों के उद्धरण, ऐसी जमाओं की सूचना की आवश्यकता के साथ नीचे दिए गए हैं:

19. असम सरकार। अधिसूचना *No.1211-R.* , दिनांक *19* अप्रैल, *1932* इस प्रकार है:

" 9. धारा *12 (2)* के तहत पुरस्कार की सूचना देने और धारा *31 (1)* के तहत निविदा भुगतान करने में, ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को जो व्यक्तिगत रूप से या उनके प्रतिनिधियों द्वारा पुरस्कार दिए जाने के समय उपस्थित नहीं थे, कलेक्टर उनसे व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधियों द्वारा एक निश्चित तिथि तक उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा, ताकि उन्हें दिए गए मुआवजे का भुगतान प्राप्त किया जा सके और यह भी सूचित किया जा सके कि यदि वे उपस्थित होने में विफल रहते हैं तो उन्हें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि वे पेश नहीं होते हैं और धारा *18* के तहत दीवानी न्यायालय में निर्देश के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो वह अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने या ऐसा भुगतान करने के किसी भी प्रयास के बाद जो वांछनीय लग सकता है, देय राशियों का कोषागार में उन व्यक्तियों को देय राजस्व जमा के रूप में भुगतान कराएगा जिन्हें वे क्रमशः देय हैं।

द्वारा निर्धारित या अनुमोदित प्रपत्र में देय और सत्यापित
समय-समय पर सरकार। वह ऐसी जमाओं के प्राप्तकर्ताओं को भी सूचना देगा, जिसमें कोषागार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें

जमा किए गए हैं "।
भूमि अधिग्रहण *(*बिहार और उड़ीसा*)* नियम, *1894*

इसके बाद,

" 10. धारा *12 (2)* के तहत पुरस्कार की सूचना देने और धारा *31 (1)* के तहत निविदा भुगतान करने में, ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को जो व्यक्तिगत रूप से या उनके प्रतिनिधियों द्वारा पुरस्कार दिए जाने के समय उपस्थित नहीं थे, अधिकारी उनसे उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा।

व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें दिए गए मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तिथि तक, *[2018] 2* एस. सी. आर.

कि यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर

वे प्रकट नहीं होते हैं, और सिविल के संदर्भ के लिए आवेदन नहीं करते हैं

उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास करें जो वांछनीय लग सकती है, कोषागार में राजस्व के रूप में देय राशि का भुगतान करें

उन व्यक्तियों को देय जमाएँ जिन्हें वे क्रमशः देय हैं।

देय और साथ में दिए गए रूप *(*चिह्नित ई*)* में प्रमाणित। द.

अधिकारी ऐसी जमाओं के प्राप्तकर्ताओं को भी नोटिस देगा,

कोषागार जिसमें निर्दिष्ट जमा किए गए हैं।

" 9

.....

उत्तर प्रदेश के लिए मुआवजे के भुगतान के नियम

1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम *I* के तहत निम्नलिखित रूप में पढ़ा गया:

" 6. धारा *12 (2)* और निविदा के तहत पुरस्कार की सूचना देने में धारा *31 (1)* के तहत ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को भुगतान

व्यक्तिगत रूप से या उनके प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित नहीं थे जब पुरस्कार दिया गया था, विशेष अधिकारी उन्हें उपस्थित होने के लिए कहेगा

व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधियों द्वारा एक निश्चित तिथि तक, प्राप्त करने के लिए

उन्हें दिए गए मुआवजे का भुगतान भी

कि यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर

वे प्रकट नहीं होते हैं, और सिविल के संदर्भ के लिए आवेदन नहीं करते हैं

धारा *18* के तहत अदालत, अधिकारी किसी भी आगे के प्रयास के बाद

उनकी उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए जो वांछनीय लग सकती है, कारण

कोषागार में देय राशि का भुगतान राजस्व जमा के रूप में किया जाना है

उन व्यक्तियों को जिन्हें वे क्रमशः देय हैं, और आश्वासन दिए गए हैं

प्रपत्र ई. के लिए अधिकारी इसके प्राप्तकर्ताओं को नोटिस भी देगा ऐसी जमाएँ, जो उस कोषागार को निर्दिष्ट करती हैं जिसमें जमा हैं

बनाया गया है। .....

पश्चिम बंगाल अधिसूचना *No.29 T. R.*, दिनांक *24* अप्रैल, *1895*

इस प्रकार है:

" 10. धारा *31 (1)* के तहत पुरस्कार की सूचना देने में

इच्छुक व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से या उनके द्वारा उपस्थित नहीं थे

उन्हें व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधियों द्वारा एक निश्चित तिथि तक उपस्थित होना, उन्हें दिए गए मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के लिए,

यह भी सूचित करना कि यदि वे असफल होते हैं तो उन्हें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा

प्रकट होने के लिए। यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं और संदर्भ के लिए आवेदन नहीं करते हैं

धारा *18* के तहत सिविल कोर्ट, अधिकारी, आगे किसी भी घटना के बाद

उनकी उपस्थिति को सुरक्षित करने का प्रयास करें जो वांछनीय लग सकता है, इंदौर विकास प्राधिकरण *v.*

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

देय, और साथ के रूप में पुष्टि की गई *(*यहाँ नहीं दी गई*)*। अधिकारी ऐसी जमाओं के प्राप्तकर्ताओं को उस कोषागार को निर्दिष्ट करते हुए नोटिस भी देगा जिसमें जमा किए गए हैं।
भूमि अधिग्रहण *(*केरल*)* नियम, *1990* निम्नानुसार हैः

" 13. (2) यदि पुरस्कार विजेता या उनके अधिकृत अभिकर्ता पुरस्कार को स्वीकार करने और स्वीकार करने में विफल रहते हैं या धारा *18* के तहत अदालत में संदर्भ के लिए आवेदन करने में विफल रहते हैं, तो देय राशि का भुगतान उन व्यक्तियों को देय राजस्व जमा के रूप में कोषागार में किया जाएगा जिन्हें यह क्रमशः देय है और फॉर्म ई में सत्यापित किया गया है। कोषागार में राशि जमा करने की सूचना देने वाला एक नोटिस सभी पुरस्कार विजेताओं और इच्छुक व्यक्तियों को फॉर्म *No.11* में भी दिया जाएगा।

1909 का पंजाब स्थायी आदेश संख्या *28,* दिल्ली में लागू हुआ और

एनजाब इस प्रकार पढ़ता है,

" 75. (V) धारा *12 (2)* के तहत पुरस्कार की सूचना देने और धारा *31 (1)* के तहत ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए निविदा देने में जो पुरस्कार दिए जाने के समय व्यक्तिगत रूप से या उनके प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित नहीं थे, अधिकारी उनसे व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तिथि तक उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा।

उन्हें दिए गए मुआवजे का भुगतान, यह भी सूचित करते हुए कि यदि वे उपस्थित होने में विफल रहते हैं तो उन्हें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं और सिविल के संदर्भ के लिए आवेदन नहीं करते हैं।

अदालत धारा *18* के तहत, अधिकारी किसी भी आगे के बाद
अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं जो वांछनीय लग सकती है, राजकोष में देय राशियों का भुगतान उन व्यक्तियों को देय राजस्व के रूप में किया जाना चाहिए जिन्हें वे क्रमशः देय हैं और जिनके लिए नीचे दिए गए फॉर्म ई में पुष्टि की गई है। अधिकारी ऐसी जमाओं के प्राप्तकर्ताओं को निर्दिष्ट करते हुए नोटिस भी देगा।

खजाना जिसमें जमा किया गया है। .....

20. सुखबीर सिंह *(*उपरोक्त*)* के मामले में *1909* के पंजाब स्थायी आदेश संख्या *28* पर इस न्यायालय में विचार किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि उक्त स्थायी आदेश में भुगतान मुआवजे के पांच तरीकों का प्रावधान है। अंतिम भुगतान, अर्थात् कोषागार को मुआवजे का भुगतान, उन मामलों के लिए है जहां भूमि मालिक पेश होने में विफल रहते हैं।

उनके मुआवजे का भुगतान करें। जब इस तरह का भुगतान आसानी से किया जाता है, तो जिन भूमि मालिकों के लिए जमा किया जाता है, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है।

जमाओं की सूचना के साथ-साथ उस कोषागार की सूचना भी दी जाएगी जिसमें ऐसी जमा की जाती हैं। गैर-उपस्थित भूमि मालिकों को नोटिस जारी करने के संबंध में यही प्रावधान राज्य के नियमों में किया गया है।

बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल और केरल।

नगर निगम *(*उपरोक्त*)* ने कहा कि अधिग्रहण वैध रहने के लिए सभी अस्वीकार्य मुआवजे को अदालत में जमा किया जाना चाहिए, राज्यों ने अस्वीकार्य मुआवजे को जमा करने के लिए नियम बनाए हैं कोषागार में राजस्व जमा के रूप में। दोनों कानूनों और राज्य नियमों के संयुक्त अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि कोषागार में जमा को अवैध या अस्वीकार्य नहीं बनाया गया है। वास्तव में, कोषागार में जमा को इन राज्य नियमों द्वारा भुगतान के एक वैध साधन के रूप में अनुमति दी जाती है। राज्य के नियमों में कोषागार में जमा राशि को राजस्व जमा के रूप में प्रदान किया गया है जब भूमि मालिक अपनी जमा राशि एकत्र करने के लिए अधिसूचित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं।

क्षतिपूर्ति।

22. यह केवल प्रक्रिया का विषय है कि जमा कहाँ किया जाता है। यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि उच्च न्यायालय के कुछ नियम। पंजाब और हरियाणा और दिल्ली, यह प्रावधान करते हैं कि *1894* के अधिनियम की धारा *31* के तहत अदालत में जमा राशि को राजस्व या दीवानी अदालत में जमा के रूप में कोषागार में दर्ज किया जाना चाहिए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नियमों के अध्याय *8*-सी का नियम *1* निम्नानुसार हैः

"1. भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा *31* के तहत जिला न्यायालय में भुगतान किए गए धन को ऐसी जमाओं पर लागू नियमों के तहत राजस्व या दीवानी अदालत में जमा के रूप में कोषागार में तब तक दर्ज किया जाना चाहिए जब तक कि धारा *32* आई. बी. आई. डी. द्वारा आवश्यक निवेश न हो।

23. 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम *I* के तहत ली गई भूमि के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश नियमों के नियम *10* में न्यायालय में भुगतान किए गए धन को दीवानी न्यायालय के रूप में जमा करने का प्रावधान है जमा, जिनके खाते अंततः कोषागार इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा रखे जाते हैं।

(वित्तीय पुस्तिका के अध्याय *XV* के अनुच्छेद *355* के अनुसार

यू. पी. सरकार द्वारा जारी*)*। उपरोक्त नियमों के नियम *10* में कहा गया है किः

" 10. अधिनियम के तहत जमा के लिए अदालत में सभी भुगतान होना चाहिए

पीठासीन अधिकारी के पक्ष में चेक के माध्यम से किया गया

न्यायालय, न्यायालय के आदेश द्वारा सिविल न्यायालय के श्रेय के लिए देय

जमा। चेक के साथ रसीदें होनी चाहिए।

अभिलेख के लिए न्यायालय, और अन्य दो ने विधिवत हस्ताक्षर किए
कलेक्टर। अदालत में जमा की गई राशि का भुगतान किया जाएगा।

और इसके तहत इच्छुक व्यक्तियों को अंतिम भुगतान
पुरस्कार के लिए न्यायालय द्वारा नियमों के तहत व्यवस्था की जाएगी

सिविल कोर्ट डिपॉजिट का भुगतान "।

इस प्रकार, यह स्थिति नहीं है कि न्यायालय में जमा ही एकमात्र कानूनी है

1894 के अधिनियम के तहत जमा का रूप। क्षतिपूर्ति को अतीत में कोषागार में जमा किया जा रहा था, भले ही उसे अदालत में जमा किया गया हो। इस प्रकार, वह मुद्दा जहां मुआवजा जमा किया जाता है, प्रक्रिया का विषय है।

24. जब राज्य के नियम और उच्च न्यायालय के नियम जमा करने की अनुमति देते हैं

कोषागार, यह इस कारण से है कि *1894* अधिनियम की योजना के तहत, धारा *31 (2)* के तहत न्यायालय में भुगतान या जमा करने में विफलता का प्रभाव केवल *1894* अधिनियम की धारा *34* के अनुसार ब्याज भुगतान को आकर्षित करने का था।

25. हिसार इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम। रुक्मिणी देवी और अन्र।

(1990) सप. *1* एस. सी. सी. *806,* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है या न्यायालय में समय पर जमा नहीं किया गया है, वहां कलेक्टर धारा *34* के अनुसार भूमि मालिकों को ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसमें कहा गया है,

" 5. यह लाभप्रद नहीं कहा जा सकता है कि ब्याज देय है और देय है

मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में भूमि मालिक या

समय पर न्यायालय में जमा किया गया। भूमि पर कब्जा करने से पहले,

कलेक्टर को दी गई राशि का भुगतान या जमा करना होता है, जैसा कि कहा गया है।

धारा *31* में, जिसमें विफल रहने पर वह प्रावधान के अनुसार ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

धारा *34* में।

XXX

XXX

XXX

7. हम यह स्पष्ट करते हैं कि जहां तक भूमि मालिक का संबंध है,

क्षतिपूर्ति पाने का उसका अधिकार राज्य के खिलाफ लागू करने योग्य है।

यह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है।

[2018] 2 एस सी आर।

समय पर राशि का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में ब्याज के साथ दी गई राशि का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में कलेक्टर का दायित्व। अर्जित संपत्ति के संबंध में भुगतान के लिए सरकार के साथ अपने समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले अपीलकर्ता न्यास का दायित्व एक ऐसा मामला है जिस पर हम व्यक्त करते हैं

कोई दृश्य नहीं। "

26. जोगेश चंद्र बनाम। याकूब अली, *29* आईसी *111 (*कैल*)*, जहाँ एक मकान मालिक और उसके बीच भूमि पर स्वामित्व का विवाद था।

कथित किरायेदार, कलेक्टर ने गलती से पूरे भूमि अधिग्रहण का भुगतान कर दिया

किरायेदार को मुआवजे की राशि, भले ही विवाद रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट था और मुआवजे को *1894* अधिनियम की धारा *31 (2)* के अनुसार अदालत में जमा किया जाना चाहिए था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किरायेदार को कलेक्टर द्वारा गलत भुगतान और अदालत में जमा करने में कलेक्टर की विफलता, *1894* अधिनियम की धारा *18* के तहत एक संदर्भ को प्रतिबंधित नहीं करती है। उस न्यायालय ने मुआवजे के भुगतान और जमा करने में प्रक्रियात्मक खामियों के बावजूद अधिग्रहण की कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी।

यह किरायेदारी अधिकारों का मामला है और केवल इस बात की पुष्टि करता है कि चेक द्वारा भुगतान एक वैध निविदा है। *28.* संक्षेप में, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि मुआवजे के "भुगतान" और मुआवजे के "जमा" का उपयोग वर्णन करने के लिए किया गया है।

उदाहरण जहाँ राज्य भूमि मालिकों को उनका मुआवजा देता है। दोनों राज्य के दायित्व को दर्शाते हैं। धारा *31 (1)* के अनुसार, भूमि मालिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। धारा *31 (2)* के अनुसार, यदि भूमि मालिक मुआवजा प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देते हैं, तो राज्य इसे अदालत में जमा करेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई लाभार्थी संग्रह नहीं करता है।

क्षतिपूर्ति, राज्य को संबंधित राज्य नियमों के अनुसार कोषागार में क्षतिपूर्ति जमा करनी होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य ने प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के अपने दायित्व को छोड़ दिया है। यह हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि जो व्यक्ति निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, वे मुआवजा स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि ऐसे प्रभावित व्यक्तियों ने मुआवजा प्राप्त करने के लिए सहमति दी थी, लेकिन बस उपस्थित नहीं हो सके या किसी न किसी कारण से उनका पता नहीं लगाया जा सका। ऐसे हजारों लाभार्थी हो सकते हैं।

ऐसे मामले में, इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र

*(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[*मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

कलेक्टर प्रत्येक लाभार्थी को व्यक्तिगत रूप से मुआवजा नहीं सौंप सकते हैं।

लेकिन पैसे भी उसके पास नहीं रख सकते। उसे इसे कोषागार में रखना होगा। वास्तव में, भूमि मालिकों को नोटिस देने के लिए राज्य के नियम बनाए गए हैं कि उनका मुआवजा अदालत के बजाय कोषागार में जमा किया गया है। इसके आलोक में, यदि भूमि मालिक उपस्थित नहीं होते हैं तो राज्य कोषागार में मुआवजा जमा करता है तो कोई नुकसान या पूर्वाग्रह नहीं होता है। वास्तव में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यायालयों में जमा किए गए मुआवजे को अक्सर कोषागार में रखा जाता है। यह केवल एक प्रक्रिया का विषय है कि भूमि मालिक जो निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, या

जो भूमि मालिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से इनकार करते हैं, वे कोषागार से अपना मुआवजा लेंगे। *29. 1894* के अधिनियम में अदालत में मुआवजे की जमा राशि का निर्देश देने का उद्देश्य मुआवजे के अनावश्यक विस्तार को रोकना था।

कब्जा करने से पहले। भूमि मालिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से इनकार करने के अपने स्वयं के कार्य का लाभ नहीं उठा सकते हैं, और तर्क देते हैं कि उन्हें कभी भी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, जब यह वास्तव में कोषागार में जमा किया गया है। एक बार जब राज्य कोषागार में धन जमा कर देता है, तो उसने अधिग्रहण करने और लाभार्थियों को उनका उचित मुआवजा देने का अपना प्रामाणिक इरादा दिखाया है। ऐसे मामले में, इसे शायद ही चूक के साथ दंडित किया जा सकता है, सिवाय इसके कि यह अधिनियम के तहत निर्धारित ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, जैसा कि चर्चा की गई है पूर्ववर्ती अनुच्छेद, व्यावहारिक विचार यह स्पष्ट करते हैं कि

कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से हजारों लोगों तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। दावेदारों को जल्द से जल्द व्यक्तिगत रूप से मुआवजे का भुगतान करें। यह केवल उचित है कि कलेक्टर को कोषागार में व्यक्तिगत दावेदारों के खातों में मुआवजे को जमा करने की अनुमति दी जाए, और दावेदारों को उसे जारी करने के लिए सूचित किया जाए।

30. इस प्रकार मेरी राय है कि कानूनी और व्यावहारिक दोनों दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत भूमि मालिकों के खातों में जमा

कोषागार, और उन्हें अपने पक्ष में जारी करने के लिए ऐसी जमा राशि के बारे में सूचित करना जहां वे राज्य नियमों के तहत मुआवजे को स्वीकार नहीं करते हैं, इसके परिणामस्वरूप अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है।

31. हालाँकि, बड़े सम्मान के साथ, मैं अपने विद्वान भाइयों के इस निष्कर्ष पर उनके विचारों को स्वीकार नहीं कर सकता कि पुणे उच्च न्यायालय रिपोर्ट में निर्णय

नगर निगम *(*उपरोक्त*)* को अस्पष्टता के अनुसार प्रस्तुत किया गया था क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि निर्णय सावधानी की कमी या कुछ महत्वपूर्ण कारकों की अज्ञानता के कारण हुआ था।

32. पर इनक्यूरियम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "देखभाल की कमी के माध्यम से" या अनजाने में *(*न्यायिक निर्णय का*)* गलत निर्णय लिया गया, मुख्य रूप से क्योंकि न्यायाधीशों को लागू कानून के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। "इनकुरिया" शब्द का शाब्दिक अर्थ है "लापरवाही"। यदि कोई निर्णय किसी गलती के माध्यम से किया जाता है, या किसी निर्णय या न्यायाधीश के कथन के बारे में गलत समझ के तहत किया जाता है, जो एक भौतिक निरीक्षण का परिणाम है, तो निर्णय को प्रस्तुत किया जाता है। यदि कोई निर्णय, निर्णय या निर्णय किसी कानून के किसी भी प्रावधान पर विचार किए बिना दिया जाता है, जिसे अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया था या यदि इसके अनुपात को किसी सह-समान या बड़ी पीठ के पहले घोषित निर्णय के साथ मिलान करना संभव नहीं है; या यदि उच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के विचारों के अनुरूप नहीं है। पेरिनक्यूरियम द्वारा तय किए गए फैसले का अदालत द्वारा पूर्ववर्ती के रूप में पालन नहीं किया जाना चाहिए।

33. इस सिद्धांत की हमारे द्वारा विस्तार से जांच की गई है। ए. आर के अनुसार

अंतुले वी। आर. एस. नायक, *(1988) 2* एस. सी. सी. *602,* पर इनक्यूरियम के सिद्धांत को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" 42 .

..... " इनक्यूरियम के अनुसार वे निर्णय अज्ञानता में दिए जाते हैं।

या किसी असंगत वैधानिक प्रावधान या संबंधित न्यायालय को बाध्य करने वाले किसी प्राधिकरण को भूल जाना, ताकि ऐसे मामलों में निर्णय का कोई हिस्सा या तर्क में कोई कदम, जिस पर यह आधारित है, उस कारण से स्पष्ट रूप से गलत पाया जाए।

34. सिद्धराम सतलिंगप्पा मेत्रे बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र, *(2011) 1* एस. सी. सी. *694,* इस न्यायालय ने समन्वय पीठों के निर्णय का पालन नहीं किया जो पहले की संविधान पीठ के निर्णय का विरोध कर रहे थे। प्रति इनक्यूरियम के सिद्धांत को इस प्रकार समझाया गया था

निम्नलिखित हैः

" 128. अब हम प्रति के मुद्दे की जांच करना अनिवार्य समझते हैं
पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया संदेह। यंग वी.

ब्रिस्टल एयरप्लेन कंपनी लिमिटेड *(1944)* ऑल ई. आर. *293* हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने देखा कि 'इनक्यूरिया' का शाब्दिक अर्थ है 'लापरवाही'। व्यवहार में प्रति इनक्यूरियम का अर्थ प्रति अज्ञान प्रतीत होता है। अंग्रेजी अदालतों ने इस सिद्धांत को नियम में ढील देते हुए विकसित किया है
निर्णय लेते हुए देखें। 'कानून में उद्धरण' से बचा जाता है और इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है यदि इसे किसी क़ानून या अन्य बाध्यकारी प्राधिकरण की अज्ञानता में प्रस्तुत किया जाता है।

इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

संविधान के अनुच्छेद *141* की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार, अनुमोदित और अपनाया गया है। कानून के मामले के रूप में पूर्वजों का सिद्धांत "।

कोषागार में जमा किया जाना। यद्यपि पुणे नगर निगम *(*उपरोक्त*)* के मामले में नियमों को संशोधित नहीं किया गया है, लेकिन समग्र रूप से चर्चा, यदि इस पर गौर किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि न्यायालय उक्त निर्णय का निर्णय करते हुए, न्यायालय में जमा करने में विफलता के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, साथ ही, कोषागार में जमा के प्रभाव के बारे में भी। इसलिए, मेरी सुविचारित राय में, केवल इसलिए कि कुछ राज्यों के नियमों पर विचार नहीं किया जाता है, पुणे नगर निगम *(*उपरोक्त*)* में निर्णय

इनक्यूरियम के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, केवल इसलिए कि निर्णय में नियमों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि नियमों के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है।

36. मैं यहाँ यह जोड़ना चाहूँगा कि सुखबीर सिंह *(*उपरोक्त*)* के मामले में न्यायालय ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के प्रभाव पर विचार किया था। लेकिन निष्कर्ष में प्रस्तुत किया गया

सुखबीर सिंह *(*ऊपर*)* पुणे नगर निगम *(*ऊपर*)* के फैसले के अनुरूप थे।

37. पुणे नगर निगम *(*उपरोक्त*)* में निर्णय इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचाराधीन मुद्दे पर पहला निर्णय है। इसलिए यह भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि पुणे में निर्णय लिया गया है।

नगर निगम *(*उपरोक्त*)* इस न्यायालय द्वारा पहले दिए गए निर्णयों की प्रासंगिक रेखा के अनुरूप नहीं है। पुणे नगर निगम *(*उपरोक्त*)* में निर्णय को देखने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त निर्णय सावधानी के अभाव या अनजाने में दिया गया है।

38. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि मैं पुणे नगर निगम के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हूं।

(ऊपर*)* और मेरे विद्वान भाइयों द्वारा किए गए निष्कर्ष से सहमत हैं।

हालाँकि, मैं अपने विद्वान भाइयों के विचारों को स्वीकार नहीं कर सकता कि *[2018] 2* एस. सी. आर.

पुणे नगर निगम *(*ऊपर*)* में निर्णय आकस्मिकता के अनुसार दिया जाता है।

39. इसलिए, मेरे तर्क और राय के आलोक में मेरे लिए उचित मार्ग यह है कि मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा जाए। संत लाल गुप्ता बनाम।

मॉडर्न कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, *(2010) 13* एस. सी. सी. *336* इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 17. एक समन्वय पीठ उसी न्यायालय की दूसरी समन्वय पीठ द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार या दिए गए निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर सकती है। पूर्ववर्ती नियम इस कारण से बाध्यकारी है कि कानून में एकरूपता और निश्चितता प्राप्त करने की इच्छा है। इस प्रकार, न्यायिक प्रशासन में कानून के नियमों का प्रतिपादन करने वाले उदाहरण हमारी प्रणाली के तहत न्याय के प्रशासन की नींव बनाते हैं। इसलिए, हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है कि एक समन्वय पीठ के निर्णय का पालन किया जाना चाहिए। *(* वीडियोः

त्रिभुवनदास पुरुषोत्तमदास ठक्कर बनाम। रतिलाल मोतीलाल पटेल। ए. आई. आर. *1968* एस. सी. *372,* उप-न्यायिक जवाबदेही समिति बनाम भारत संघ। *(1992) 4* एस. सी. सी. *97* और त्रिपुरा राज्य बनाम। त्रिपुरा बार एसोसिएशन *(1998) 5* एससीसी *637*।

18. राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम। हरीश कुमार पुरोहित *(2003) 5* एस. सी. सी. *480,* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक पीठ को एक समन्वय पीठ के निर्णय का पालन करना चाहिए और वही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो पहले लिया गया है। समन्वय पीठ का पूर्व निर्णय किसी भी बाद की समन्वय पीठ पर बाध्यकारी है जो निर्णय लेती है

समान या समान मुद्दे। यदि बाद की पीठ एक अलग दृष्टिकोण लेना चाहती है कि जो पहले की पीठ द्वारा लिया गया था, तो उचित मार्ग इसके लिए है -

यह मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने के लिए है।

इस कारण से, प्रश्न संख्या *1* को एक बड़े प्रश्न के लिए संदर्भित किया जा सकता है।

बेंच।

II आरईः प्रश्न सं। *2* और प्रश्न नहीं। *3*

चूँकि प्रश्न संख्या *2* और प्रश्न संख्या *3* परस्पर संबंधित हैं, इसलिए उनके साथ मैं संयुक्त रूप से व्यवहार करता हूँ।

40. हम ऊपर बताए गए प्रश्नों पर अपने विद्वान भाइयों द्वारा किए गए निष्कर्षों से सहमत हैं, ताकि श्री बालाजी *(*उपरोक्त*)* भी खारिज हो जाएँ। हालाँकि, मैं इस विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूँ जो मेरे भाइयों के विचारों के अतिरिक्त हो सकते हैं।

इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

41. ये प्रश्न एस. एल. पी. *(*सिविल*)* संख्या *10742/08 (*योगेश नीमा और अन्य*)* में एक साथ उठते हैं। वी. एम. पी. और अन्य की स्थिति*) .* इस प्रश्न में निर्धारित किए जाने वाले वास्तविक विवाद को समझने के लिए, तथ्यों को संक्षेप में निम्नानुसार निर्धारित किया जा सकता हैः

मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध के लिए कई ग्रामीणों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। कुछ भूमि का अधिग्रहण किया गया था

पुनर्वास स्थलों की स्थापना। हालांकि, इनपुन पुनर्वास स्थल का विस्तार करने के लिए *31.70* हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता थी। *17.52* हेक्टेयर भूमि के लिए *07.11.2007* पर धारा *4* अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन भूमि मालिकों *(*उसमें अपीलकर्ताओं*)* की आपत्तियों के कारण शेष भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका। आयुक्त के आदेश से *15.11.2007* , कलेक्टर को *1894* के अधिनियम की धारा *17* के तहत *11.04* हेक्टेयर भूमि और उस पर की संपत्तियों के लिए तात्कालिकता खंड लागू करने की अनुमति दी गई थी। इस भूमि के लिए एक घोषणा *26.11.2007* पर जारी की गई थी।

भूमि मालिकों ने अधिग्रहण पर सवाल उठाते हुए रिट याचिकाएं दायर कीं

जमीनों को। एकल न्यायाधीश ने *14.01.2008* पर इन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास एक बांध के किसी भी गाँव को जलमग्न करने की पूर्व शर्त। इस प्रकार, ऐसी स्थिति वास्तव में धारा *17 (1)* के तहत तात्कालिकता की गारंटी देती है; इसके अलावा, यह आशंका थी कि धारा *5* ए के संचालन से भूमि अधिग्रहण में देरी होगी; कि तात्कालिकता खंड के आह्वान पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया था। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने रिट अपीलों को खारिज कर दिया। पीड़ित होने के कारण, भूमि मालिकों ने इस अदालत में अपील की। अपील लंबित रहने के कारण, *2013* का अधिनियम लागू हुआ।

42. इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उपरोक्त प्रश्न संख्या पर मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। *2* और *3.*

44. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि अंतरिम ठहराव की अवधि को इससे बाहर रखा जाना चाहिए *2013* अधिनियम की धारा *24 (2)* के तहत पाँच वर्षों की गणना।

चूँकि यह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट थी

[2018] 2 एस सी आर।

विधायिका की जानबूझकर चूक, न्यायालय प्रदान कर सकता है

इसे शेष कानून के अनुरूप बनाने के लिए प्रावधान।

45. श्री बालाजी *(*उपरोक्त*)* मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि *2013* की धारा *24 (2)* को मामले में छूट प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि विधानमंडल ने धारा *24 (2)* को अक्षुण्ण रखते हुए उसी अधिनियम की अन्य धाराओं में न्यायालय द्वारा स्थगन की अवधि के लिए संशोधन किया है। यह इस प्रकार हैः

" 11. 2013 के अधिनियम की धारा *24* के सरल अध्ययन से यह स्पष्ट है कि *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में किसी भी अवधि को शामिल नहीं किया गया है

जिसके दौरान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किसी भी अदालत द्वारा दिए गए स्थगन या निषेधाज्ञा के कारण रुकी हुई हो सकती है। उसी अधिनियम में, सीमा के संदर्भ में धारा *19 (7)* का परंतुक

धारा *11* के तहत प्रारंभिक अधिसूचना और पुरस्कार की तारीख के बीच देरी के संदर्भ में भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए धारा *69 (2)* का स्पष्टीकरण, विशेष रूप से प्रदान करता है। कि वह अवधि या अवधि जिसके दौरान किसी भी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी भी रोक या निषेधाज्ञा के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही रुकी हुई थी, प्रासंगिक अवधि की गणना में बाहर रखी जाएगी। मामले के उस दृष्टिकोण में यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विधानमंडल ने धारा *24 (2)* में इंगित पांच साल की अवधि को बढ़ाने के लिए जानबूझकर छोड़ दिया है, भले ही कार्यवाही में देरी की गई हो।

किसी न्यायालय द्वारा या किसी कारण से दिए गए स्थगन या निषेधाज्ञा के आदेश का लेखा। पद्म सुंदर राव बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा किए गए विषय पर कानून को देखते हुए अदालत द्वारा इस तरह के मामले में छूट प्रदान नहीं की जा सकती है। स्टेट ऑफ टी. एन. *[(2002) 3* एस. सी. सी. *533]*

12. यहां तक कि *1894* के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में भी, विधानमंडल ने

एक संशोधन के माध्यम से धारा *6* में संशोधन किया गया

1984 का अधिनियम अधिनियम की धारा *6 (1)* के तहत घोषणा को प्रकाशित करने के लिए प्रदान की गई सीमा के संदर्भ में उस अवधि को हटाने के उद्देश्य से स्पष्टीकरण *1* जोड़ने के लिए जब अदालत के आदेश द्वारा कार्यवाही पर रोक लगी थी। इसी तरह के प्रभाव के लिए धारा *11* ए का स्पष्टीकरण था जिसे *1984* के संशोधन अधिनियम *68* द्वारा जोड़ा गया था। स्पष्ट रूप से विधायिका ने *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के तहत पांच साल की अवधि को अदालत द्वारा स्थगन के किसी भी आदेश के कारण कार्यवाही में किसी भी देरी से पूर्ण और अप्रभावित बना दिया है। विधानमंडल द्वारा उपयोग किए जाने वाले सरल शब्द स्पष्ट हैं- विकास प्राधिकरण *v*।

शैलेंद्रईएडी*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

और कोई अस्पष्टता या संघर्ष पैदा न करें। ऐसी स्थिति में,

न्यायालय को शाब्दिक नियम से अलग होने की आवश्यकता नहीं है

व्याख्या "।

46. पद्म सुंदरा राव बनाम। तमिलनाडु राज्य, *(2002) 3 533* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोई न्यायालय *1894* के अधिनियम के *6* पर मामले में छूट प्रदान नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा धारा *6* के तहत एक घोषणा को रद्द करने के बाद, उच्च न्यायालय के आदेश की तिथि से चलने के लिए एक नई धारा *6* घोषणा के लिए वर्ष में और सीमा अवधि का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें कहा गया है कि सीमा अवधि खंड के अनुसार धारा *4* की अधिसूचना की तारीख से होनी चाहिए।धारा *6* का परंतुक। इस न्यायालय का तर्क इस प्रकार था -

" *12.* कानून के पुनर्लेखन और केसस ओमिसस के संबंध में प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकता है।

जो स्पष्ट और असंदिग्ध है। कानून विधायिका का एक आदेश होता है। कानून में प्रयुक्त भाषा निर्धारक होती है। विधायी आशय का कारक। निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि विधान का इरादा स्वयं विधानमंडल द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में पाया जाना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या इरादा किया गया है, बल्कि यह है कि क्या कहा गया है। क़ानूनों को यूक्लिड के प्रमेय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। जज लर्नड हैंड ने कहा, "लेकिन शब्दों को उनके पीछे के उद्देश्यों की कुछ कल्पना के साथ समझा जाना चाहिए।" *(* लेनिघ वैली कोल कं. वी. देखें। येनसावेज *218* एफआर *547)*। इस विचार को भारत संघ बनाम में दोहराया गया था। वेदेम वास्को डी गामा *(*आकाशवाणी*)* के फिलिप टियागो डी गामा

1990 एससी *981)*।

13. डॉ. आर. वेंकटचलम बनाम डिप्टी। परिवहन आयुक्त *(1977) 2* एस. सी. सी. *273* में यह मत व्यक्त किया गया कि न्यायालयों को इस खतरे से बचना चाहिए -

वैचारिक संरचना या योजना की अपनी पूर्व-परिकल्पित धारणाओं के आधार पर किसी प्रावधान के अर्थ का पूर्व निर्णय

जिसकी व्याख्या की जाने वाली व्यवस्था कुछ हद तक उपयुक्त है। वे व्याख्या के भेष में विधायी कार्य को हड़पने के हकदार नहीं हैं। *14.* किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है और इसे कानून नहीं बना सकता है। यदि कानून के किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, तो यदि आवश्यक समझा जाए तो इसे संशोधित करना, संशोधित करना या निरस्त करना विधायिका का काम है।

[ऋषभ सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट देखें।

[2018] 2 एस सी आर।

एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम पी. एन. बी. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड *[(2000) 5* एस. सी. सी. *515]*। विधायी मामले की छूट न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है। धारा *6 (1)* की भाषा सरल और असंदिग्ध है। इसमें कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, जैसा कि एन. नरसिम्हा बनाम में किया गया था। कर्नाटक राज्य *[(1996) 3* एससीसी *88]*। कर्नाटक राज्य में *v.* डी. सी. नंजुदैया *[(1996) 10* एस. सी. सी. *619],* उच्च न्यायालय के आदेश की सेवा की तारीख से समय अवधि चलाने के लिए अवधि को और बढ़ाया गया था। इस तरह के दृष्टिकोण का धारा *6 (1)* की भाषा के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है। यदि दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि कोई मामला न केवल धारा *6 (1)* के परंतुक के खंड *(i)* और/या खंड *(ii)* द्वारा, बल्कि एक गैर-निर्धारित अवधि द्वारा भी कवर किया जा सकता है। यही कभी भी विधायी इरादा नहीं हो सकता है।

15. निर्माण के दो सिद्धांत एक केसस ओमिसस से संबंधित है और दूसरा समग्र रूप से क़ानून को पढ़ने के संबंध में प्रतीत होता है

अच्छी तरह से व्यवस्थित रहें। प्रथम सिद्धांत के तहत न्यायालय द्वारा स्पष्ट आवश्यकता के मामले को छोड़कर और जब इसका कारण क़ानून के चारों कोनों में ही पाया जाता है, तो एक मामला चूक की आपूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन साथ ही एक मामला चूक का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और उस उद्देश्य

के लिए एक क़ानून या धारा के सभी हिस्सों का एक साथ अर्थ लगाया जाना चाहिए और एक धारा के प्रत्येक खंड को स्पष्ट आवश्यकता के मामले में प्रदान किया जाना चाहिए। संदर्भ और उसके अन्य खंडों के संदर्भ में अर्थ लगाया गया है ताकि किसी विशेष प्रावधान पर रखा जाने वाला निर्माण पूरे क़ानून का सुसंगत अधिनियमन करे। यह और भी अधिक होगा यदि किसी विशेष खंड के शाब्दिक निर्माण से स्पष्ट रूप से बेतुके या विसंगत परिणाम सामने आते हैं जो विधानमंडल द्वारा अभिप्रेत नहीं हो सकते थे। " एक अनुचित परिणाम उत्पन्न करने का इरादा ", डैनकवर्ट्स, एल. जे. ने आर्टेमिउ वी. में कहा। प्रोकोपियो *(1966 1* क्यू. बी. *878),* "यदि कोई अन्य निर्माण उपलब्ध है तो इसे किसी क़ानून के लिए आरोपित नहीं किया जाना चाहिए"। शाब्दिक रूप से शब्दों को कहाँ लागू किया जाए

"कानून के स्पष्ट इरादे को विफल करें और पूरी तरह से उत्पन्न करें

यद्यपि प्रारूपण का हमारा मानक ऐसा है कि यह शायद ही कभी उभरता है।*]* *16.* टकटकी निर्णय सिद्धांतों की प्रयोज्यता से संबंधित याचिका स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। के चिन्नाथाम्बी गौंडर इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम में निर्णय।

शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

वी. तमिलनाडु राज्य *[*ए. आई. आर. *1980* एम. ए. डी. *251]* को *1984* के अधिनियम द्वारा संशोधन से बहुत पहले *22.6.1979* पर प्रस्तुत किया गया था। यदि विधानमंडल उन मामलों में नया जीवन देने का इरादा रखता है जहां धारा *6* के तहत घोषणा रद्द कर दी जाती है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह विशेष रूप से इसके लिए प्रावधान करके ऐसा नहीं कर सकता था। यह तथ्य कि विधायिका ने विशेष रूप से स्थगन या निषेधाज्ञा के आदेशों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए प्रावधान किया है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किसी अन्य अवधि को बाहर करने का इरादा नहीं था और यह कि किसी अन्य सीमा की अवधि प्रदान करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उक्ति 'एक्टस क्यूरिया'

मद्रास की पूर्ण पीठ द्वारा प्रकाशित 'नेमिनेमग्रेविबिट'

उच्च न्यायालय का इस मामले की तथ्य स्थिति पर कोई आवेदन नहीं है। *(* जोर दिया गया*)* पद्म सुंदर राव *(*ऊपर*)* में कैसस के बारे में तर्क

शिव शक्ति कूप सहित कई मामलों में ओमीसस का शब्दशः पालन किया गया। हाउसिंग सोसाइटी, नागपुर बनाम। स्वराज डेवलपर्स और ओआरएस। *, (2003) 6* एस. सी. सी. *659,* भारत संघ बनाम। धरमेंद्र टेक्सटाइल प्रोसेसर्स, *(2008) 13* एस. सी. सी. *369* और हाल ही में डॉ. मंजुला क्रिपेंडॉर्फ बनाम के माध्यम से एरा में। राज्य *(*एन. सी. टी. दिल्ली सरकार*)* और ए. एन. आर., *2017 (8)* स्केल *112*।

47. भारत संघ में *v.* शिव राज, *(2014) 6* एससीसी *564* ए

इस न्यायालय की समन्वित पीठ ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार मुकदमे की अवधि को बाहर नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, इसने यह तय नहीं किया कि क्या *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* के तहत *5* साल की गणना से रोक की अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए। इसने निम्नलिखित रूप में देखा,

"25. इस तरह की चूक के संबंध में *2013* के अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली प्रभाग, दिनांक *1* का एक परिपत्र लेकर आया जिसमें सॉलिसिटर

की कानूनी राय के आधार पर
भारत के जनरल, यह निम्नानुसार स्पष्ट किया गया हैः

"*3.* पाँच वर्ष की अवधि की व्याख्याः

"इस मुद्दे के संबंध में। पाँच वर्ष की अवधि की व्याख्या दो स्थितियों की परिकल्पना उन मामलों में की गई है जहां

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894* के तहत अधिग्रहण शुरू किया गया है। , *(1)* जिन पक्षों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन्होंने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और *(2)* जिन पक्षों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, वे अभी-अभी भौतिक कब्जे के साथ अलग हो गए हैं।

भूमि से। हालाँकि, उपरोक्त दोनों स्थितियों में, *1.1.2014* पर, *5* साल की अवधि समाप्त नहीं हुई होगी और ऐसे मामलों में, सलाहकार यह स्पष्ट करना चाहता है कि नया कानून

केवल तभी लागू करें जब विचाराधीनता की स्थिति अपरिवर्तित बनी रहे
ऐसी अवधि के लिए जो पाँच वर्ष के बराबर या उससे अधिक हो। मेरे विचार में, यह आगे स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किसी भी मामले में अवधि

अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से धारा *11* के तहत दिए गए निर्णय के अनुसार पांच साल बीत चुके होंगे और यह कि धारा *24 (2)* का लाभ उन मामलों के लिए उपलब्ध होगा जो लंबित हैं और जहां लंबित होने के दौरान,

भौतिक कब्जे के साथ स्थिति अपरिवर्तित रही है

सौंपा जाना या मुआवजा स्वीकार नहीं किया जाना

और अवधि पाँच वर्ष के बराबर या उससे अधिक होती है।

4. सीमाः

जहां तक मुकदमेबाजी के दौरान खर्च की गई अवधि से संबंधित इस मद का यह निर्धारित करने के उद्देश्य से भी हिसाब किया जाएगा कि पांच साल की अवधि को गिना जाना है या नहीं, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह केवल उन मामलों में लागू होगा जहां भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894* की धारा *11* के तहत पुरस्कार पारित किए गए थे, *5* साल या

किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए अधिनियम की धारा *24 (2)* में निर्दिष्ट *1.1.2014* से अधिक पहले। जब से यह कानून पारित किया गया है

भूमि-हारने वालों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से, यह व्याख्या उस उद्देश्य के अनुरूप है और यह भी बहुत सावधानी के रूप में जोड़ा गया है कि किसी पुरस्कार को चुनौती देने वाले मुकदमे में बिताई गई अवधि को यह निर्धारित करने के उद्देश्य से बाहर नहीं रखा जा सकता है कि क्या

पाँच वर्ष की अवधि बीत चुकी है या नहीं। यदि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने के कारण कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, तो पांच साल की अवधि निर्धारित करने के लिए लंबित अवधि को शामिल किया जाएगा और ऐसी अवधि को शामिल करते हुए यदि पुरस्कार अधिनियम के प्रारंभ से पांच साल या उससे अधिक समय पहले दिया गया था, तो उक्त अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा और यदि वांछित है, तो नए अधिनियम के अनुसार नई कार्यवाही शुरू करनी होगी।

26. 2013 के अधिनियम के उद्देश्य और कारण और विशेष रूप से खंड *18* इसके ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं। इसका खंड *18* निम्नानुसार है:

इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[*मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

"*18.* नए कानून के तहत लाभ भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894* के तहत भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में उपलब्ध होंगे, जहां भूमि का अधिनिर्णय या कब्जा नहीं किया गया है।
नहीं लिया गया है। "

इससे मैगनम जैसे मामलों में एक अनोखी स्थिति पैदा हो गई है।

अंतरिम स्थगन आदेश का उल्लंघन होगा, लेकिन हालांकि यह माना गया है कि अधिग्रहण की कार्यवाही अंतरिम आदेश में खोए हुए समय के कारण *5* साल के भीतर कब्जा नहीं लेने के लिए समाप्त हो जाती है। इस निर्णय का पालन रेडियंस फिनकैप *(*ऊपर*)* में किया गया था। *48.* करनैल कौर *(*उपरोक्त*)* के मामले में भी रोक की अवधि को बाहर नहीं रखा गया था, जिसमें इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल के इस तर्क को खारिज करने के लिए उपरोक्त चर्चा किए गए मामलों पर भरोसा किया कि राज्य को पूर्वाग्रहित किया जा रहा था। उसने ऐसा इस प्रकार किया,

"*20.* विद्वान महान्यायवादी ने भी इस पर भरोसा रखा है

ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक *[(1988) 2* एस. सी. सी. *602]* ने अपने कानूनी निवेदन के समर्थन में कहा कि उक्त मामले में इस न्यायालय के बहुमत ने संक्षिप्त रूप से निर्धारित किया है कि न्याय का प्राथमिक नियम यह है कि किसी भी पक्ष को अदालत की गलती/कार्रवाई से पीड़ित नहीं होना चाहिए। न्यायालय जो करता है उसे वादी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए और इसलिए,
उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के कारण *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* पर भूमि मालिकों द्वारा रखी जा रही निर्भरता से यहाँ उत्तरदाताओं को पीड़ित या उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा क्योंकि वे अधिग्रहित भूमि के कब्जे में रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता की उपरोक्त दलीलें

हम सामान्य को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उपरोक्त संदर्भित मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उक्त सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित मामलों में निर्धारित कानून के स्पष्ट कथन को देखते हुए तथ्य स्थिति पर लागू नहीं होता है।

21. श्री बालाजी नगर आवासीय संघ *(*ऊपर*)* में यह राय दी गई थी कि प्रिवी काउंसिल के फैसलों को स्वीकार करने के बाद और यह

न्यायालय, कि *2013* अधिनियम की धारा *24 (2)* किसी भी अवधि को बाहर नहीं करती है जिसके दौरान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हो सकती है।

किसी भी अदालत द्वारा दी गई भूमि के कब्जे के संबंध में रोक या निषेधाज्ञा या "यथास्थिति" आदेश के कारण रोक लगी हुई है।

यह निर्णायक रूप से अभिनिर्धारित किया गया कि विधानमंडल ने *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में इंगित पांच साल की अवधि को बढ़ाने के लिए जानबूझकर चूक की है, भले ही कार्यवाही में अदालत द्वारा दिए गए स्थगन या निषेधाज्ञा के आदेश या किसी भी कारण से देरी हुई हो।

49. विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इसका अनुसरण किया है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने महाराणा प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट में

एसोसिएशन, *2013* अधिनियम की धारा *24 (2)* के तहत *5* साल की अवधि निर्धारित करने के लिए अदालतों द्वारा दी गई रोक की अवधि को बाहर नहीं रखा जाना है। *50.* मेरी राय में, श्री बालाजी *(*उपरोक्त*)* के बाद आने वाले इन सभी मामलों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। कब्जा लेने में देरी करना राज्य द्वारा जानबूझकर लिया गया निर्णय नहीं है-इसे राज्य के अंतरिम आदेशों का पालन करना होगा।

अदालत। श्री बालाजी *(*उपरोक्त*)* के पैराग्राफ *11* में उल्लिखित चूक की व्याख्या करने का अर्थ है कि *5* वर्षों की गणना में ठहरने की अवधि का डिफ़ॉल्ट समावेश दूरगामी परिणाम देगा, अर्थात्

कि राज्य को किसी ऐसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया है जो उसके नियंत्रण से बाहर है। सार्वजनिक धन की बड़ी राशि बर्बाद हो जाएगी। स्थगन आदेशों की अवधियों को बाहर करने के लिए क़ानून में चूक का अनिवार्य रूप से यह मतलब नहीं होना चाहिए कि ऐसी अवधियों को बाहर नहीं रखा गया है।

51. 2013 के अधिनियम से पहले, श्री किशन दास और अन्य मामले में इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ थी। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य। , *1995 (6)* एस. सी. सी. *240* ने राज्य पर स्थगन आदेशों के हानिकारक प्रभाव पर विचार किया है

अलग संदर्भ में, और यह अभिनिर्धारित किया कि स्थगन आदेश के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया जा सकता है-यह देखकर कि पुरस्कार देने में देरी हुई हैः

" 3. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बी. बी. सान्याल ने तर्क दिया कि पुरस्कार *22.3.1983* पर दिया गया था, हालांकि

अधिग्रहण सितंबर *1976* में किया गया था। इसलिए, अपीलार्थियों को प्रति वर्ष *12* प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करके मुआवजा दिया जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने राम चंद बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। भारत संघ *(1994) 1* एस. सी. सी. *44* और विशेष रूप से निर्णय के पैराग्राफ *16* पर। यह देखा गया है कि राम चंदर के मामले में इस न्यायालय द्वारा अफलातून बनाम में रिट याचिकाओं को खारिज करने के बाद भी।

दिल्ली के उपराज्यपाल इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

[(1975) 4 एस. सी. सी. *285],* भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पुरस्कार पारित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार, *1980-81* तक किसी भी अधिग्रहण के संबंध में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने सरकार को प्रति व्यक्ति *12* रुपये की दर से ब्याज देने का निर्देश दिया था।

अपीलार्थियों को उसमें हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी गई राशि पर प्रतिशत। इस मामले में यह देखा गया है कि हालांकि अधिसूचना सितंबर *1976* में जारी की गई थी, लेकिन रिट याचिकाएं आईं

इसके तुरंत बाद *1977* में उच्च न्यायालय में दायर किया जाना था और स्पष्ट रूप से आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। तदनुसार, भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने पुरस्कार में देरी की। रिट याचिकाओं के खारिज होने के बाद, अपीलार्थी इस न्यायालय में आए और यथास्थिति प्राप्त की। जाहिर है, भूमि अधिग्रहण अधिकारी तुरंत पुरस्कार देने की स्थिति में नहीं था। इसके बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने *22.3.1983* पर पुरस्कार पारित किया। अधिनियम की धारा *34* राज्य को असंशोधित अधिनियम के तहत कब्जा लेने की तारीख से *6* प्रतिशत और *1984* के संशोधन अधिनियम *68* के बाद उसमें उल्लिखित विभिन्न दरों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य करती है। अधिनियम की धारा *34* के अनुसार की गई जमा राशि के साथ ब्याज का भुगतान करने का राज्य का दायित्व समाप्त हो जाता है। आगे की देनदारी तभी उत्पन्न होगी जब अदालत धारा *18* के तहत संदर्भ पर अधिनियम की धारा *28* के तहत मुआवजे को बढ़ाएगी। इसी तरह, अधिनियम की धारा *54* के तहत एक अपील में यदि अपीलीय अदालत मुआवजे को और बढ़ाती है, तो फिर से धारा *28* के तहत इसी तरह का दायित्व उत्पन्न होता है। *(* जोर देना

आपूर्ति की गई*)*

स्पष्ट रूप से, न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश राज्य को अधिग्रहण की कार्यवाही जारी रखने से रोकते हैं। इसके परिणाम भी हो सकते हैं -

अवमानना, जैसा कि मैगनम प्रमोटर्स *(*ऊपर*)* में है। ऐसी स्थिति में, *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में ठहराव की अवधि के अपवर्जन या समावेश पर कानूनी स्थिति को विधानमंडल की चूक के कारण राज्य के खिलाफ होने का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

52. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, श्री बालाजी *(*ऊपर*)* ने फैसला सुनाया है कि विचाराधीन प्रावधान को आकस्मिक छूट प्रदान नहीं की जा सकती है। निर्णय में

श्री बालाजी *(*ऊपर*)* ने पद्म सुंदर राव *(*ऊपर*)* पर भरोसा किया है। हालांकि, केसस ओमिसस की आपूर्ति नहीं करने का कारण उस मामले में अलग था। पद्म सुंदर राव *(*उपर्युक्त*)* में, धारा *6 (1)* की भाषा और इसके परंतुक ऐसे हैं कि यदि परंतुक अवधि के प्रारंभिक बिंदु को ही धारा *4* से बदल दिया गया है, तो परंतुक में दो परंतुक अवधियों के बीच कोई अंतर करना मुश्किल हो जाएगा।

केसस सुपर कोर्ट रिपोर्ट की आपूर्ति करके एक अन्य अनिर्णित प्रारंभिक बिंदु पर अधिसूचना

ओमीसस। श्री बालाजी *(उपरोक्त)* के तथ्यों के साथ-साथ वर्तमान मामले के तथ्यों में, हालांकि, धारा की भाषा में कुछ भी नहीं है। *24 (2)* यदि अंतरिम रोक की अवधि को बाहर रखा जाता है तो यह धारा के उद्देश्य को विफल कर देगा। शिव राज *(ऊपर)* विशेष रूप से भूमि मालिकों के मामले में मदद नहीं करता है क्योंकि उसने अधिग्रहण की कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश के सवाल पर विचार नहीं किया था।

53. जैसा कि पिछले पैराग्राफ में पहले ही देखा जा चुका है, यदि किसी विशेष खंड का शाब्दिक निर्माण स्पष्ट रूप से बेतुका या बेतुका हो जाता है।

असंगत परिणाम जो विधानमंडल द्वारा अभिप्रेत नहीं हो सकते थे; जहां शब्दों को लागू करने से शाब्दिक रूप से विधान के स्पष्ट इरादे को विफल कर दिया जाएगा और पूरी तरह से अनुचित परिणाम प्राप्त होंगे, हमें प्रावधान में कुछ पोषण करना चाहिए ताकि स्पष्ट इरादे को प्राप्त किया जा सके और तर्कसंगत निर्माण किया जा सके।

54. कैसस ओमिसस का अर्थ है एक छोड़ दिया गया मामला। जब कोई कानून या लेखन का कोई साधन पूर्वानुमेय करने और कुछ के लिए प्रावधान करने का उपक्रम करता है।

आकस्मिकता, और गलती, या किसी अन्य कारण से, एक मामले के लिए प्रदान किया जाना बाकी है, इसे एक केसस ओमिसस कहा जाता है। *55.* मुझे यह समझ में नहीं आता है कि न्यायालय द्वारा केसस ओमिसस की आपूर्ति क्यों नहीं की जा सकती है, जबकि इस तरह के केसस ओमिसस की आपूर्ति के मानदंडों को पूरा किया गया है। केसस ओमिसस की आपूर्ति के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कोई कम पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। यदि आवश्यकता हो तो इस तरह की चूक का अनुमान लगाया जा सकता है। कानून में शब्दों के व्याकरणिक और सामान्य अर्थ का तब तक पालन किया जाना चाहिए जब तक कि यह बाकी वाद्य के साथ बेतुकेपन, तिरस्कार या असंगति का कारण न बने। आवश्यकता के मामलों में केसस ओमिसस की आपूर्ति पर चर्चा करने वाले शुरुआती मामलों में से एक सी. आई. टी. वी. था। राष्ट्रीय

ताज ट्रेडर्स, *(1980) 1* एस. सी. सी. *370* जहाँ इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 10. निर्माण के दो सिद्धांत-एक केसस ओमिसस से संबंधित और दूसरा समग्र रूप से क़ानून को पढ़ने के संबंध में-अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होते हैं। पूर्व के संबंध में निम्नलिखित कथन

मैक्सवेल ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स *(12* वीं*)* में कानून का उल्लेख मिलता है।

एडन.*)* पृष्ठ *33* पर:

अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए-"यह सामान्य के लिए एक परिणाम है।

शाब्दिक निर्माण का नियम कि इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जाना है या कानून से लिया गया है जब तक कि उचित ठहराने के लिए पर्याप्त आधार न हों।

यह निष्कर्ष कि विधायिका का कुछ ऐसा इरादा था जिसे व्यक्त करना उसने छोड़ दिया था। लॉर्ड मर्सी ने कहा:

विकास प्राधिकरण *v* का होना एक मजबूत बात है। शैलेंद्रईएडी*)* टीएचआर। एलआरएस। *[* मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

संसद के एक अधिनियम में ऐसे शब्दों को पढ़ें जो वहां नहीं हैं, और स्पष्ट आवश्यकता के अभाव में ऐसा करना गलत है। ' "लॉर्ड्स लॉरेबर्न एल. सी. ने कहा", "हम संसद के एक अधिनियम में शब्दों को पढ़ने के हकदार नहीं हैं, जब तक कि इसका स्पष्ट कारण अधिनियम के चारों कोनों के भीतर नहीं पाया जाता है।" एक मामला प्रदान नहीं किया गया

क्योंकि किसी कानून में केवल इसलिए नहीं निपटाया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई उचित कारण नहीं लगता है कि इसे क्यों हटाया जाना चाहिए था, और इसके परिणामस्वरूप चूक अनजाने में हुई थी।

बाद के सिद्धांत के संबंध में मैक्सवेल में पृष्ठ *47* पर कानून का निम्नलिखित कथन दिखाई देता हैः

अधिनियम के संदर्भ और अन्य खंडों का संदर्भ, ताकि, जहाँ तक संभव हो, पूरे क़ानून का एक सुसंगत अधिनियमन किया जा सके। *(* कनाडा में लार्ड डेवी के अनुसार चीनी शोधन कंपनी, लिमिटेड। वी. आरः *1898* एसी *735)* "।

दूसरे शब्दों में, पहले सिद्धांत के तहत न्यायालय द्वारा स्पष्ट आवश्यकता के मामले को छोड़कर और जब इसका कारण क़ानून के चारों कोनों में ही पाया जाता है, तो एक मामला चूक की आपूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन साथ ही एक मामला चूक का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए एक क़ानून या धारा के सभी हिस्सों का एक साथ अर्थ लगाया जाना चाहिए और एक धारा के प्रत्येक खंड को स्पष्ट आवश्यकता के मामले में प्रदान किया जाना चाहिए।

संदर्भ और उसके अन्य खंडों के संदर्भ में अर्थ लगाया गया है ताकि किसी विशेष प्रावधान पर रखा जाने वाला निर्माण पूरे क़ानून का सुसंगत अधिनियमन करे। यह और भी अधिक होगा यदि किसी विशेष खंड के शाब्दिक निर्माण से स्पष्ट रूप से बेतुके या विसंगत परिणाम सामने आते हैं जो विधानमंडल द्वारा अभिप्रेत नहीं हो सकते थे। एक अनुचित परिणाम उत्पन्न करने का इरादा ", डैनकवर्ट्स एल. जे. ने आर्टेमिउ बनाम में कहा। यदि कोई अन्य निर्माण उपलब्ध है तो प्रोकोपियो *[1966 1* क्यू. बी. *878]* को किसी क़ानून के लिए आरोपित नहीं किया जाना चाहिए। शाब्दिक रूप से शब्दों को कहाँ लागू किया जाए

अनुचित परिणाम "हमें" शब्दों के साथ कुछ हिंसा करनी चाहिए "और इसलिए उस स्पष्ट इरादे को प्राप्त करें और एक तर्कसंगत परिणाम उत्पन्न करें। निर्माण, *(*ल्यूक बनाम में प्रति लॉर्ड रीड। आई. आर. सी.- *1968* ए. सी. *557* जहाँ सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 2 एस सी आर।

पी पर। *577* उन्होंने यह भी कहाः यह कोई नई समस्या नहीं है, हालांकि हमारी

प्रारूपण का मानक ऐसा है कि यह शायद ही कभी उभरता है*)*। "

56. पद्म सुंदर राव *(ऊपर)* में इसका लगभग शाब्दिक रूप से पालन किया गया था। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि पद्म सुंदर राव *(उपरोक्त)* मामले में संविधान पीठ ने कहा कि मामले में छूट तब दी जा सकती है जब "स्पष्ट आवश्यकता हो और जब इसका कारण चारों में पाया जाए।

क़ानून के कोने "। इसका मतलब यह है कि हालांकि केसस मिसिसस का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए, "किसी क़ानून या धारा के सभी भागों का एक साथ अर्थ लगाया जाना चाहिए और किसी धारा के प्रत्येक खंड का अर्थ संदर्भ और उसके अन्य खंडों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए ताकि किसी विशेष प्रावधान पर रखा जाने वाला निर्माण एक सुसंगत बना सके। पूरे कानून का अधिनियमन "। यह मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है। आवश्यकता और निरंतरता की आवश्यकता के कारण *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में कैसस ओमिसस की आपूर्ति की जानी चाहिए।

निस्संदेह, कानून बनाने की शक्ति विधानमंडल के पास रहती है। यदि अधिनियम का कोई प्रावधान असंगत या अस्पष्ट है, तो उक्त प्रावधान के अर्थ को शेष अधिनियम के अनुरूप लाने के लिए, यदि आवश्यक हो, ऐसे प्रावधान को अर्थ प्रदान करके, इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में, *2013* के अधिनियम में कई प्रावधान हैं जिनमें शामिल नहीं हैं -

अंतरिम ठहराव की अवधि, जैसे कि धारा *19 (7)* और उस अधिनियम की धारा *69 (2)* का स्पष्टीकरण। यह क़ानून को केवल तभी अधिक सुसंगत बनाता है जब धारा *24 (2)* को धारा *19 (7)* और धारा *69 (2)* के स्पष्टीकरण जैसे अन्य प्रावधानों के आलोक में पढ़ा जाता है, जो अधिनियम के तहत समय की गणना करने के लिए अंतरिम स्थगन आदेशों को अपवाद बनाते हैं। इस तरह, बाकी क़ानून के साथ प्रतिकूलता और विसंगति से बचा जाता है। *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में अंतरिम रोक के अपवर्जन को पढ़ने की स्पष्ट आवश्यकता है ताकि इसका अर्थ शेष अधिनियम के साथ सुसंगत हो, जहां समान स्थितियों में ठहरने की अवधि है।

बहिष्कृत।

57. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अमरजीत सिंह बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। देवी रतन *(2010) 1* एस. सी. सी. *417*, कोई भी वादी न्यायालय में केवल मामले के लंबित रहने से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अंतरिम आदेश हमेशा मामले में पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश में मिल जाता है और यदि रिट याचिका अंततः खारिज हो जाती है, तो अंतरिम आदेश स्वचालित रूप से रद्द हो जाता है। किसी पक्ष को अंतरिम आदेश प्राप्त करके और न्यायालय को दोष देकर अपनी गलतियों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अंततः, यदि रिट याचिका किसी भी योग्यता से रहित पाई जाती है, तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, न्यायालय न्यायालय के अधिनियम द्वारा किसी पक्ष के साथ किए गए गलत कार्य को पूर्ववत करने के लिए बाध्य है। किसी भी अनुचित या अनुचित लाभ ने इंदौर विकास प्राधिकरण को प्राप्त किया।

शैलेंद्र *(मृत)* टीएचआर। एलआरएस। *[* मोहन एम. शांतनागौदर, जे.*]*

न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा तटस्थ किया जाना चाहिए, क्योंकि मुकदमेबाजी की संस्था को न्यायालय के अधिनियम द्वारा विलंबित कार्रवाई से किसी भी पक्षकार को कोई लाभ प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। किसी को भी कार्रवाई में देरी करने की अपनी गलती का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायालय को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके किसी वादी को अवैधता

को कायम रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि बेईमानी या कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के किसी भी प्रयास पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जाना चाहिए और

न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके किसी के लिए कोई गलत, अनधिकृत या अन्यायपूर्ण लाभ न हो। किसी को नहीं करना चाहिए। अनुचित लाभ के लिए अनुचित लाभ अर्जित करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। अदालतों का निरंतर प्रयास यह सुनिश्चित करने का होना चाहिए कि सभी के साथ न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार हो।

58. "एक्टस क्यूरी नेमेनेमेग्रेविट ", या यह सिद्धांत कि न्यायालय का कोई कार्य किसी भी पक्ष को पूर्वाग्रहित नहीं कर सकता है, कानून का एक स्थापित सिद्धांत है। ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और अन्र। , *(1988) 2* एस. सी. सी. *602* द्वारा

बहुमत से इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्याय का प्राथमिक नियम यह है कि किसी भी पक्ष को अदालत की गलती या कार्रवाई से पीड़ित नहीं होना चाहिए। श्री किशन

दास *(*सुप्रा*)* ने इस सिद्धांत को भूमि अधिग्रहण पर लागू किया।

59. भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कार्यवाही में अक्सर ऐसा होता है कि प्रभावित पक्ष अधिग्रहण की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हैं।

जब तक मामला अंतिम रूप नहीं ले लेता। एक अंतरिम रोक राज्य को भूमि अधिग्रहण करने और अधिनियम के तहत बाद की प्रक्रिया का पालन करने से रोकती है, चाहे वह अधिसूचनाओं का प्रकाशन हो, पुरस्कार देना हो, अधिग्रहित भूमि पर कब्जा करना हो, या मुआवजे का भुगतान और जमा करना हो। यदि राज्य स्थगन आदेश का पालन नहीं करता है, तो इसे अवमानना के लिए रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में, मामले को अंतिम रूप देने में महीनों और वास्तव में वर्षों का समय लग सकता है, जिसके दौरान राज्य को अधिग्रहण की कार्यवाही करने से रोका जाता है। किसी मामले में, मामले को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की खंड पीठ और अंत में सर्वोच्च न्यायालय से गुजरने में पांच से दस साल या उससे अधिक समय लग सकता है, या किसी बिंदु पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजा जा सकता है। कब्जा लेने और भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान करने में कई साल लग सकते हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, राज्य को बिना किसी गलती के कब्जा करने से रोक दिया गया है।

60. केसस ओमिसस की आपूर्ति करने में विफल रहने से ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जहां अधिग्रहण की कार्यवाही मुकदमे में पक्षकार के एक कार्य और न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण केवल राज्य के नुकसान के लिए समाप्त हो जाएगी, अर्थात् अंतरिम रोक का आदेश। सार्वजनिक धन की बड़ी राशि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्यवाही को लंबित रखने में व्यर्थ जाएगा। जबकि यह अधिनियम स्वीकार्य रूप से एक लाभकारी कानून है, यह नहीं हो सकता है कि भूमि मालिक मामले दर्ज करके और अधिग्रहण या कानूनी कार्यवाही में लगातार देरी करके वैध रूप से शुरू किए गए अधिग्रहण को समाप्त कर दें। सभी के साथ न्याय होना चाहिए।
मुकदमे के पक्षकार। यह अधिनियम के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा यदि राज्य को बिना किसी गलती के

अधिग्रहण पूरा करने से रोक दिया जाता है, जबकि कुछ अवसरवादी वादी भूमि को कानूनी रूप से अधिग्रहण करने के राज्य के प्रयासों को विफल करने की कोशिश करते हैं।

61. वास्तव में, जब विधानमंडल ने उसी अधिनियम के अन्य प्रावधानों में अंतरिम स्थगन आदेशों को बाहर रखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे रोकता है

न्यायालय *2013* के अधिनियम की धारा *24 (2)* में इन बहिष्करणों को लागू करने से रोकता है।

इस प्रकार, अंतरिम ठहराव की अवधि को धारा *24 (2)* के तहत समय अवधि की गणना के उद्देश्यों के लिए अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाना चाहिए।

2013 एक्ट करें।

62. इसके बाद यह पता चलता है कि विधानमंडल द्वारा धारा *24 (2)* में एक विशिष्ट संशोधन की अनुपस्थिति से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पड़ता है।

2013 अधिनियम की धारा *24 (2)* के तहत पांच साल की गणना के उद्देश्यों के लिए अंतरिम ठहराव की अवधि को बाहर करने पर कानूनी स्थिति के लिए। अन्य में

शब्दों में, पांच साल की अवधि को अनिवार्य रूप से स्थगन आदेशों की ऐसी अवधि को बाहर करना चाहिए।

निष्कर्षः *63.* संदर्भों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मेरे द्वारा दिया गया है।

इस प्रकार हैः

मैं सवाल नहीं करता। *1 :* अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है यदि राशि कोषागार में जमा की जाती है और इस तरह के तथ्य को दावेदारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार बताया जाता है।

कानून में। केवल ब्याज आकर्षित किया जाता है, अगर अदालत में जमा नहीं किया जाता है। नतीजतन, मैं पुणे नगर निगम के परिणाम से सहमत होने के लिए खुद को राजी करने में असमर्थ हूं

(ऊपर*)*। हालाँकि, मेरे अनुसार पुणे नगर निगम *(*उपरोक्त*)* में निर्णय प्रति में नहीं दिया गया है

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पुणे नगर निगम में निर्णय निगम *(*ऊपर*)* पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि पुणे नगर निगम *(*ऊपर*)*

इंदौर विकास प्राधिकरण *v.* शैलेंद्र *(*मृत*)* टीएचआर। एलआरएस।

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया। रजिस्ट्री को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात रखने का निर्देश दिया जाता है

उचित आदेश के लिए।

प्रश्न सं। *2* और प्रश्न संख्या *3:* उपरोक्त के लिए

मैं श्री से सहमत होने के लिए खुद को राजी करने में असमर्थ हूं।

कारण एन. एस.,

बालाजी *(ऊपर)*, और समान देशों ने शासन किया। संदर्भ स्थिति द्वारा प्रस्तुत प्रश्न संख्या *2* और प्रश्न संख्या *3* का उत्तर इस प्रकार दिया गया है:

i अनुच्छेद *11* में संदर्भित सचेत चूक

श्री बालाजी *(उपरोक्त)* में निर्णय *2013* अधिनियम की धारा *24 (2)* की प्रयोज्यता के निर्धारण के उद्देश्य से न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि के बहिष्करण या समावेश के संबंध में कानूनी स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं लाता है। वास्तव में, धारा *24 (2)* के तहत पांच साल की अवधि की गणना से अंतरिम ठहराव की ऐसी अवधियों को अलग करने से अधिनियम का अध्ययन अधिक सुसंगत हो जाता है।

i "एक्टस क्यूरी नेमिनेमग्रेविट" का सिद्धांत, या यह कि अधिनियम

न्यायालय को किसी भी पक्ष को पूर्वाग्रहित नहीं करना चाहिए,

धारा में यथा अनुध्यात कब्जा लेने के संबंध में प्रश्न का निर्धारण करने के उद्देश्य से अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को बाहर करने के लिए वर्तमान मामले में लागू
24 (2) 2013 का अधिनियम।

आदेश

हम सर्वसम्मति से सभी प्रश्नों यानी *Nos.I* से *V* के लिए दिए गए उत्तरों से सहमत हैं, सिवाय बहुमत द्वारा तय किए गए पहलू के कि क्या पुणे

नगर निगम और अन्र. वी. हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी,

2014 (3) एस. सी. सी. *183*, इनक्यूरियम के अनुसार है या नहीं। जैसा कि बहुमत ने यह विचार लिया है कि यह इनक्यूरियम के अनुसार है, इसे इनक्यूरियम के अनुसार घोषित किया जाता है। संदर्भित प्रश्नों का उत्तर बहुमत के निर्णय के संदर्भ में दिया जाता है। इसलिए, तदनुसार आदेश दिया।

मैट्स को अब ऑर्डर के लिए *16.2.2018* पर सूचीबद्ध किया जा सकता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन, उपयुक्त पीठ

भारत से।

देविका गुजराल

संदर्भित प्रश्नों के उत्तर दिए गए।